

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रतिवेदन संसद के दोनों  
सदनों के पटल पर दिनांक  
20 DEC 2011  
को रख दिया गया है

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)  
थल सेना और आयुध फैक्ट्रियां  
2011-12 की संख्या 24

## विषय - सूची

पैराग्राफ		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
<b>अध्याय - I - भूमिका</b>		
1.1	प्राक्कथन	1
1.2	लेखापरीक्षा इकाईयों की रूमरेखा	1
1.3	एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण	2
1.4	लेखापरीक्षा का प्राधिकार	2
1.5	लेखापरीक्षा नियोजन एवं संचालन	3
1.6	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3
1.7	लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभागों की प्रतिक्रिया	5
1.8	पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई	5
1.9	वित्तीय पहलू/बजटीय प्रबंधन	6
1.10	थलसेना के राजस्व व्यय का विश्लेषण	7
1.11	आयुध फैक्ट्रियों के राजस्व व्यय का विश्लेषण	8
1.12	रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में थलसेना के पूंजीगत व्यय का विश्लेषण	9
1.13	आयुध फैक्ट्रियों तथा डी.आर.डी.ओ. का पूंजीगत व्यय	11
1.14	वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही विशेषतः मार्च के माह में व्यय की तीव्रता	12
<b>अध्याय II - रक्षा मंत्रालय</b>		
2.1	स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तोप को शामिल करने में विलम्ब	13
2.2	मरम्मत सुविधाओं (मिनी डिपो) की स्थापना में विलंब एवं ट्रेलरों का अनावश्यक आयात	18
2.3	मिशन एक्सेल सूचना तकनीकी (एम.ई.आई.टी.) परियोजना की विफलता	20
2.4	भूमि के लगान का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की वसूली न होना	24
2.5	दोषपूर्ण प्रेषण-पूर्व निरीक्षण	25
<b>अध्याय III - थलसेना</b>		
3.1	उच्चतर दर की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय	27
3.2	व्यक्तिगत किट मदों की अधिप्राप्ति हेतु सरकारी खाते से गैर-सरकारी	29

	लेखे में निधियों का विचलन	
3.3	फील्ड एरिया भत्ते का अनियमित भुगतान	31
3.4	पट्टे की भूमि पर निर्मित आवास को अनियमित किराये से मुक्त करना	32
3.5	केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो में अग्निशमन कर्मचारियों की कमी	34
3.6	सूखी घास के लेखांकन में अनियमितता के कारण ₹ 1.19 करोड़ की हानि	35
3.7	संविदा के अनिर्णयन के कारण ₹ 59 लाख का अधिक परिहार्य व्यय हुआ	37
3.8	वैध निविदा के अस्वीकरण के कारण परिहार्य व्यय	38
3.9	गेहूँ पीसने की संविदाओं में निर्धारित उप वाक्य के शामिल न करने के कारण हानि ।	40
3.10	टिपर्स की विवेकहीन खरीद	43
3.11	सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को अनियमित भुगतान	44
3.12	स्केनिया वाहनों के लिए टायरों का परिहार्य प्रावधान	46
3.13	विदेशी विक्रेता से दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति	47
3.14	लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूली एवं बचतें	48
<b>अध्याय IV - कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ</b>		
4.1	बिजली बिलों का भुगतानाधिक्य	50
<b>अध्याय V - सीमा सड़क संगठन</b>		
5.1	एक पुल के ढह जाने के कारण हानि	53
5.2	संस्वीकृति के बारह वर्षों के उपरांत भी पुल की अपूर्णता	54
5.3	कोर ड्रिलिंग मशीन की परिहार्य अधिप्राप्ति	55
<b>अध्याय VI - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन</b>		
6.1	अनुपयोगी भूमि को लेने के कारण लोकधन का अवरूद्ध होना	58
6.2	परियोजना के बंद होने या अंत में उपकरणों की खरीद/प्राप्ति	60
6.3	अपेक्षित विनिर्देश के नीचे एक माड्यूलर ब्रिज का विकास	61
<b>अध्याय VII - सशस्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना में परियोजना प्रबंधन</b>		
7	सशस्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना में परियोजना प्रबंधन	63
<b>अध्याय VIII - आयुध फैक्ट्री संगठन</b>		
8.1	आयुध फैक्ट्री संगठन का कार्य निष्पादन	82
	भंडार और मशीनरी की अधिप्राप्ति	
	मशीनरी	
8.2	एक क्रय संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय।	97

	<b>भंडार</b>	
8.3	पुर्जों की उच्च कीमत पर खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय	98
8.4	फर्म को अदेय लाभ देना	100
8.5	प्रोपेलेट का परिहार्य आयात	101
	<b>विविध</b>	
8.6	अस्वीकृत टर्सेट कार्टिंग के मूल्य की वसूली न होना	103
	परिशिष्ट - I ए	107
	परिशिष्ट - I बी	111
	परिशिष्ट - I सी	112
	परिशिष्ट - II	113
	परिशिष्ट - III	117
	परिशिष्ट - IV ए	119
	परिशिष्ट - IV बी	121
	परिशिष्ट - IV सी	123
	परिशिष्ट - V	126
	परिशिष्ट - VI	128
	परिशिष्ट - VII	131
	परिशिष्ट - VIII	132



## प्रस्तावना

मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सीमा सड़क संगठन तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित मामले जो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय कार्य संपादन के लेखापरीक्षा से उदभूत हुए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखों के लिए उदभूत मामलों को वर्ष 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 33 पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं जैसा कि अध्याय II और उसके आगे विवेचित है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले सम्मिलित किए गए हैं जो 2009-10 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए। पूर्ववर्ती वर्षों के ऐसे मामले जो पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे तथा 2009-10 की अवधि के परवर्ती मामले भी जहां आवश्यक समझे गए, सम्मिलित किए गए हैं।

## विहंगावलोकन

### सशस्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना में परियोजना प्रबंधन

विगत 15 वर्षों के दौरान एआरडीई द्वारा हस्तगत की गई स्टाफ परियोजनाओं की जांच पड़ताल से प्रकट हुआ कि जांची गई समाप्त 46 स्टाफ परियोजनाओं, में से केवल 13 ही उत्पादन हेतु गई जबकि शेष में या तो कोई उत्पादन वांछित न था अथवा सफलता का दावा साबित नहीं किया जा सका। कई परियोजना असफल हो गई क्योंकि इन्हें सामान्य स्टाफ गुणवत्ता आवश्यकता (जी.एस.क्यू.आर.) के निश्चित किए बिना हाथ में लिया गया या प्रयोक्ता के द्वारा गुणवत्ता आवश्यकता में बार-बार परिवर्तन किया गया। अत्याधिक समयावृद्धि और अंतिम उत्पाद को प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार न किया जाना भी परियोजना के समाप्त किए जाने का कारण बना। कई मामलों में विलंब और असफलता आयात पर निर्भरता का कारण बना।

(अध्याय 7)

### स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तोप को शामिल करने में विलम्ब

विशिष्ट तोप प्रणाली की आवश्यकता को परिभाषित करने में सेना की विफलता ने अपने तोपखाने को समकालीन तकनीक की तोपों को प्राप्त करने में एक दशक से अधिक के लिए वंचित किया। 1970 की पुरानी तकनीक की वर्तमान तोपों को प्रतिस्थापित करके स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तकनीक की तोपों की अधिप्राप्ति में असामान्य विलम्ब ने न केवल सेना की यौद्धिक तैयारियों को प्रभावित किया अपितु भारी लागताधिक्य भी हुआ।

( पैराग्राफ 2.1 )

### मरम्मत सुविधाओं (मिनी डिपो) की स्थापना में विलंब एवं ट्रेलरों का अनावश्यक आयात

मार्च 2008 और अक्टूबर 2009 के मध्य, सितम्बर 2010 तक 12 वेपन लोकेटिंग राडार (डब्ल्यू. एल.आर.) की मरम्मत हेतु मिनी डिपो स्थापित करने के लिए, संयुक्त राज्य सरकार (यूएसजी) को ₹ 100.18 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था। नियत दिनांक तक मरम्मत सुविधाओं की स्थापना की ओर कोई प्रगति नहीं हो पाई थी। परिणामस्वरूप, मरम्मत की कमी से कई डब्ल्यू एल आर निष्क्रिय पड़े थे। इसके साथ-साथ डब्ल्यू एल आर के लिए सहायक संयंत्रों की आवश्यकता के अशुद्ध विश्लेषण से ₹ 2.19 करोड़ की लागत के 12 ट्रेलरों की अनावश्यक अधिप्राप्ति हुई।

( पैराग्राफ 2.2 )



### मिशन एक्सेल सूचना तकनीकी (एम.ई.आई.टी.) परियोजना की विफलता

रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के प्रत्येक कार्य के स्वचालन के उद्देश्यों के साथ नियोजित डीएडी की मिशन एक्सेल सूचना तकनीक (एमईआईटी) परियोजना ₹ 20.47 करोड़ व्यय करने के बावजूद अपनी पटरी से उतर गई। डीएडी के सभी कार्य के स्वचालन के वांछित उद्देश्य चार वर्षों तक प्राप्त नहीं हो सके।

( पैराग्राफ 2.3)

### भूमि के लगान का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की वसूली न होना

कैन्टोनमेंट बोर्ड आगरा को शॉपिंग सेंटर निर्माण के लिए 3.52 एकड़ भूमि जिसका किराया, प्रत्येक पांच वर्ष उपरांत संशोधित किया जाना था, रक्षा संपदा अधिकारी, आगरा द्वारा 36 वर्षों तक संशोधित नहीं किया जा सका। इसने ₹ 2.12 करोड़ की मात्रा तक सरकार को सम्मेय राजस्व के भुगतान किए बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कैन्टोनमेंट बोर्ड को सरकारी भूमि का दोहन करने दिया।

( पैराग्राफ 2.4)

### उच्चतर दर की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय

महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर (डीजीएनसीसी) ने अपने कैडेटों के लिए मदों की अधिप्राप्ति करते समय सामान्य वित्तीय नियमों और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। अशुद्ध पद्धति अपनाते हुए एल-1 फर्म से उच्चतर दरों पर गत आपूर्तिकर्ता से 80 प्रतिशत मदें क्रय करते हुए ₹ 21 करोड़ का फालतू व्यय किया।

( पैराग्राफ 3.1)

### व्यक्तिगत किट मदों की अधिप्राप्ति हेतु सरकारी खाते से गैर-सरकारी लेखे में निधियों का विचलन

सेना मुख्यालय ने मंत्रालय की अनुमति के बिना व्यक्तिगत किट भंडार (पीकेएस यूएन) के नाम पर एक व्यावसायिक दुकान स्थापित किया। इस दुकान के माध्यम से विगत तीन वर्षों में ₹ 140.75 करोड़ मूल्य के सरकारी भंडार के व्यवहार किए गए थे। पीकेएस (यूएन) के लिए भंडार सरकारी निधियों को गैर सरकारी लेखों में विपथन करके खरीदे गए थे और सेना ने ₹ 5.36 करोड़ का सेवा-कर अनियमित रूप से प्रभारित किया था।

( पैराग्राफ 3.2)

### पट्टे की भूमि पर निर्मित आवास को अनियमित किराये से मुक्त करना

कार्मिक प्रमुख, दक्षिणी कमान ने मार्च 1976 से पूर्व पुरानी पट्टा सहमति पर एक किराए के घर को डी-हायरिंग के लिए संस्वीकृति प्रदान की यद्यपि ऐसे मामले में डी-हायरिंग के लिए शक्ति रक्षा मंत्रालय में निहित है। इसने ₹ 2.77 करोड़ की 1.14 एकड़ रक्षा भूमि के पट्टा

रखने के अधिकारों का हस्तांतरण करने में पट्टाधारी को बिना किसी लागत के एक निजी निर्माता को भूमि के सम्भाव्य व्यवसायिक दोहन के लिए सक्षम बनाया ।

( पैराग्राफ 3.4)

### केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो में अग्निशमन कर्मचारियों की कमी

एक सेना कमान के मध्य आयुध डिपुओं में अग्नि शमन (एफएफ) कार्मिकों के पुनर्गठन न होने से अग्नि के सम्भाव्य खतरे पर छोड़ते हुए केन्द्रीय आयुध डिपो में अग्नि शमन कार्मिकों की 40 प्रतिशत से अधिक सोचनीय कमी उत्पन्न हुई । रूचिपूर्णरूप से चार अन्य डिपो 28 प्रतिशत से 120 प्रतिशत तक एफएफ कार्मिकों को रखे हुए थे और 2004-05 से 2008-09 तक ₹ 5.81 करोड़ के वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया ।

( पैराग्राफ 3.5)

### सूखी घास के लेखांकन में अनियमितता के कारण ₹ 1.19 करोड़ की हानि

अनियमित लेखांकन के कारण मिलिट्री फार्म, जम्मू ₹ 1.19 करोड़ मूल्य का 1492.92 एमटी वजन का सूखा चारा भण्डार में नहीं पाया गया अथवा पशु उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया । अनियमितता केवल मिलिट्री फार्म के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभार प्रदान करने/प्राप्त करने के दौरान प्रकाश में आई ।

( पैराग्राफ 3.6)

### संविदा के अनिर्णयन के कारण ₹ 59 लाख का अधिक परिहार्य व्यय हुआ

निदेशक मिलिट्री फार्म, पश्चिमी कमान ने मान्य दिनांक तक न्यूनतम निविदा की अस्वीकृति के कारण मिश्रित पशु आहार स्थानीय रूप से अधिप्राप्त किया क्योंकि एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) चार महीनों तक अपनी सहमति जारी नहीं कर सके । तीन स्टेशनों के लिए पशु आहार के लिए संविदा के अनिर्णयन की परिणति ₹ 59 लाख के अतिरिक्त व्यय में हुई ।

( पैराग्राफ 3.7)

### वैध निविदा के अस्वीकरण के कारण परिहार्य व्यय

मुख्यालय पश्चिमी कमान ने एकीकृत वित्तीय सलाहकार के दृष्टिकोण की अवहेलना करते हुए माँस समूह की मदों की अधिप्राप्ति के लिए एक फर्म की एक मान्य निविदा को अस्वीकृत कर दिया । तदनुपरांत, स्थानीय क्रय और पुनः निविदा के माध्यम से उसी फर्म से उच्चतर दरों पर ये माँस समूह की मदें अधिप्राप्त की गई। इससे ₹ 89.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

( पैराग्राफ 3.8)



**गेहूँ पीसने की संविदाओं में निर्धारित उप वाक्य के शामिल न करने के कारण हानि ।**

दो सेना कमानों के मेजर जनरल, सेना सेवा कोर द्वारा गेहूँ पीसने की निर्णीत संविदाओं में अनुपयुक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आटे की कम प्राप्ति और ₹ 63.85 लाख की परिणामी हानि हुई । इसने पिसाई वालों को अदेय लाभ दिया ।

( पैराग्राफ 3.9)

**टिप्पर की विवेकहीन खरीद**

अभियंता प्रमुख (इ-इन-सी) सेना मुख्यालय ने पोर्ट ब्लेयर में उनके अधिकरण/मांग के बिना सैन्य अभियंता सेवाओं (एमइएस) के लिए 15 टिप्पर लारियां अधिप्राप्त कीं । टिप्पर जिन पर अधिप्राप्ति और परिवहन हेतु ₹ 1.31 करोड़ का व्यय किया गया था, एमइएस द्वारा प्राप्ति के समय से ही अप्रयुक्त पड़े थे ।

( पैराग्राफ 3.10)

**सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को अनियमित भुगतान**

दो आयुध डिपुओं द्वारा निर्भर यूनियों को आयुध भंडारों के परिवहन हेतु सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट की शंकायुक्त बुकिंग के कारण सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट के ठेकेदारों को ₹ 32.29 लाख का अनियमित भुगतान किया गया ।

( पैराग्राफ 3.11)

**स्कैनिया वाहनों के लिए टायरों का परिहार्य प्रावधान**

केन्द्रीय आयुध डिपू द्वारा आवश्यकता के अशुद्ध आकलन के कारण ₹ 87.18 लाख लागत के स्कैनिया टायरों का प्रावधानाधिक्य किया गया था । इन टायरों के निर्धारित जीवन-काल का 70 प्रतिशत भंडारण में पहले ही समाप्त हो चुका था ।

( पैराग्राफ 3.12)

**विदेशी विक्रेता से दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति**

गन मशीन और मिसाइलों के ₹ 2.30 करोड़ के पुर्जे अनुपयुक्त पाये गए और गत तीन वर्षों से निहित उद्देश्य की पूर्ति किये बिना आयुध डिपू में पड़े हुए थे ।

( पैराग्राफ 3.13)

**बिजली बिलों का भुगतानाधिक्य**

अधिसूचित प्रभार दरों की अशुद्धि से लागू करने तथा सैन्य इंजीनियरी सेवाओं द्वारा शुद्ध संविदित अधिकतम मांग (सीएमडी) सूचित करने में विफलता के कारण विद्युत आपूर्ति एजेंसियों को ₹ 1.63 करोड़ का भुगतानाधिक्य किया गया ।

( पैराग्राफ 4.1)



### एक पुल के ढह जाने के कारण हानि

सीमा सड़क कार्य दल द्वारा निर्माणाधीन एक पुल गैर अनुमोदित स्टेजिंग/शटरिंग की विफलता और जांचों व कार्यकारियों द्वारा कार्यान्वयन के दौरान जाँच संतुलनों को लागू न करने के कारण ढह गया जिससे ₹ 1.30 करोड़ की हानि हुई ।

( पैराग्राफ 5.1)

### संस्वीकृति के बारह वर्षों के उपरांत भी पुल की अपूर्णता

निर्माण कार्य के अनुपयुक्त नियोजन एवं पर्यवेक्षण के कारण ₹ 3.54 करोड़ व्यय करने के बावजूद 12 वर्षों के उपरांत भी उत्तराखण्ड में एक नदी पर पुल सम्पूर्ण नहीं हो सका ।

( पैराग्राफ 5.2)

### कोर ड्रिलिंग मशीन की परिहार्य अधिप्राप्ति

महानिदेशक सीमा सड़क ने आवश्यकता के बिना पाँच परियोजना मुख्य अभियंताओं के लिए आठ कोर ड्रिलिंग मशीनों की अधिप्राप्ति में ₹ 1.81 करोड़ का व्यय कर दिया । मशीने पिछले तीन वर्षों से वाँछित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा सकी।

( पैराग्राफ 5.3)

### अनुपयोगी भूमि को लेने के कारण लोकधन का अवरुद्ध होना

अप्रैल 2008 में एक केन्द्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ₹ 73.26 करोड़ में फरीदाबाद में 407 एकड़ की जंगलात भूमि को अधिग्रहित किया। यह भूमि निर्माण कार्रवाई के लिए प्रयोग नहीं की जा सकी क्योंकि गैर-जंगलात उद्देश्य के लिए भूमि के विपथन की अनुमति केन्द्रीय शक्तिप्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा प्रदान नहीं की गई थी ।

( पैराग्राफ 6.1)

### परियोजना के बंद होने या अंत में उपकरणों की खरीद/प्राप्ति

परियोजना के बंद होने के उपरांत डीआरडीओ की एक संस्थापना द्वारा ₹ 1.52 करोड़ लागत के संयंत्र अधिप्राप्त किए गए, यह दर्शाते हुए कि अधिप्राप्ति परिहार्य थी ।

( पैराग्राफ 6.2)

### अपेक्षित विनिर्देश के नीचे एक मॉड्युलर ब्रिज का विकास

सैन्य भार वर्ग (एमएलसी) - 70 के साथ 46 मीटर स्पैन के मॉड्युलर पुल की प्रयोक्ता की आवश्यकता के प्रति डीआरडीओ ने ₹ 21.46 करोड़ व्यय करते हुए 40 मीटर एमएलसी-70

मॉड्युलर पुल विकसित किया। सेना ने आवश्यक मानकों से कम होने के कारण पुल स्वीकार नहीं किया और मॉड्युलर पुल की आवश्यकता 9 वर्षों तक पूरी नहीं हुई।

( पैराग्राफ 6.3)

### आयुध फैक्ट्री संगठन का कार्य निष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन 39 आयुध फैक्ट्रीयों में 99374 मानव-शक्ति से युक्त मुख्यतः देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए शस्त्रों, गोलाबारूद, संयंत्र, वस्त्रों इत्यादि के उत्पादन में संलिप्त है। 2009-10 में कुल ₹ 11817.89 करोड़ की कीमत का उत्पादन हुआ जो कि 2008-09 के ₹ 10610.40 करोड़ के उत्पादन से 11.38 प्रतिशत उच्चतर था।

जबकि 2007-08 तक आयुध फैक्ट्रीयाँ भारत की समेकित निधि में ऋणात्मक प्रभार को जारी रखने में समर्थ रहीं थी, व्यय की तुलना में अधिक प्राप्ति उत्पन्न करने के आयुध फैक्ट्री संगठन का प्रचलन, उत्पादन लागत में आधिक्य के कारण 2008-09 से विपरीत हो गया।

आयुध फैक्ट्री संगठन का कुल राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 9081.28 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 10812.10 करोड़ हो गया था।

2009-10 के दौरान 134 मर्दों का उत्पादन (434 मर्दों में से जिनके लिए मांग थी और लक्ष्य निर्धारित किए गये थे) निर्धारित समयावधि से पिछड़ गया था।

2009-10 के दौरान निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति 70.22 प्रतिशत तक कम हो चुकी थी।

( पैराग्राफ 8.1)

### एक क्रय संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय।

भारी वाहन फैक्ट्री आवाड़ी, सशस्त्र वाहन मुख्यालय आवाड़ी और रक्षा मंत्रालय द्वारा एक मशीन की उपलब्धता का केवल एक ही स्रोत है, जानते हुए भी संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव को सुनिश्चित करने में असामान्य विलम्ब किया जिससे इसकी अधिप्राप्ति नये प्रस्तावों के उपरांत करने से ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

( पैराग्राफ 8.2)

### पुर्जों की उच्च कीमत पर खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय

आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा थलसेना यौद्धिक वाहनों के पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए, यह जानते हुए भी कि इनकी उपलब्धता विदेशी फर्म से सस्ती दर पर हो सकती है, मै0 भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फिल्ड के मंहगे प्रस्ताव की स्वीकृति की जिसके परिणाम स्वरूप आयुध फैक्ट्री, मेडक द्वारा ₹ 83.67 लाख की उच्चतर लागत पर पुर्जों की अधिप्राप्ति की गई।

( पैराग्राफ 8.3)

### फर्म को अदेय लाभ देना

आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ ने मिनरल और मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुम्बई को उनकी कॉपर कैथोडस की अप्राप्त मात्रा की आपूर्ति हेतु फरवरी 2007 के लंदन मेटल एक्सचेंज दरों पर आपूर्ति आदेश के लिए प्रभावित करने में फैक्टरी की विफलता ने और उसे मई 2007 की उच्चतर दरों पर स्वीकृत करके ₹ 9.77 करोड़ का अदेय लाभ पहुँचाया।

( पैराग्राफ 8.4)

### प्रोपैलेंट का परिहार्य आयात

आयुध फैक्टरी खमरिया ने आयुध फैक्टरी बोर्ड को एक गोलाबारूद के प्रोपैलेंट के शेष भण्डार की गलत सूचना प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 2.17 करोड़ मूल्य के प्रोपैलेंट का परिहार्य आयात हुआ और जब आयुध फैक्टरी, भंडारा से उसी मद की उत्पादन लागत की तुलना की गई तो ₹ 39.79 लाख का अधिक व्यय पाया गया ।

( पैराग्राफ 8.5)

### अस्वीकृत टर्नेट कास्टिंग के मूल्य की वसूली न होना

भारी वाहन फैक्टरी अवाडी, आश्वासन अवधि में पाये गए दोषों के बावजूद ₹ 73.83 लाख कीमत की अस्वीकृत टर्नेट कास्टिंग की लागत की वसूली करने में विफल रही । हालांकि लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात् फैक्टरी ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से आंशिक रूप से ₹ 37.43 लाख की वसूली की और सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम से ₹ 36.40 लाख की शेष वसूली प्रतीक्षारत थी ।

( पैराग्राफ 8.6)



## अध्याय - I भूमिका

### 1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन के अनुपालन लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:-

- थलसेना;
- अन्तर्सेवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थलसेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं;
- रक्षा लेखा विभाग और
- आयुध फैक्ट्रियां ।

इस प्रतिवेदन में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए लेन-देन से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम भी हैं ।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित संगठनों के व्यय, प्राप्ति, परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्वों के लेन-देन से संबंधित जाँच की ओर ध्यान आकृष्ट करवाती है जिससे यह पता लग सके कि भारत के संविधान, लागू नियमों, अधिनियमों और सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है । लेखापरीक्षा के मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए । लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी ।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है । अध्याय II में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत हैं ।

### 1.2 लेखापरीक्षा इकाईयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है । यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग, और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग । प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है । रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का प्रमुख होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है ।

थलसेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए थलसेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सज्जित, आधुनिक और चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक, उपकरण, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम.ई.एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के उन क्षेत्रों के सेवार्थ हैं जो थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए सामान्य क्षेत्र हैं। ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होती हैं जिससे कम लागत पर बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध सेवाएं होता है। 39 आयुध फैक्ट्रियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

### 1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक मजबूत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण सरकारी खाते से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करते हैं। सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखांकन अधिकारी होने के नाते, सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखांकन हेतु भी उत्तरदायी है। यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका प्रमुख महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

### 1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन 13<sup>1</sup> के अंतर्गत भारत सरकार के

<sup>1</sup> (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्ययों (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित सभी लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।



मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14<sup>2</sup> के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियां “लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007” में निहित हैं।

### 1.5 लेखापरीक्षा नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टैकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल.टी.ए.आर.) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जांच परिणाम का उत्तर एल.टी.ए.आर. प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है। इन एल.टी.ए.आर. में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2009-10 के दौरान 14059<sup>3</sup> लेखापरीक्षा-दल दिवस लगाकर 700<sup>4</sup> यूनिटों/फार्मेशनों की लेखापरीक्षा की गई थी। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फार्मेशनों, जिनमें जोखिम की संभावना हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है।

### 1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

जहां तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय एवं सेवा संगठन के द्वारा पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्ति विवेचनात्मक क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा पहले के प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति में कमियों का विनिर्देश करती रही है और रक्षा मंत्रालय ने अधिप्राप्ति में शामिल प्रक्रियाओं में सुधार के कई उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) और रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका (डीपीएम) की समय-समय पर पुनरीक्षा, बेहतर प्रचलन के विकास के लिए उठाए गए कदम हैं। इसके बावजूद, अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण कमियाँ हैं जिन पर इस प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया है।

<sup>2</sup> भारत के समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकरणों जो बड़ी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं खर्च की लेखापरीक्षा।

<sup>3</sup> कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पार्टी-दिवसों का उपयोग

<sup>4</sup> यूनिटों/फार्मेशनों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली एवं कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा की गई

वर्तमान प्रतिवेदन उन मामलों पर प्रकाश डालता है जो प्रस्तुत परिचालन संबंधी तैयारी पर उनके प्रभाव के आलोक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उल्लेखनीय लागताधिक्य दर्शाती हैं। प्रतिवेदन संविदाओं का कमजोर प्रबंधन, आवश्यकताओं के आकलन में अशुद्धि, अनियमित भुगतान, सरकारी खातों से गैर-सरकारी खातों में निधियों में विपथन, भूमि अधिग्रहण, पट्टे पर दी गई रक्षा भूमि के किराये में संशोधन न करना, भण्डार का अनुपयुक्त निरीक्षण, लेखांकन में अनियमितताएं जैसे मामलों जिन्हें तुरंत सुधारने की आवश्यकता है, को भी प्रदर्शित करता है।

सेना में स्टेट-आफ-द-आर्ट तोपों को शामिल करने में विलम्ब से संबंधित एक मामला जिसे पैरा 2.1 में दर्शाया गया है, महत्वपूर्ण है। सेना विशिष्ट गन प्रणाली की आवश्यकता को परिभाषित करने में विफल रही, जिससे सशस्त्र सेना 1970 की समयातीत तकनीक की वर्तमान तोपों को प्रतिस्थापित करने के लिए समकालीन तकनीक की तोपों को प्राप्त करने से एक दशक से अधिक समय तक वंचित रही। अधिप्राप्ति में विलम्ब से न केवल सेना की परिचालन संबंधी तैयारी को प्रभावित किया अपितु भारी लागताधिक्य भी हुआ। एक अन्य मामले में संयुक्त राज्य की सरकार को ₹ 100.18 करोड़ के अग्रिम भुगतान किये जाने के पश्चात भी 12 वैपन लोडिंग राडार (डब्ल्यू.एल.आर.) के लिए मरम्मत सुविधाओं की स्थापना में विलंब से डब्ल्यू.एल.आर. की मरम्मत में असामान्य विलंब हुआ (पैराग्राफ 2.2)।

एआरडीई पुणे की पुनरीक्षा ने स्टाफ परियोजनाओं के परिणामों के उत्पादनीकरण और प्रवेश की कमी के मामले पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप आयात पर लगातार निर्भरता हो गई।

मान्य एल-1 प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए उच्चतर दरों पर गत आपूर्तिकर्ता को 80 प्रतिशत आपूर्ति आदेश देते हुए डीजीएनसीसी द्वारा अनियमित क्रय किया गया, जिससे ₹ 21 करोड़ (पैराग्राफ 3.1) का अतिरिक्त व्यय हुआ। एक अन्य विशिष्ट मामला देखने में आया जिसमें यू.एन. मिशन पर जाने वाली यूनिटों के लिए निजी किट भंडारों की अधिप्राप्ति पर 10 प्रतिशत लाभ प्रभारित करते हुए सेना मुख्यालय द्वारा ₹ 5.36 करोड़ तक लोकनिधि का विपथन गैर-लोकनिधि में किया गया (पैराग्राफ 3.2)।

सेवा कार्मिकों का परिचालन भत्ता जो सेवाकार्मिकों को देय नहीं था उसी यूनिट के रक्षा सिविलियनों को भुगतान किया गया। इस अनियमितता में ₹ 15.16 करोड़ का भुगतान सन्निहित था। (पैराग्राफ 3.3)

डीजीबीआर में कमजोर संविदा प्रबंधन के कारण एक पुल ढह जाने से ₹ 1.30 करोड़ की हानि हुई (पैराग्राफ 5.1)। एक अन्य मामले में एक पुल ₹ 3.54 करोड़ व्यय करने के बावजूद 12 वर्षों के पश्चात भी पूरा नहीं हुआ। (पैराग्राफ 5.2)

यौद्धिक आवश्यकता के लिए तीव्र गति अधिप्राप्ति के अधीन अधिप्राप्त स्निपर रायफल ढाई वर्ष तक दोषपूर्ण प्रेषण-पूर्व जांच के कारण प्रयोग में नहीं लाई जा सकी (पैराग्राफ 2.5)।

रक्षा भूमि से संबंधित मामले में, रक्षा सम्पदा अधिकारी गत 36 वर्षों से किराये में संशोधन नहीं कर सका जबकि एक शॉपिंग सेंटर के निर्माण के लिए कैंन्टोनमेंट बोर्ड, आगरा को दी गई 3.52 एकड़ भूमि के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में इसे संशोधित किया जाना था (पैराग्राफ 2.4)।



डीआरडीओ ₹ 73.26 करोड़ की फरीदाबाद में अधिप्राप्त 407 एकड़ वन भूमि का प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि केन्द्रीय शक्तिप्रदत्त समिति ने इसे गैर-वनप्रांत उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी। यह इसलिए हुआ कि भूमि अधिग्रहण से पूर्व डीआरडीओ द्वारा इसका शीर्षक वन से सामान्य उद्देश्य हेतु नहीं बदलवाया गया (पैराग्राफ 6.1)। डीआरडीओ के एक अन्य मामले में मॉड्युलर पुल की परियोजना, मामले के विवरण में दी गई मानक अनुसंशाओं के अनुसार कार्यान्वित नहीं हुई थी जिसके आधार पर संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इससे ₹ 21.46 करोड़ से बनाई गई सम्पत्ति बेकार हो गई क्योंकि प्रयोक्ता ने पुल को स्वीकार नहीं किया (पैराग्राफ 6.3)।

आयुध निर्माणियों के मामले में, लेखापरीक्षा ने क्रय सहमति निर्णित करने में विलम्ब और उच्चतर दरों पर अतिरिक्त पुर्जों के क्रय करने, फर्म को अदेय लाभ, प्रोपेलेंटों की परिहार्य अधिप्राप्ति और अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग की लागत की वसूली न होने के कारण अधिक व्यय पर टिप्पणी की है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आयुध निमार्णी संगठन के सामान्य कार्य निष्पादन पर भी टिप्पणी की गई है।

### 1.7 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के निर्देश दिए थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की ओर ध्यानाकर्षित करने के लिए और छः सप्ताह के मध्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भेजे जाते हैं। उनके निजी ध्यान में लाया जाता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, में ऐसे पैराग्राफ सम्मिलित किए जाने की संभावना के दृष्टिकोण से, मामले में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को जुलाई 2010 और मार्च 2011 के मध्य पत्रों के माध्यम से संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित करते हुए अग्रेषित किया गया था।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से VII में आये 27 पैराग्राफों में से 16 पैराग्राफों पर उत्तर नहीं भेजे। रक्षा उत्पादन विभाग ने भी इस प्रतिवेदन के अध्याय VIII में सम्मिलित 6 पैराग्राफों में से तीन के उत्तर नहीं भेजे। आयुध निर्माणी बोर्ड की प्रतिक्रिया, जहां कहीं भी प्राप्त हुई उसे अध्याय VIII के पैराग्राफों में उपयुक्तरूप से समाविष्ट किया गया है।

### 1.8 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विचारणीय सभी मामलों के संबंध में कार्यपालिका के दायित्व के प्रवर्तन हेतु लोक लेखा समिति ने आग्रह किया कि 31 मार्च 1996 के पश्चात के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित कार्रवाई

टिप्पणी (ए.टी.एन.), प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किए जाने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत किए जाएं ।

जुलाई 2011 को थलसेना से संबंधित एटीएन की पुनरीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2009 को समाप्त वर्ष तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 76 पैराग्राफ लम्बित रहे, जिनमें से 22 पैराग्राफों के लिए मंत्रालय ने, जैसा कि परिशिष्ट I-ए में दिखाया गया है, पहला एटीएन भी प्रस्तुत नहीं किया और 30 मामले 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं । जुलाई 2011 को आयुध निर्माणी बोर्ड के संदर्भ में, रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2003 से मार्च 2010 को समाप्त वर्ष लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तीन पैराग्राफों, जिसे परिशिष्ट I-बी में दिखाया गया है, के लिए पहली बार भी एटीएन प्रस्तुत नहीं किए थे । पुनः लेखापरीक्षा द्वारा अन्य छः लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संदर्भ में लेखापरीक्षा की आपत्तियों पर आधारित पुनरीक्षित कार्यवाही टिप्पणी की आवश्यकता होने की वजह से ए.टी.एन. का अन्वेषण नहीं कर सकी, जिसे विस्तार से परिशिष्ट-I सी में दिखाया गया है।

### 1.9 वित्तीय पहलू/बजटीय प्रबंधन

सामान्यतः जिसे रक्षा व्यय के रूप में जाना जाता है, छः अनुदानों के अन्तर्गत व्यय किया जाता है । अनुदान सं0 22 थलसेना, अन्तर्सेवा संगठन और अन्य जैसे निरीक्षण संगठन, एनसीसी, राष्ट्रीय राइफल, जिसमें भंडार एवं परिवहन आदि शामिल हैं, को व्यय प्राधिकृत करता है । अनुदान सं0 23 और 24 नौसेना और वायुसेना के व्यय से संबंधित हैं । अनुदान सं0 25 आयुध फैक्ट्रियों को व्यय प्राधिकृत करता है । अनुदान सं0 26 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के व्यय से संबंधित है और अनुदान संख्या 27 सभी सेवाओं को पूंजीगत परिव्यय प्राधिकृत करता है ।

रक्षा व्ययों को मुख्यतः राजस्व और पूंजीगत दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन एवं भत्ते, भंडार, परिवहन इत्यादि आते हैं । पूंजीगत व्ययों में नए हथियार और गौलाबारूद, अप्रचलित भंडारों को विभिन्न आधुनिक प्रकार से प्रतिपूरित करने में अधिप्राप्तियों पर किए गए व्यय आते हैं । सेवाओं का आधुनिकतम बनाना पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है ।

रक्षा सेवाओं पर बजटीय प्रावधान (दत्तमत भाग) , राजस्व पार्श्व एवं पूंजीगत पार्श्व (दत्तमत भाग), का विस्तृत विश्लेषण नीचे दी गई सूची, जो सामान्य चित्र प्रस्तुत करती है, में है:

( ₹ करोड़ में )

क्रम सं0	वर्ष 2007-08 के लिए रक्षा सेवाओं पर बजट प्रावधान (दत्तमत)	वर्ष 2008-09 के लिए रक्षा सेवाओं पर बजट प्रावधान (दत्तमत )	वर्ष 2009-10 के लिए रक्षा सेवाओं पर बजट प्रावधान (दत्तमत )	2007-08 से 2009-10 तक प्रावधान में वृद्धि (प्रतिशत में)
1	99778.18	125358.64	148359.74	49
	राजस्व बजट प्रावधान (दत्तमत) 2007-08	राजस्व बजट प्रावधान (दत्तमत) 2008-09	राजस्व बजट प्रावधान (दत्तमत) 2009-10	(2007-08 से 2009-10 तक) प्रतिशत वृद्धि
2	57920.58	77382.54	93580.12	62
	पूंजीगत बजट प्रावधान (दत्तमत) 2007-08	पूंजीगत बजट प्रावधान (दत्तमत) 2008-09	पूंजीगत बजट प्रावधान (दत्तमत) 2009-10	(2007-08 से 2009-10 तक) प्रतिशत वृद्धि



3	41857.60	47976.10	54779.62	31
	वास्तविक राजस्व व्यय (दत्तमत) 2007-08	वास्तविक राजस्व व्यय (दत्तमत) 2008-09	वास्तविक राजस्व व्यय (दत्तमत) 2009-10	(2007-08 से 2009-10 तक) प्रतिशत वृद्धि
4	57619.55	77074.06	94645.46	64
	वास्तविक पूंजीगत व्यय (दत्तमत) 2007-08	वास्तविक पूंजीगत व्यय (दत्तमत) 2008-09	वास्तविक पूंजीगत व्यय (दत्तमत) 2009-10	(2007-08 से 2009-10 तक) प्रतिशत वृद्धि
5	37439.90	40894.97	51019.42	36
	पूंजीगत व्यय के अधीन अव्ययी प्रावधान (दत्तमत) 2007-08	पूंजीगत व्यय के अधीन अव्ययी प्रावधान (दत्तमत) 2008-09	पूंजीगत व्यय के अधीन अव्ययी प्रावधान (दत्तमत) 2009-10	प्रतिशत वृद्धि/ कमी
6	4417.70	7081.13	3760.20	2007-08 से 2008-09 - 60(वृद्धि) 2008-09 से 2009-10 - 47(कमी)

राजस्व पक्ष (दत्तमत भाग) में वृद्धि मुख्यतः छोटे वेतन आयोग की अनुसंशाओं पर रक्षा बलों के वेतन के पुनरीक्षण के कारण थी। पूंजीगत पक्ष (दत्तमत भाग) में वृद्धि मुख्यतः सेवाओं के आधुनिकीकरण, अतिरिक्त आवश्यकताओं/ नई योजनाओं हेतु व्यय इत्यादि के कारण थी। उपरोक्त सूची से यह भी स्पष्ट होता है कि पूंजीगत भाग के अधीन अव्ययी प्रावधान सभी तीनों वर्षों 2007-08 से 2009-10 की अवधि में सारगर्भित थी।

### 1.10 थलसेना के राजस्व व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2009-10 के लिए थलसेना के राजस्व व्यय के मूल अनुदान का दत्तमत भाग ₹ 60253 करोड़ था। इसके प्रति ₹ 2464 करोड़ के अधिक व्यय को दर्ज करते हुए ₹ 62717 करोड़ का व्यय आलेखित किया गया। 2008-09 के पूर्व वित्तीय वर्ष में ₹ 808 करोड़ का अव्ययी प्रावधान था।

2009-10 में कुल राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत (₹ 36191 करोड़) थलसेना के लिए वेतन एवं भत्तों का अंश था। यदि वेतन एवं भत्तों हेतु असैनिक (₹ 3132 करोड़) और सहायक बलों (₹ 705 करोड़) जोड़ दिए जाएं तो संयुक्त वेतन एवं भत्तों का अंश 64 प्रतिशत होगा, व्यय के अन्य महत्वपूर्ण अंग, भंडार (₹ 9405 करोड़ ; 15 प्रतिशत) परिवहन (₹ 1792 करोड़ ; 3 प्रतिशत) निर्माण कार्य (₹ 4608 करोड़ ; 7 प्रतिशत) थे।

अनुदान के भीतर व्यय की तुलना करने पर, प्रायः सभी शीर्षों में महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य हुआ, विशेषतः थलसेना के लिए वेतन एवं भत्ते (₹ 3065 करोड़), राष्ट्रीय राईफलस (₹ 422 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 377 करोड़), परिवहन (₹ 323 करोड़), पूर्व-सैनिक योगदानिक स्वास्थ्य योजना (₹ 202 करोड़), सहायक बलों के वेतन भत्ते (₹ 18 करोड़) व सिविलियन (₹ 171 करोड़) के वेतन एवं भत्ते, निरीक्षण संगठन (₹ 51 करोड़), मिलट्री फार्म (₹ 3 करोड़)। भंडार (₹ 2034 करोड़), नेशनल केडेट कोर्पस (₹ 107 करोड़) तथा अन्य व्यय (₹ 28 करोड़), की बचत हुई।

निम्न कारणों से भण्डार में बचत हुई:



- क) पेट्रोलियम उत्पादों पर कम व्यय
- ख) चीनी की अधिप्राप्ति, जो चीनी मिलों द्वारा पुनःप्रस्तावित नहीं थी
- ग) बैरलों, के संविदा का नहीं हो पाना, निर्गम में कमी, बिलों की वापसी
- घ) सीडीएओ द्वारा आलेखन की धीमी गति, तथा
- ड.) डीजीओएफ द्वारा आपूरित अभियंता भंडारों पर अल्प व्यय

2010-11 के मध्य सेना राजस्व व्यय ने 2009-10 में ₹ 58648.10 करोड़ की तुलना में ₹ 57326.99 करोड़ के रूप में सीमांत कमी प्रदर्शित की। 2010-11 के लिए सेना के वेतन एवं भत्तों हेतु ₹ 31599 करोड़ के मूल अनुमान के प्रति संशोधित अनुमान ₹ 32452 करोड़ था। 2011-12 के लिए वेतन एवं भत्तों हेतु बजट अनुमान ₹ 34544 करोड़ है।

### 1.11 आयुध फैक्ट्रियों के राजस्व व्यय का विश्लेषण

आयुध फैक्ट्रियों का अधिकांश व्यय, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना को आपूर्तियों के लिए “घटा वसूलियाँ” से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुध फैक्ट्रियाँ असैनिक व्यापार और पैरा मिलट्री फोर्सिस व लोगों को भी भंडारों का विक्रय करती हैं। ये भारत की संचित निधि में प्राप्तियों के रूप में आलेखित की जाती हैं। अधोलिखित सूची इसका विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय	रक्षा बलों को आपूर्ति से वसूलियाँ	फालतू भंडारों की आपूर्ति से प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	शुद्ध प्राप्ति	व्यय के प्रतिशत के रूप में शुद्ध प्राप्तियाँ
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (5-2)	7
2005-06	6847.13	5701.31	1537.81	7239.12	391.99	5.72
2006-07	6191.89	5147.77	1384.52	6532.29	340.40	5.50
2007-08	7125.63	5850.65	1464.12	7314.77	189.14	2.65
2008-09	9081.28	6123.38	1474.54	7597.92	(-)1483.36	(-)16.33
2009-10	10812.10	7531.08	1545.01	9076.09	(-)1736.01	(-)16.06

आयुध फैक्ट्री संगठन में व्यय पर प्राप्तियों का आधिक्य उत्पन्न करने में विपरीत प्रवृत्ति की 2008-09 से 2009-10 तक निरंतरता भी हुई। 2009-10 के मध्य, यद्यपि 2008-09 की कुल प्राप्तियों पर ₹ 1478.17 करोड़ की वृद्धि आलेखित हुई, परन्तु व्यय में वृद्धि के कारण अन्ततः ₹ 1736.01 करोड़ अर्थात् 16.06 प्रतिशत का घाटा था। आयुध फैक्ट्रियों ने इसे वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के परिणामस्वरूप विनिर्माण लागत में वृद्धि, छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बकाया भुगतान तथा कुछ सी.के.डी./एस.के.डी.<sup>5</sup> मदों की अप्राप्तियों के कारण बताया।

2010-11 के संशोधित अनुमानों में घटा वसूलियाँ और राजस्व प्राप्तियों के समायोजन के उपरान्त भारत की संचित निधि से शुद्ध बजटीय सहारे के रूप में ₹ 150.13 करोड़ डाला गया। वर्ष 2011-12 के लिए ₹ (-) 1176.75 करोड़ के शुद्ध बजटीय सहारा का अनुमान है, जो कि लेखांकन भाषा में अधिक है।

<sup>5</sup> सी.के.डी./एस.के.डी. - कम्पलीटली नोकड डाउन/सेमी नोकड डाउन

जबकि 2007-08 तक आयुध फैक्ट्रियां भारत की संचित निधि पर नकारात्मक प्रभाव बनाए रखने में सक्षम थी, सेवाओं को आपूर्तियां, अनुमानों से कम आपूर्ति इंगित करती हुई, बजट प्रावधानों के कभी भी बराबर नहीं कर पाईं। 2009-10 में ₹ 8393 करोड़ की बजटीय आपूर्ति के प्रति, आलेखित आपूर्तियां ₹ 862 करोड़ की कमी आलेखित करती हुई, ₹ 7531 करोड़ लेखाबद्ध हुई। 2008-09 में कमी ₹ 474 करोड़ तथा 2007-08 में यह ₹ 594 करोड़ थी।

कई मामलों में निर्गमन कीमतें वास्तविक उत्पादन लागत से कम थीं। इन कारकों का आयुध फैक्ट्रियों की प्राप्तियों की मात्रा तथा परिणामतः बजटीय सहारा जिसकी उन्हें सरकार से आवश्यकता है, पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड को वास्तविक उत्पादन लागत पर विचार करते हुए मदवार निर्गमन कीमतों की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है अन्यथा वे घाटे में चलेंगी और विशाल बजटीय सहारे की आवश्यकता होगी। वर्ष 2011-12 में ऐसी आपूर्तियों के लिए ₹ 10844 करोड़ का बजट प्रावधान है इसलिए बहुत उच्चाकांक्षी सिद्ध हो सकती है बशर्ते ऐसी आपूर्तियों की कीमतें तीव्रता से उपर की ओर संशोधित की जाएं।

वर्ष 2009-10 के लिए आयुध फैक्ट्रियों के समग्र निष्पादन का विश्लेषण इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 8.1 में किया गया है।

### 1.12 रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में थलसेना के पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

2008-09 में थल सेना ₹ 2701<sup>6</sup> करोड़ का अव्ययी प्रावधान के साथ ₹ 13312 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अनुमान के प्रति मात्र ₹ 10611 करोड़ ही व्यय कर सकी। 2009-10 में इसने ₹ 3200<sup>7</sup> करोड़ का अव्ययी प्रावधान की परिणति के साथ ₹ 17996 करोड़ के आवंटन के प्रति मात्र ₹ 14796 करोड़ व्यय किये। विस्तृत विश्लेषण आगे इंगित करते हैं कि कुछ शीर्षों में किये गये व्यय का यौद्धिक तैयारियों पर भी कोई तात्कालिक प्रभाव न था क्योंकि ₹ 3466.70 करोड़ का व्यय मुख्यतः अग्रिम भुगतानों की प्रकृति का था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(₹ करोड़ में)

2008-09							2009-10						
लघु शीर्ष	ओ	आर	एफ जी	वास्तविक	आधिक्य / बचतें*	प्रतिशत	ओ	आर	एफ जी	वास्तविक	आधिक्य / बचतें*	प्रतिशत	
050- भूमि	35.00	(-) 5.00	30.00	31.32	(+)1.32	4.4	51.99	(+)6.75	58.74	40.95	(-)17.79	30.29	
101- वायुयान व वायु इंजिन	426.70	(+)108.55	535.25	602.61	(+)67.36	12.58	1020.62	(-)882.45	138.17	138.09	(-)0.08	0.06	
102- भारी एवं मध्यम वाहन	1285.26	(-) 58.48	1226.78	1114.86	(-) 111.92	9.12	831.80	(+)351.71	1183.51	1273.56	(+)90.05	7.61	
103- अन्य उपस्कर	8345.33	(-)2179.50	6165.83	5965.81	(-) 200.02	3.24	11121.24	(-) 1217.01	9904.23	10089.54	(+)185.31	1.87	
105- मिलट्री फार्म	7.50	(-)3.00	4.50	4.29	(-)0.21	4.67	7.50	(-)0.40	7.10	6.33	(-) 0.77	10.85	
106- रोलिंग स्टॉक	114.80	(-)74.96	39.84	- 0.18	(-)40.02	100.45	170.05	(-)63.85	106.20	107.06	(+) 0.86	0.81	
107- इसीएचएस	60.00	(-) 50.50	9.50	7.57	(-)1.93	20.32	37.00	(-)30.60	6.40	5.91	(-) 0.49	7.66	

<sup>6</sup> बजट अनुमान के आधार पर बचत की गणना (मूल प्रावधान+पूरक) - वास्तविक व्यय

<sup>7</sup> बजट अनुमान के आधार पर बचत की गणना (मूल प्रावधान+पूरक) - वास्तविक व्यय



2008-09							2009-10					
लघु शीर्ष	ओ	आर	एफ जी	वास्तविक	आधिक्य / बचतें*	प्रतिशत	ओ	आर	एफ जी	वास्तविक	आधिक्य / बचतें*	प्रतिशत
112- राष्ट्रीय राइफल	21.98	(+) 4.36	26.34	26.41	(+)0.07	0.27	10.24	(+)32.83	43.07	43.51	(+) 0.44	1.02
113- नेशनल कैडेट कोर	23.66	(-)20.00	3.66	3.32	(-)0.34	9.29	27.30	(-)22.70	4.60	3.60	(-) 1.00	21.74
202- निर्माण कार्य	2992.25	(-)86.92	2905.33	2855.00	(-) 50.33	1.73	4718.20	(-) 1608.56	3109.64	3087.09	(-) 22.55	0.73

ओ - मूल अनुदान ; आर - पुनर्विनियोजन ; एफजी - अन्तिम अनुदान ; इसीएचएस - पूर्व-सेवकों की अनुदानिक स्वास्थ्य योजना

\*इस सूची में बचतों की गणना अन्तिम अनुदान तथा वास्तविक व्यय के संदर्भ में की गई है।

2009-10 के मध्य अधिकतर बचतें भूमि, वायुयान व वायु इंजिन, मिलिट्री फार्म, रोलिंग स्टॉक, इसीएचएस, निर्माण कार्यों, नेशनल कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय राइफल में हुई है।

अन्य उपस्कर शीर्ष के अधीन ₹ 1217.01 करोड़ में विनियोजन में कमी नई योजनाओं के नॉन-फ्रक्टीफिकेशन, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हेतु निधियों की कम आवश्यकता, एस.एम.ई.आर.सी.एच के पी.डी.आई में विफलता के कारण, डी.जी.ओ.एफ. द्वारा लक्ष्यों में कमी इत्यादि के कारण थी। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हेतु मार्च 2010 के माह में ₹ 3015.84 करोड़ का आलेखित किया गया व्यय, 20 मार्च 2010 को निर्णीत की गई संविदा के प्रति ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड को अग्रिम भुगतान की प्रकृति का था। इसी प्रकार ₹ 49.77 करोड़ का व्यय कॉम्बेट नेट रेडियो (सी.एन.आर.) के लिए अग्रिम भुगतान था। इसलिए, लघु शीर्ष 103 - अन्य उपस्कर के अधीन आलेखित ₹ 10089.54 करोड़ के कुल वास्तविक व्यय का 30 प्रतिशत अर्थात् ₹ 3065.61 करोड़ अग्रिम भुगतान के मद में था।

भूमि हेतु ₹ 6.75 करोड़ के विनियोग में वृद्धि मुख्यतः अधिग्रहण प्रक्रिया में विलम्ब के कारण थी। भारी व मध्यम वाहनों के अधीन ₹ 352 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः क) वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए वाहनों की अतिरिक्त आवश्यकता, ख) नई स्कीमों (एच.एम.वी. टाटसा मात्रा 788) के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता ग) दोषपूर्ण आलेखन करना तथा नई स्थापना के कारण कमी में वृद्धि को पूरा करने के कारण था।

भारी व मध्यम वाहनों के लिए आलेखित ₹ 1273.56 करोड़ के व्यय में से ₹ 496.45 करोड़ की रकम यौद्धिक तैयारियों हेतु आधुनिकीकरण की स्कीमों पर व्यय था। इस राशि में से ₹ 314.85 करोड़ टाटसा वाहनों के मार्च 2010 के अंत में निर्णीत संविदाओं हेतु अग्रिम भुगतानों के लिए था जिनके लिए वर्ष 2009-10 के मध्य स्पष्टतः कोई लाभ अर्जित न हो सका। इसी भारी एवं मध्यम वाहनों के शीर्ष के अधीन ₹ 90.05 करोड़ का हुआ आधिक्य एच.एम.वी. टाटसा के प्रति प्रारम्भिक अग्रिम भुगतान और सीडीएओ द्वारा अधिक आलेखन के कारण था।

वायुयान और वायु इंजिनों (लघु शीर्ष 101) के अधीन ₹ 882.45 करोड़ के विनियोग में कमी मुख्यतः निम्न कारणों से थी:

क) नई स्कीमों के नॉन-फ्रक्टीफिकेशन (एच.ए.एल. से इतर),

ख) एचएएल स्कीमों (ए.एल.एच यूटिलिटी तथा ए.एल.एच. डब्ल्यू.एस.आई. मात्रा 60) के आलक्षित भुगतानों का न हो पाना, तथा

ग) लघु शीर्ष -103 के अधीन आलेखित रशियन पुनःअधिसूचित दायित्व भुगतान

उपरोक्त लघु शीर्ष हेतु आलेखित ₹ 138.09 करोड़ के कुल वास्तविक व्यय में से ₹ 86.24 करोड़ का व्यय मुख्यतः गैर-पुनःअधिसूचित दायित्व, पुनःअधिसूचित दायित्व शक्ति इंजिन के रूपांकन एवं विकास तथा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में था। निर्माण कार्य (लघु शीर्ष 202) के अधीन ₹ 22.55 करोड़, जो अन्तिम अनुदान का 0.73 प्रतिशत था, की बचत हुई। बचत ₹ 1608.56 करोड़ के पुनःविनियोजन, जो मूल अनुदान का 34.09 प्रतिशत था, के बावजूद हुई। बचत के मुख्य कारण निम्न लिखित थे:

- सीएओज आवंटित निधियों को समर्पित करते रहे,
- मुख्यालय पश्चिमी कमान द्वारा नये पूंजीगत निर्माण कार्यों से चालू पूंजीगत निर्माण को निधियों का आन्तरिक हस्तांतरण,
- आपूर्ति आदेशों के कार्यान्वयन में प्रक्रियागत विलम्ब,
- वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में ठेकेदार द्वारा मोवेलाइजेशन अग्रिमों को लेने से इन्कार करना

बचतों के लिए उत्तरदायी अन्य कारण निम्न लिखित थे:

- क) भूमि अधिग्रहण मामलों का निपटान न होना
- ख) मंत्रालय से अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृतियों का प्राप्त न होना
- ग) राज्य महालेखाकार द्वारा कैम्प व्यय की मद में कम व्यय मांगना, नये/चालू निर्माण कार्यों के मामले में डीजीएनसीसी की सीमित वित्तीय शक्तियों के कारण मामलों की संस्वीकृतियों में विलम्ब इत्यादि।

अन्य लघु शीर्ष-106 - रोलिंग स्टॉक में आधिक्य के अधीन हुआ। आधिक्य बी ई एम एल द्वारा वैगनों के आधुनिकीकरण के सम्पादन पर अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण था।

### 1.13 आयुध फैक्ट्रियों तथा डी.आर.डी.ओ. का पूंजीगत व्यय

2009-10 के मध्य आयुध फैक्ट्रियों का पूंजीगत व्यय ₹ 240.29 करोड़ था। सामान्यतः आयुध फैक्ट्रियों में नवीकरण व प्रतिस्थापन पर व्यय राजस्व व्यय से उत्पन्न की गई नवीकरण व प्रतिस्थापन निधि से किया जाता है। वर्ष 2009-10 के मध्य नवीकरण व प्रतिस्थापन निधि में हस्तांतरित रकम ₹ 280 करोड़ थी तथा इसमें से किया गया व्यय ₹ 228 करोड़ था।

डी.आर.डी.ओ. के मामले में 2009-10 के मध्य पूंजीगत व्यय ₹ 4152 करोड़ था। इसमें से मशीनों व उपकरणों पर व्यय ₹ 3802 करोड़ था और यह 92 प्रतिशत था। डीआरडीओ का पूंजीगत व्यय वर्ष के दौरान किए गये राजस्व व्यय जो ₹ 4356 करोड़ था, की अपेक्षा ₹ 204 करोड़ (4.91 प्रतिशत) कम था।

#### 1.14 वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही विशेषतः मार्च के माह में व्यय की तीव्रता

रक्षा मंत्रालय (वित्त/बजट) पूरे वर्ष का व्यय एकरूप रखने हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी करता है। हालांकि ऐसे अनुदेशों का नाममात्र प्रभाव हुआ था। 2009-10 की अन्तिम तिमाही के दौरान सभी सेवाओं के लिए वार्षिक पूंजीगत परिव्यय, निर्धारित 33 प्रतिशत के प्रति बजट अनुमानों का 44 प्रतिशत था। मार्च के महीने में, वर्ष के अन्तिम समय पर निर्धारित 15 प्रतिशत के प्रति, बजट अनुमानों का 32 प्रतिशत व्यय किया गया। थल सेना अनुदान के अधीन मार्च के माह में बजट अनुमानों का 18 प्रतिशत व्यय किया गया।



## अध्याय - II रक्षा मंत्रालय

### 2.1 स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तोप को शामिल करने में विलम्ब

आधुनिक तकनीक की तोप, 1970 में बनी अप्रचलित तकनीक की वर्तमान तोप के प्रतिस्थापन हेतु एक दशक के व्यतीत होने के बाद भी फौजों को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। 10वीं थलसेना योजना में शामिल तोप की अधिप्राप्ति को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। नई तोपों की अधिप्राप्ति में असामान्य विलम्ब से न केवल सेना की यौद्धिक तैयारियां प्रभावित हुईं अपितु भारी मात्रा में लागत वृद्धि भी हुई।

सैनिक कार्रवाई में तोप की अग्निशक्ति, शत्रु की मारक क्षमता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारतीय सेना का तोपखाना विभिन्न प्रकार की मिश्रित तोप प्रणालियों की रेजिमेंटों से बना हुआ है, जिनकी तकनीक द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर सत्तर के दशक तक विकसित हुई थी। इनमें से कोई भी तीव्र तकनीक प्रगति के दृष्टिकोण से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट नहीं मानी जा सकती है। 10वीं सेना योजना<sup>8</sup> में 155 एमएम 52 अन्तर्व्यास की घसीटने वाली तोप तथा एसपी तोप (व्हील्ड/ट्रैक्ड) तोपों की एक्स मात्रा की अधिप्राप्ति को शामिल किया गया था परन्तु अक्टूबर 2010 तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। इस प्रकार वर्तमान में अप्रचलित तकनीक शक्तिस्तर की 105 एमएम/122 एमएम/130 एमएम तोपों के प्रतिस्थापन हेतु सेना को आधुनिक तोपखाने की उपलब्धता एक दशक के उपरांत भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

1986 की संविदा के अधीन बोफोर्स तोपों की गत अधिप्राप्ति के उपरांत, मंत्रालय ने 90 के दशक के मध्य घसीटने वाली तोप प्रणाली तथा स्व-चलित (एसपी) तोप प्रणाली की अधिप्राप्ति हेतु अर्जन प्रक्रिया को नियोजित एवं प्रारम्भ किया, जिसे सेना द्वारा तोप प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकता परिभाषित न किए जाने, प्रामाणिक तोप का चयन न किए जाने तथा तोप प्रणाली के मूल्यांकन में अस्थिरताओं के कारण एक दशक से अधिक व्यतीत होने के बाद भी अधिप्राप्त नहीं किया जा सका। घटनाओं का क्रमवार इतिहास परिशिष्ट-II में दिया गया है।

#### 2.1.1 पहियों पर घसीटने योग्य 155 एमएम तोप की अधिप्राप्ति

मैसर्स ए बी बोफोर्स, स्वीडन के साथ 1986 में बोफोर्स तोपों की अधिप्राप्ति हेतु निर्णीत हुई संविदा 15 वर्षों अर्थात् 2001 तक मान्य थी। संविदा के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग को तकनीक, सेवाओं तथा क्रय की गई तोपों के रखरखाव व मरम्मत हेतु मैसर्स ए बी बोफोर्स की सहायता, तथा तोपों के घरेलू उत्पादन के प्रबंध का लाभ स्वयं उठाना था। हालांकि, मै0 ए बी बोफोर्स से व्यापार करने पर 1989 में प्रतिबंध लागू किया गया था, जो जून 1999 तक लागू रहा। इसी दौरान, तोपशाला हेतु नई तोप की तत्काल यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अप्रैल 1997 में 155 एमएम घसीटने वाली चढ़ी हुई तोप के लिए सामान्य स्टाफ गुणवत्ता आवश्यकता (जीएसक्यूआर), 45 अन्तर्व्यास नली लम्बाई को अत्यावश्यक मानक रूप में तथा 52 अन्तर्व्यास लम्बाई वांछनीय, के रूप में सूत्रबद्ध किया। जबकि यह ऐसा था, कि थलसेनाध्यक्ष ने मई 1997 में स्पष्ट किया कि घसीटने वाली तोप की भविष्य की नीति 155

<sup>8</sup> 10वीं थलसेना योजना 2002-03 से 2006-07 तक

एमएम 52 अर्न्तव्यास लम्बाई की होगी । दो विकल्पों पर आवश्यकताओं का सूत्रीकरण यह जानने में विफल रहा कि दो भिन्न अर्न्तव्यास तोपों का विक्रेता आधार भी भिन्न था ।

जून 1999 में मै0 बोफोर्स पर से प्रतिबंध उसकी उत्तराधिकारी फर्म मै0 सेलसीयस, स्वीडन के साथ व्यवहारों की अनुमति देते हुए, बोफोर्स के वचनों का मान रखते हुए, हटा लिया गया । सितम्बर 1999 में मै0 सेलसीयस ने प्रतिबंध हटाने के परिणामक्रम में सेना मुख्यालय को सूचित किया कि उनके द्वारा वोलवो ट्रक पर चढ़ाई जा रही वर्तमान तोप की परिवर्धित प्रणाली लागू की गई थी इस प्रकार यह घसीटे जाने वाली के स्थान पर वाहन चढ़ी बन रही थी । इसके अतिरिक्त यह सूचित किया कि उनके पास विकास की अग्रिम अवस्था में 45 अन्तर्व्यास तोप का प्रोटोटाइप था । थलसेनाध्यक्ष ने मै0 सेलसीयस के प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत अक्टूबर 1999 में मै0 सेलसीयस से 45 अन्तर्व्यास नलीयुक्त लम्बाई के साथ ट्रक पर चढ़ी 155 एमएम परिवर्धित रूप की तोप की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की । केवल मै0 सेलसीयस को अलग से आर.एफ.पी. जारी करने के इस प्रस्ताव के पक्ष में सेना मुख्यालय के मुख्य तर्क, टी.ओ.टी. लागत में बचत तकनीक के आसान समावेश की सुविधा तथा कार्यान्वयन की सुविधा तथा प्रणाली के लिए भंडारण सुविधा का होना बताया । हालांकि मार्च 2000 में, मंत्रालय ने रक्षा मंत्री की अनुमति से सेना मुख्यालय से, इसकी आवश्यकताएँ घसीटने/ट्रक चढ़ी तोप के रूप में एवं यदि आवश्यक हो 45 अथवा 52 गुणवत्ता अथवा दोनों को परिभाषित करने के लिए, कहा । इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि जी.एस.क्यू.आर. के प्रति भारतीय परिस्थितियों में इन तोपों के मूल्यांकन हेतु परिचित विक्रेताओं को ही आर.एफ.पी. जारी की जाएगी ।

सेना मुख्यालय ने 155 एमएम 45/52 क्षमता की घसीटने वाली हॉवित्जर तोप के नौ विक्रेताओं को जारी किए जाने हेतु जुलाई 2000 में आर.एफ.पी. का प्रारम्भ प्रस्तुत किया । अप्रैल 2001 से जून 2001 तक थलसेना मुख्यालय स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श व गहन विश्लेषण के उपरांत थलसेना मुख्यालय का 155 एमएम 52 क्षमता लम्बाई की घसीटने वाली तोप के पक्ष में दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। अतः अगस्त 2001 में 155 एम.एम. 52 क्षमता की घसीटने वाली तोप के जी.एस.क्यू.आर. को संशोधित करके मानदण्ड शामिल किये गये। तोप की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति 10वीं सेना योजना में शामिल थी ।

वांछित मात्रा व्यक्त किए बिना 9 विक्रेताओं को दिसम्बर 2001 में संशोधित जी.एस.क्यू.आर. के आधार पर आर.एफ.पी. जारी की गई । विदेशी मूल की केवल तीन फर्मों, मै0 एस.डब्ल्यू.एस. स्वीडन, मै0 डेनियल लैंड सिस्टम दक्षिणी अफ्रीका तथा मै0 सॉल्टन सिस्टम इज़राइल ने अपने तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव भेजे । जून 2002 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ( सीसीएस ) ने 52 क्षमता लम्बाई की 155एमएम तोपों की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति प्रदान की । उपयुक्तता को सुनिश्चित करने हेतु तीनों फर्मों द्वारा परीक्षण मूल्यांकन के लिए 155एमएम 52 क्षमता की घसीटने वाली तोपें प्रस्तुत की गई । परीक्षण मई 2002 तथा जनवरी 2007 के मध्य चार वर्षों से अधिक में चार चरणों में किए जाने के परिणामस्वरूप असामान्य विलंब हुआ ।

परीक्षण परिणामों के मूल्यांकन के उपरांत जनरल स्टाफ ने अप्रैल 2007 में पाया कि मूल्यांकित तोपों में से कोई भी उनके अपने देश में अथवा किसी भी थलसेना में शामिल नहीं थी । तोपें जी.एस.क्यू.आर. के कुछ तकनीकी मानकों को पूरा नहीं करती थीं । 2001 के समय जब आर.एफ.पी. जारी की गई थी, तब 155 एमएम 52 क्षमता तोप प्रणाली विकसित की जा रही थी, लेकिन उस समय जब जी.एस. मूल्यांकन किया जा रहा था, उसी गुणवत्ता



की कई नई प्रणालियां प्रचलन में थी। इस प्रकार अधिप्राप्ति की रूपरेखा में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार कोई भी तोप सेवा में प्रचालन हेतु अनुशंसा नहीं की गई। डीजी तोपशाला ने भी अनुशंसा की कि 2001 का जी.एस.क्यू.आर. कालातीत था और नए आर.एफ.पी. और 155 एमएम 52 गुणवत्ता तोप प्रणाली के नवीन मूल्यांकन द्वारा नई अनुकरण विधि प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने आर.एफ.पी. जारी करने के छः वर्षों के उपरांत अक्टूबर 2007 में तोप की अधिप्राप्ति का मामला बंद कर दिया।

दिसम्बर 2007 में मामला पुनः प्रारम्भ किया गया जब 'खरीदो और बनाओ के रूप में अधिप्राप्ति श्रेणीकरण करते हुए नई 'आवश्यकता की स्वीकृति' सहमत की गई, जहां 'एक्स' मात्रा 'खरीदो' रूप में सीधी क्रय तथा शेष टी.ओ.टी. के अधीन विनिर्मित की जानी थी। 'एक्स' मात्रा तोपें 11वीं थलसेना योजना में अधिप्राप्त की जानी थी तथा शेष 2027 तक के तदनुपरांत तीन पांच वर्षीय थलसेना योजनाओं में की जानी थी। इसी बीच, अगस्त 2001 में प्रतिपादित जी.एस.क्यू.आर. को सितम्बर 2007 में संशोधित किया गया। संशोधित जी.एस.क्यू.आर. में मानक गोलाबारूद के साथ न्यूनतम पहुँच 35 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दी गई और गोलादागने के शीर्ष कोण में न्यूनतम पहुँच 5 किलोमीटर से कम करके 5 किलोमीटर से कम कर दी गई थी। यह सार्वभौम तथ्य के प्रतिकूल था कि उच्च गुणवत्ता नली लम्बाई उच्च मारक-क्षेत्र अर्जित करेगी। संशोधित जी.एस.क्यू.आर. में तोप के वजन की भी चर्चा नहीं की गई थी। संशोधित जी.एस.क्यू.आर. के अनुसार, आर.एफ.पी. तकनीकी और व्यवसायिक बोलियों के प्रस्तुतिकरण हेतु मार्च 2008 में जारी की गई। केवल 4 फर्मों ने सितम्बर 2008 में अपनी तकनीकी और व्यवसायिक बोलियाँ प्रस्तुत की और उनमें से दो फर्मों अर्थात् मै0 सिंगापुर टैक्नोलॉजीज सिंगापुर तथा मै0 बी.ए.ई. सिस्टम, स्वीडन परीक्षण हेतु योग्य पाई गई। इन दो फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई तोपों का परीक्षण नवम्बर/दिसम्बर 2009 में किया जाना था। हालांकि थलसेना मुख्यालय ने जुलाई 2010 में, 155 एमएम 52 गुणवत्ता की घसीटने वाली तोप की अधिप्राप्ति हेतु मार्च 2008 में जारी की गई आर.एफ.पी. को पुनः शुरू कर दिया और संशोधित जी.एस.क्यू.आर. के साथ आर.एफ.पी. का प्रारम्भ अक्टूबर 2010 तक अनुमोदनाधीन था। नई आर.एफ.पी. 28 जनवरी 2011 को जारी की गई थी जिसके तहत बोलियाँ 29 अप्रैल 2011 तक देय थी। यद्यपि विक्रेताओं के अनुरोध पर बोलियाँ प्रस्तुत करने की देय तिथि आठ सप्ताह अर्थात् 24 जून 2011 तक बढ़ा दी गई।

### 2.1.2 स्व-चलित तोपों की अधिप्राप्ति

स्व-चलित तोपें (एस.पी.) यंत्रसज्जित संस्थापनाओं, जो सामान्यतः देशभर में मैदानों और रेगिस्तान में कार्य करती हैं, को सतत गोला दाग कर साथ देने के लिए आवश्यक होती हैं। एस.पी. तोप प्रणाली में टर्रेट<sup>9</sup> और चेसिस<sup>10</sup> होता है। एस.पी. तोप प्रणाली का रूपांकन दृष्टिकोण, एकीकृत प्रणाली और मिश्रित प्रणाली के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। एकीकृत प्रणाली में टर्रेट और चेसिस का रूपांकन एक साथ किया जाता है जबकि मिश्रित प्रणाली में टर्रेट का रूपांकन अलग से किया जाता है। वर्तमान में भारतीय सेना के पास 70 के दशक की तकनीक की एस.पी. तोपें हैं।

<sup>9</sup> टर्रेट में सम्पूर्ण अस्त्र रखा रहता है तथा वह क्रिव को तथा यंत्र को सुरक्षा प्रदान करता है।

<sup>10</sup> चेसिस एक प्लेटफार्म है जो बैटलफील्ड से टरेट को ट्रान्सपोर्ट करता है।



मार्च 1994 में एस.पी. तोप के लिए जी.एस.क्यू.आर., रशियन एम.एस.टी.ए. एस.पी. तोप (152 एमएम) को ध्यान में रखकर बनाया गया था क्योंकि उस समय अल्पकालिक विकल्प के रूप में एस.पी.तोप सर्वाधिक सहनीय एवं उपलब्ध मानी जाती थी। जुलाई 1994 में एक भूमंडलीय आर.एफ.पी. पूर्वायात घरेलू टी-72 चेसिस से मिलती हुई तोप टॉरेंट द्वारा मिश्रित एस.पी. तोप के लिए जारी की गई थी। दिसम्बर 1994 में 5 विक्रेताओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए और अप्रैल - जुलाई 1995 के मध्य चार तोप प्रणालियों के परीक्षण किए गए थे। सभी तोप प्रणालियों के साथ टी-72 चेसिस पर टॉरेंट चढ़ाना विफल रहा इस प्रकार थलसेना मुख्यालय ने सभी 4 विनिर्माताओं के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए।

मई 1997 में थलसेनाध्यक्ष ने निर्णय लिया कि मै0 वी.एस.ई.एल., यू.के. द्वारा प्रस्तावित ए.एस.90 टॉरेंट तथा दक्षिणी अफ्रीका की मै0 डेनियल द्वारा प्रस्तावित टी-6 टॉरेंट में कम दोष होने के कारण एम.बी.टी अर्जुन चेसिस के साथ जोड़ने के लिए नए परीक्षण किए जाएं। मै0 डेनियल ने अपना यंत्र परीक्षण हेतु प्रदान किया लेकिन मै0 वी.एस.ई.एल. ने अपना टॉरेंट प्रस्तावित नहीं किया इसके बजाए उन्होंने अपनी पूर्णतः एकीकृत प्रणाली परीक्षण हेतु प्रस्तावित की जो क्यू.आर.स. के अनुरूप नहीं थी।

1995-96 के परीक्षणों के उपरांत थलसेना को लगा कि मार्च 1994 में प्रतिपादित जी.एस.क्यू.आर. में कुछ अप्राप्य और कठिन मानक रखे गए थे। इससे जी.एस.क्यू.आर. में संशोधन आवश्यक हुए। तदनुसार, मार्च 1998 में जी.एस.क्यू.आर. संशोधित हुआ। जबकि पुराना जी.एस.क्यू.आर. केवल एस.पी.तोप (ट्रैकड) को ही शामिल करता था, संशोधित जी.एस.क्यू.आर. दोनों ही ट्रैकड तथा व्हील्ड एस.पी. तोपों को शामिल करता था। 10वीं थलसेना योजना में ट्रैकड तथा व्हील्ड एस.पी. तोपों की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति को नियोजित किया गया।

#### ए. एस.पी. तोप (ट्रैकड)

जुलाई से सितम्बर 1999 तक मूल्यांकन परीक्षण के उपरांत, थलसेना मुख्यालय ने सितम्बर 2000 में सेवा में बी.एच.आई.एम. टी-6 ट्रैकड तोप के प्रवेश को संस्तुत किया। अक्टूबर 2000 में, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग (डीडीपी एण्ड एस) ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड को तोप के घरेलू विनिर्माण के लिए एक नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया। हालांकि मार्च 2002 में निर्णय की पुनरीक्षा की गई तथा बी.ई.एम.एल. को एक नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया यद्यपि बी.ई.एम.एल. की इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं थी। अतः बी.ई.एम.एल. निर्धारित अवधि में अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार न था। सी.सी.एस. ने जून 2002 में मै0 बी.ई.एम.एल. द्वारा संयोजन हेतु एम.बी.टी. अर्जुन (बी.एच.आई.एम.) चेसिस पर मै0 डेनियल दक्षिणी अफ्रीका से आयातित टॉरेंट को बी.एच.आई.एम. टी-6 से मिलाते हुए 155एमएम ट्रैकड तोप के रूप की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की।

जून 2002 में मै0 डेनियल तथा मै0 बी.ई.एम.एल. को आर.एफ.पी. निर्गमित की गई। अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2003 के मध्य दोनों ही फर्मों से उनके व्यावसायिक प्रस्तावों के आधार पर कीमत संबंधी सौदेबाजी की गई। पी.एन.सी.ने पूर्णतः एकीकृत 155/52 क्षमता की एस.पी.ट्रैकड तोप बी.एच.आई.एम. टी-6 की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति की अनुसंधान की। एक वर्ष उपरांत, दिसम्बर 2004 में मंत्रालय ने सी.सी.एस. अनुमति के लिए मामले की प्रगति के लिए निर्णय किया। सरकार द्वारा जून 2005 में मै0 डेनियल के साथ, उनके एक अन्य

अधिप्राप्ति के संबंध में कुछ एजेंसियों को कमीशन के रूप में भुगतान करने में संलिप्तता दोषारोपण के कारण, व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, फर्म के साथ सभी संविदाएं तथा सौदेबाजियां निरस्त कर दी गईं।

जून 2006 में रक्षा अधिप्राप्ति समिति (डी.ए.सी.) ने, एकीकृत तोप प्रणाली का परीक्षण मूल्यांकन करने तथा परीक्षणों के उपरांत चयनित टर्नेट अर्जुन चेसिस से जोड़ी जाए तथा मिश्रित प्रणाली के रूप में परीक्षित सशर्त 'खरीदो' रूप में एकीकृत एस.पी. तोप ट्रैकड प्रणाली की, अनुमति प्रदान की। मई 2007 में 29 फर्मों को आर.एफ.पी. निर्गमित की गईं लेकिन अन्ततः मात्र एक फर्म ने तकनीकी-व्यावसायिक प्रस्ताव भेजा और इस प्रकार एकल विक्रेता अवस्था होने के कारण आर.एफ.पी. का पुनः चक्रीकरण करना पड़ा। घरेलू चेसिस पर मिश्रित एस.पी. तोप का विकास सफल नहीं हुआ। फरवरी 2008 में, डी.ए.सी. ने मिश्रित प्रणाली के बजाय एकीकृत एस.पी. तोप प्रणाली के क्रय हेतु सहमति प्रदान की। तदनुसार अगस्त 2008 में 11 विक्रेताओं से तकनीकी-व्यावसायिक प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए आर.एफ.पी. निर्गमित की गईं। मार्च 2009 में केवल एक विक्रेता ने प्रत्युत्तर दिया और इसलिए आर.एफ.पी. वापिस ली गई तथापि विक्रेता के अनुरोध पर बोलियों के प्रस्तुतीकरण की तिथि 08 सप्ताह बढ़ाकर 25 जून 2011 कर दी गई थी।

#### बी. एस.पी. तोप (व्हील्ड)

1998 में जब थलसेना अर्जुन चेसिस पर घसीटने वाली मिश्रित एस.पी. तोप का परीक्षण मूल्यांकन कर रही थी, व्हील्ड वाहन तकनीकी में प्रगतियों ने व्हील्ड एस.पी. तोप को, विशेषकर मैदानों तथा अर्ध-रेतीले क्षेत्रों में, एक व्यावहारिक विकल्प बना दिया था। व्हील्ड एस.पी. तोप के लिए 1994 में प्रतिपादित तथा 1998 में संशोधित की गई जी.एस.क्यू.आर. 45/52 क्षमता से 52 क्षमता तक की क्षमता लम्बाई परिवर्तन करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः संशोधित की गई।

जून 2002 में सी.सी.एस ने 155 एमएम एस.पी. व्हील्ड तोप की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति को अनुमति प्रदान की। इसी बीच ग्यारह विक्रेताओं को जनवरी 2002 में आर.एफ.पी. निर्गमित की गई तथा पांच विक्रेताओं से तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त हुए। केवल मै0 डेनियल, दक्षिणी अफ्रीका का प्रस्ताव जी.एस.क्यू.आर. मानक को संतुष्ट करता पाया गया तथा सेवा में लेने के लिए संस्तुत किया गया। हालांकि जून 2005 में मै. डेनियल पर प्रतिबंध के कारण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को मंत्रालय द्वारा जुलाई 2005 में बंद कर दिया गया।

जून 2006 में डी.ए.सी. ने व्हील्ड एस.पी. तोपों की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति को निर्णीत किया। फरवरी 2007 में 29 विक्रेताओं को आर.एफ. पी. निर्गमित की गईं लेकिन केवल एक विक्रेता ने अपना तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एकल विक्रेता अवस्था के कारण, आर.एफ. पी. प्रक्रिया पुनः चक्रीकृत की गई। फरवरी 2008 में नई आर.एफ. पी. पांच विक्रेताओं को निर्गमित की गईं और दो विक्रेताओं की तोपों के परीक्षण अक्टूबर 2010 तक प्रगति में थे। परीक्षण 20 मई 2011 तक सम्पन्न होने थे।

तोपों के अधिप्राप्ति मामले से अधोलिखित तथ्य प्रकट हुए:

- थलसेना मुख्यालय ने जोड़ने वाली/ट्रक पर चढ़ी तोपों और क्षमता अर्थात् 45 क्षमता अथवा 52 क्षमता की शर्तों की तोपों की वास्तविक आवश्यकता का निर्णय करने में अप्रैल 1997 से जुलाई 2001 तक चार से अधिक वर्ष लगा दिये।



- आवश्यक विशिष्ट तोप प्रणाली को परिभाषित करने में थलसेना की विफलता ने अपनी फौज को वैश्विक थलसेना के पास सेवा में 45 क्षमता लम्बाई की तोपों से वर्तमान अप्रचलित शक्ति-स्तर के स्थान पर स्थापित करने हेतु समकालीन तकनीक की तोपें ग्रहण करने से, एक दशक से अधिक तक वंचित किया। तोपशाला फौजों में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तकनीकी तोप प्रणाली का प्रवेश, थलसेना की यौद्धिक तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए, अक्टूबर 2010 तक अनिश्चित था।
- थल सेना ने सिद्ध तोप प्रणाली के बजाए एक विकासाधीन तोप (52 क्षमता) के परीक्षण मूल्यांकन में लगभग पांच वर्ष व्यतीत कर दिए।
- तोप की न्यूनतम सीमा के मानकों में अस्पष्टता ने इंगित किया कि थलसेना ने न्यूनतम आवश्यकता भी निर्धारित नहीं की थी।
- आज के दिन तक निकट भविष्य में अधिप्राप्ति संभव प्रतीत नहीं होती
- एस.पी. तोप प्रणाली की अधिप्राप्ति को निर्धारित करने की अनुपस्थिति से, एम.बी.टी. अर्जुन की चेसिस के साथ एस.पी. तोप के मिश्रण के रास्ते पर जोर दिए जाने से जो स्वयं विकासाधीन था और एकीकृत प्रणाली को क्रय करने की अनिच्छा से, अधिप्राप्ति में असामान्य विलंब हुआ है।

## 2.2 मरम्मत सुविधाओं (मिनी डिपो) की स्थापना में विलंब एवं ट्रेलरों का अनावश्यक आयात

मंत्रालय ने 12 वेपन लोकेटिंग रडार जोकि फोरेन मिलीटरी सेल्स (एफ.एम.एस.) के अन्तर्गत अगस्त 2005 एवं सितम्बर 2007 के मध्य अधिप्राप्त किए गए थे, के मरम्मत हेतु फरवरी 2008 में मिनी डिपो स्थापित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट (यू.एस.जी.) के साथ लेटर ऑफ ऑफर एवं एक्सेप्टेन्स (एल.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए। लेकिन एल.ओ.ए. के अन्तर्गत भुगतान जारी किए जाने को घटकों (कम्पोनेन्ट) की प्राप्ति एवं डिपो के स्थापना से संबंधित किए गए कार्य से संबद्ध नहीं किया गया। इसका परिणाम ₹ 100.18 करोड़ (अर्थात् 95%) का यू.एस.जी. को मूल समापन तिथि तक भी कार्य न शुरू किए जाने के बावजूद अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया जोकि दिया गया अदेय लाभ था। मरम्मत सुविधाओं की अनुपस्थिति में दिसम्बर 2010 को 5 डब्लू एल.आरस खराब पड़ी हुई थीं। इसके अलावा डब्लू एल.आर. के लिए सपोर्ट उपकरणों की आवश्यकता के गलत आकलन के कारण ₹ 2.19 करोड़ की कीमत के 12 ट्रेलरों की अनावश्यक अधिप्राप्ति की गई।

वेपन लोकेटिंग रडार (डब्लू एल.आरस.) निगरानी रडार हैं जिनको दुश्मन के तोपखाना हथियार प्रणाली का पता लगाने के लिए बनाया गया है। थलसेना के अत्यावश्यक सांग्रामिक आवश्यकताओं के लिए रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2002 में यू.एस.डी.<sup>11</sup> 138.28 मिलियन (₹ 677.29 करोड़ के समतुल्य) मूल्य के 8 डब्लू.एल.आरस. जिसे मार्च 2007 के एल.ओ.ए. के संसोधन के द्वारा यू.एस.डी.<sup>12</sup> 190.92 मिलियन (₹ 845.78 करोड़ के समतुल्य) के सपोर्ट उपकरण एवं सहायक उपकरणों के साथ 12 डब्लू.एल.आरस. तक बढ़ा दिया गया जिसमें ट्रेलर पर रखे हुए (ट्रेलर) 12 पावर यूनिट जिनका मूल्य यू.एस.डी. 493,605 (₹ 2.19 करोड़)

<sup>11</sup> 1 यू.एस.डी. = ₹ 48.98

<sup>12</sup> 1 यू.एस.डी. = ₹ 44.30



मूल्य सन्निहित था, की अधिप्राप्ति के लिए युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सरकार (यू.एस.जी.) के साथ लेटर ऑफ ऑफर एण्ड एक्सेप्टेन्स (एल.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए।

ये उपकरण 2005 से 2007 के दौरान फारेन मिलिटरी सेल्स (एफ.एम.एस.) के रास्ते से यू.एस.जी. से प्राप्त किए गए। अगस्त 2005 तक प्राप्त चार डब्लू.एल.आर. के संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के उपरान्त केन्द्रीय आयुध भण्डार आगरा ने महानिदेशक आयुध सेवाएं (डी.जी.ओ.एस.) एवं थलसेना मुख्यालय में स्थित यूजर डाइरेक्टरेट (डी.जी. आर्टीलरी) को सूचित किया कि पावर यूनिट के जेनरेटर सेट को एक टाट्टा वाहन पर चढ़ाना था, अतः ट्रेलरों की आवश्यकता नहीं थी। इसने यह सुझाव भी दिया कि प्राप्त किए गए ट्रेलरों को आपूर्ति विसंगति प्रतिवेदन (एस.डी.आर.) के द्वारा यू.एस.जी. को वापस कर दिया जाय तथा आगे की सुपुर्दगी निलंबित कर दी जाय। तथापि यू.एस.जी. ने ट्रेलरों को यह कहते हुए वापस लेने से इनकार कर दिया कि ट्रेलरों का प्रारंभ में एल.ओ.ए. के अन्तर्गत ठेके के तहत थे, इसे यू.एस.जी. को जमा (क्रेडिट) के लिए वापस नहीं किया जा सकता। इसके उपरान्त मंत्रालय के द्वारा ट्रेलर को वापस करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही इन्हें अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया।

डब्लू.एल.आर. के इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज (ई.एस.पी.) केवल फील्ड स्तर की मरम्मत के लिए सीमित था एवं इन डब्लू.एल.आर. के मरम्मत के लिए एक वर्ष के लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए परिचालन संबंधी असुविधा को दूर करने के लिए मिनी डिपो के स्थापना के रूप में घटक (कम्पोनेन्ट) स्तर की सुविधा की आवश्यकता महसूस की गई। मंत्रालय ने फरवरी 2008 में यू.एस.डी.<sup>13</sup> 22,640,129, जो ₹ 89.59 करोड़ के समतुल्य था, के अनुमानित लागत पर डब्लू.एल.आर. के मरम्मत के लिए एक मिनी डिपो की स्थापना के लिए यू.एस.जी. के साथ एल.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किया। इस सुविधा की स्थापना होने के समय तक यू.एस.डी. 3,000,000 'मरम्मत और वापसी' कार्यक्रम के अन्तर्गत मरम्मत सुविधाओं के लिए, भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा तीन एल.ओ.ए. अप्रैल 2010 में यू.एस.डी.<sup>14</sup> 19,742,103 जो ₹ 90.91 करोड़ के समतुल्य था के लिए को-ऑपरेटिव लौजिस्टिक सप्लाय सपोर्ट अरेंजमेन्ट (सी.एल.एस.एस.ए.) के अन्तर्गत स्पेयर सपोर्ट अरेंजमेंट के लिए हस्ताक्षरित किये गए। तथापि फरवरी 2011 तक कोई भी सामान प्राप्त नहीं हुआ था।

एल.ओ.ए. के अनुसार, मिनी डिपो के फील्ड अभियांत्रिक सहायता के लिए प्रावधान किए गए छः महीने को छोड़कर स्थल के सर्वेक्षण, सामान की प्राप्ति और मिनी डिपो को क्रियाशील करने का कार्य सितम्बर 2010 तक पूरा किया जाना था। कुल भुगतान जून 2008 से प्रारंभ होकर दस त्रैमासिकों में सितम्बर 2010 में समाप्त होना था। मार्च 2008 और अक्टूबर 2009 के बीच यू.एस.डी. 21,477,208 जोकि ₹ 100.80 करोड़ के समतुल्य था अर्थात् यू.एस.डी. 22,640,129 की कुल राशि का 95 प्रतिशत का भुगतान किया गया। सितम्बर 2010 तक न तो स्थल का सर्वेक्षण और मिनी डिपो को क्रियाशील किया जा सका न ही एल.ओ.ए. में दर्शाये गए 13 मर्दे प्राप्त हो सकीं। मरम्मत सुविधाओं के अभाव में दिसम्बर 2010 तक काफी संख्या में डब्लू.एल.आर. राडारों के विभिन्न भागों में त्रुटियों के कारण क्रियाशील नहीं किए जा सके।

थलसेना मुख्यालय ने दिसम्बर 2010 में कहा कि मिनी डिपो की स्थापना में विलंब का मुख्य कारण यू.एस.जी. तथा मूल उपकरण निर्माता (ओ.ई.एम.) के बीच ठेके को अन्तिम रूप न

<sup>13</sup> 1 यू.एस.डी. = ₹ 39.57

<sup>14</sup> 1 यू.एस.डी. = ₹ 46.05

दिया जाना था। यू.एस.जी. एवं ओ.ई.एम.के बीच ठेका पर हस्ताक्षर अगस्त 2010 में हुए और पुनरीक्षित समय सारणी के अनुसार कार्य छः महीने के फील्ड अभियांत्रिक सहायता को छोड़कर दिसम्बर 2011 में पूरा किया जाना था। यू.एस.जी. को सभी भुगतान नियत समय सारणी के अनुसार कर दिए गए क्योंकि एल.ओ.ए. के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इसकी असफलता सूद के प्रभार के अन्तर्गत होने थे।

अतः डब्ल्यू.एल.आर. जिन्हें 2005 और 2007 के बीच अधिप्राप्त किया गया था, दिसम्बर 2010 तक घटक (कम्पोनेन्ट) स्तर की मरम्मत सुविधाओं की स्थापना के ठेके की बाध्यता को पूरा न किए जाने की स्थिति में बार-बार क्रियाशील न होते थे/खराब हो जाते थे। साथ ही भुगतान की विमुक्ति को ठेके में भण्डार की प्राप्ति और मिनी डिपो की स्थापना के कार्य से सम्बद्ध न किए जाने के कारण 95 प्रतिशत भुगतान जमीन पर किसी कार्य के हुए बिना कर दिया गया। अतः एक भुगतान शर्त का मिनी डिपो के कार्य के प्रगति से संबद्ध न किए जाने का परिणाम ₹100.18 करोड़ का यू.एस.ए. को, बिना किसी तात्कालिक प्राप्ति के, भुगतान के रूप में हुआ। आगे, डब्ल्यू.एल.आर. के सहायक उपकरणों की आवश्यकता का गलत विश्लेषण ₹ 2.19 करोड़ के 12 ट्रेलरों के अनावश्यक अधिप्राप्ति के रूप में जो बिना प्रयोग के रखे हुए थे, के रूप में हुआ। मंत्रालय इस प्रकार की गलती से बचने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित कर सकती है।

इस मामले को नवम्बर 2010 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

### 2.3 मिशन एक्सेल सूचना तकनीकी (एम.ई.आई.टी.) परियोजना की विफलता

रक्षा लेखा महानियंत्रक की सॉफ्टवेयर विकास परियोजना 'एम.ई.आई.टी.' पटरी से उतर गई तथा ₹ 20.47 करोड़ व्यय करने के बावजूद डी.ए.डी. के प्रत्येक कार्य के स्वचालीकरण का निहित उद्देश्य अर्जित नहीं हुआ था।

रक्षा लेखा विभाग (डी.ए.डी.) की मिशन एक्सेल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एम.ई.आई.टी.) परियोजना सशस्त्र बलों, जो सामान-प्रबंधन, प्रावधानीकरण, अधिप्राप्ति आदि जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वचालित परियोजनाओं को हस्तगत कर चुकी थी, के साथ समान गति रखने के लिए, सितम्बर 2002 में नियोजित की गई थी। परियोजना की विशेषताएं निम्नवत थी:-

#### लक्ष्य

- ऑनलाइन व्यवहार प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए डी.ए.डी. के प्रत्येक कार्य का स्वचालीकरण।
- 200 स्थलों पर डी.ए.डी. के 900 से अधिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।
- यह सुनिश्चित करना की विभाग का प्रत्येक सदस्य कम्प्यूटर पर कार्य करता है।

#### बजट

पूरी परियोजना के लिए बजटीय अनुमान निम्न विवरण के अनुरूप ₹ 42 करोड़ था:



क्षेत्र	आवंटन (₹ करोड़ में)
सॉफ्टवेयर विकास	18.0
हार्डवेयर अधिप्राप्ति	10.0
नैटवर्किंग	3.2
प्रशिक्षण	2.1
सिस्टम साफ्टवेयर	1.5
फुटकर व्यय	7.2
कुलयोग	42.0

### अवधिसीमा

जनवरी 2004 तक प्रयोक्ता आवश्यकता विनिर्देशनों (यू.आर.एस.) पर संपन्नता के साथ कार्रवाईयाँ आरम्भ की जानी थी, अप्रैल 2005 तक सॉफ्टवेयर विकास की संपन्नता, अप्रैल 2005 में हार्डवेयर और नैटवर्किंग स्थापित तथा अन्ततः सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए प्रशिक्षण व जनवरी 2006 तक अन्तिम प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाना था।

### विक्रेताओं का चयन

अक्टूबर 2003 में सी.जी.डी.ए. ने सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के चयन हेतु प्राथमिक-अर्हता मानक स्थापित किए। दो मौलिक मानक थे “कम्पनी के पास एस.ई.आई - सी.एम.एम.<sup>15</sup> 4 अथवा 5 स्तर का मान्य प्रमाणक होना चाहिए” तथा “कम्पनी का सॉफ्टवेयर विकास के लिए गत तीन वर्षों में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक का वार्षिक व्यवसाय होना चाहिए।”

नवम्बर 2003 में 83 विक्रेताओं को सूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गई और जिसके प्रति 34 विक्रेताओं से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। सी.जी.डी.ए. द्वारा किए गए मूल्यांकन से प्रकट हुआ कि केवल 8 विक्रेता मानकों को पूरा करते थे। हालांकि अनुपयुक्त प्रतियोगिता तथा मात्र आठ अथवा नौ फर्मों का चयन करने के कारण वांछित समय-सीमा में आपूर्ति की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सी.जी.डी.ए. ने अधिकाधिक प्रतियोगिता हेतु अधिक विक्रेताओं को शामिल करने के लिए मानकों में छूट प्रदान करने का निर्णय किया। कुल मिला कर 28 कम्पनियां निविदा हेतु चुनी गईं।

### संस्वीकृति/पी.डी.सी.

रक्षा मंत्रालय (वित्त) ने जुलाई 2004 में मार्च 2007 में समापन दिनांक के साथ ₹ 42 करोड़ लागत पर परियोजना को संस्वीकृत किया। सितम्बर 2007 में दिसम्बर 2009 संशोधित पी.डी.सी. के साथ परियोजना की लागत को ₹ 54 करोड़ तक संशोधित किया। लागत में संशोधन, ₹ 5 करोड़ हार्डवेयर, ₹ 2.38 करोड़ नैटवर्किंग फैलाने के व्यय में वृद्धि तथा ₹ 6.68 करोड़ नई स्कैनिंग परियोजना एम.ई.आई.टी - डी. आई.एम.एस.<sup>16</sup> को शामिल करने, के कारण था।

<sup>15</sup> क्षमता परिपक्वता मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर

<sup>16</sup> मिशन एक्सेल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एम.ई.आई.टी.) - दस्तावेज संकल्पन एवं प्रबन्धन समाधान (डी.आई.एम.एस.)



## संरचना

परियोजना का संपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास अंश निम्नविवरणानुसार नौ लॉटों में संरचित था:-

लॉट	सॉफ्टवेयर विकास का क्षेत्र	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संविदित लागत
1	वेतन एवं भत्ते (सेना जवानों को छोड़कर सशस्त्र बल)	2.46	0.62
2	सीमा सडकें	2.04	0.45
3	भंडार भुगतान एवं सेना कमानों, नौसेना, वायुसेना एवं डी.आर.डी.ओ. की लेखापरीक्षा	2.54	1.15
4	सेवा मुख्यालय एवं प्रतिरक्षा बजट मॉनिटरिंग	2.76	1.82
5	वेतन एवं भत्ते (सेना जवान)	1.32	1.52
6	रक्षा सिविलियनों, डीएडी प्रशासन एवं एच.क्यू./सी.जी.डी.ए. कार्यों अर्थात् एम.आई.एस., नीति के वेतन एवं भत्ते	2.94	3.49
7	रक्षा संगठन को वित्तीय सलाह	3.80	2.53
8	पेंशन	1.64	1.36
9	आयुध फैक्ट्रियाँ लेखांकन प्रणाली+ डी.आई.एम.एस.	6.68	अभी तक संविदित नहीं
	कुल	26.18	12.94

## संविदाएं

सी.जी.डी.ए. ने जनवरी 2005 तथा अक्टूबर 2006 के मध्य लॉटवार दो बोली प्रणालियों पर, फर्म ए.एफ. फर्गुसन एवं फर्म आईबिल्ट टेक्नोलॉजीज सहित इस तर्क पर कि इन फर्मों को शामिल करने से अधिक प्रतियोगिता उत्पन्न होगी यद्यपि दोनों विक्रेता ई.ओ.आई अवस्था के मध्य मौलिक मानकों को पूरा नहीं करते थे, निविदाएं आमंत्रित कीं। फर्मों के चयन के लिए अपनाया गया तकनीकी मूल्यांकन मानक विवाद रहित नहीं था क्योंकि, यह फर्मों द्वारा साफ्टवेयर प्रदर्शन के तकनीकी विवरणों को प्रकट करने के स्थान पर अंक प्रदान करने के आधार पर था।

व्यवसायिक बोलियों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 4 एवं 5 लॉट के सिवाय एल.1 एवं एल.2 फर्मों की दरों में बहुत विचलन (38 प्रतिशत से 486 प्रतिशत) था जैसा की परिशिष्ट-III में दिखाया गया है। एल.1 एवं एल.2 फर्मों द्वारा प्रत्येक लॉट के लिए अगणनीय बोले-भावों के बावजूद सी.जी.डी.ए. द्वारा जून 2005 और मार्च 2007 के मध्य उनको संविदाएं प्रदान की गईं। सी.जी.डी.ए. ने परियोजना की नियोजन अवस्था के मध्य उनके द्वारा संगणित तर्कसंगत दरों के न अर्जित करने के लिए पुनः निविदा के विकल्प को नहीं अपनाया।

## सिस्टम का विकास

संविदा समझौतों के अनुसार, कोडिंग सिस्टम की प्रयोगशाला जांच कार्य के लिए निर्धारित समय कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत तीन माह थी। मै0 इन्फिनिट कम्प्यूटर साल्युशन

(आई.सी.एस.) जिसे 1, 2, 3, तथा 5 चार लॉटों के लिए संविदाएं प्रदान की गई थी, ने अपने सौंपे गए कार्य में प्रगति नहीं की और आई.आर.एल.ए एवं डी.ओ.II जैसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल मॉड्यूलस के विकास में विफल रही। फर्म द्वारा विकसित अन्य मॉड्यूलस प्रयोगशाला परीक्षण अवस्था को पार नहीं कर सके। जून 2007 में अपूर्ण सिस्टम का पुनः प्रयोगशाला परीक्षण किया गया। आई.सी.एस. ने साफ्टवेयर के बहुत से रूप प्रदान किए और प्रत्येक बार सिस्टम विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप सी.जी.डी.ए. और फर्म के बीच विवाद हो गए। फरवरी 2009 में सी.जी.डी.ए. के दल द्वारा मध्य-समय की गई पुनरीक्षा की अनुसंधानों पर सितम्बर 2009 में बैंक गारंटी बांडों का नकदीकरण करके इन लॉटों के लिए सभी संविदाएं निरस्त कर दी गई। अन्य लॉट अर्थात् 4, 6, 7 एवं 8 प्रयोगशाला परीक्षण और चालक कार्यान्वयन अवस्था में थे। फरवरी 2011 तक, लॉट 9 को अभी संविदाकृत किया जाना था। 2005-06 से 2008-09 तक साफ्टवेयर विकास के लिए फर्मों को ₹ 4.94 करोड़ का कुल भुगतान किया जा चुका था।

### हार्डवेयर अधिप्राप्ति

इसी मध्य सी.जी.डी.ए. ने कम्प्यूटर, यू.पी.एस., सर्वर, नेटवर्किंग यंत्रों जैसे आई.टी. हार्डवेयरों की निम्न प्रदत्त विवरणानुसार ₹ 14.55 करोड़ की अग्रिम अधिप्राप्ति की।

वर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	
	हार्डवेयर	नेटवर्किंग
2003-04	2.50	2.18
2004-05	2.13	0.00
2005-06	1.76	0.05
2006-07	3.22	0.00
2007-08	0.00	2.71
कुल योग	9.61	4.94

2003-04 और 2004-05 के मध्य, परियोजना स्वीकृति/संविदा निर्णयन से पूर्व, ₹ 6.81 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2003-04 से 2008-09 के मध्य सिस्टम एडमिनिस्टर एवं प्रयोक्ताओं के प्रशिक्षण पर ₹ 98 लाख का व्यय किया गया।

### लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ

- तीन लॉटों में अगणनीय दरों की प्राप्ति के बावजूद, सी.जी.डी.ए. ने पुनःनिविदाकरण के विकल्प को नहीं अपनाया और आई.सी.एस. जो तीन माह की पी.डी.सी. के प्रति चार वर्षों की अवधि लेकर भी इस साफ्टवेयर के आलोच्य एवं महत्वपूर्ण मॉड्यूल उत्पन्न करने में विफल रही, को इन लॉटों की संविदा प्रदान कर दी और अंततः संविदाएं निरस्तीकरण का कारण हुई।
- मै0 ए.एफ. फर्गुसन तथा मै0 आईबिल्ट टेक्नोलॉजी लि0 ई.ओ.आई. अवस्था के मध्य मौलिक मानकों को पूरा नहीं करती थी फिर भी अधिक प्रतियोगिता उत्पन्न होने के आधार पर उनको संविदाएं प्रदान की गई। दोनों ही फर्म निर्धारित दिनांकों के मध्य कार्य संपादन नहीं कर सकीं।



- सी.जी.डी.ए. सॉफ्टवेयर विकास की प्रगति को गति नहीं दे सका परिणामस्वरूप, संशोधित पी.डी.सी. में भी परियोजना का संपादन नहीं हुआ। इस प्रकार हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण पर ₹ 20.47 करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद परियोजना में पहले ही असामान्य विलम्ब किया जा चुका है।

जून 2010 में सी.जी.डी.ए. ने अपने उत्तर में तीन महीनों की संविदित समयावधि के प्रति तीन वर्षों से अधिक की समयावधि में सॉफ्टवेयर का रूपांकन एवं विकास में विक्रेताओं की विफलता को स्वीकार किया गया। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकारते हुए नवम्बर 2010 में बताया कि एक प्रस्ताव, जो अनुमानित लागत से काफी कम है, को प्रस्ताव फिरीकिश है के आधार पर अस्वीकृत करना विवेकपूर्ण नहीं समझा जा सकता है। सी.जी.डी.ए. द्वारा किया गया लागत का मूल्यांकन बाजार सर्वेक्षण के आधार पर था तथा विक्रेताओं से वास्तविक प्रत्युत्तर के आधार पर आकलन में संशोधन की संभावना निहित थी। यह भी बताया गया कि एम.ई.आई.टी. के लिए अधिप्राप्त हार्डवेयर विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनके वर्तमान कार्यों में प्रयोग किया जा रहा था। एम.ई.आई.टी. के लिए अधिप्राप्त सर्वर कार्यालय स्वचालन, बैकअप सर्वर आदि के रूप में प्रयोग किये जा रहे थे।

मंत्रालय की धारणा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विक्रेताओं द्वारा बोली गई असामान्य रूप से कम दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ। एम.ई.आई.टी. के लिए अधिप्राप्त हार्डवेयर निहित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था। यहां तक कि हार्डवेयर और नैटवर्किंग पर 47 प्रतिशत व्यय संविदाओं की स्वीकृति परियोजना निर्णयन से पूर्व किया गया था। पेंशन संवितरण के एक नियंत्रक के कार्यालय के लिए अधिप्राप्त 50 सर्वर में से केवल 5 ही कुछ कार्यों में उपयोग किए जा रहे थे। 3 से 7 वर्षों पूर्व अग्रिम में अधिप्राप्त हार्डवेयर न केवल वारंटी अवधि को पार कर चुके थे अपितु हो सकता है विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर के अनुकूल ही न हों। इस प्रकार एम.ई.आई.टी. परियोजना पर ₹ 20.47 करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद, डी.ए.डी. के प्रत्येक कार्य के स्वचालन के निहित उद्देश्य को चार वर्षों से अधिक में भी अर्जित नहीं किया गया था।

## 2.4 भूमि के लगान का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की वसूली न होना

सरकारी संस्वीकृति के समापन के 36 वर्षों बाद भी वर्ग सी<sup>17</sup> की 3.52 एकड़. भूमि के लगान के पुनरीक्षण में डी ई ओ आगरा विफल था। इसके परिणामस्वरूप कैंटोनमेंट बोर्ड से ₹ 2.12 करोड़ की रकम के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

जुलाई 1971 में रक्षा मंत्रालय ने आगरा कैंटोनमेंट में क्रय-विक्रय केंद्र निर्माण के उद्देश्य हेतु 3.52 एकड़. रक्षा भूमि का ए-1 से “सी” में पुनःश्रेणीकरण करने हेतु संस्वीकृति प्रदान की। संस्वीकृति के अनुसार क्रय-विक्रय केंद्र के क्षेत्र का प्रबन्धन ₹ 6647 वार्षिक किराये के भुगतान पर कैंटोनमेंट बोर्ड, आगरा के अधीन निहित था। प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर किराये में संशोधन किया जाना था। कैंटोनमेंट बोर्ड, आगरा ने क्रय-विक्रय केंद्र का निर्माण किया। परिसर के भूतल पर विभिन्न आकारों की 122 दुकानें तथा प्रथम तल के 5800 वर्ग फुट क्षेत्र पर स्टेट बैंक आफ इन्डिया की एक शाखा चल रही है।

<sup>17</sup> सी.लैण्ड जो कैंटोनमेन्ट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है जो म्युनिसिपल या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है



मार्च 2007 में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आगरा कैंटोनमेंट की किराये की मानक सूची (एस टी आर) नियमित रूप से संशोधित थी, भूमि का किराया सरकारी संस्वीकृति जारी किये जाने के 36 वर्षों के समयान्तराल में कभी भी संशोधित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1971 में संस्वीकृत दर पर 2006 तक किराया अर्जन किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, डी ई ओ आगरा ने पुनरीक्षित किराये के शेष के रूप में ₹ 2.12 करोड़ की रकम हेतु जून 2009 में एक मांग प्रस्तुत की। हालांकि जुलाई 2010 तक भुगतान नहीं किया गया था।

डी ई ओ आगरा ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया कि जब कभी भी देय हुआ किराया क्यों नहीं पुनरीक्षित किया गया। इससे सरकार को उपयुक्त राजस्व की प्राप्ति के बिना व्यवसायिक उद्देश्य हेतु सरकारी भूमि का कैंटोनमेंट बोर्ड को शोषण करने की अनुमति मिली।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2010 में संदर्भित किया गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

## 2.5 दोषपूर्ण प्रेषण-पूर्व निरीक्षण

स्निपर रायफल के दोषपूर्ण प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के पश्चात् इसके एक महत्वपूर्ण पुर्जे का अस्वीकरण हुआ और रायफल ढाई वर्षों तक प्रयोक्ताओं को निर्गमित नहीं की जा सकी।

अगस्त 2007 में रक्षा मंत्रालय ने ₹ 2.94 करोड़ की कुल लागत पर सहायक पुर्जों सहित 45 स्निपर रायफल की आपूर्ति के लिए एक विदेशी फर्म के साथ एक संविदा निर्णीत की। दिन और धीमी रोशनी दूरबीन दृष्टि<sup>18</sup> और रात्रि दृष्टि रायफल का एक महत्वपूर्ण सहायक पुर्जा था जिसके बिना हथियार निहित उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता था। संविदा के अनुसार क्रेता के प्रतिनिधि संयंत्र का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण (पी.डी.आई.) करेंगे ताकि स्वीकरण जांच पद्धति (ए.टी.पी.), जो संविदा निर्णयन के उपरांत एक महीने के बीच फर्म द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था, के अनुसूच मानकों सहित निरीक्षण अनुपालन की जाँच की जा सके। ए.टी.पी., विक्रेता से अप्रैल 2008 में अर्थात् छः माह के विलंब उपरांत प्राप्त हुई जिसे तभी डी.जी.क्यू.ए. द्वारा सी.क्यू.ए. (आई) देहरादून को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। जून 2008 में सी.क्यू.ए. (आई) ने डी.जी. क्यू.ए. को सूचित किया कि एटीपी जलवायु और स्थायित्व जाँच के लिए दोषपूर्ण था जिसमें अन्य परीक्षणों के साथ इमर्सन जाँच जैसे कि दृश्य क्षेत्र, मैग्नीफिकेशन एवं रेन्ज नाइट परफारमेंस। इसी बीच, सी.क्यू.ए. (आई) की टिप्पणियों की प्रतीक्षा किए बिना, पी.डी.आई. दल ने 29 अप्रैल 2008 से 5 मई 2008 के मध्य विक्रेता स्थल पर भंडार का निरीक्षण किया और जलवायु और स्थायित्व परीक्षण किए बिना भंडारों को स्वीकार्य घोषित कर दिया। आपूर्ति जुलाई 2008 में सम्पन्न हुई और अगस्त 2008 में फर्म को ₹ 2.50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

<sup>18</sup> दिन और धीमी रोशनी दूरबीन दृष्टि 'एन.आई.एम.आर.ओ0डी.' 6x40 शून्य करने के लिए रायफल पर एकल-शक्ति दृष्टि है और लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए व दिन की रोशनी के दौरान सटीक गोली दागने में प्रयोग होती है।

संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण (जे.आर.आई) में प्रेषण के दर्शनीय निरीक्षण, कार्यात्मक जांच, प्रमाण गोलीबारी सफलतापूर्ण जांच और रात्रि दृष्टि का रात्रि परीक्षण अक्टूबर 2008 में किए गए। हालांकि हथियार का दिन और धीमी रोशनी दूरबीन दृष्टि के लिए जलवायु एवं स्थिरता परीक्षण नहीं किए जा सके और यह संस्तुति की गई कि ये परीक्षण सी.क्यू.ए. (आई) देहरादून द्वारा किए जाएं और यदि परीक्षण संतोषजनक घोषित किए जाएं तो इन मदों को स्वीकृत किया जाए। जलवायु और स्थिरता परीक्षण की जांच दो सैम्पलों पर क्रमशः पाँच एवं दस दिन/निम्न प्रकार दूरबीन साइट के बाद सी.क्यू.ए.आई. देहरादून ने मई 2009 में टेलिस्कोपिक साइट को इमरसन जांच में त्रुटिपूर्ण घोषित किया। परिणामतः सम्पूर्ण भंडार अस्वीकृत हुआ और गुणवत्ता दावा प्रस्तुत किया गया।

जब फर्म ने सी.क्यू.ए. (आई) देहरादून पर परीक्षण के मध्य अस्वीकृत दो दूरबीन दृष्टियाँ बदले में दीं, फरवरी 2011 में, फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, किए गए पुनःपरीक्षण में शेष 32 (45-15+2) दिन और धीमी रोशनी दूरबीन दृष्टियों, में से 28 दृष्टियाँ स्वीकार्य पाई गईं। चार शेष रहीं दूरबीन दृष्टियों के लिए गुणवत्ता दावा अप्रैल 2011 तक प्रतिस्थापन हेतु किया जा रहा था। और यह कि विभाग ने दूरबीन दृष्टियों के पुनःपरीक्षण हेतु लगभग दो वर्षों का समय लिया था जो आसानी से कुछ महीनों तक कम किया जा सकता था क्योंकि ये राइफलें यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीव्रगति पद्धति के अधीन अधिप्राप्त की गई थी।

डी.जी.क्यू.ए. ने दिसम्बर 2009 में सेना मुख्यालय को स्पष्ट किया कि दिन और धीमी रोशनी दूरबीन दृष्टि के संबंध में ए.टी.पी. की अनुपलब्धता के कारण कोई पी.डी.आई. नहीं की गई।

सी.क्यू.ए. (आई) से परीक्षित ए.टी.पी. के लिए प्रतीक्षा किए बिना पी.डी.आई का व्यवहार, जिसमें जलवायु एवं स्थिरता परीक्षण निहित थे, के कारण प्रेषण को संतोषजनक घोषित किया गया और इसे प्रेषित किये जाने के लिए स्वीकृत किया गया। इसप्रकार निर्धारित परीक्षण विधा अवहेलना के कारण दोषपूर्ण संयंत्र का स्वीकरण हुआ। इस अवहेलना के परिणामस्वरूप ₹ 2.94 करोड़ मुल्य के हथियार अपनी प्राप्ति के ढाई वर्षों से अधिक के लिए अनुपलब्ध रहे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2010 में सन्दर्भित किया गया था; उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।



### अध्याय - III थलसेना

#### 3.1 उच्चतर दर की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय

डी.जी.एन.सी.सी. ने एल-1 प्रस्ताव की उपेक्षा करते हुए और पिछले खरीद मूल्य के आधार को ध्यान में रखते हुए पिछले आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक परिमाण के 80 प्रतिशत के लिए आपूर्ति आदेश देने की प्रक्रिया को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2006 के आगे वस्तुओं के अधिप्राप्ति पर ₹ 19.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। एक अन्य मामले में डी.जी.एन.सी.सी. ने डी.जी.एस.एण्ड डी. के दर संविदा को छोड़कर अन्य तरीके से खरीद किया और ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका (डी.पी.एम.) में शर्त है कि यदि एल-1 फर्म प्रस्ताव के अनुरोध के अनुरूप सुपुर्दगी की अवधि के अन्दर आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो इसकी क्षमता और पिछली सुपुर्दगी के अनुसार भार देने के उपरान्त बचे हुए परिमाण के लिए एल-2, एल-3 को एल-1 की दर पर आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन जनवरी 2008 से मार्च 2008 के मध्य डी.जी.एन.सी.सी. के द्वारा मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति में देखा। इनके अधिप्राप्ति में 97,762 के कुल परिमाण में से 80 प्रतिशत एल-1 को न देकर अन्य फर्म से काफी उच्चतर दरों पर खरीद की गई जिससे ₹ 2.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके आगे 2006-07 से 2008-09 के दौरान डी.जी.एन.सी.सी. के द्वारा की गई अधिप्राप्ति की लेखापरीक्षा पुनरीक्षण की गई और 349 आपूर्ति आदेशों के अन्तर्गत अधिप्राप्ति की गई 34 वस्तुओं में उसी प्रकार का उल्लंघन पाया गया जिससे ₹ 17.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इन विवरणों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

2007-08 के वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा के आधार पर डी.जी.एन.सी.सी. ने अगस्त 2007 में 97,762 मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति हेतु एक खुली निविदा पूछताछ की। उत्तर में 37 निविदाएं प्राप्त हुईं जिन्हें 11 सितम्बर 2007 को खोला गया। एक फर्म की निविदा नहीं खोली गई क्योंकि यह महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (रक्षा) (डी.जी.क्यू.ए.) के साथ पंजीकृत नहीं थी। मैसर्स सूरेखा इन्टरनैशनल कानपुर को ₹ 180/- तथा चार प्रतिशत बिक्री कर की बोली गई दर के साथ एल-1 पाया गया।

यद्यपि एल-1 के पास क्षमता थी और पूरे परिमाण की आपूर्ति के लिए उसने प्रस्ताव भी दिया था, फिर भी संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में निविदा खरीद समिति ने अक्टूबर 2007 में सिर्फ निविदा प्राप्त परिमाण का सिर्फ 20 प्रतिशत अर्थात् 19,552 एल-1 फर्म से ₹ 180 तथा करों के प्रस्तावित दर पर और शेष परिमाण 78,210 चार पिछले आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 429 तथा करों के साथ के दर पर, जोकि पिछली अधिप्राप्ति की दर (एल.पी.पी.) थी, अधिप्राप्ति का निर्णय लिया। पिछले आपूर्तिकर्ताओं ने मूल दर ₹ 444.90 और ₹ 445.30 के बीच बोली लगाई थी और निविदाओं के तुलनात्मक विवरण में उनका क्रम एल-25, एल-26, एल-27 एवं एल-28 था।

परिणामस्वरूप दिसम्बर 2007 में मंत्रालय ने ₹ 3.71 करोड़ के मूल्य पर 97,762 मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति प्रदान की। डी.जी.एन.सी.सी. ने इन पांच फर्मों को

जनवरी 2008 से मार्च 2008 के बीच 97,762 मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिया। इन फर्मों ने मार्च 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान पूरे परिमाण की आपूर्ति कर दी और प्राप्त आपूर्ति के लिए फर्मों को ₹ 3.78 करोड़ का भुगतान किया गया।

डी.जी.एन.सी.सी. के द्वारा 2006-07 से 2008-09 तक की गई 34 अन्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति की आगे की समीक्षा से पता चला कि 349 आपूर्ति आदेश एल-1 को छोड़ अन्य फर्मों को दिये गये जिससे ₹ 17.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने फरवरी 2011 में कहा कि डी.जी.एन.सी.सी. में यह प्रक्रिया महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.) की नियम पुस्तिका के अनुसार अपनाई गई जिसके अनुसार 80 प्रतिशत आदेशित परिमाण का आपूर्ति आदेश प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड वाले आपूर्तिकर्ता एवं 20 प्रतिशत नए आपूर्तिकर्ता को दिया गया है। यद्यपि डी.जी.एन.सी.सी. ने सितम्बर 2009 में आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी अधिप्राप्तियों में डी.पी.एम.2009 का अनुसरण किया जाएगा, मंत्रालय ने अपने फरवरी 2011 के उत्तर में इस पर चुप्पी साध लिया। मंत्रालय ने आगे कहा थलसेना से अलग, एन.सी.सी. के पास कोई रिजर्व स्टॉक नहीं होता है और भण्डार की समय पर उपलब्धता के लिए पिछले आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश जारी किए गए।

मंत्रालय का उत्तर बचाव के योग्य नहीं था क्योंकि डी.जी.एन.सी.सी. सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) और डी.पी.एम. के प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। जी.एफ.आर. एवं डी.पी.एम. के अनुसार यदि विकास आदेश दिया जाना है-या एल-1 की क्षमता में संदेह है-या शीघ्रता के मामले में काउन्टर ऑफर सिर्फ एल-1 के द्वारा बोले गए दर पर एल-2, एल-3, एल-4 के क्रम में दिया जा सकता है। निविदा की प्रक्रिया में पिछले आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं था विशेषकर मच्छरदानी जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लिए। यह कोई उच्च तकनीक की वस्तु नहीं है, इसके नमूने अधिप्राप्त किए जा सकते थे तथा इन्हें जाँचा जा सकता था। नियमों का अनुपालन नहीं करने और उन फर्मों जो एन.सी.सी. से ज्यादा मूल्य ले रही थी, की अनुचित तरफदारी की पिछली प्रक्रिया उनका बचाव नहीं हो सकती है।

एक अन्य मामले में फरवरी 2010 और मई 2010 के बीच डी.जी.एन.सी.सी. के द्वारा 4088 टेन्ट एक्सटेन्डेड फ्रेम सपोर्टेड (टी.ई.एफ.एस.) की अधिप्राप्ति व्यापार से की गई जबकि यही वस्तु दर संविदा पर अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध थी। यह भी जी.एफ.आर. का उल्लंघन था जिसमें शर्त है कि सामान्य भण्डार की वस्तुएं जिनके लिए डी.जी.एस.एण्ड डी. के द्वारा दर संविदा की गई थी, मंत्रालय/विभाग अधिकतम रूप से जहां तक संभव हो उन दर संविदाओं (आर.सी.) का अनुसरण करना चाहिए।

इसे लेखापरीक्षा के द्वारा प्रकाश में लाया गया, डी.जी.एन.सी.सी. ने अक्टूबर 2010 में उत्तर दिया कि अधिप्राप्त किए गए टेन्टों में विनिर्देशन संख्या एवं अनुसूची संख्या का उल्लेख किया गया था, जबकि डी.जी.एस.एण्ड डी. के दर संविदा के अन्तर्गत उपलब्ध टेन्टों में सिर्फ विनिर्देशन संख्या का उल्लेख था जिसका अर्थ यह है कि डी.जी.एन.सी.सी. के द्वारा अधिप्राप्त किए गए टेन्ट डी.जी.एस.एण्ड डी. के दर संविदा पर उपलब्ध टेन्ट से भिन्न था। डी.जी.एन.सी.सी. ने आगे कहा कि दो भिन्न एजेन्सियों के द्वारा अपनाए गए निरीक्षण के मानक भिन्न थे। यह उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि टेन्ट की अनुसूची संख्या विनिर्देशन में किसी अन्तर को नहीं दर्शाती है।



अतः अपेक्षाकृत कम दर पर आर.सी. पर उपरोक्त वस्तु की उपलब्धता के बावजूद, डी.जी.एन.सी.सी. के द्वारा 4088 टेन्ट नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन कर ₹ 1.09 करोड़ के अतिरिक्त व्यय से व्यापार से अधिप्राप्त किया गया।

पिछले आपूर्तिकर्ताओं से सामान्य उपयोग की वस्तुओं को अन्य आपूर्तिकर्ताओं के अपेक्षाकृत कम दर के प्रस्ताव की तुलना में ज्यादा महत्व देकर खरीद करने से अधिप्राप्ति के सभी मानकों का उल्लंघन हुआ और यह मान्य वित्तीय मर्यादा का घोर उल्लंघन था। इनके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इन मामलों को मंत्रालय को सितम्बर 2010 में भेजा गया सिर्फ मच्छरदानियों के अधिप्राप्ति के मामले का उत्तर प्राप्त हुआ। 34 वस्तुओं की अधिप्राप्ति का लेखापरीक्षा समीक्षा मई 2011 को मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

### 3.2 व्यक्तिगत किट मर्दों की अधिप्राप्ति हेतु सरकारी खाते से गैर-सरकारी लेखे में निधियों का विचलन

थलसेना मुख्यालय ने बिना सरकारी संस्वीकृति के यू.एन. मिशन जाने वाली यूनिटों के लिए व्यक्तिगत किट (पी.के.) वस्तुओं की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत किट भण्डारों (पी.के.एस.) के स्टोर की स्थापना की। ₹ 140.75 करोड़ की पी.के. वस्तुओं की खरीद पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.के.एस. (यू.एन.) से की गई जिस पर अनियमित रूप से ₹ 5.36 करोड़ के सेवा शुल्क का प्रभार लगाया गया।

पिछले सालों के गतिशील अधिकारियों के किट भंडार या नगद खरीद निर्गम अनुभाग जो कि अधिकारियों एवं व्यक्तियों के लिए यूनीफार्म और साज-सामान उपलब्ध करवाने की एक आदर्श खिड़की थी, 1974 में कार्य करना बन्द कर दिया था। यह कमी साधारणतया असैनिक विक्रेताओं के द्वारा भरी गई जिसका परिणाम प्रचुर मात्रा में विभिन्न रंगों और आकृतियों में उपलब्ध होना था। इस समस्या से घिर जाने पर, थलसेना प्रमुख (सी.ओ.ए.एस.) ने मई 2006 में अधिकारियों एवं व्यक्तियों के लिए थलसेना के यूनीफार्म एवं अन्य पोशाक की पूरे भारत के चुने हुए स्टेशनों पर समरूपता लाने के लिए व्यक्तिगत किट भण्डार (पी.के.एस.) के लिए भविष्य की दृष्टि एवं संकल्पना को प्रस्तुत किया।

इन पी.के.एस. का उद्देश्य उचित दर पर 10 प्रतिशत लाभ कमाई के साथ स्वीकृति आकृति एवं गुणवत्ता के वस्तुओं के लिए खुदरा स्रोत उपलब्ध कराना था। इन पी.के.एस. को प्रारंभ में थलसेना मुख्यालय (एच.क्यू.) एवं कमान मुख्यालय के कल्याण निधि से धन उपलब्ध करवाया जाता था और इनके लेखा पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा लेखापरीक्षित करवाये जाते थे। ये पी.के.एस. थलसेना आयुध कोर (ए.ओ.सी.) जोकि बिना रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) की स्वीकृति के थलसेना मुख्यालय में बनाया गया एवं अनौपचारिक संस्थान था के व्यावसायिक उद्यम के रूप में संचालन करते थे।

मई 2006 में, थलसेना कमान अधिकारियों की बैठक में सी.ओ.ए.एस. ने निर्देश दिया कि जो यूनिटें सितम्बर 2006 के बाद यू.एन. मिशन पर जा रही थी व्यक्तिगत पोशाक (22 वस्तुएं) पी.के.एस. से खरीद करेंगे यद्यपि इन्हें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था।

तदनुसार, यू.एन. मिशन पर जाने वाली युनिटों के लिए व्यक्तिगत किट भंडार के निर्गम के लिए मानक परिचालन कार्यविधि (एस.ओ.पी.) का निर्माण नवम्बर 2006 में थलसेना मुख्यालय के द्वारा किया गया। एस.ओ.पी. के अनुसार, यू.एन. मिशन पर जाने वाली युनिटों को दिल्ली कैंन्ट में स्थापित किए गए दुकान से, जिस पर दुकान पांच प्रतिशत सेवा शुल्क का प्रभार लगाएंगी, किट उपलब्ध किया जाएगा। किट वस्तुओं को थलसेना मुख्यालय के द्वारा संपन्न किए गए दर संविदा के माध्यम से ओ.ई.एम. से खरीदा जाना था और इसका लेखांकन पी.के.एस. (यू.एन.मिशन) के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जाना था। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पी.सी.डी.ए.) मुख्यालय ओ.ई.एम. को भुगतान के लिए सरकारी निधि से पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क को सम्मिलित करते हुए पी.के.एस. (यू.एन.) लेखा (गैर सरकारी लेखा) को भुगतान जारी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस अनौपचारिक व्यवस्था के लिए एम.ओ.डी. से स्वीकृति नहीं ली गई थी। रक्षा सेवा की वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत प्रावधानों के बावजूद कि रक्षा लेखा नियंत्रक (सी.डी.ए.) सभी नगद एवं भण्डार का लेखा पर नियंत्रण रखेंगे एवं लेखाओं के स्थानीय लेखापरीक्षा की व्यवस्था करेंगे, एस.ओ.पी. में ऐसे किसी कार्यविधि का विवरण नहीं था।

महानिदेशक आयुध सेवाएं (डी.जी.ओ.एस.), सेना मुख्यालय ने दो वर्षों के लिए यू.एन. जाने वाली युनिटों को व्यक्तिगत किट की आपूर्ति हेतु सितम्बर 2006 एवं दिसम्बर 2006 में दर संविदा संपन्न किया जिसे मई 2010 तक बढ़ा दिया गया। दर संविदा के अनुसार, प्रेषिती पी.के.एस. (यू.एन) टॉरस कैंन्टीन, दिल्ली कैंन्ट, एक गैर सरकारी संस्था थी। पी.सी.डी.ए. ने यू.एन. मिशन में जाने वाली युनिटों के लिए व्यक्तिगत किट वस्तुओं की खरीद के लिए पी.के.एस. (यू.एन.) लेखा को सेवा शुल्क के साथ दिसम्बर 2006 से जनवरी 2010 तक ₹ 140.75 करोड़ जारी किया। दिसम्बर 2006 से मार्च 2010 तक पी.के.एस. (यू.एन.) लेखा में ब्याज के साथ सेवा शुल्क के मद में ₹ 5.36 करोड़ जमा हो गए थे। लेखापरीक्षा के द्वारा प्रकाश में लाए जाने पर सेवा शुल्क और ब्याज मद के ₹ 5.60 करोड़ सरकारी खाते में किस्तों में जून और अगस्त 2010 के बीच ओ.आई.सी. पी.के.एस. (यू.एन.) मिशन के द्वारा जमा करवाए गए।

इस मामले से यह पता चला कि:-

1. सेना मुख्यालय ने बिना एम.ओ.डी. की स्वीकृति के एक अनौपचारिक संस्था अर्थात् पी.के.एस. (यू.एन.) की स्थापना की जिसके द्वारा पिछले तीन वर्षों से सरकारी खाते से गैर सरकारी खाते में निधियों के विचलन से ₹ 140.75 करोड़ मूल्य के सरकारी भण्डारों का कारोबार हुआ और अनियमित रूप से ₹ 5.36 करोड़ के सेवा शुल्क का प्रभार लिया गया।
2. पी.के.एस. (यू.एन.) दुकानों के द्वारा खरीदे गए ₹ 140.75 करोड़ के सरकारी भण्डार आन्तरिक लेखापरीक्षा और साथ ही वैधानिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया।
3. पी.सी.डी.ए. ने संबंधित फर्मों को चेक जारी करने के बदले पी.के.एस. (यू.एन.) खाते को अनियमित रूप से भुगतान जारी किया।

इस मामले को अक्टूबर 2010 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।



### 3.3 फील्ड एरिया भत्ते का अनियमित भुगतान

आपरेशन पराक्रम के दौरान स्थिर यूनिटों के गैर-हकदार रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को फील्ड एरिया भत्ते के कारण ₹ 15.16 करोड़ का अनियमित भुगतान यद्यपि यह भत्ता उन इकाईयों के सेवा कर्मिकों को स्वीकार्य नहीं था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थलसेना और आयुध फैक्टरियों) के वर्ष 2004 की रिपोर्ट संख्या 6 के पैरा 3.4 में आपरेशन पराक्रम (ओ.पी.) के दौरान स्थिर यूनिटों के सेवा कर्मिकों को दिया गया फील्ड एरिया भत्ता (एफ.ए.ए.) का अनियमित भुगतान के बारे में उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा पैरा के तहत, गोलाबारूद डिपो (ए.डी.) भटिंडा के सेवा कर्मिकों को किए गए अनियमित भुगतान को भी लाया गया था। अगस्त 2007 में जारी की गई कार्यवाही नोट में रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने कहा था कि ए.डी. भटिंडा के सेवा कर्मिकों को किए गए एफ.ए.ए. के अनियमित भुगतान को वसूल कर लिया गया था। इसी तरह से, ए.डी. दप्पर के सेवा कर्मिक एफ.ए.ए. के पात्र नहीं थे।

मार्च 2006 में, मंत्रालय ने ओ.पी. पराक्रम पर सेना के साथ तैनात रक्षा सिविलियन कर्मचारियों तक फील्ड सेवा रियायतों का विस्तार कर दिया। यह रियायतें ओ.पी. पराक्रम की पूरी अवधि दिसम्बर 2001 से मार्च 2003 तक तैनाती के भौगोलिक क्षेत्रों पर ध्यान दिए बिना तैनात/जुटाए गए सभी रक्षा सिविलियन कर्मचारियों पर मान्य थी।

दिसम्बर 2006 में थलसेना मुख्यालय (एच.क्यू.) ने स्पष्ट किया कि संचालन के लिए यूनिटों/फार्मेशनों की तैनाती के लिए मापदण्ड संबंधित कमान मुख्यालयों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। क्योंकि मुख्यालय पश्चिमी कमान (डब्ल्यू.सी.) के 2002 के आदेशानुसार, ए.डी.भटिंडा और ए.डी. दप्पर संचालन के लिए तैनात/जुटाने के लिए अधिसूचित किए गए थे, इन दोनों डिपुओं के रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को ₹ 1.40 करोड़ का एफ.ए.ए. का भुगतान किया गया।

मंत्रालय के आदेश में विसंगति जहाँ सेवा कर्मिकों को संचालन भत्ता स्वीकार्य नहीं है, जून 2008 में लेखापरीक्षा में बताया गया कि एक ही यूनिटों के एक ही उद्देश्य के लिए रक्षा सिविलियनों को इसकी अनुमति दी गई। इसके उत्तर में, जनवरी 2010 में मंत्रालय ने बताया कि रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को इस बात पर मुआवजों का भुगतान किया गया कि सेवा कर्मिक इसके हकदार थे और रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को किए गए एफ.ए.ए. के अनियमित भुगतान की वसूली करने के लिए सहमत हो गये। जैसा कि ए.डी. भटिंडा और ए.डी. दप्पर के सेवा कर्मिक एफ.ए.ए. के लिए हकदार नहीं थे, दोनों डिपुओं के रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को एफ.ए.ए. के कारण दिये गए ₹ 1.40 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

इस बीच में, मई 2009 में मुख्यालय डब्ल्यू.सी. ने अपने 2002 के तैनाती आदेश में संशोधन कर 81 स्थिर यूनिटों जिसमें सैन्य अभियंता सेवाएं (एम.ई.एस.), स्टेशन मुख्यालय आदि शामिल हैं, में तैनात रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को ओ.पी. पराक्रम के लिए फील्ड सेवा रियायतें प्रदान की। मुख्यालय डब्ल्यू.सी. के मई 2009 के आदेश के आधार पर विभिन्न एम.ई.एस. फार्मेशनों और अन्य स्थिर यूनिटों के रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को मई 2009 से अप्रैल 2010 के बीच में ₹ 13.76 करोड़ का एफ.ए.ए. का भुगतान किया गया था। जाहिर

है, मुख्यालय डब्ल्यू.सी. ने सात साल के बाद मनमाने ढंग से केवल गैर हकदार रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को एफ.ए.ए. प्रदान करने के लिए अपने संचालन तैनाती आदेश में संशोधन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.76 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। जून 2008 के लेखापरीक्षा विवाद जो कि रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को संचालन भत्ता के गैर-स्वीकार्यता से संबंधित था, मंत्रालय ने जनवरी 2010 में यानि 18 महीनों के बाद सही ठहराया था। अगर मंत्रालय मई 2009 से पहले आदेश जारी कर देता तो ₹ 13.76 करोड़ के अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था।

स्थिर यूनिटों के गैर-हकदार रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को एफ.ए.ए. के कारण दिए गए ₹ 15.16 करोड़ के अनियमित भुगतान की वसूली की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने जून 2011 में बताया कि चूँकि संचालन भत्ता सेवा कार्मिकों को भुगतान नहीं किया गया इसलिए उसी यूनिट के रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को भुगतान किया गया था तथा थलसेना मुख्यालय को (मई 2011) में अनियमित भुगतान की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे, गैर-हकदार रक्षा सिविलियनों से अनियमित भुगतान की वसूली प्रतीक्षित थी।

### 3.4 पट्टे की भूमि पर निर्मित आवास को अनियमित किराये से मुक्त करना

दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ने मार्च 1976 के पूर्व किराये पर लिए गए आवास को किराये से मुक्त करने के लिए जनवरी 2006 में संस्वीकृति प्रदान किया जबकि ऐसे मामलों में किराए से मुक्त करने की शक्ति रक्षा मंत्रालय को थी। इससे पट्टाधारी ₹ 2.77 करोड़ मूल्य की 1.14 एकड़ रक्षा भूमि के पट्टे का अधिकार एक निजी पक्ष को बिना किसी मूल्य के भूमि के संभावित वाणिज्यिक दोहन के लिए स्थानान्तरित करने में समर्थ हो गया।

स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में, अधिकारियों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए छावनी क्षेत्र की रक्षा भूमि को निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दे दिया गया जो अधिकारियों के आवास हेतु किराये पर देने के लिए बंगला का निर्माण करते। इन पट्टों को साधारणतया नाममात्र की रकम पर पट्टे पर दिए गए।

नवम्बर 1979 की निर्धारित की गई नीति के अनुसार मार्च 1976 के पूर्व के पुराने करारनामे पर दिए गए पट्टे पर स्थित आवासों को किराये से मुक्त करने और पट्टे की अवधि के समापन के पूर्व आवासों को किराये से मुक्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) की स्वीकृति की आवश्यकता है, थलसेना मुख्यालय (ए.एच.क्यू.) ने अगस्त 1987 में पुनः कहा कि पुणे को सम्मिलित करते हुए कुछ स्टेशनों पर किराये से मुक्त करने के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा विचार किया जाना जारी रहेगा।

सुश्री पिरोज के.संजना को ₹ 1/- के वार्षिक किराये पर सितम्बर 1937 में 30 वर्षों के लिए सितम्बर 1967 तक सी.एल.ए.आर.<sup>19</sup> 1925 के अनुसूची VI पर पुणे छावनी स्थित बंगला सं. 9 पार्वती विला से संबद्ध 1.14 एकड़ परिमाण वाले भवन स्थल को पट्टे पर दिया गया। तदोपरान्त, यह संपत्ति श्रीमती नरगिस एस.माजदा के पास थी। प्रारंभ में पट्टे को सितम्बर 1997 तक नवीनीकृत किया गया और अंततः सितम्बर 2027 तक ₹ 3 के वार्षिक किराये पर

<sup>19</sup> सी.एल.ए.आर. = छावनी भूमि प्रशासन नियमावली



नवीनीकृत किया गया। यह बंगला थलसेना द्वारा मार्च 1941 से ₹ 303/- के मासिक किराये पर लगातार किराए पर लिया गया।

मई 2005 में बंगले पर कब्जे का अधिकार रखने वाले (एच.ओ.आर.) ने मरम्मत एवं खुद के उपयोग के लिए बंगला को किराया से मुक्त करने का अनुरोध किया। बंगला को किराये से मुक्त करने के आवेदन पत्र पर अपना मन्तव्य देते समय प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान ने जुलाई 2005 में स्पष्ट रूप से कहा कि चूँकि यह 1976 के पूर्व के किराये पर लेने का मामला है, किराये से मुक्त करने की नीति के अनुसार एम.ओ.डी. से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए थलसेना मुख्यालय के पास प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। चूँकि किराये पर लिए जाने की अवधि की वैधता समाप्त हो रही थी, स्टेशन कमांडर ने दिसम्बर 2005 में 01 जनवरी 2006 से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए लगातार किराये पर लेने के लिए संस्वीकृति प्रदान की। हालांकि, दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ने जनवरी 2006 में आवास को किराये से मुक्त करने की सरकार की नीति का घोर उल्लंघन कर इस बंगले को किराये से मुक्त करने की संस्वीकृति प्रदान की। इस बंगले पर कब्जे का अधिकार पट्टाधारी को मार्च 2006 में हस्तांतरित कर दिया गया था।

किराये से मुक्तिकरण के तुरंत पश्चात, एच.ओ.आर. ने संरचना के साथ भूमि को पट्टे पर रखने का अधिकार मई 2006 में मैसर्स फ्यूचरा प्रोमोटरस एण्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एक निजी कंपनी) को ₹ 0.40 करोड़ के मूल्य पर स्थानान्तरित कर दिया। पट्टाधारी ने विद्यमान मुख्य बंगला के विध्वंस एवं उसके आवासीय उपयोग के लिए पुर्ननिर्माण हेतु एक भवन योजना के साथ दिसम्बर 2007 में छावनी परिषद से संपर्क किया। प्रस्तावित भवन योजना पर राय पूछने पर रक्षा मंत्रालय ने एक निर्माण एजेन्सी से सलाह ली कि प्रस्तावित खाका सही मायने में एक अतिथि आवास/क्लब/संस्था/रेस्तरां से अधिक मिलता जुलता था क्योंकि इसमें पारिवारिक आवास की सत्यनिष्ठा का अभाव था। अतः ₹ 2.77 करोड़ के वर्तमान मूल्य का 1.14 एकड़ की रक्षा भूमि संरचना के साथ निजी कंपनी द्वारा वाणिज्यिक दोहन किए जाने की संभावना है।

अतः चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिणी कमान के द्वारा बंगला को किराए से मुक्त करने की अनियमित संस्वीकृति प्रदान किए जाने से पट्टाधारी ₹ 2.77 करोड़ मूल्य के 1.14 एकड़ भवन स्थल का पट्टे का अधिकार एक निजी कंपनी को देने में समर्थ हो गया। निजी कंपनी के द्वारा रक्षा भूमि के वाणिज्यिक दोहन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात इन कब्जाधारियों को कब्जे से हटाकर रक्षा संपत्ति पर फिर से कब्जा प्राप्त करना कठिन होगा।

मुख्यालय दक्षिणी कमान ने फरवरी 2010 में उत्तर दिया कि किराये का भुगतान किया जाना सरकारी धन की बर्बादी थी, यद्यपि यह नगण्य था चूँकि बंगला को उपयोग में नहीं लाया जा रहा था यह भी कहा गया कि पट्टे की 2027 में समाप्ति पर यह संपत्ति सरकार के पास वापस लौट जाएगी और जब तक उस जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने के लिए संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई तथा संपत्ति का वाणिज्यिक दोहन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

उत्तर में इस तथ्य पर ध्यान नहीं रखा गया कि बंगला को किराये से मुक्त करने की संस्वीकृति रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) से कनिष्ठ प्राधिकारी के द्वारा दिया गया जिसने एक निजी कंपनी को संपत्ति पर कब्जे का अधिकार हस्तांतरित करने में मदद दी और इस प्रकार एक निजी भवन

निर्माता को बिना किसी मूल्य के प्रमुख स्थल पर स्थित रक्षा भूमि के दोहन की अनुमति दी गई। आगे सिर्फ संपत्ति को रक्षा विभाग के कब्जे में रखने के लिए किराये के लिए भाड़ा कई सालों तक दिया गया जबकि बंगला खाली था।

मार्च 2011 में मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए पुष्टि की कि किराये से मुक्त करने की संस्वीकृति एम.ओ.डी. से प्राप्त की जानी चाहिए थी। उत्तर में तथापि यह नहीं बताया गया कि शक्तियों के उपयोग के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी (ओं) के खिलाफ कौन सी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है।

### 3.5 केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो में अग्निशमन कर्मचारियों की कमी

थलसेना आयुध कोर के डिपोओं में अग्निशमन कर्मचारियों का गैर-युक्तिकरण के कारण अग्नि की चपेट में जोखिम को बनाए रखते हुए केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो में अग्निशमन कार्मिकों की महत्वपूर्ण कमी। दूसरी ओर, चार डिपोओं के पास अतिरिक्त मात्रा में अग्निशमन कर्मचारी थे और उन्हें 2004-05 से 2008-09 तक ₹ 5.81 करोड़ का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1992 की संख्या 8 के लिए प्रतिवेदन के पैराग्राफ 14 में केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो, पुलगाँव (सी.ए.डी.) में आग लगने की वजह से हुए नुकसान के बारे में उल्लेख किया गया था। अन्य मुद्दों पर टिप्पणी के अलावा, लेखापरीक्षा ने नुकसान होने का एक कारण सी.ए.डी. में अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था बताया। की गई कार्यवाही (ए.टी.एन.) में, मई 1993 में रक्षा मंत्रालय, इस तथ्य से सहमत था कि सी.ए.डी. में अग्निशमन (एफ.एफ.) कार्मिकों की कमी थी और कहा कि इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

मार्च 2004 में, मंत्रालय ने थलसेना आयुध कोर (ए.ओ.सी.) के लिए अग्निशमन कर्मचारियों के प्राधिकरण को संशोधित किया और ₹ 500 करोड़ मूल्य से अधिक की गोलाबारूद रखने वाले सी.ए.डी. को अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या 301 प्राधिकृत की गई।

सी.ए.डी. में वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान तैनात अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या की लेखापरीक्षा जाँच में कुल 39 से 44 प्रतिशत कमी पाई गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। फायरमैन की प्रतिशत के लिहाज से 44 से 55 प्रतिशत तक कमी पाई गई।

क्रम सं.	वर्ष	सी.ए.एफ.एम. <sup>20</sup> / अग्नि अधीक्षक		अग्नि पर्यवेक्षक/अग्नि मास्टर		लीडिंग हैण्ड फायर		फायर इंजिन ड्राईवर		फायरमैन		योग		कुल कमी
		ए <sup>21</sup>	एच <sup>22</sup>	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	
1.	2004-05	1	-	12	-	48	37	48	28	192	108	301	173	128(43%)
2.	2005-06	1	1	12	6	48	50	48	23	192	105	301	185	116(39%)
3.	2006-07	1	1	12	6	48	45	48	22	192	104	301	178	123(41%)
4.	2007-08	1	1	12	6	48	42	48	29	192	95	301	173	128(43%)
5.	2008-09	1	1	12	5	48	42	48	33	192	87	301	168	133(44%)

<sup>20</sup> सी.ए.एफ.एम. = सिविलियन, सहायक अग्नि मास्टर

<sup>21</sup> ए = प्राधिकृत

<sup>22</sup> एच = पदस्थ



मार्च 2004 में प्राधिकरण के संशोधन के साथ, जबकि सी.ए.डी. अग्निशमन कर्मचारियों की भारी कमी से विकलांग था, एक ही कमान के अन्दर, चार गैर-गोलाबारूद डिपो के पास 28 प्रतिशत से 120 प्रतिशत के बीच में अतिरिक्त अग्निशमन कर्मचारी थे। 2004-05 से 2008-09 तक इन चार डिपुओं के अतिरिक्त अग्निशमन कर्मचारियों को ₹ 5.81 करोड़ के वेतन और भत्तों का भुगतान किया गया।

मार्च 2010 में, दक्षिणी कमान, पुणे ने तथ्य को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि जनवरी 2005 से वे बार-बार अतिरिक्त अग्निशमन कर्मचारियों को जहाँ कमियाँ थी, स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव दे रहे थे लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसको स्पष्ट नहीं किया।

इस प्रकार, सी.ए.डी. में अग्निशमन कर्मचारियों की कमी को मंत्रालय द्वारा उनके द्वारा की गई कार्यवाही (ए.टी.एन.) में रिक्तियों को भरने के लिए दिए गए आश्वासन के बावजूद डेढ़ दशक व्यतीत हो जाने के बाद भी ठीक नहीं किया गया। महत्वपूर्ण डिपुओं को आग लगने के जोखिम के आगे कमजोर रखा गया जबकि एक ही कमान के अन्दर अन्य डिपुओं में अतिरिक्त अग्निशमन कर्मचारियों को रखा गया तथा 2004-09 की अवधि के दौरान उनके वेतन तथा भत्तों पर ₹ 5.81 करोड़ खर्च किया गया।

सी.ए.डी. और अन्य आयुध डिपुओं में अग्निशमन कर्मचारियों की कमी और आधिक्य की क्रमशः वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हुए अक्टूबर 2010 में मंत्रालय ने कहा कि सी.ए.डी. में फायरमैन की 106 रिक्तियों को छोड़ा (रिलीज किया) गया है और भर्ती पूरी हो जाने पर सी.ए.डी. पुलगाँव में फायर कर्मचारियों की कोई कमी नहीं रहेगी। आगे यह भी कहा गया था कि अतिरिक्त अग्निशमन कर्मचारियों का स्थानांतरण राजनीतिक/कर्मचारियों की यूनियन प्रभाव के कारण नहीं किया जा सका है।

तथ्य यह है कि सेना आयुध कोर की डिपुओं में अग्निशमन कर्मचारियों की गैर-युक्तिकरण के कारण केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो में अग्निशमन कार्मिकों की महत्वपूर्ण कमी को आग लगने के संदेहात्मक जोखिम पर छोड़ दिया गया है।

### 3.6 सूखी घास के लेखांकन में अनियमितता के कारण ₹ 1.19 करोड़ की हानि

सैन्य फार्म जम्मू में 1492.92 एम.टी. वजन की सूखी घास मौके पर नहीं पाई गई/जानवरों के खाने लायक नहीं पाई गई। ₹ 1.19 करोड़ की सूखी घास के इस हानि को अनियमित लेखांकन के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया।

सैन्य फार्म (भूमि) के 1962 के स्थाई आदेश में सैन्य फार्म के संचालन के आदेश हैं। उक्त आदेश के अनुच्छेद 303 के अनुसार ढेर में रखे हुए सूखी घास के सूख जाने के कारण आठ प्रतिशत की हानि मान्य है और उन मामलों जहाँ हानि उक्त सीमा से ज्यादा है को, भण्डार जहाँ ऐसी कमी उत्पन्न हुई है, से बिना किसी निर्गम के निदेशक सैन्य फार्म को सूचित किया जाना चाहिए। आगे ढेर में रखने के लिए भी 0.75 प्रतिशत हानि मान्य है।

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत ₹ 1.19 करोड़ के मूल्य के 1492.92 एम.टी. सूखी घास अर्थात् कुल भण्डार 2308 एम.टी. का 65 प्रतिशत सैन्य फार्म (एम.एफ.) जम्मू के द्वारा भण्डार पुस्तिका पर बी.डी. बारी से नए स्थल सात्रोवान में स्थानांतरित दिखलाया गया। यह कमी मई

2008 से फरवरी 2009 के बीच तब तक नहीं पता लगाई जा सकी जब तक सैन्य फार्म जम्मू के नए प्रभारी अधिकारी ने मार्च 2009 में प्रभार ग्रहण नहीं कर लिया। इस मामले पर उत्तरी कमान के सैन्य फार्म के वार्षिक लेखा/सेना मुख्यालय में महानिदेशक सैन्य फार्म के लेखापरीक्षा के दौरान भी नवम्बर 2009 में आपत्ति जारी की गई। फिर भी सामान के गबन/हानि के अन्वेषण के लिए फरवरी 2010 में ही कोर्ट ऑफ इनक्वायरी बैठाई गई और इसका नवंबर 2010 तक समापन नहीं किया जा सका। इस मामले की विवेचना नीचे की गई है।

सूखी घास को रखने के लिये सैन्य फार्म जम्मू 1985 से बी.डी. बारी स्थित भण्डार गृह का संचालन कर रहा था। चूंकि बी.डी.बारी में सैन्य रेल पथ की आवश्यकता थी सूखी घास को नए स्थल सात्रोवान में स्थानांतरित किया जाना था। सूखी घास का स्थानांतरण 19 मार्च 2008 में प्रारंभ तथा 2 मई 2008 में समाप्त हुआ। जबकि केवल 1719 एम.टी. सूखे घास के गट्ठर को नये स्थल पर स्थानान्तरित किया गया था, सैन्य फार्म जम्मू एवं साथ ही सात्रोवान के भण्डार गृह के भण्डार पुस्तिका में 2308 एम.टी. सूखी घास को स्थानान्तरित किया गया दिखाने की प्रविष्टि की गई।

लेखापरीक्षा की जाँच में निम्नलिखित बातें सामने आई:-

- 4 मार्च 2009 को सैन्य फार्म के प्रभारी अधिकारी के द्वारा कार्यभार देने/लेने के समय यह प्रकाश में आया कि सूखे घास के गट्ठर में 442.70 एम.टी. की कमी थी। इसके अलावा 1146.17 एम.टी. सूखे घास के गट्ठर अनुपयुक्त पाये गए। 218 एम.टी. खुले हुए भूसे की भी कमी पायी गई।
- 21 मार्च 2009 के बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के परिणाम में देखा गया कि 557.52 एम.टी. सूखी घास नहीं पायी गई, 498.54 एम.टी. सूखी घास जारी किए जाने के लिए अनुपयुक्त पायी गई। 549 एम.टी. सूखी घास के बारे में संदेह था।
- तदोपरान्त एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, जो पिछले बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के निष्कर्ष के आधार पर 549 एम.टी. सूखी घास को अलग करने के कार्य के लिए मिला, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 436.86 एम.टी. सूखी घास गट्ठर बनाने के लिए अनुपयुक्त थी।

इस प्रकार 1492.92 एम.टी.<sup>23</sup> सूखी घास या तो पायी नहीं गई या जारी करने के अयोग्य थी।

नवम्बर 2009 में सैन्य फार्म जम्मू ने 557.52 एम.टी. परिमाण के जमीन पर न पाये जाने वाली सूखी घास और 498.54 एम.टी. की जारी किए जाने के लिए अनुपयुक्त सूखी घास के दो खर्च के वाउचर तैयार किये और दोनों को निदेशक सैन्य फार्म, उत्तरी कमान को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रेषित किया। जनवरी 2010 में मुख्यालय उत्तरी कमान के निदेशक सैन्य फार्म ने सैन्य फार्म जम्मू को निर्देश दिया कि नियमन की कार्यवाही सैन्य अनुदेशों एवं वित्तीय नियमावली के अनुसार किया जाए क्योंकि निदेशक को इतनी बड़ी मात्रा में सूखी घास के निपटारा की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति नहीं थी। फरवरी 2010 में सब एरिया कमांडर ने मामले की जाँच के लिए एक स्टाफ कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का आयोजन किया।

<sup>23</sup> 1492.92 एम.टी = 557.52 एम.टी. + 498.54 एम.टी. + 436.86 एम.टी.



अन्ततः ₹ 1.19 करोड़ मूल्य की 1492.92 टन सूखी घास की कुल कमी पायी गई। इसके अलावा एल.डब्ल्यू.बी. की कमी संबंधित व्यक्ति के द्वारा सूचित और मवेशी गृह को जारी कर पूरी की गई। यह प्रमाणित करने के लिए कि कमी वास्तव में पूरी की गई और मवेशी गृह को जारी की गई, कोई दस्तावेज प्रमाण के रूप में अभिलेख में नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाये जाने पर मुख्यालय उत्तरी कमान ने नवम्बर 2010 में उत्तर दिया कि कमी को मार्च 2009 तक सूचित नहीं किया गया। 4 मार्च 2009 को प्रभार देने-ग्रहण करने के दौरान ही प्रकाश में आया। फरवरी 2010 में आयोजित स्टाफ कोर्ट ऑफ इनक्वायरी प्रगति नहीं कर सकी क्योंकि मुख्य गवाह एक सामान्य कोर्ट मार्शल में अभियोजन गवाह के रूप में अस्थाई कार्य के लिए काफी समय से बाहर था।

अतः ₹ 1.19 करोड़ मूल्य की 1492.92 एम.टी. सूखी घास की हानि हुई थी और प्राप्ति तथा निर्गम की असंगति दो साल बीतने के बाद भी न तो नियमित की गई और न ही जवाबदेही निर्धारित की गई। इसके आगे उस व्यक्ति से किसी नकद वसूली के अभिलेख के बिना एल.डब्ल्यू.बी. की कमी को पूरा किया जाना वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

इस मामले को दिसम्बर 2010 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

### 3.7 संविदा के अनिर्णयन के कारण ₹ 59 लाख का अधिक परिहार्य व्यय हुआ

निदेशक मिलिट्री फार्म और एकीकृत वित्तीय सलाहकार पश्चिमी कमान के मध्य लम्बित पत्राचार के कारण निविदा के स्वीकार न होने से संयोजित पशु आहार की आवश्यकता उच्चतर दरों पर स्थानीय क्रय द्वारा पूरा करने को अवश्यम्भावी बना दिया। इसके कारण ₹ 59 लाख का अधिक परिहार्य व्यय हुआ।

मार्च 2007 में वरिष्ठ मिलिट्री फार्म अधिकारियों की कान्फ्रेंस की अनुसंशा के आधार पर उप-महानिदेशक मिलिट्री फार्म (डी.डी.जी.एम.एफ.) ने सकेन्द्रित आहार के स्थान पर संयोजित पशु आहार (सी.सी.एफ.) क्रय करने का निर्णय किया। संयोजित आहार एक निश्चित अनुपात में विभिन्न आहारों के संघटकों का तैयार मिश्रण है जबकि सकेन्द्रित आहार गेहूं, भूसी, मक्का-ज्वार, तेल-रहित चावल की भूसी इत्यादि के निजी रूपों में है।

तदनुसृत्य, सी.सी.एफ की अधिप्राप्ति के लिए निविदाएं उप-निदेशक मिलिट्री फार्म, पश्चिमी कमान (डी.एम.एफ.), द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापित की गईं, जिसने 1.1.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि के लिए छः मिलिट्री फार्मों हेतु सी.सी.एफ. की अधिप्राप्ति हेतु अक्टूबर 2008 में उनके पास उपलब्ध सूची के अनुसार 12 संभावित आपूर्तिकर्ताओं को निविदाएं भी निर्गमित की गईं। सभी 6 स्टेशनों के लिए दो फर्मों को 12 निविदा प्राप्त निर्गमित की गईं। छः निविदाएं, मैसर्स एगरो टैक फीड अम्बाला द्वारा प्रत्येक स्टेशन के लिए एक प्रस्तुत की गईं, प्राप्त हुईं और 30.10.2008 को खोली गईं। सौदेबाजी के पश्चात् फर्म छः मिलिट्री फार्मों पर वयस्क तथा अवयस्क पशुओं के लिए प्रति क्विंटल क्रमशः ₹ 900 से ₹ 950 और ₹ 959 से ₹ 1020 श्रेणी में और बछड़ों के लिए ₹ 1144 के समस्त दर पर सी.सी.एफ. आपूर्ति के लिए सहमत हुआ।

नवम्बर 2008 में डी.एम.एफ. ने निविदा की स्वीकृति के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकार पश्चिमी कमान (आई.एफ.ए.डब्ल्यू.सी.) से अनुसंशा की। लेकिन आई.एफ.ए. द्वारा अनुमति का मामला पांच महीनों तक पत्राचाराधीन रहा क्योंकि सी.सी.एफ. के प्रवेश हेतु कूट मानक, सी.सी.एफ. के मानक, पिछली अवधि में व्यय, तीन स्टेशनों के लिए निविदा में सौदेबाजी पर सहमत दर स्थानीय क्रय से अधिक होने के कारण, दरों को कम करवाने के लिए सौदेबाजी करने इत्यादि के संबंध में आई.एफ.ए. द्वारा बार-बार स्पष्टीकरण मांगे गए। डी.एम.एफ. ने स्थानीय क्रय की तुलना में तीन स्टेशनों के लिए निविदा की कम दर एल.-1 फर्म के साथ हुए समझौते के आधार पर पिछले व्ययों पर स्पष्टीकरण दिया। हालांकि, पांच भिन्न अवसरों पर पूछताछ करते समय आई.एफ.ए. ने अन्तिम निर्णय नहीं दिया। इस प्रकार संविदा के निर्णयन का मामला 18 नवम्बर 2008 से 26 मार्च 2009 तक डी.एम.एफ. डब्ल्यू. सी. और आई.एफ.ए. डब्ल्यू. सी. के मध्य पत्राचाराधीन रहा जबकि दोनों ही कार्यालय एच.क्यू. डब्ल्यू. सी. चन्डीमन्दिर के एक ही भवन में स्थित हैं। इसी दौरान 30 अप्रैल 2009 के प्रस्ताव की विस्तारित अनुमेय अवधि समाप्त हो गई। इसी मध्य, उप-महानिदेशक मिलिट्री फार्म, सेना मुख्यालय ने दैनिक आधार पर सकेन्द्रित पशु आहार के स्थानीय क्रय के लिए असामान्य उच्चतर दरों पर अनुमतियां प्रदान करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि जालंधर, अम्बाला और डगसाई जैसे तीन स्टेशनों के लिए सी.सी.एफ. हेतु निविदा दरें (बोली गई) स्थानीय क्रय दरों से कम थीं और संविदा इन स्टेशनों के लिए निर्णीत की जा सकती थीं क्योंकि निविदाएँ प्रत्येक स्टेशन के लिए अलग रूप में निर्गमित की गई थी।

हालांकि तीन स्टेशनों के लिए संविदा के निर्णयन के संबंध में एक निर्णय लेने में आई.एफ.ए. की विफलता के कारण जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक सी.सी.एफ. का स्थानीय क्रय उच्चतर दर पर करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 59 लाख का अधिक व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2010 में संदर्भित किया गया उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

### 3.8 वैध निविदा के अस्वीकरण के कारण परिहार्य व्यय

मुख्यालय पश्चिमी कमान (एच.क्यू.डब्ल्यू.सी.) द्वारा एक वैध निविदा के तर्कहीन अस्वीकरण के कारण स्थानीय क्रय के माध्यम से उच्चतर दर पर माँस समूह मदों की अधिप्राप्ति एवं पुनःनिविदा करनी पड़ी। इसकी परिणति में ₹ 89.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

एच.क्यू.डब्ल्यू.सी. ने चन्डीमन्दिर और चार अन्य स्टेशनों पर 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक संवरा हुआ माँस (एम.डी), एवं संवरा हुआ मुर्गा (सी.डी.) (कबाब) (बी) तथा खुर पर माँस की एक विशेष मात्रा की दो विभिन्न मात्राओं की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमन्त्रित की। दो निविदाएं 3 जनवरी 2008 को प्राप्त हुईं। मै0 मोनीश एण्ड कं0 ने एम.डी. तथा सी.डी. (बी) की आपूर्ति हेतु दो भिन्न मात्राओं के लिए दो भिन्न दरों की निम्नलिखित बोली दी, जबकि मै0 अमान एण्ड कं0 ने केवल सी.डी. (बी.) की दरें व्यक्त की।



क्र.सं0	चन्डीमन्दिर		कसोली, डेगसाई व सोलन		सुबाथु	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	₹ प्रति कि.ग्रा.	मात्रा (कि.ग्रा.)	₹ प्रति कि.ग्रा.	मात्रा (कि.ग्रा.)	₹ प्रति कि.ग्रा.
	मै0 मोनीश एण्ड कं0 द्वारा निविदित दरें					
	(संवरा हुआ ) माँस					
1.	240000 अथवा	84	18000	87	16500	87
	480000	80	42000	83	38500	83
	(संवरा हुआ ) मुर्गा					
2.	22000 अथवा	54	450	57	300	57
	262000	62.70	24450	65.70	22300	65.70
	मै0 अमान एण्ड कं0 द्वारा निविदित दरें					
3.	(संवरा हुआ ) माँस के लिए दरें अभिव्यक्त नहीं की गई					
	(संवरा हुआ ) मुर्गा					
4	22000 अथवा 262000	62.98	450 अथवा 24450	65.98	300 अथवा 22300	65.98

एच.क्यू.डब्ल्यू.सी. पर 03 जनवरी 2008 को एकत्रित हुए अधिकारी मंडल ने मै0 मोनीश एण्ड कं0 की निविदाएं इस आधार पर निरस्त कर दी कि उसने एम.डी. एवं सी.डी. (बी) की आपूर्ति की दो विभिन्न मात्राओं के लिए दो विभिन्न दरें व्यक्त की थी तथा निर्धारित प्रारूप परिवर्तित कर दिया था, जो निविदा दाताओं को अनुदेशों की शर्तों में अशुद्ध था। यह अस्वीकरण उचित नहीं था क्योंकि स्वयं निविदा आमंत्रण अधिसूचना में आपूर्ति की जाने वाली मदों की दो विभिन्न मात्राएं बताई गई थी।

एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आई.एफ.ए.) जिसे कार्यवाही संदर्भित की गई थी, का भी मत था कि क्योंकि निविदा दस्तावेजों में बताई गई दो मात्राओं के लिए विक्रेता द्वारा दो विभिन्न दरों की बोली देना तर्कहीन नहीं था। इसी प्रकार, विक्रेता द्वारा बोली गई दो दरों के मध्य एक रेखा खींचना निविदा दस्तावेजों में बदलाव नहीं माना जा सकता था। आई.एफ.ए. का मत था कि चन्डीमन्दिर स्टेशन के लिए न्यूनतम होने के कारण मै0 मोनीश एण्ड कं0 की निविदा पर स्वीकरण हेतु विचार करना चाहिए। हालांकि मेजर जनरल, थलसेना सेवा कोर, पश्चिमी कमान (एम.जी. ए.एस.सी.) ने आई.एफ.ए. के मत को स्वीकृत नहीं किया और पुनःनिविदाकरण की अनुशंसा की। मै0 मोनीश एण्ड कं0 ने जनवरी 2008 में उनको निविदा प्रदान नहीं करने के विरुद्ध न्यायालय में दावा कर दिया।

अगस्त 2008 के अपने आदेश के अधीन माननीय न्यायालय ने एम.जी. ए.एस.सी., एच.क्यू.डब्ल्यू.सी. को स्वीकरण हेतु मै0 मोनीश एण्ड कं0 की निविदा पर विचार करने का निर्देश दिया। तदनुसार, एच.क्यू.डब्ल्यू.सी. ने सितम्बर 2008 में ठेकेदार को सूचित किया कि न्यायालय ने न्यूनतम होने के कारण निविदा को स्वीकार करने का निर्देश दिया था और इस पर सहमति थी परन्तु निविदा की मान्यता 30 जून 2008 को समाप्त हो चुकी थी, इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका।

सितम्बर 2008 में निविदाएं पुनः आमंत्रित की गईं जिसके प्रति केवल मै0 मोनीश एण्ड कं0 ने प्रतिउत्तर दिया। 25 नवम्बर 2008 को चन्डीमन्दिर एवं अन्य आपूर्ति स्थलों पर एम.डी. की आपूर्ति के लिए क्रमशः ₹ 98 प्रति कि.ग्रा. और ₹ 101.50 प्रति कि.ग्रा. और चन्डीमन्दिर एवं अन्य आपूर्ति स्थलों पर सी. डी. (बी) की आपूर्ति के लिए क्रमशः ₹ 78 प्रति कि.ग्रा. और ₹ 81.50 प्रति कि.ग्रा. की उच्चतर दरों पर 3 दिसम्बर 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए मै0 मोनीश एण्ड कं0 के साथ एक नई संविदा निर्णीत की गई।

आगे, जनवरी 2008 के मै0 मोनीश एण्ड कं0 की वैध निविदा के अस्वीकरण के कारण, चन्डीमन्दिर एवं बाहरी स्टेशनों के लिए एम.डी. तथा सी.डी. (बी) की आवश्यकता 01 अप्रैल 2008 से 02 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए उच्चतर दरों पर स्थानीय क्रय का आश्रय लेकर और तदनोपरान्त 03 दिसम्बर 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए नई संविदा के अधीन पूरी की गई। इसके परीणामस्वरूप ₹ 89.80 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। आश्चर्यजनक रूप से, उच्चतर दरों पर स्थानीय क्रय भी उन्हीं दो फर्मों से किया गया जिनकी निविदाएं प्रथमावसर पर अस्वीकृत की गई थीं।

मंत्रालय ने अगस्त 2011 में कहा कि अधिकारियों के पैनल या पैनल के किसी सदस्य के पास बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ कार्य करने की शक्ति निहित नहीं है तथा अस्वीकृत निविदा के प्रक्रिया में लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ उच्च दर पर स्थानीय खरीद का प्रश्न है यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय खरीद की दरों का पूर्वानुमान सम्भव नहीं है क्योंकि यह मौसम के विभिन्न तत्वों तथा बाजार में माँग एवं पूर्ति से प्रभावित होती हैं।

तथ्य यह है कि बोर्ड की कार्रवाई जोकि सम्भावित घटना की विवेकपूर्ण जाँच न करने के कारण सरकार को ₹ 89.80 लाख की हानि हुई।

### 3.9 गेहूँ पीसने की संविदाओं में निर्धारित उप वाक्य के शामिल न करने के कारण हानि।

थलसेना सेवा कोर के आपूर्ति डिपूओं के लिए गेहूँ को आटे के रूप में पीसने के लिए निजी मिलों के साथ दो कमान मुख्यालयों द्वारा निर्णीत संविदाओं की शर्तों में अपूर्णता ने तीन मिलों को 2006-2010 की अवधि के दौरान 616 टन आटा अपने पास रखने से ₹ 63.85 लाख का अदेय लाभ कमाने के योग्य बनाया।

रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने अक्टूबर 2004 में सेना टुकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आटे और चौकर में गेहूँ को पीसने के लिए तथा ऐसी संविदाओं हेतु निर्धारित शर्तों पर कमान मुख्यालय द्वारा वार्षिक संविदाओं को निर्णीत करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की। गेहूँ को आटे के रूप में पीसने के लिए निम्नलिखित दो पिसाई प्रक्रियाएं निर्धारित थीं-

- (i) रोलर प्रक्रिया के माध्यम से (आटा व चौकर अलग होना)
- (ii) मिल द्वारा, रोलर प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया के माध्यम से जैसे कि आटा चक्की (आटा व चौकर अलग नहीं होना)



रोलर प्रक्रिया के माध्यम से गेहूँ की सूखी पिसाई के मामले में, 3 प्रतिशत अपवर्तन और गेहूँ की अदृश्य हानि आज़ा प्रदान करने के उपरांत संकलित गेहूँ में से मिल वाला न्यूनतम 95 प्रतिशत आटा और अधिकतम 5 प्रतिशत चौकर उपलब्ध करवाएगा। रोलर प्रक्रिया के माध्यम के अलावा मिलों द्वारा गेहूँ की सूखी पिसाई के मामले में, तीन प्रतिशत अपवर्तन और गेहूँ की अदृश्य हानि आज़ा प्रदान करने के उपरांत संकलित गेहूँ में से मिल वाला 100 प्रतिशत आटा अर्थात् आपूरित किये जाने वाले संकलित गेहूँ की कुल मात्रा का न्यूनतम 97 प्रतिशत आटा उपलब्ध करवाएगा।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि मध्य कमान और दक्षिणी कमान के मेजर जनरल थलसेना सेवा कोर (एम.जी.ए.एस.सी.) द्वारा निर्णीत गेहूँ पिसाई की संविदाओं में निर्धारित दो पिसाई-प्रक्रियाओं के स्थान पर केवल एक पिसाई-प्रक्रिया अर्थात् रोलर प्रक्रिया विनिर्दिष्ट थी जबकि मिल वालों (फर्मों) के पास रोलर प्रक्रिया के अलावा के अनुरूप मूलभूत सुविधा अर्थात् आटा चक्की थी। संविदाओं में इस दोषपूर्ण प्रावधान के कारण फरवरी 2006 से जून 2010 तक सरकार को, तीन आपूर्ति डिपुओं में फर्मों से 616 टन कम आटे की प्राप्ति के रूप में ₹ 63.85 लाख की अनुवर्ती हानि हुई।

मामलों की चर्चा नीचे की गई है:-

#### मामला - I

एम.जी.ए.एस.सी. मध्य कमान ने 2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिए मुख्य आपूर्ति डिपू जबलपुर पर आपूरित करने हेतु आटे और चौकर के रूप में गेहूँ की पिसाई के लिए मै0 धनलक्ष्मी दाल मिल, गोटगांव एम.पी. के साथ वार्षिक रूप से संविदा सहमति की। पहले भी, आपूर्ति डिपू इसी फर्म से आटे और चौकर के रूप में गेहूँ की पिसाई प्राप्त कर रहा था। फर्म के पास गेहूँ पीसने के लिए रोलर मिल नहीं अपितु चक्की थी। हालांकि समझौते में प्रावधान था कि ठेकेदार मिल में सूखी पिसाई द्वारा आटा इस प्रकार पीसेगा ताकि 3 प्रतिशत अपवर्तन और गेहूँ की अदृश्य हानि निकालने के उपरांत संकलित गेहूँ में से मिल वाला न्यूनतम 95 प्रतिशत आटा और अधिकतम 5 प्रतिशत चौकर उत्पन्न करे। अन्य शब्दों में, ठेकेदार संकलित गेहूँ की मात्रा का 92.15 प्रतिशत आटा और 4.85 प्रतिशत चौकर की आपूर्ति करने को बाध्य था। ठेकेदार ने कथित प्रावधान के अनुरूप आपूर्ति डिपू को आटा आपूरित किया था। संविदा के अनुसार, ठेकेदार सहमत दर पर फालतू चौकर क्रय करेगा। तदनुसार ठेकेदार क्रय-वापसी मद के रूप में मानते हुए चौकर के लिए भुगतान कर रहा था।

चूंकि फर्म के पास रोलर प्रक्रिया के अलावा के अनुरूप मूलभूत सुविधा थी, एम.ओ.डी. द्वारा रोलर प्रक्रिया के अलावा माध्यम द्वारा गेहूँ की सूखी पिसाई के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार संकलित गेहूँ की कुल मात्रा का 97 प्रतिशत आटा आपूरित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार फरवरी 2006 से जून 2010 के मध्य आपूर्ति डिपू जबलपुर द्वारा 343.5 टन की मात्रा का कम आटा प्राप्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.32 लाख की हानि हुई।

#### मामला-II

एम.जी.ए.एस.सी. मध्य कमान ने भी 2008-09 से 2009-10 की अवधि के लिए आपूर्ति डिपू दानापुर पर आपूरित करने हेतु आटे के रूप में गेहूँ की पिसाई के लिए मै0 कृष्णा आटा चक्की दानापुर (पटना) के साथ समान शर्तों पर संविदा सहमति की। फर्म के पास गेहूँ

पीसने के लिए रोलर मिल नहीं अपितु आठ चक्कियां थी। हालांकि फर्म ने समझौतों की शर्तों के अनुसार चौकर के लिए भत्ता काटने के उपरांत आटा आपूरित किया था। अतः मई 2008 से जून 2010 तक आपूर्ती डिपू दानापुर को फर्म द्वारा 120.4 टन आटे की कम मात्रा आपूरित की गई परिणामतः ₹ 15.35 लाख की हानि हुई।

### मामला-III

एम.जी.ए.एस.सी. दक्षिणी कमान ने 2006-07 से 2009-10 की अवधि के मध्य आपूर्ती डिपू सौगोर पर आपूरित करने हेतु आटे के रूप में गेहूँ की सूखी पिसाई के लिए मै0 अनुराधा फ्लोर मिल सौगोर के साथ समान शर्तों पर संविदा सहमतियां की। फर्म के पास गेहूँ पीसने के लिए रोलर मिल नहीं अपितु चक्की थी। मामले। एंव II की भांति ही आपूर्ती डिपू को फर्म से 152.3 टन आटा कम प्राप्त हुआ, परिणामतः ₹ 14.18 लाख की हानि हुई। आपूर्ती डिपू सौगोर ने सितम्बर 2009 के अपने उत्तर में बताया कि आटे के रूप में गेहूँ की पिसाई मुख्यालय दक्षिणी कमान द्वारा जारी संविदा सहमति के अनुरूप हुई।

इस प्रकार, दो कमान मुख्यालयों द्वारा दोषपूर्ण शर्तों के साथ गेहूँ पीसने की संविदाओं के निर्णीत किए जाने के कारण आटे की अल्प प्राप्ति हुई और ₹ 63.85 लाख की अनुवर्ती हानि हुई। इसने मिल-मालिकों को अदेय लाभ दिया।

महानिदेशालय आपूर्तियां एंव परिवहन (डी.जी.एस. एण्ड टी.) ने नवम्बर 2010 में बताया कि आटे के लिए ए.एस.सी. विनिर्देशांक 5 एंव 5ए का अनुपालन किया गया था जिनमें पिसाई प्रक्रिया की भिन्नता किये बिना चौकर निकालने का प्रावधान था। आगे, रोलर प्रक्रिया के अलावा अर्थात् चक्की-पिसाई के माध्यम से 100 प्रतिशत आटे का स्वीकरण चौकर सहित आटा स्वीकार करने के समान था। चौकर अवयव को प्रयोक्ता स्तर पर छानना और निरस्त करना हानि का कारण हो सकता है। चूंकि प्रयोक्ता द्वारा इस प्रकार अलग किया गया चौकर निस्तारित किया जाएगा। इसके विपरीत, वर्तमान व्यवस्था में चौकर लाभदायक रूप से निस्तारित किया जा रहा था जिसके लिए न केवल सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा था अपितु पशुओं को चारे के रूप में चौकर उपलब्ध था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आटे के लिए ए.एस.सी. विनिर्देशांक 5 एंव 5ए का संबंध केवल रोलर प्रक्रिया के माध्यम से पिसाई से है। संविदा निर्णीत करने वाले प्राधिकारियों ने गेहूँ पीसने की केवल एक प्रक्रिया, अर्थात् रोलर प्रक्रिया जो 95 प्रतिशत आटा और 5 प्रतिशत चौकर का उत्पादन देता है, को ही सम्मिलित किया गया है। लेकिन संबंधित फर्मों के पास रोलर प्रक्रिया के अलावा अर्थात् चक्की, चौकर मिला 100 प्रतिशत आटे का उत्पादन देने वाली, के माध्यम से गेहूँ पीसने की मौलिक सुविधाएं थी। यह तथ्य कि मिलें चौकर की आपूर्ती नहीं कर रही थी और इसके लिए इसे पुनःक्रय मद दिखाते हुए क्रेडिट प्रदान करना भरपूर प्रमाण प्रदर्शित करता है कि इन मिलों द्वारा कार्य पर लगाई गई चक्की पिसाई में चौकर उत्पन्न नहीं किया गया था। इस प्रक्रिया में चौकर पिसाई स्तर पर आटे से अलग नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार 100 प्रतिशत आटा अक्टूबर 2004 की एम.ओ.डी.की नीति के अनुसार मिल मालिकों द्वारा आपूरित किया जाना चाहिए था। संविदाओं में दोनों ही निर्धारित पिसाई प्रक्रियाओं के सम्मिलित न किए जाने के कारण, मिलों को समकक्ष अदेय लाभ देते हुए सरकार को ₹ 63.85 लाख की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2010 में संदर्भित किया गया था उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।



### 3.10 टिपर्स की विवेकहीन खरीद

प्रमुख इंजीनियर, थलसेना मुख्यालय ने एक क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियर के लिए ₹ 1.08 करोड़ मूल्य के 15 टिपर्स<sup>24</sup> की अवांछित अधिप्राप्ति की। उनके परिवहन पर ₹ 22.59 लाख का निष्फल व्यय भी किया गया।

मार्च 2007 में प्रमुख इंजीनियर (इ-इन.सी.), थलसेना मुख्यालय ने मैसर्स आइसर मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली को महानिदेशक आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.) के दर अनुबंध के विरुद्ध 19 लॉरी टीपर्स के लिए इकाई लागत ₹ 6,89,605.65 तथा चार प्रतिशत बिक्री कर और वितरण शुल्क सहित आपूर्ति आदेश दिया। आपूर्ति आदेश के अनुसार, 15 टिपर्स मुख्य इंजीनियर (सी.ई.) अण्डमान और निकोबार क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के तहत पाँच गैरीसन इंजीनियरस (जी.ई.स.) और शेष चार टिपर्स तीन अन्य विभिन्न जी.ई.स. को परेषित किये जाने थे। आपूर्तिकर्ता को निकटतम डीलर बिंदुओं तक वाहनों की आपूर्ति करना आवश्यक था। हालांकि प्रमुख इंजीनियर द्वारा आपूर्ति आदेश दिसम्बर 2006 के मंत्रालय की मंजूरी में प्रदान मौजूदा टिपर्स के प्रतिस्थापन के नाम पर दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर में जी.ई.एस. जिन्हें 15 टिपर्स निर्धारित किये गये थे वे न तो टिपर्स को रखने के लिए अधिकृत थे और न ही उनके पास कोई पुराना टिपर्स प्रतिस्थापित करने के लिए था। टिपर्स जी.ई.एस. द्वारा माँगे भी नहीं गये थे। जुलाई 2007 में, सी.ई.ए.एण्ड एन. क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर ने तथापि चेन्नई में आपूर्तिकर्ता से 15 टिपर्स एकत्र किए और उन्हें पोर्ट ब्लेयर भेज दिया और परिवहन पर ₹ 22.59 लाख खर्च कर दिए।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि सी.ई.ए.एण्ड एन. क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के तहत पाँच जी.ई.एस. ने बिना किसी भी प्राधिकरण के 15 टिपर्स रखे हुए थे और उनके अधिप्राप्ति के बाद से उपयोग नहीं कर रहे थे। हालांकि अधिशेष रखे हुए को मुख्य इंजीनियर दक्षिणी कमान (सी.ई.एस.सी.) और ई-इन-सी शाखा को भी नियमित रूप से सूचना दी जा रही थी अधिशेष टिपर्स को इकाईयों जहाँ इनका लाभप्रद उपयोग किया जा सकता था को हस्तांतरित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जवाब में, मई 2009 में सी.ई.एस.सी. ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर एक दूरस्थ क्षेत्र है और वाहनों का हस्तांतरण कठिन हो जाएगा क्योंकि हस्तांतरण की लागत ₹ 1 लाख प्रति वाहन होगा। सी.ई.ए.एण्ड एन. जोन पोर्ट ब्लेयर ने कहा कि टिपर्स को रखरखाव/विविध सेवाओं के लिए उपयोग किया जा रहा था और अधिशेष टिपर्स को हस्तांतरित करने का मामला सी.ई.एस.सी. के साथ लिया गया था ताकि जहाँ संभव हो इनका लाभप्रद उपयोग किया जा सके।

जनवरी 2011 में मंत्रालय ने कहा कि अण्डमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड में विभिन्न जी.ई.एस. को सुनामी के बाद पुनर्वास और राहत कार्य के लिए टिपर्स जारी किये गये थे और दिसम्बर 1992 के मंत्रालय के पत्र के प्राधिकार के तहत इनकी अधिप्राप्ति की गई थी। मंत्रालय द्वारा दिया गया जवाब गलत है और लेखापरीक्षा को गुमराह करने का प्रयास है। टिपर्स मुख्य इंजीनियर (अण्डमान एवं निकोबार) जोन, पोर्ट ब्लेयर के अधीन जी.ई.स. को न तो अधिकृत किया गया था और न ही माँग की गई थी, फिर भी ई-एण्ड-सी द्वारा स्वतः अधिप्राप्ति के बाद 15 टिपर्स उन पर लाद दिए गए थे। मंत्रालय का यह तर्क कि इनकी आवश्यकता सुनामी के बाद राहत/पुनर्वास कार्य के लिए थी, भी असमर्थनीय है क्योंकि टिपर्स सुनामी के दो साल बाद

<sup>24</sup> टिपर - एक ट्रक या लॉरी जिसके लिए रियर प्लेटफॉर्म से सामने के छोर से जोकि गंभीरता से भार को उठाने में सक्षम हो।

खरीदे गये थे। टिपर्स अण्डमान और निकोबार द्वीप में जी.ई. द्वारा प्राप्त करने के बाद से अनुपयोगी पड़े हुए थे और परिवहन की उच्च लागत के कारण मुख्य भूमि में अन्य इकाईयों को ये स्थानांतरित नहीं किये जा सके।

इस प्रकार ई-एन-सी शाखा ने किसी न्यायोचित आवश्यकता के बिना ₹ 1.08 करोड़ मूल्य के 15 टिपर्स की विवेकहीन खरीद की और उन्हें अण्डमान और निकोबार द्वीप को ₹ 22.59 लाख खर्च करके भेज दिया जहाँ पर जुलाई 2007 से टिपर्स पड़े हुए सड़ रहे थे। मंत्रालय को ₹ 1.31 करोड़ राशि की अवांछित खरीद के लिए पूछताछ और जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

### 3.11 सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

आश्रित यूनिटों तक आयुध भण्डारों को ले जाने के लिए सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट के उपयोग में केन्द्रीय आयुध डिपो, देहू रोड के द्वारा अपर्याप्त आंतरिक जांच के परिणामस्वरूप ₹ 32.29 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

देहू रोड/किरकी (पूना के नजदीक) के अन्दर और आस-पास के विभिन्न सैन्य यूनिटों/डिपुओं से पूरे भारत के विभिन्न गन्तव्य स्थानों तक रक्षा भण्डारों के आवागमन हेतु स्टेशन मुख्यालय देहू रोड प्रति वर्ष सिविल ट्रांसपोर्ट को किराये (सी.एच.टी.) पर लेता है। ठेके में अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन की क्षमता, लागू किराया प्रभार, दूरी और विभिन्न स्टेशनों के लिए आवागमन की अवधि का उल्लेख था। भुगतान सी.एच.टी. की क्षमता एवं प्रेषिती यूनिट तक तय की गई दूरी के आधार पर किया जाना था। इस ठेके के अन्तर्गत जो यूनिटें वाहन भाड़े पर लेती हैं उन्हें सी.एच.टी. ठेकेदारों को भुगतान देने के पहले ठेके के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना था। ठेके के अन्तर्गत दो वाहनों के भार को एक वाहन में संयुक्त किए जाने एवं रास्ते में भण्डारों को एक वाहन से दूसरे वाहन में रखने की अनुमति नहीं थी। यदि यह देखा जाता है कि एक प्रेषक या विभिन्न प्रेषकों से संबंधित दो सी.एच.टी. के वाहन के भार को एक वाहन में संयुक्त कर दिया गया है तो दुलाई का भाड़ा एक वाहन के लिए ही मान्य होगा। यदि रास्ते में वाहन के खराब होने के कारण सामान को एक वाहन से दूसरे वाहन में रखा जाता है तो इसकी सूचना ठेकेदार लिखित रूप में वर्कशाप से प्राप्त एक प्रमाण पत्र के साथ प्रेषक/प्रेषिती को तुरन्त भेजी जानी चाहिए थी।

2006-07 से 2009-10 (जून 2009 तक) के वर्षों के लिए सी.ओ.डी. देहू रोड (सी.ओ.डी.) में सी.एच.टी. के ठेकों एवं संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच से ₹ 32.29 लाख के खर्च की निम्न अनियमितताएं उजागर हुईं जैसाकि परिशिष्ट IV 'ए', IV 'बी' एवं IV 'सी' में दर्शाया गया है। मामले का वर्णन नीचे किया गया है:-

(i) परिशिष्ट IV 'ए' में ऐसे उदाहरणों को दिखाया गया है जिसमें सी.ओ.डी. देहू रोड से 1000 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित विभिन्न यूनिटों तक भण्डार के प्रेषण हेतु एक ही सी.एच.टी. का अल्प अवधि में बारबार प्रयोग किया गया है अर्थात् जिस तिथि में सी.एच.टी. गन्तव्य स्थान तक पहुँच सकता था या रास्ते में हो सकता था, उसे सी.ओ.डी. से पुनः भाड़े पर लिया गया दिखाया गया एवं तदनुसार भुगतान किया गया। उदाहरणस्वरूप एक सी.एच.टी. को गुवाहाटी से देहू रोड पहुँचने के लिए अधिकतम 10 दिन दिए गए थे। सी.ओ.डी. ने वाहन संख्या एम.एच.14-4874 को गुवाहाटी तक भण्डार भेजने के लिए 16, 18 एवं 20 अक्टूबर 2008 को भाड़े पर लिया। इसी प्रकार से वाहन संख्या एच.आर.39ए-7220 को पठानकोट



तक भण्डार भेजने के लिए 19 मई 2009 को सी.ओ.डी. ने भाड़े पर लिया पुनः उसी वाहन को 20 मई 2009 को उधमपुर तक भण्डार भेजने के लिए भाड़े पर लिया गया। 1000 कि.मी. से ज्यादा की दूरी के स्टेशन के लिए उसी वाहन को असंभव बारंबारता पर भाड़े पर लिया जाना यह इंगित करता है कि सी.ओ.डी. अधिकारी बिलों को भुगतान के लिए प्राधिकृत करने से पहले उचित आंतरिक जाँच का प्रयोग नहीं कर सके एवं ठेके के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में असफल रहे। अतः इस प्रकार से भाड़े पर किए गए ₹ 15.36 लाख का खर्च अनियमित था।

(ii) कुछ अवसरों पर भाड़े पर लिए गए एवं भुगतान किए गए सी.एच.टी. उन वाहनों से, जिनके द्वारा वास्तव में प्रेषिती यूनिट को भण्डार प्राप्त हुए थे, भिन्न थे जैसाकि परिशिष्ट IV 'बी' में दिखलाया गया है। उदाहरणस्वरूप वाहन संख्या एम.एच-14-6449 को बागडोगरा तक भण्डार भेजने के लिए फरवरी/मार्च 2008 में पाँच बार भाड़े पर लिया गया लेकिन इन सभी अवसरों पर जिन वाहनों से प्रेषिती छोर पर सामान पहुँचा वे भिन्न थे। स्पष्ट रूप से सामानों को रास्ते में एक वाहन से दूसरे वाहन में, ठेके की शर्तों का उल्लंघन कर रखा गया था तथा डिपो प्राधिकारी इसका पता लगाने में असफल रहे। इससे ठेकेदार को ₹ 7.12 लाख के अनियमित भुगतान किया गया।

(iii) परिशिष्ट IV 'सी' में दिखलाए गए मामलों में एक छोटी अवधि के दौरान (2 से 5 दिन) भण्डारों को दूर-दराज के स्टेशनों तक ले जाने के लिए सी.ओ.डी. और सेन्ट्रल आरमर्ड फाइटिंग विहकल डिपो (सी.ए.एफ.वी.डी.), किरकी के द्वारा एक ही सी.एच.टी. को भाड़े पर लिया गया और ठेकेदार को दोनों डिपुओं से भुगतान मिल गया। एक ही सी.एच.टी. को छोटी अवधि के दौरान बाहर के स्टेशनों के लिए दोनों डिपुओं के द्वारा भाड़े पर लिया जाना संभव नहीं था। स्पष्ट रूप से सी.ओ.डी. तथा सी.ए.एफ.वी.डी. के परेषणों (कनसाइनमेंट) को ठेकेदार के द्वारा एक ही वाहन में एक साथ कर दिया गया था। ऐसे मामलों में ठेके की शर्तों के अनुसार एक ही डिपो द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः इन मामलों में परिशिष्ट IV 'सी' में दिखाया गया ₹ 9.81 लाख का किया गया भुगतान अनियमित था। उदाहरणस्वरूप एक वाहन संख्या एच.आर-64-0599 को सी.ओ.डी. एवं सी.ए.एफ.वी.डी. दोनों के द्वारा जोधपुर और पठानकोट तक भण्डार भेजने के लिए 20 फरवरी 2007 को भाड़े पर लिया गया और दोनों ही डिपो द्वारा भुगतान किया गया। उसी प्रकार वाहन संख्या एच.आर-56 ए 5892 को सी.ए.एफ.वी.डी. के द्वारा सुरानसी (जालंधर) के लिए 24 मार्च 2008 को भाड़े पर लिया गया। अगले दिन (25 मार्च 2008) उसी वाहन को सी.ओ.डी. के द्वारा पठानकोट तक भण्डार को भेजने के लिए भाड़े पर लिया गया और दोनों डिपो द्वारा भुगतान किया गया जो अनियमित था।

अतः सी.ओ.डी. एवं सी.ए.एफ.वी.डी. के द्वारा संदेहास्पद रूप से सी.एच.टी. को भाड़े पर लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 32.29 लाख का अनियमित खर्च हुआ जिसकी जाँच की जाने एवं सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रचलनों को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने अप्रैल 2011 में कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और साथ ही सी.एच.टी. के द्वारा भार को भेजते समय इस तरह की अनियमितता को न होने देना सुनिश्चित करने के लिए डिपो द्वारा कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए थे। मंत्रालय ने पुनः कहा कि ₹ 3.30 लाख की वसूली की गई थी तथा ऐसे सभी मामलों की पुनरीक्षा के उपरांत संबंधित डिपुओं को ठेकेदारों के बकाया बिलों से वसूली करने की सलाह दी गई।

सी.एच.टी. ठेकों/भुगतानों में इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए मंत्रालय को उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए और आंतरिक जाँच के तंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

### 3.12 स्केनिया वाहनों के लिए टायरों का परिहार्य प्रावधान

स्केनिया टायर के प्रावधान के लिए मासिक रखरखाव आँकड़ों की गणना में त्रुटि जिसके परिणामस्वरूप अधिप्रावधान और फलस्वरूप ₹ 87.18 लाख की लागत के 507 स्केनिया टायरों का अधिशेष स्टॉक होना। भंडार में रखे हुए स्टॉक का मूल स्वयं जीवन का सत्तर प्रतिशत पहले ही समाप्त हो चुका था।

महानिदेशक आयुध सेवाएं (डी.जी.ओ.एस.) के तकनीकी निर्देश प्रावधान की समीक्षा के अनुसार मासिक रखरखाव आंकड़ा (एम.एम.एफ.)<sup>25</sup> निकालने के लिए यदि ऊपर या नीचे की ओर रूख जारी रहने का अनुमान है, अल्प या अति प्रावधान के जोखिम से बचने के लिए एम.एम.एफ. को उपयुक्त तरीके से बढ़ाया या घटाया जाएगा। इसके अलावा, पिछले 12 महीनों में अगर सामान्य निर्गम अवास्तविक मानी जाती है तो निर्गम 12 महीने (2 से 3 वर्ष) से अधिक अवधि पर प्रावधानीकरण अधिकारी के विवेक पर लिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि केन्द्रीय आयुध डिपो, मुम्बई (सी.ओ.डी.) ने अक्टूबर 2005 में दो या तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के स्थान पर पिछले पाँच वर्षों की समय अवधि के निर्गम के आधार पर 68.61 के मासिक रखरखाव आंकड़े के आधार पर स्केनिया टायरों के प्रावधान की समीक्षा की। जिसके कारण 345 टायरों की अनुमानित कमी हो गई। एम.एम.एफ. तत्काल पिछले तीन वर्षों से गिरावट का रूख दिखा रहा था जोकि एक साल के निर्गम पर 23.5 था, दो साल के निर्गम पर 34.29 था और तीन साल के निर्गम पर 106.66 था। सी.ओ.डी. मुम्बई के भाग पर अतिप्रावधान के कारण डी.जी.ओ.एस. ने सितम्बर 2006 में ₹ 55.97 लाख की लागत के 345 टायरों की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स मद्रास रबड़ फैक्टरी, चैन्नई (एम.आर.एफ.) को एक आपूर्ति आदेश दिया। आपूर्ति नवम्बर 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य में प्राप्त हुई।

बाद की प्रावधान समीक्षा अक्टूबर 2006 में की गयी जिसमें एम.एम.एफ. 31.01 माना गया जिसने 162 टायरों की कमी को दर्शाया। 31.01 का एम.एम.एफ. फिर से बढ़ा हुआ आँकड़ा था चूँकि ओ.डी. तेलेगाँव को टायरों का दोहरा निर्गम किया गया था अर्थात् 132 टायरों की एक मांग के खिलाफ 264 टायरों का निर्गम कर दिया गया था। इस विसंगति को दूर करने के लिए 2005-06 को एम.एम.एफ. में 31.01 के स्थान पर 20.12 लेना चाहिए था जिसके कारण वहाँ कमी के स्थान पर 132 टायरों का अधिशेष होना था। मार्च 2007 में डी.जी.ओ.एस. ने ₹ 28.81 लाख की लागत के 162 टायरों की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स एम.आर.एफ. को एक आपूर्ति आदेश दिया जोकि बाद में संशोधित होकर ₹ 31.21 लाख का हो गया था। जुलाई 2007 में आपूर्ति प्राप्त हो गई थी।

<sup>25</sup> मासिक रखरखाव आंकड़ा (एम.एम.एफ.) स्टोर की एक वास्तविक मात्रा को दर्शाता है जोकि एक महीने के लिए एक आइटम की आवश्यकताओं की अनुमानित गणना/संगणित आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह पिछले औसत के रूप में किसी भी ज्ञात भविष्य की आवश्यकताओं को शासी कारकों द्वारा संशोधित निर्गमों पर आधारित है।



अप्रैल 2010 की प्रावधान समीक्षा 566 टायरों का अधिशेष स्टॉक बताती है जो कि भंडारण में तीन से अधिक वर्षों से रखे हुए थे। टायरों का मूल स्वयं जीवन, पाँच साल को ध्यान में रखते हुए, स्टॉक पहले से ही अपने मूल जीवन का लगभग 70 प्रतिशत की अवधि समाप्त कर चुका था। अधिशेष होने के कारण, सी.ओ.डी. प्राधिकारियों ने जून 2009 में वाहन गुणता आश्वासन नियंत्रक (सी.क्यू.ए.(वी.)), अहमदनगर से अन्य वाहनों में इन टायरों का निर्गम करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया था जिससे स्केनिया टायर्स के इसके मूल जीवन के अन्दर उपयोग न किये जाने के कारण सरकारी धन का नुकसान न हो। सी.क्यू.ए. (वी.) ने जुलाई 2009 में स्पष्ट किया कि स्केनिया टायर्स का अधिशेष स्टॉक तीन अलग-अलग भाग संख्या के टायर के एवज में जारी किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के टायरों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ₹ 87.18 लाख की लागत के 507 स्केनिया टायरों जोकि सितम्बर 2006 और मार्च 2007 में अधिप्राप्ति किये गये थे, परिहार्य थे।

अक्टूबर 2010 में मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, जुलाई 2011 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.13 विदेशी विक्रेता से दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति

संविदा में संगत विवरण समाविष्टिकरण, विक्रेता के विरुद्ध गुणात्मक/संख्यात्मक दावों के उठाने में विलम्ब के कारण ₹ 2.30 करोड़ के पुर्जे निहित उद्देश्य की पूर्ति किए बिना डिपो में पड़े थे।

तीन प्रकार के हथियारों हेतु फालतू-पुर्जों के आयात हेतु विभिन्न प्रेषिती डिपुओं से प्राप्त मांग-पत्रों के आधार पर, सेना मुख्यालय ने दिसम्बर 2007 में मैसर्स एस.एफ.टी.ई. स्पैटस्टैक्नों एक्सपोर्ट, यूक्रेन के साथ 1474926.46 यू.एस. डालर की लागत पर एक संविदा निर्णीत की।

संविदा तथा संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच से तीन प्रकार के हथियारों हेतु अतिरिक्त पुर्जों के आयात में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुई जिसके कारण ₹ 2.30 करोड़ के पुर्जों का अनुप्रयोग हुआ:-

#### 1) ₹ 0.54 करोड़ मूल्य के 7.62 एम.एम. गन मशीन के पुर्जे

डी.जी.क्यू.ए. ने 7.62 एम.एम. के-52 गन मशीन के स्प्रिंग की दराज अथवा निकासी स्प्रिंग के 500 पुर्जों के आयात हेतु अनुमति प्रदान की। लेकिन सेना मुख्यालय ने संविदा निर्णीत करते समय गन मशीन 7.62 एम.एम. के अंग के विवरण व्यक्त कर दिए। दिसम्बर 2008 में केन्द्रीय आयुध डिपू (सी.ओ.डी.), जबलपुर द्वारा भंडार प्राप्त कर लिया गया। भंडार की संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण (जे.आर.आई.) जनवरी 2009 में की गई तथा आपूरित मर्दे बिना नमूने तथा 7.62 एम.एम. के-59 गन के अतिरिक्त पुर्जे में प्रदर्शित निकासी स्प्रिंग के ड्राईंग से मेल नहीं खाती थीं। तदनुस्रु, मद अस्वीकृत हुई और जनवरी 2009 में फर्म के विरुद्ध गुणवत्ता दावा भेजा गया। फर्म ने दावे को यह कहते हुए, कि न तो विषयगत मद के विवरण 7.62 जी.एम. के-59 के पुर्जे के रूम में संविदा समझौते में व्यक्त थे न ही इस प्रभाव का स्पष्टीकरण किसी समय जारी किया गया, स्वीकार नहीं किया। यूक्रेन के मूल संयंत्र निर्माता (ओ.ई.एम.) ने पुष्टि की कि आपूरित पुर्जे पूर्णतः 7.62 एम.एम. मशीन गन के पुर्जों की सूची के अनुस्रु थे।

इस प्रकार विवरण की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ मूल्य के अनावश्यक पुर्जों का आयात हुआ जो बिना किसी प्रयोग के भंडार में पड़े हुए थे।

## 2) ₹ 1.69 करोड़ मूल्य के ओ.एस.ए-ए.के. के पुर्जे

जुलाई 2008 तथा अगस्त 2009 के मध्य ओ.एस.ए-ए.के. के अतिरिक्त पुर्जे सी.ओ.डी. देहू रोड़ में प्राप्त हुए। प्रथम जे.आर.आई. जो जुलाई 2009 में की गई, में ₹ 9.23 लाख मूल्य के दो प्रकार के पुर्जे इस आधार पर अस्वीकृत किए गए कि मद डिपू नमूने से मेल नहीं खाते थे। अगस्त 2009 में फर्म के विरुद्ध गुणात्मक दावा भेजा गया। द्वितीय जे.आर.आई. जो नवम्बर 2009 में की गई ने फिटमेंट तथा फंक्शनल टैस्ट (एफ.एफ.टी.) की बिना पर पांच प्रकार के पुर्जे स्वीकार किए। एफ.एफ.टी. जो जनवरी 2010 में किया गया के दौरान पांच में से दो प्रकार के पुर्जे सेवा के अयोग्य/अनुपयुक्त पाये गये। ऐसे दावे भंडार प्राप्ति के साढ़े पांच माह के भीतर किए जाने की निर्धारित अवधि के प्रति भंडार प्राप्ति के नौ माह उपरांत मई 2010 में ₹ 1.60 करोड़ मूल्य की दो मदों हेतु गुणात्मक दावा प्रस्तुत किया गया।

## 3) ₹ 6.52 लाख मूल्य के क्वाड्राट के पुर्जे

जुलाई 2008 में क्वाड्राट के पुर्जे प्राप्त हुए। जनवरी 2009/अक्तूबर 2009 के मध्य जे.आर.आई. आयोजित हुई। जे.आर.आई. द्वारा तीन प्रकार के पुर्जे अस्वीकृत किए गए क्योंकि फर्म द्वारा वांछित मदें आपूर्ति नहीं की गई थी तथा एक मद टूटी हुई अवस्था में प्राप्त हुई थी। मार्च 2009 तथा नवम्बर 2009 में ₹ 6.52 लाख हेतु गुणवत्ता दावा प्रस्तुत किया गया। दावा कालातीत होने के कारण विक्रेता द्वारा अस्वीकृत किया गया।

इस प्रकार संविदा में अपूर्ण विवरणों तथा मात्रात्मक/गुणात्मक दावों में विलम्बित प्रस्तुति करने से ₹ 2.30 करोड़ मूल्य के पुर्जे निहित उद्देश्य हेतु प्रयोग नहीं हुए तथा बिना किसी प्रयोग के भंडार में रखे गये।

मामले-1 के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि संविदा सूची भाग संख्या सी 2/121 पर निर्णीत की गई थी जो दोनों ही मांग मदों के साथ-साथ प्राप्त मदों के लिए समान था। प्राप्त मदें 7.62 एम.एम. पी.के.टी. से संबंधित थी, जो सेना की सेवा में भी हैं। 7.62 एम.एम. पी.के.टी. संयंत्र के पुर्जों हेतु प्राप्त मद के उपयोग की उपयुक्तता एवं संभावना के आकलन का मामला हस्तगत है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि संविदा में मद का अशुद्ध नामकरण दर्ज किया गया और मद निहित उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं की जा सकी। पैरा दो एवं तीन के लिए मंत्रालय ने बताया कि दावे प्रस्तुत किए गए हैं और जबकि पैरा तीन के लिए यह पुष्टि की गई कि दावा अस्वीकृत किया जा चुका है।

## 3.14 लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूली एवं बचतें

### वसूलियाँ

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, रक्षा भूमि का किराया और प्रीमियम, सेवा प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान, वेतन और भत्तों की वसूली, बिजली, किराया एवं संबंधित प्रभारों और श्रम कल्याण आदि की कम वसूली की वसूली के तहत ₹ 8.94 करोड़ राशि की लेखापरीक्षिती द्वारा वसूलियाँ



रक्षा सम्पदा कार्यालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियांत्रिकी, सेवा वेतन और लेखा कार्यालयों, कैंटीन स्टोर विभाग (सी.एस.डी.) मुख्यालय आदि के अभिलेखों की नमूना जाँच से ₹ 8.94 करोड़ राशि के सेवा शुल्क के अधिक भुगतान, प्रीमियम और किराये की गैर वसूली, निर्धारित हानिपूर्ति (एल.डी.) की गैर वसूली, बिजली, किराया और संबंधित शुल्कों की कम वसूली के तहत और वेतन और भत्तों का अनियमित भुगतान आदि परिशिष्ट-V में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पता चला। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संबंधित यूनिटों/फार्मेशनों ने अनियमित भुगतानों की वसूली कर ली/सहमत हो गये।

बचतें

विभिन्न मंजूरी अधिकारियों ने अनियमित प्रशासनिक अनुमोदनों/मंजूरीयों को रद्द कर दिया और मुख्यालय सी.एस.डी. मुम्बई ने लेखापरीक्षा के कहने पर सुधारात्मक कार्यवाही की, परिणामस्वरूप ₹ 7.95 करोड़ की बचत हो गई।

इकाइयों और फार्मेशनों के खातों की नमूना जाँच के फलस्वरूप, लेखापरीक्षा ने अनियमित मंजूरीयों के उदाहरण देखे। बताये जाने पर, लेखापरीक्षिणी ने सुधारात्मक उपाय किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.95 करोड़ की बचत हुई जैसाकि परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

दिसम्बर 2010 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय - IV कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ

### 4.1 बिजली बिलों का भुगतानाधिक्य

दुर्ग अभियंता (जीई) बबीना ने उत्तर प्रदेश विद्युत प्राधिकरण लि. (यूपीपीसीएल) द्वारा अशुद्ध अनुसूचित दरें लागू किए जाने के कारण ₹ 0.55 करोड़ का भुगतानाधिक्य किया। एक अन्य मामले में जीई (पश्चिमी) कोलाबा ने, ब्रीहन मुम्बई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बीईएसटी) को जीई द्वारा वास्तविक अधिकतम विद्युत मांग सूचित करने में विफलता के कारण ₹ 1.08 करोड़ का भुगतानाधिक्य किया।

अशुद्ध निर्धारित दरों पर बिलों का भुगतान एवं विद्युत प्राधिकारियों को संविदागत अधिकतम मांग (सीडीएम) के वास्तविक स्तर से आकलन को सूचित करने की विफलता के कारण भुगतानाधिक्य के दो मामले लेखापरीक्षा में पाये गये। कुल भुगतानाधिक्य ₹ 1.63 करोड़ का आकलित किया गया। दोनों मामलों की चर्चा निम्नवत् है:

#### मामला-1

उत्तर प्रदेश विद्युत प्राधिकरण लि0 (यूपीपीसीएल) की विद्युत प्रभार की निर्धारित दरें दिसम्बर 2004 से संशोधित की गईं। संशोधित अनुसूचित दरों में सेना अभियंता सेवाओं (एमईएस) को पूर्व एलएमवी-4 श्रेणी के विरुद्ध एलएमवी<sup>26</sup> -1 श्रेणी के अधीन रखा गया। एलएमवी -1 श्रेणी के अधीन अनुसूचित दरें एलएमवी -4 श्रेणी की दरों से कम थीं। यदि आपूर्ति 11 किलोवॉट (केवी) तथा 11 केवी से अधिक होती तो एमईएस को क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत की प्रभारित दर पर एक छूट भी अनुमेय थी। जीई बबीना अक्टूबर 2001 से 11 केवी संविदागत भार पर यूपीपीसीएल से समग्र विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहा था। संविदागत आपूर्ति-भार जून 2007 से प्रभावी, 11 केवी से बढ़ कर 33 केवी हो गया।

मुख्य अभियंता लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ ने दिसम्बर 2004 में अनुदेश जारी किए कि सम्बन्धित दुर्ग अभियंताओं (जीई) को सुनिश्चित करना चाहिए कि यूपीपीसीएल द्वारा शुद्ध बिल प्रदान किए जा रहे हैं और जनवरी 2005 के बिलिंग माह से प्रभावी एलएमवी-1 श्रेणी की नई अनुसूचित दर पर उनका भुगतान किया जा रहा है।

जीई बबीना द्वारा भुगतान किए गए विद्युत बिलों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि यूपीपीसीएल ने अशुद्ध अनुसूचित दरों (एलएमवी-4) पर बिल जारी किए थे तथा जीई जारी किए गए बिलों पर भुगतान करता रहा। जनवरी 2005 से अक्टूबर 2007 के मध्य जीई द्वारा प्रभारित दरों को सुनिश्चित किए बिना विद्युत बिलों के भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप

<sup>26</sup> एल.एम.वी. = लो मीडियम वोल्टेज



₹ 69.31 लाख का भुगतानाधिक्य हुआ। इसमें से ₹ 14.26 लाख बाद के बिलों में अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2008 तक समायोजित करते हुए ₹ 55.05 लाख का भुगतानाधिक्य असमायोजित रहा। जी.ई. ने ₹ 55.05 लाख के भुगतानाधिक्य की पुष्टि की जो दिसम्बर 2010 तक असमायोजित रहा।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2010 में संदर्भित किया गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

## मामला-II

जुलाई 2007 में मुख्य अभियंता (सीई) दक्षिणी कमान (एससी) ने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को यह इंगित करते हुए निर्देश जारी किए कि रिकार्ड्ड अधिकतम मांग का परीक्षण किया जाना है और यदि आवश्यक लगे तो वास्तविक उपभोग पर आधारित संविदागत-अधिकतम-मांग (सीएमडी) संशोधित की जा सकती है। ब्रीहन मुम्बई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बीईएसटी) प्रभार पुस्तिका सशर्त प्रस्तुति देती है कि मासिक बिलिंग-मांग अधोलिखित से अधिक होगी:

- 1) 0800 घण्टे से 2400 घण्टे के दौरान माह में रिकार्ड की गई वास्तविक अधिकतम-मांग।
- 2) संविदागत-मांग सीमा के बशर्ते गत ग्यारह महीनों के दौरान रिकार्ड की गई बिलिंग-मांग के उच्चतम का 75 प्रतिशत।
- 3) संविदागत-मांग का 50 प्रतिशत।

जैसा कि सहमति-पत्र में उल्लिखित है तथा अन्य लिखित पत्राचार के माध्यम से बीईएसटी तथा उपभोक्ता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर, संविदागत-मांग किलोवॉट (के डब्ल्यू) में मांग थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दुर्ग अभियंता (पश्चिमी) कोलाबा, मुम्बई दो विद्युत कनेक्शनों के लिए सीएमडी का आकलन तथा निर्धारण करने के आवश्यक कार्य में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ। मामले का विवरण निम्नवत् है:

जीई (डब्ल्यू) कोलाबा, उच्च तनाव (एचटी) के अधीन क्रमशः 1352.08 किलोवॉट (के डब्ल्यू) तथा 1796.38 के डब्ल्यू भार के दो विद्युत कनेक्शनों के संबंध में बीईएसटी मुम्बई से समग्र विद्युत आपूर्ति प्राप्त करता है।

नवम्बर 2006 से पूर्व बीईएसटी द्वारा कोई स्थाई/मांग प्रभार प्रभारित नहीं किए गए थे तथा माह में उपभोग की गई कुल इकाईयों के आधार पर विद्युत प्रभार प्रभारित होते थे। नवम्बर 2006 के उपरान्त बीईएसटी ने रिकार्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर स्थाई मांग प्रभार प्रभारित किए। अगस्त 2007 में बीईएसटी ने जी ई से मांग प्रभार करने के लिए इन दो कनेक्शनों के संबंध में सीएमडी इंगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, जीई ने जैसा कि सीई एससी द्वारा अनुदेशित था, पूर्व उपभोग के आधार पर आवश्यक अधिकतम मांग पर पहुंचने तथा आकलन करने की बजाए इसे संविदा-मांग में प्रविष्टि की संभावना की जाँच करने के लिए बीईएसटी पर ही छोड़ दिया।

अक्टूबर 2007 में बीईएसटी ने प्रारम्भ में संयोजन-भार के आधार पर सीएमडी 1352 के डब्ल्यू (1690 केवीए) तथा 1796 के डब्ल्यू (2245 केवीए) तथा इसके उपरान्त जनवरी 2008 में बीईएसटी ने एकपक्षीय रूप से दोनों कनेक्शनों के मामले में सीएमडी का उपरगामी संशोधन 2718.4 के डब्ल्यू (3398 केवीए) तक कर दिया ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2006 तथा सितम्बर 2007 के दौरान दोनों कनेक्शनों के लिए उच्चतम उपभोग 600.8 के डब्ल्यू (751 केवीए) तथा 826.4 के डब्ल्यू (1033 केवीए) मात्र ही था । इससे बढ़कर, अक्टूबर 2007 से फरवरी 2010 के दौरान इन दोनों ही कनेक्शनों के लिए वास्तविक मासिक उच्चतम विद्युत उपभोग स्तर क्रमशः 818.4 के डब्ल्यू (1023 केवीए) तथा 946.4 के डब्ल्यू (1183 केवीए) मात्र ही था जो की संविदित भार से बहुत कम है । लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के उपरांत जीई कोलाबा ने इन दो कनेक्शनों के संबंध में, अक्टूबर 2009 में मामला बीईएसटी के समक्ष सीएमडी 880 के डब्ल्यू (1100 केवीए) तथा 1040 के डब्ल्यू (1300 केवीए) पर निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किया जो मार्च 2010 में लागू किया गया । इसके पश्चात दिसम्बर 2009 से फरवरी 2010 के लिए विद्युत बिलों से ₹ 1.08 करोड़ में से ₹ 3.77 लाख की रकम समायोजित की गई थी ।

इस प्रकार जी ई द्वारा बीईएसटी को वास्तविक रूप से आकलित सीएमडी की सूचना न प्रदान करने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2007 से फरवरी 2010 तक ₹ 1.08 करोड़ का भुगतानाधिक्य हुआ । मंत्रालय ने दिसम्बर 2010 में स्वीकार किया कि जी ई संविदित-मांग का आकलन करने तथा निर्धारित करने में विफल रहा और सूचित किया कि सी ई बीईएसटी भुगतानाधिक्य की वापसी/समायोजन हेतु सहमत हो गया है ।



## अध्याय - V सीमा सड़क संगठन

### 5.1 एक पुल के ढह जाने के कारण हानि

एक सीमा सड़क कार्यदल द्वारा निर्माणाधीन एक पुल ढह जाने के कारण ₹ 1.30 करोड़ की हानि हुई। यद्यपि घटना मई 2008 में घटी, ढह जाने के सर्वाधिक सम्भावित कारणों के सुनिश्चियन हेतु एवं उपचारात्मक उपायों के सुझाव देने हेतु एक जांच न्यायालय का गठन 15 माह पश्चात् किया गया और इसके निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं दिसम्बर 2010 तक सक्षम प्राधिकारी के स्वीकरण हेतु प्रतीक्षारत थी।

महानिदेशक सीमा सड़क ने सितम्बर 2001 में मुख्यालय (एच क्यू) मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट सेवक को अनुदेशित किया कि विभागीय पुल निर्माण के मामले में सैन्टरिंग एवं शटरिंग के डिजाइन एवं ड्राईंग, प्रोजेक्ट एच क्यू द्वारा स्थल पर वास्तविक कार्यारम्भ से पूर्व स्वीकृत किए जाएंगे क्योंकि स्थाई पुलों के निर्माण में वे बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था का अंग हैं। सैन्टरिंग/शटरिंग के प्रावधान में कोई भी अनुपयुक्ता सरकारी सम्पत्ति एवं मानव जीवन के साथ-साथ निहित प्रयासों व समय की हानि का भय वहन करती है।

डीजीबीआर ने अगस्त 2004 में ₹ 1.46 करोड़ की अनुमानित लागत पर कोहिमा- जेसामी सड़क (एन एच -150) के सिदजू नाला में 39.4 किलामीटर पर पूर्व-दबाव के 35 मीटर स्पैन वाले कंक्रीट के स्थाई पुल तथा इसके साथ-साथ पहुँच मार्ग अपवर्नमेंट कार्यों के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की। कार्य मुख्य अभियंता (सी ई) प्रोजेक्ट, सेवक के क्षेत्राधिकार में था। सितम्बर 2005 में मार्च 2007 की सम्भाव्य संपादन दिवस के सहित 15 कार्यबल (टी एफ) के अधीन 89 आर सी सी<sup>27</sup> द्वारा विभागीयरूप से कार्यारम्भ हुआ। मई 2008 में, जब कार्य की भौतिक प्रगति 77 प्रतिशत थी, पुल का मूल ढांचा ढह गया। परिस्थितियाँ जिनके अधीन पुल ढह गया, की जांच करने के लिए सीई प्रोजेक्ट, जैसा की डीजीबीआर ने सलाह दी थी, जांच न्यायालय के गठन (सी.ओ.आई.) के स्थान पर, मई 2008 में तकनीकी अधिकारियों के बोर्ड (टी बी ओ) का गठन किया। टी बी ओ ने मूलढांचे को आश्रय देने हेतु निर्मित स्टेजिंग/शटरिंग की विफलता को ढांचे के ढह जाने का मुख्य कारण बताया। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी कर्मचारीगण भी 2001 में जारी डीजीबीआर के अनुदेशों से अपरिचित थे तथा पुल के सैन्टरिंग एवं शटरिंग के डिजाइन एवं ड्राईंग, सीई प्रोजेक्ट द्वारा स्थल पर कार्य संपादन से पूर्व स्वीकृत नहीं थे। टी बी ओ ने पुल के ढह जाने के कारण ₹ 1.30 करोड़ की हानि की गणना की लेकिन इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया।

पुल के ढह जाने के 15 माह उपरांत एच क्यू डीजीबीआर ने अगस्त 2009 में मूलढांचे के ढह जाने के कारणों की जांच करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु एक जांच न्यायालय (सी ओ आई) का आदेश दिया। यद्यपि सी ओ आई नवम्बर 2009 में आयोजित हुई और अपने निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं एच क्यू डीजीबीआर को प्रस्तुत कीं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिसम्बर 2010 तक सहमति नहीं हुई थी।

<sup>27</sup> आर.सी.सी. = रोड कान्सट्रक्शन कम्पनी

इस प्रकार सैन्टरिंग एवं शटरिंग के डिजाइन एवं ड्राईंग के अनुमति के संबंध में सीई प्रोजेक्ट द्वारा डीजीबीआर के अनुदेशों की अवहेलना तथा कार्यकारियों द्वारा कार्य के कार्यान्वयन के दौरान जांच व संतुलन के कार्यान्वयन की विफलता से न केवल राज्य के खजाने को ₹ 1.30 करोड़ की हानि हुई अपितु संस्वीकृत प्रोजेक्ट छः से भी अधिक वर्षों तक अपूर्ण रहा ।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2010 में संदर्भित किया गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था ।

## 5.2 संस्वीकृति के बारह वर्षों के उपरांत भी पुल की अपूर्णता

**₹ 3.54 करोड़ व्यय करने के बावजूद 12 वर्षों के उपरान्त उत्तराखण्ड में धौली गंगा नदी पर पुल पूर्ण नहीं किया जा सका ।**

अनुपयुक्त नियोजन एवं पर्यवेक्षण की परिणति ₹ 2.31 करोड़ की लागत पर विभागीय रूप से कार्यान्वित अबटमेंट कार्य के सम्पादन के 9 वर्षों के उपरांत एक पुल के अपूर्ण मूल ढांचे में हुई । मामले पर चर्चा अधोलिखित है:

महानिदेशक सीमा सड़क (डीजीबीआर) ने नवम्बर 1998 में ₹ 3.03 करोड़ की लागत पर बीच में खंभों के साथ विभागीय रूप से 80 मीटर के एक बड़े पुल के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की । पुल के दोनों ही अबटमेंटों<sup>28</sup> का कार्य मार्च 2000 में ₹ 2.31 करोड़ की लागत पर कैप-बीम स्तर तक विभागीय रूप से सम्पन्न किया गया। दोनों अबटमेंटों को शीर्ष स्तरों पर बियरिंग-कैप के मध्य 1.37 मीटर का अन्तर था, जो पुल के दो स्पैनों के मूल प्रस्ताव के कारण था। लेकिन, क्योंकि समस्या खंभों की नींव की खुदाई के दौरान देखी गई थी, डीजीबीआर ने जुलाई 2000 में निविदा के माध्यम से 75 मीटर स्पैन के एक लोहे के पुल के मूल ढांचे के स्लॉकन एवं निर्माण का निर्णय किया । विषयाधीन कार्य के कार्यान्वयन हेतु डीजीबीआर ने जनवरी 2001 में निविदाएं जारी की लेकिन उपरी फर्श तक पहुँचने में खड़ी ढलान से बचने के लिए कम किए गए स्तर (आर एल) में परिवर्तन के कारण एवं जैसा की मुख्य अभियंता, परियोजना (सी ई (पी)) द्वारा स्लॉकन में सुझाए गए, कम ऊँची निकासी की मंजूरी के कारण उसे रद्द करना पड़ा । डीजीबीआर ने सितम्बर 2001 में उलटे तल प्रकार के पुल के ढांचे को निर्णीत किया लेकिन जुलाई 2002 में तल के आर एल को संशोधित कर दिया । सितम्बर 2002 में पुनः निविदाएं आमंत्रित की गईं तथा दिसम्बर 2002 में खोली गईं एवं मैसर्स कुन्दन सिंह प्रेम सिंह जमनाल द्वारा ₹ 1.20 करोड़ की बोली न्यूनतम होने के कारण स्वीकृत की गई । मई 2003 में ठेका प्रदान किया गया। डीजीबीआर द्वारा स्लॉकन के अनुमोदन के उपरांत ठेकेदार को कार्य आरम्भ करना था तथा उसे दिसम्बर 2004 तक समाप्त करना था ।

ठेकेदार ने सी ई व अन्य को सितम्बर 2003 में सूचित किया कि पुल के मूल ढांचे पर कार्य उसके द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए गये ड्राईंग की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रारम्भ किया जाएगा । डीजीबीआर ने सितम्बर 2004 में स्लॉकन एवं ड्राईंग को अनुमोदन प्रदान किया। ठेकेदार को जुलाई 2004 तथा जनवरी 2006 के मध्य ₹ 0.90 करोड़ का भुगतान

<sup>28</sup> पुल के मूल ढाँचे के अंतिम छोर को अबटमेंट सपोर्ट करता है।



किया गया। यह देखा गया कि नवम्बर 2007 में एक निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण कम्पनी (बीसीसी) के कमान अधिकारी द्वारा बियरिंग प्लेट की अव्यवहारिकता को इंगित किए जाने से पूर्व सामान्य आरक्षित अभियंता दल (जी आर ई एफ) के बी सी सी द्वारा कार्य में कोई कमी नहीं पाई गई। ठेकेदार को कहा गया कि वह उस अव्यवहारिकता का दोष निवारण करे और दोष निवारण से पूर्व कार्य को आगे न बढ़ाए। अगस्त 2008 में तथ्यों का आकलन करने के लिए आयोजित एक अधिकारी मंडल ने पाया कि निर्मित ढांचा सुरक्षित नहीं प्रतीत होता था। सितम्बर 2008 तथा मार्च 2009 में ध्यानाकर्षित करवाने के बावजूद ठेकेदार ने दोष निवारण नहीं किए। अप्रैल 2009 में टास्क फोर्स मुख्यालय की अनुसंशाओं पर सी ई (पी) ने दोषी ठेकेदार के जोखिम व लागत पर संविदा को निरस्त कर दिया।

नवम्बर 2009 में आयोजित तकनीकी अधिकारियों के मंडल (टीबीओ) ने अनुसंशित किया कि पुल का मूल ढांचा पूरी तरह हटा दिया जाए और नया मूल ढांचा खड़ा किया जाए। इन अनुसंशाओं से सी ई (पी) सहमत हुआ तथा फरवरी 2010 में टी बी ओ की कार्यवाही सहित इन्हें डी जी बी आर को उसके निर्णय हेतु भेज दिया जो अप्रैल 2010 तक प्रतीक्षित था। जनवरी 2010 तक ठेकेदार को भुगतान किए गए ₹ 0.90 करोड़ सहित कुल ₹ 3.54 करोड़ का व्यय लेखाबद्ध हो चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डी जी बी आर ने अक्टूबर 2010 में उत्तर दिया कि दोषी ठेकेदार के जोखिम/लागत पर एक संविदा निर्णीत की जाएगी तथा संविदा/क्षतिपूर्ति दावा दोषी से वसूला जाएगा।

तथ्य यह है कि पुल जिसके लिए डीजीबीआर ने 1998 में संस्वीकृति प्रदान की थी बारह वर्षों के उपरांत भी पूरा नहीं किया जा सका। अभी भी इस प्रतिवेदन के एक पैराग्राफ 5.1 में व्यक्त एक अन्य मामले में निर्माणाधीन पुल उस समय ढह गया जब लगभग 77 प्रतिशत कार्य किया जा चुका था। ये सामरिक महत्व के क्षेत्रों में आवश्यक पुलों के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी की बुरी गुणवत्ता की बुरी स्थिति को दर्शाते हैं। समय पर पुलों के निर्माण न होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की आवश्यकता है।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2010 में संदर्भित किया गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

### 5.3 कोर ड्रिलिंग मशीन की परिहार्य अधिप्राप्ति

यद्यपि मुख्य अभियंताओं की ओर से कोई मांग नहीं थी, महानिदेशक सीमा सड़क ने 5 प्रोजेक्ट मुख्य अभियंताओं हेतु आठ कोर ड्रिलिंग मशीनों की अधिप्राप्ति की। अतिरिक्त पुर्जों सहित ₹ 1.81 करोड़ मूल्य की मशीनों में से किसी भी मशीन का नीहित उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं हो सका।

मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के लिए 60 मीटर की गहराई तक सुराख करने की क्षमता वाली कोर ड्रिलिंग मशीन (सीडीएम) मुख्यतः पुल निर्माण हेतु प्रयुक्त होती है। यह बताया गया कि आठ मिट्टी जांच अनुभाग ईकाइयों (एस आई एस) के प्राधिकरणों की कमी को पूरा करने के लिए, महानिदेशक सीमा सड़क (डीजीबीआर) ने मैसर्स एमिल लिमिटेड, नई दिल्ली को दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य, 5 प्रोजेक्ट मुख्य अभियंताओं (सी.ई. प्रोजेक्ट) के

लिए ₹ 1.81 करोड़ की कुल लागत पर अतिरिक्त पुर्जों सहित 8 सीडीएमो की आपूर्ति हेतु निम्नानुसार तीन आपूर्ति आदेश जारी किये:-

क्रम सं०	आपूर्ति आदेश का दिनांक	मात्रा	वितरण	आपूर्ति आदेश की रकम (₹लाख में)
1	30 दिसम्बर 2006	4	सी.ई. (पी) बीकन - । सी.ई. (पी) सम्पर्क- । सी.ई. (पी) हिमांक - । सी.ई. (पी) हीरक- ।	90.00
2	14 मार्च 2007	2	सी.ई. (पी) बीकन 2	45.58
3	28 मार्च 2007	2	सी.ई. (पी) सम्पर्क- । सी.ई. (पी) दंतक - ।	45.90
	कुल	8		181.48

कहा जा सकता है: ₹ 1.81 करोड़

आपूर्ति आदेशों की शर्तों के अनुसार 90 प्रतिशत भुगतान आपूर्ति पर तथा शेष 10 प्रतिशत संयंत्र की संतोषजनक स्थापना के उपरांत किया जाना था । सीडीएमों की प्राप्ति, स्थापना तथा उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:

आपूर्ति आदेश का दिनांक	सी.ई. (पी) का नाम एवं मात्रा	प्राप्ति का दिनांक	स्थापना का दिनांक	उपयोग की वर्तमान स्थिति (घण्टों में )
30.12.2006	सी.ई. (पी) हिमांक - । सी.ई. (पी) बीकन - । सी.ई. (पी)सम्पर्क- । सी.ई. (पी) हीरक- ।	25.10.2007 25.10.2007 25.10.2007 24.10.2007	स्थापित नहीं 03.7.2010 12.9.2009 19.5.2008	शून्य 04 14 50.50
14.03.2007	सी.ई. (पी)बीकन 2	29.03.2008	1.7.2010 3.7.2010	05 09
28.03.2007	सी.ई. (पी) सम्पर्क- । सी.ई. (पी)दंतक - ।	29.03.2008 30.03.2008	12.09.2009 स्थापित नहीं	09 शून्य

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीडीएमों की अधिप्राप्ति से पूर्व डीजीबीआर द्वारा सीईज/टास्क फोर्सेस की वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं किया गया था जैसा कि अधोलिखित है:

- अक्टूबर 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य सी.ई. (पी) बीकन में प्राप्त तीन सीडीएम केवल जुलाई 2010 में स्थापित हुईं तथा उनकी स्थापना के दिन से जनवरी 2011 तक मात्र 4 से 9 घण्टों तक चलीं । सी.ई. (पी)बीकन के अधीन तीन टास्क फोर्स मुख्यालयों (टी एफ एचक्यू) जिनमें से प्रत्येक को एक सीडीएम जारी की गई थी, ने सी.ई. (पी) को जनवरी 2008 तथा अप्रैल 2009 में सूचित किया कि उनको सीडीएम की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पुल निर्माण कार्य संविदा के माध्यम से किया जा रहा था । अतः सीडीएम को फालतू घोषित किया गया था ।



- अक्टूबर 2007 तथा मार्च 2008 में सी.ई. (पी) सम्पर्क द्वारा प्राप्त दो सीडीएम, सितम्बर 2009 में ही स्थापित हो पाईं तथा जनवरी 2011 तक 9 से 14 घण्टों के लिए ही प्रयुक्त हुईं ।
- मार्च 2008 में सी.ई. (पी) दंतक द्वारा प्राप्त एक सीडीएम जनवरी 2011 तक स्थापित नहीं की जा सकी ।
- अक्टूबर 2007 में सी.ई. (पी) हीरक द्वारा प्राप्त एक सीडीएम, अगस्त 2009 में फालतू घोषित की गई ।
- अक्टूबर 2007 में सी.ई. (पी) हिमांक द्वारा प्राप्त एक सीडीएम जून 2008 में फालतू घोषित की गई और इस लिए अगस्त 2008 में इसे सी.ई. (पी) वर्तक (अब सी.ई. (पी) अरुणक) के अधीन टास्क फोर्स के लिए हस्तांतरित कर दिया गया, जो जनवरी 2011 तक भी स्थापित नहीं की जा सकी ।

इस प्रकार पांच सी.ई. (पी) हेतु अधिप्राप्त आठ सीडीएमज अनावश्यक थीं तथा गत तीन वर्षों से निहित उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं की जा सकीं, जिसकी परिणति ₹ 1.81 करोड़ के निरर्थक व्यय में हुई ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2010 में संदर्भित किया गया, उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतिक्रिया था।

## अध्याय - VI रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

### 6.1 अनुपयोगी भूमि को लेने के कारण लोकधन का अवरुद्ध होना

डी.आर.डी.ओ. द्वारा ₹ 73.26 करोड़ की लागत की वन भूमि को अधिग्रहण करने का अविवेकपूर्ण निर्णय जिसको वन प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, न केवल परियोजना के पूरा होने में देरी हुई बल्कि सरकारी धन अवरुद्ध हुआ क्योंकि भूमि परियोजना के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी।

जून 2003 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) को ₹ 97.40 करोड़ की लागत से “वाहन माउन्टीड ऊर्जा प्रणाली के विकास” के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना को जून 2010 तक पूरा किया जाना था। एक “एकीकरण और परीक्षण सुविधा” परीक्षण करने के प्रयोजन से लगभग 700 एकड़ भूमि का विशाल क्षेत्र परियोजना के तहत बनाई जानी थी।

फरवरी 2004 में डी.आर.डी.ओ. ने इस सुविधा के लिए फरीदाबाद में 700 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की। अगस्त 2005 में आवश्यकता बढ़ाकर 1100 एकड़ कर दिया गया था। पहचान की गई भूमि फरीदाबाद नगर निगम से संबंधित थी जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत थी जोकि पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 (पी.एल.पी.ए.) की धारा 4 के अन्तर्गत अगस्त 1992 से हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित थी जिस पर भवनों का निर्माण निषिद्ध था। डी.आर.डी.ओ. ने वन संरक्षक, हरियाणा से वन भूमि को गैर वन के इस्तेमाल के लिए की जानी वाली औपचारिकताओं और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में पूछा। वन संरक्षक, हरियाणा ने नवम्बर 2005 में सूचित किया कि कुल प्रस्तावित भूमि 1104 एकड़ में से, 1091 एकड़ भूमि वन भूमि थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि अपने 18.03.2004 के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पी.एल.पी.ए. 1900 की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित भूमि को वन माना जाएगा और इस भूमि का गैर वन के लिए विचलन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का आह्वान होगा जिसके तहत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना इस भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

इसके बावजूद, हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में पुनर्विचार कर डी.आर.डी.ओ. को फरीदाबाद में ₹ 18 लाख प्रति एकड़ की दर से 1100 एकड़ वन भूमि की पेशकश की। डी.आर.डी.ओ. ने मई 2007 में भूमि की आवश्यकता को कम कर 407 एकड़ कर दिया। जुलाई 2007 में, आयुक्त, फरीदाबाद नगर निगम ने डी.आर.डी.ओ. को सूचित किया कि हरियाणा सरकार ने डी.आर.डी.ओ. को ₹ 18 लाख प्रति एकड़ की दर से 407 एकड़ भूमि के आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी इस शर्त के साथ दी है कि डी.आर.डी.ओ. वन विभाग से पी.एल.पी.ए. 1900 के दायरे से भूमि के अधिसूचना रद्दीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

वन विभाग की लंबित मंजूरी के बावजूद, डी.आर.डी.ओ. ने अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2008 तक राज्य सरकार को तीन किस्तों में ₹ 73.26 करोड़ का भुगतान कर दिया तथा अप्रैल 2008 में भूमि पर कब्जा ले लिया। जून 2008 में वन विभाग, हरियाणा ने डी.आर.डी.ओ. को



केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी.ई.सी.) से भूमि के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेने के लिए सूचित किया।

डी.आर.डी.ओ. को आबंटित 407 एकड़ भूमि का गैर-वानिकी उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए डी.आर.डी.ओ. की ओर से मैसर्स आर.डी. सलाहकार द्वारा एक आवेदन दायर करने पर सी.ई.सी. ने अगस्त 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायालय के आदेश हेतु एक रिपोर्ट दायर की। सी.ई.सी. की सिफारिश थी कि डी.आर.डी.ओ. द्वारा केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। सी.ई.सी. ने यह भी सिफारिश की कि हरियाणा सरकार के साथ डी.आर.डी.ओ. द्वारा संयुक्त रूप से पहचान की गई वैकल्पिक भूमि को डी.आर.डी.ओ. द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है और राज्य सरकार को वैकल्पिक पहचान की गई भूमि को प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। हालांकि डी.आर.डी.ओ. को वैकल्पिक भूमि अभी भी मिलनी बाकी है।

इस बीच, दिसम्बर 2008 में इस परियोजना के सर्वोच्च समीक्षा बोर्ड ने ₹ 38 करोड़ की लागत से बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के साथ टर्मिनल प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (टी.बी.आर.एल.) रामगढ़ का उपयोग करने का निर्देश दिया क्योंकि फरीदाबाद परीक्षण रेंज तैयार नहीं था। मुख्य परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि को जून 2010 से जून 2013 तक बढ़ा दिया गया।

डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय ने कहा कि प्रणाली का परीक्षण करने के लिए परीक्षण रेंज की योजना फरीदाबाद में थी लेकिन अधिग्रहित भूमि की सी.ई.सी. द्वारा गैर-मंजूरी के मद्देनजर उपयोग नहीं की जा सकी। टी.बी.आर.एल. रामगढ़ को वैकल्पिक साइट के रूप में चुना गया था तथा परीक्षण के लिए इस भूमि पर स्थायी सुविधायें लाने के लिए विकास लागत लगभग ₹ 38 करोड़ आनी थी जिसके लिए मंजूरी अप्रैल 2010 तक प्रक्रिया के तहत थी।

यह तथ्य कि संबंधित भूमि पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत थी और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वन भूमि का गैर-वन प्रयोजन के लिए उपयोग निषिद्ध था, अच्छी तरह से ज्ञात था। इस प्रकार राज्य सरकार से संबंधित भूमि प्राप्त करने का डी.आर.डी.ओ. का फैसला जिसका सुविधा निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था अविवेकपूर्ण था क्योंकि सी.ई.सी. ने वन प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया परिणामस्वरूप ₹ 73.26 करोड़ के सरकारी पैसे की रूकावट हुई।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2010 में कहा कि अतीत के अनुभव के साथ, संबंधित भूमि पर निर्माण करने के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए डी.आर.डी.ओ. को आत्मविश्वास और यकीन था। लेकिन सी.ई.सी. द्वारा गैर-वन उपयोग के लिए विचलन का मामला स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि क्षेत्र दो झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में पड़ता था जोकि भूमिगत पानी और झील के पानी के प्रवाह और अरावली रेंज पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव डालती। ₹ 73.26 करोड़ की वापसी के लिए मामले की पहले ही सी.ई.सी. द्वारा सिफारिश की गई थी और 22 सितम्बर 2010 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अग्रेषित किया जा चुका था। तथ्य यह है कि ₹ 73.26 करोड़ की राशि का रक्षा अनुदान से अक्टूबर 2007-अप्रैल 2008 के दौरान किया गया भुगतान राज्य सरकार के पास अवरुद्ध बना रहा जिससे कि बचा जा सकता था, यदि डी.आर.डी.ओ. ने पहले से संभावित कानूनी निहितार्थ की जाँच की होती।

## 6.2 परियोजना के बंद होने या अंत में उपकरणों की खरीद/प्राप्ति

रक्षा सामग्री और भण्डार अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डी.एम.एस.आर.डी.ई.) ने परियोजना के तकनीकी रूप से पूरा होने या परियोजना के अंत में ₹1.52 करोड़ मूल्य के उपकरणों की खरीद की। परियोजना डी.एम.एस.आर.डी.ई. तथा अन्य प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं के साथ पूरी की गई। इससे सिद्ध होता है कि यह खरीद परिहार्य थी।

फरवरी 2005 में रक्षा मंत्रालय ने ₹ 8.50 करोड़ की अनुमानित लागत से “नई पीढ़ी पॉलिमर के विकास” पर एक परियोजना (डी.आर.एम. 546) को फरवरी 2010 तक पूरा करने की मंजूरी दी। परियोजना तकनीकी रूप से दिसम्बर 2009 में पूरी हो गई थी और समाप्ति रिपोर्ट फरवरी 2010 में ₹ 6.13 करोड़ मूल्य जिसमें ₹ 2.83 करोड़ मूल्य की मशीनरी और उपकरणों की खरीद शामिल थी, प्रस्तुत की गई थी।

लेखापरीक्षा जाँच में दर्शाया गया कि डी.एम.एस.आर.डी.ई. ने ₹ 1.15 करोड़ मूल्य के उपकरणों को परियोजना के तकनीकी रूप से पूरा होने अर्थात् दिसम्बर 2009 के बाद और ₹ 0.37 करोड़ मूल्य के उपकरण परियोजना के अंत में खरीदे/प्राप्त किये। यह डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय का निर्देश जोकि डी.एम.एस.आर.डी.ई. कानपुर को अक्टूबर 2004 में दिया गया था का उल्लंघन था जिसमें कि उपकरणों की खरीद परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख से कम से कम छः महीने पहले तक की जानी थी जिससे कि इनका उपयोग डाटा के उत्पादन में या परिणाम जिसकी इनसे अपेक्षा की गई थी, में हो सके। पाँच उपकरणों की खरीद में लिया गया समय अर्थात् प्रयोक्ता की माँग से आपूर्ति आदेश में लिया गया समय 72 सप्ताह से 142 सप्ताह था जोकि रक्षा खरीद मैनुअल 2005 में निर्धारित समय 26 सप्ताह के विपरित था।

लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में डी.एम.एस.आर.डी.ई. ने स्पष्ट किया कि प्रयोगशाला (डी.एम.एस.आर.डी.ई.), आई.आई.टी. कानपुर और अन्य आर.एण्ड डी. प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं का इस परियोजना के लिए उपयोग किया गया था और इसलिए परियोजना उपकरणों के बिना पूरी हो सकी। परियोजना के तहत खरीदे गए उपकरणों को परियोजना के पूरा होने के बाद भी अन्य चल रही परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा रहा था जोकि भविष्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक है।

जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इन विशेष मामलों में खरीद में देशी ज्यादातर परिस्थितिजन्य थी अर्थात् कुछ मामलों का दो बार पुनः जारी करना, परिणामस्वरूप एकल टेण्डर के मामलों में परिवर्तन आदि। ये बुनियादी उपकरण जिनका लगभग 15 वर्ष का जीवनकाल है नियमित रूप से अनुसंधान कार्य करने के लिए आवश्यक था और जिसका इस परियोजना के पूरा होने के बाद भी उपयोग किया जा रहा था। परियोजना के दौरान पैसे के लिए मूल्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ। खरीद में देशी को दूर करने के लिए, जुलाई 2010 में वित्तीय शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए एक नई अनुसूची जारी की गई थी जिसमें परियोजना निदेशकों/प्रयोगशाला निदेशकों के लिए खरीद की अधिक शक्ति प्रदान की गई थी।

इस तथ्य का कि बुनियादी उपकरण होने के कारण इन उपकरणों का नियमित आर.एण्ड डी. गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, परियोजना को पूरा होने के बाद इनको खरीदे जाने का कोई औचित्य नहीं है। जब आवश्यक हो इनको निर्माण अनुदान से खरीदा जा सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना के लिए अनुमानित लागत अत्यधिक



अतिशयोक्तिपूर्ण थी क्योंकि परियोजना ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के उपकरणों के बिना भी पूरी हो सकती थी। खरीद में असामान्य देरी को दूर करने के लिए, खरीद की व्यवस्था में अंतर्निहित कमजोरियों को भी अवश्य देखने की आवश्यकता है।

### 6.3 अपेक्षित विनिर्देश के नीचे एक माड्यूलर ब्रिज का विकास

माड्यूलर ब्रिज के स्टेटमेंट ऑफ केस में सिफारिश किए गए विनिर्देशों के तहत परियोजना का गैर निष्पादन जिसके आधार पर मंजूरी दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 21.46 करोड़ की सम्पत्तियों का अपव्यय हुआ क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने ब्रिज को स्वीकार नहीं किया।

अगस्त 2002 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (इंजीनियर्स) (आर.एण्ड डी.ई.) (ई) द्वारा माड्यूलर ब्रिज पर एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। अध्ययन 1993 के जनरल स्टाफ नीति कथन (जी.एस.पी.एस.) में सेवा द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर किया गया था। ब्रिज की मुख्य विशेषता 46 मीटर चौड़ी एकल के साथ सैन्य लोड श्रेणी 70 (एम.एल.सी.70) थी। माड्यूलर ब्रिज 46 मीटर के साथ एम.एल.सी.70 के लिए स्टेटमेंट आफ केस में दी गई सिफारिशों के आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2002 में ₹ 24.25 करोड़ की कुल लागत के परियोजना के निष्पादन के लिए मंजूरी दी। आर.एण्ड डी.ई. (ई) द्वारा कार्य को परियोजना के आबंटन के चार वर्षों के भीतर अर्थात् अक्टूबर 2006 तक पूरा किया जाना था।

मई 2006 में, आर.एण्ड डी.ई. (ई) ने निष्पादन में तकनीकी कठिनाई के कारण परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि (पी.डी.सी.) को दो वर्षों के लिए अर्थात् अक्टूबर 2008 तक के विस्तार की माँग की। मंत्रालय ने अक्टूबर 2008 तक विस्तार के लिए स्वीकृति दे दी। अक्टूबर 2007 में आर.एण्ड डी.ई. (ई) ने 46 मीटर चौड़ी और एम.एल.सी. 70 ब्रिज के विरुद्ध, 20 मीटर ब्रिज 40 एम.एल.सी. के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुख्यालय को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जोकि उपयोगकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं था और इस तरह मार्च 2008 में ई-इन-सी शाखा ने डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय के व्यापार के लिए सेवाओं के सहभागिता निदेशालय (डी.आई.एस.बी.) से परिचालन की कमी को भरने के लिए ₹ 600 करोड़ की लागत पर 10 माड्यूलर ब्रिज (ग्लोबल खरीद) के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि आर.एण्ड डी.ई. (ई) अपेक्षित विनिर्देशित ब्रिज का विकास नहीं कर सकी। फिर से परियोजना के पी.डी.सी. को दो चरणों में अर्थात् दिसम्बर 2009 तक के लिए संशोधित किया गया।

इस समय के दौरान आर.एण्ड डी.ई. (ई) ने 40 मीटर एम.एल.सी.70 माड्यूलर ब्रिज का विकास किया और तकनीकी परीक्षण जनवरी 2008 से दिसम्बर 2009 तक आयोजित किया गया और ब्रिज यातायात के लिए तैयार पाया गया लेकिन उपयोगकर्ताओं की 46 मीटर एम.एल.सी.70 की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था। आर.एण्ड डी.ई. (ई) ने पुष्टि की कि माड्यूलर ब्रिज के विकास का तकनीकी ज्ञान भविष्य में विकास के लिए उपयोगी रहेगा।

मार्च 2010 में आर.एण्ड डी.ई. (ई) ने डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय को परियोजना के बंद होने की रिपोर्ट पेश की और ₹ 21.46 करोड़ का व्यय होने के बाद परियोजना इस प्रस्ताव के साथ बंद कर दी कि सितम्बर 2007 में जारी जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता (जी.एस.क्यू.आर.) की आवश्यकता को 46 मीटर एम.एल.सी.70 ब्रिज के विकास के साथ पूरा किया जाएगा।

इसलिए जनवरी 2010 में एक अन्य परियोजना जिसकी कुल लागत ₹ 13.25 करोड़ थी 46 मीटर एम.एल.सी.70 ब्रिज जोकि जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार, माड्यूलर ब्रिज 46 मीटर एम.एल.सी.70 के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में दिए गए विनिर्देशनों का पालन करने के बजाय, आर.एण्ड डी.ई.(ई) पुणे ने 40 मीटर एम.एल.सी.70 ब्रिज का विकास किया जिसकी उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता नहीं थी। 40 मीटर एम.एल.सी.70 के माड्यूलर ब्रिज के विकास के अंत में परिणाम था कि ₹ 17.89 करोड़ का व्यय करने के बाद भी जिसमें से पाँच वाहक वाहनों की लागत जिन्हें अगली परियोजना में इस्तेमाल किया जा रहा था को छोड़ दिया गया था, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका।

फरवरी 2011 में मंत्रालय ने कहा है कि व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार माड्यूलर ब्रिज एम.एल.सी.70 के लिए अनुमान किया गया था लेकिन बाद में उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर अगस्त 2002 में हुई तिमाही बातचीत और दिसम्बर 2002 में उपयोगकर्ता द्वारा बनाये गये स्पष्टीकरण पर इसे बदल दिया गया था। ब्रिज एम.एल.सी.70 का भार 40 मीटर तक ले जा सकता है। क्योंकि सिस्टम का विकास किया जाना था जिसमें उच्च गतिशील वाहन जो उस समय टाटरा 8x8 थे सेवा में थे, लॉचिंग के समय वजन समस्याओं का सामना करने के लिए केवल एम.एल.सी.40 ही संभव था। जबकि एम.एल.सी. 40 का विकास अग्रिम चरण में था 46 मीटर एम.एल.सी.70 की आवश्यकता का अनुमान जून 2007 में जारी अंतिम जी.एस.क्यू.आर. में किया गया था। इस बीच में, टाटरा 10x10 वाहन भी सेवा में शामिल हो चुका था और डी.आर.डी.ओ. 10x10 टाटरा वाहन पर 46 एम. 70 एम.एल.सी. पद्धति के विकास के प्रति आश्वस्त था। उपयोगकर्ता (ई-इन-सी) से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण लेने के बाद कहा गया कि उनकी आवश्यकता 46 मीटर एम.एल.सी.70 के लिए ही थी लेकिन ब्रिज का भार श्रेणी 46 एम के लिए एम.एल.सी.40 स्पान और एम.एल.सी.70, 38 एम स्पान तकनीकी सीमा की वजह से संभव हो सकता है। मंत्रालय का उत्तर और उपयोगकर्ता का स्पष्टीकरण दोनों ही 46 मीटर एम.एल.सी.70 ब्रिज के विकास के लिए तकनीकी सीमा को व्यक्त करते हैं।

मामले का विवरण, मंत्रालय का उत्तर और उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि दोनों उपयोगकर्ता और डी.आर.डी.ओ. जानते थे कि ब्रिज 40 मी. एम.एल.सी. 70/46 मी. एम.एल.सी.40 के लिए बनाया जा रहा था। इसके अलावा डी.आर.डी.ओ. 46 मी. एम.एल.सी. 70 के ब्रिज के निर्माण के लिए अपनी सीमाएं थीं यद्यपि दोनों उपयोगकर्ता और डिजाइनर परियोजना की सीमाओं के बारे में जानते थे, दोनों में से किसी ने भी परियोजना को पहले ही बंद करने के लिए पहल नहीं की। परिणामस्वरूप ₹ 17.89 करोड़ का सरकारी खर्च करने के बाद जिसमें अगले परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहक वाहनों की लागत शामिल नहीं है, उपयोगकर्ताओं की माड्यूलर ब्रिज की आवश्यकता नौ वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद भी अधूरी है।



## अध्याय - VII सशस्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना में परियोजना प्रबंधन

पिछले 15 वर्षों के दौरान रक्षा बलों द्वारा माँगे गए उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु हाथ में ली गई स्टाफ परियोजनाओं को अलग-अलग सफलता मिली। लेखापरीक्षा में जाँची गई 46 परियोजनाओं में से केवल 13 ही उत्पादन के अन्तर्गत गईं, जबकि शेष में या तो कोई भी उत्पादन वाँछित नहीं था या फिर सफलता के दावों को लेखापरीक्षा में साबित नहीं किया जा सका। परियोजनाओं को बिना सामान्य स्टाफ गुणवत्ता आवश्यकताओं (जी.एस.क्यू.आर.) के आरम्भ किया गया। प्रयोक्ताओं द्वारा क्यू.आर्स में बार-बार बदलाव करने, सीमा से अत्याधिक समय लगने ने भी परियोजना सुपुर्दगियों के गैर-फलीभूत होने में योगदान दिया और आखिरकार बहुत से मामलों में इसका परिणाम मर्दों के आयात में हुआ।

### 7.1 परिचय

शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना, पुणे (ए.आर.डी.ई.), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) की एक प्रयोगशाला है जो परंपरागत शस्त्रास्त्र प्रणालियों तथा इनसे जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए उत्तरदायी है। पिछले पांच दशकों के दौरान ए.आर.डी.ई. के प्रयासों के कारण 5.56 एम.एम. इंडियन स्माल आर्म्स सिस्टम राईफल, हल्की मशीन गन तथा गोलाबारूद, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर सिस्टम, मेन बैटल टैंक अर्जुन का शस्त्रास्त्र, हल्के लड़ाकू विमान एवं एच.जे.टी.36 प्रशिक्षक विमानों के लिए कैनापि सिवियरेंस सिस्टम, आदि जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण शस्त्र प्रणालियाँ सेनाओं में सम्मिलित की गईं।

ए.आर.डी.ई, डी.आर.डी.ओ. की अन्य प्रयोगशालाओं की तरह परियोजनाओं की मुख्यतः दो श्रेणियों को अर्थात् स्टाफ परियोजनाएं तथा प्रौद्योगिकीय विकास परियोजनाएं स्वीकार करती है। स्टाफ परियोजनाएं प्रयोक्ता संगठनों-मुख्यतया सेनाओं की विशिष्ट माँगों के आधार पर स्वीकार की जाती हैं। इनका प्रयोक्ताओं<sup>29</sup> द्वारा सामान्य स्टाफ गुणवत्ता आवश्यकताओं (जी.एस.क्यू.आर.) की शर्तों के अनुसार उचित रूप से परिभाषित आवश्यकताओं के आधार पर होना अपेक्षित होता है। इन परियोजनाओं में प्रायः वे वस्तुएं शामिल होती हैं जिनको एक विशेष रूप से निर्दिष्ट समयागत ढाँचे के अन्दर-अन्दर सेवा में शामिल किया जाना होता है। दूसरी श्रेणी की परियोजनाओं, को जो भिन्न रूप से प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन (टी.डी.)/अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड डी.)/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस.एण्ड टी.)/ढाँचा विकास परियोजनाएं होती हैं, अनुसंधान के एक दिए गए क्षेत्र में सामान्य सक्षमता-निर्माण हेतु अथवा स्टाफ परियोजनाओं में से उपजी विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकार किया जाता है। टी.डी. परियोजनाओं की योजना उन प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने के लिए बनाई जाती है जिनको भविष्य में प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के आधार पर स्टाफ परियोजनाओं में लागू किया जाना है।

#### 7.1.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्तमान प्रतिवेदन परियोजना प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रयोगशाला द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं के लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक मूल्यांकन का परिणाम है। पुनरीक्षा के लिए

<sup>29</sup> उपयोगकर्ता है थलसेना, वायुसेना एवं नौसेना

स्टाफ परियोजनाओं को लिया गया था। यह आंकलन करने के लिए कि क्या ऐसी परियोजनाएं वांछित वस्तुएं प्रदान करने के बाद बंद की गई थी, लेखापरीक्षा द्वारा केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें बंद किया जा चुका है। जारी परियोजनाओं के मामले में ऐसा आंकलन नहीं किया जा सकता है तथा इसीलिए उन पर लेखापरीक्षा में विचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्तमान पुनरीक्षा, प्रयोगशाला द्वारा यह जाँचने के लिए कि क्या परियोजनाओं में परिकल्पित वांछित वस्तु निर्धारित समय तथा लागत ढाँचे के अन्दर प्राप्त की गई थी, ली गई परियोजनाओं की जाँच करती है। प्रयोगशाला द्वारा ली गई परियोजनाओं की सफलता को मापने के प्रति एक साफ और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए, 55 (46 बंद तथा शेष जारी) स्टाफ परियोजनाओं, जिनका मूल्य ₹ 387.35 करोड़ था, की जाँच की गई थी।

गोलाबारूद के आयात के लिए, प्रयोक्ताओं से संबंधित मुद्दों की इनफैंट्री महानिदेशालय, आर्टिलरी, प्रमुख अभियन्ता शाखा (ई-इन-सी) तथा महानिदेशक आयुध सेवाएं (डी.जी.ओ.एस.) में जाँच की गई थी। संबंधित प्रयोक्ता निदेशालयों, डी.जी.ओ.एस. तथा ई-इन-सी शाखा के उत्तरों को जैसे और जहाँ भी लागू करने योग्य पाया गया, समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

### 7.1.2 परियोजनाओं की सफलता निर्धारित करने की कसौटियाँ

स्टाफ परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं होना चाहिए जिन्हें डी.आर.डी.ओ. द्वारा क्यू.आर. की शर्तों के अनुसार उचित रूप से परिभाषित प्रयोक्ता आवश्यकताओं, वांछित वस्तुओं और समय ढाँचे के आधार पर लिया गया हो। सफल स्टाफ परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा परियोजना के बाद के उत्पादन क्रियाकलाप शामिल होते हैं। एक स्टाफ परियोजना को केवल तभी सफल समझा जा सकता है जब उपकरणों के रूप में वांछित उत्पाद अथवा प्रणालियों को संतोषजनक प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद प्रयोक्ताओं द्वारा सेवा में सम्मिलित करने हेतु स्वीकार कर लिया जाता है, जिसका परिणाम उनके बृहद उत्पादन के रूप में होता है।

## 7.2 स्टाफ परियोजनाएं

### 7.2.1 स्टाफ परियोजनाओं के परिणामों के उत्पादन एवं समावेश का अभाव

55 स्टाफ परियोजनाओं में से 46 परियोजनाएं पहले ही बंद हो चुकी थी तथा शेष नौ फरवरी 2011 तक जारी थीं। इन 46 बंद परियोजनाओं में से ₹ 67.83 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई, केवल 13 परियोजनाएं ही उत्पादन के तहत गईं।

मंत्रालय ने 31 परियोजनाओं के सफल होने का दावा किया। तथापि, मंत्रालय के दावे इन परियोजनाओं की सफलता की बाबत डी.आर.डी.ओ. के एक तरफा दावों पर आधारित थे। बहुत से मामलों में मंत्रालय ने दावा किया था कि प्रयोक्ताओं ने कोई मांग नहीं रखी थी या कोई उत्पादन शामिल नहीं था। कुछ एक मामलों में इसने दावा किया कि विकास गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण हुआ था परन्तु प्रयोक्ताओं ने बाद में गुणवत्ता मानदंड परिवर्तित कर दिए थे। ब्यौरा नीचे दिया गया है:



क्रम सं.	परियोजना की श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	लेखापरीक्षा की अभियुक्तियाँ
1.	सफलतापूर्वक पूर्ण हुई परियोजनाएं जिनमें उत्पादन आरम्भ हुआ	13	कोई अभियुक्तियां नहीं
2.	(i) परियोजनाएं मूल जी.एस.क्यू.आर. के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। यद्यपि उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि प्रयोक्ताओं द्वारा कोई आवश्यकता परियोजित नहीं थी।  (ii) परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हुई परन्तु जी.एस.क्यू.आर. परिवर्तित कर दिया गया और प्रयोक्ता द्वारा उत्पादन के लिए कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।	06  02	परियोजनाओं को लेखापरीक्षा द्वारा असफल माना गया चूँकि स्टाफ परियोजनाओं का परिणाम सेना को वांछित वस्तु सौंपे जाने में नहीं हुआ।
3.	परियोजनाएं पूर्ण हुई परन्तु टी.ओ.टी. प्रक्रियाधीन	02	ऐसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अवस्था के बाबत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। आगे, उत्पादन के आरम्भ होने अथवा प्रयोक्ताओं द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत किए जाने से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
4.	परियोजना पूर्ण हो गई परन्तु कोई उत्पादन शामिल नहीं था।	08	चूँकि दावों के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे सफलतापूर्वक पूर्ण होने के दावों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।
	कुल	31	

मंत्रालय का उत्तर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्तरदायी संगठन तथा प्रयोक्ताओं के बीच एक गंभीर अलगाव की ओर इंगित करता है। प्रयोक्ताओं और प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के बीच निकट तालमेल के बिना, विकास प्रयासों में से अधिकतर प्रयास व्यर्थ में जाएंगे, जैसाकि इस प्रयोगशाला में परियोजनाओं की सफलता दर पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

जहाँ वांछित उत्पादों के सेवा में समावेश करने की दर अथवा वृहद उत्पादन खास रूप से वांछित था, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इसके कारण जटिल एवं भिन्न थे। जटिल शस्त्रास्त्र प्रणालियों की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास करने में प्रयोगशाला और प्रयोक्ता संगठन दोनों की ओर से दीर्घावधि वचनबद्धता की आवश्यकता होती है।

यह मान्य है कि स्टाफ परियोजनाएं निहीत रूप से टी.डी./आर.एण्ड डी. परियोजनाओं से अधिक जटिल होती हैं। ऐसा इसलिए है कि स्टाफ परियोजनाओं में विकासकर्ता को न केवल प्रौद्योगिकी को प्रयोक्ता को स्वीकार्य नमूने के अनुसार स्थापित करना पड़ता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण तथा वृहद उत्पादन हेतु घरेलू उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रबंध भी करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी को अवशोषित करने का उद्योग का समर्थन बाद में घरेलू उद्योग के प्रौद्योगिकीय परिपक्वता स्तर पर निर्भर होता है।

जैसाकि लेखापरीक्षा विश्लेषण संकेत करता है कि हमेशा प्रयोगशाला ही स्टाफ परियोजनाओं की विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। स्टाफ परियोजनाओं को उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के बीच लगातार सहयोग की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं को ठोस और प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए उसको स्पष्ट करना आवश्यक है।

कई मामलों में देखा गया है कि परियोजनाओं को बन्द किया गया था क्योंकि वहाँ प्रयोगशाला और उपयोगकर्ताओं के बीच सफलता के बारे में कोई मतैक्य नहीं था। कई मामलों में, रक्षा

मंत्रालय, अनुसंधान एवं विकास विभाग ने प्रयोक्ता संगठन पर परियोजना की विफलता की जिम्मेदारी डालकर लेखापरीक्षा को उत्तर दिया। ये दोनों संगठन रक्षा मंत्रालय के हिस्से हैं और अभी तक, मतभेदों में सामंजस्य के लिए वहाँ कोई प्राधिकारी नहीं है। बिना किसी मजबूत अंपायर के देखरेख और मतभेदों को हल करने के लिए इन संगठनों का स्वायत्त कामकाज भी परियोजनाओं की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार था।

परियोजना का अध्ययन दर्शाता है कि विफलता के लिए निम्नलिखित को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- बिना जी.एस.क्यू.आर. के परियोजनाओं को लेना;
- उपयोगकर्ताओं द्वारा जी.एस.क्यू.आर. में लगातार परिवर्तन;
- अप्रचलित विकसित तकनीक को बनाने के लिए प्रायः अत्यधिक समय;
- उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा किए बिना ही परियोजनाओं को बन्द करना; और
- वांछित डिलीवरेबल्स के विकास में प्रयोगशाला की विफलता

अपने उत्तर में मंत्रालय ने, जबकि लेखापरीक्षा कथन से सहमत हैं, कहा कि स्टाफ परियोजनायें आमतौर पर जी.एस.क्यू.आर./ड्राफ्ट जी.एस.क्यू.आर. के तहत किये जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ विकास ऐसे हैं जिसमें जी.एस.क्यू.आर. जरूरी नहीं होते क्योंकि वह उपकरणों के उन्नयन रेंज तालिका के संकलन, साफ्टवेयर के विकास की प्रकृति के हो सकते हैं।

### 7.2.2 बिना जी.एस.क्यू.आर. के परियोजनाओं को लेना

उपकरणों के विकास की प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता जोकि सामान्य स्टाफ गुणता आवश्यकता (GSQR)<sup>30</sup> बनाने के साथ आरम्भ होती है। जहाँ तक थलसेना से संबंधित है थलसेना मुख्यालय में उपयोगकर्ता निदेशालय द्वारा जी.एस.क्यू.आर. बनाया जाता है और सामान्य स्टाफ उपकरण पॉलिसी कमिटी द्वारा सत्यापित किया जाता है। गुणता आवश्यकता को बनाना स्टाफ परियोजना को करने के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है जिससे कि इसे यथातथ्य डिलीवरेबल्स को प्राप्त किया जा सके। बिना जी.एस.क्यू.आर. के स्टाफ परियोजना को लेना सिस्टम के विकास के लिए जोखिम से भरा हुआ होगा जोकि उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा या जोकि पूर्ण रूप से उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होगी। निम्नलिखित दो मामलें जोखिम को दर्शाते हैं जोकि तदर्थ विधि से स्टाफ परियोजनाओं को संस्वीकृति देने से उत्पन्न हुए हैं:-

**मामला I : टी-72 टैंक के लिए 125 एम.एम. फिन स्टेबलाईज्ड आर्मड पाइरिसिंग डिसकार्डगी सबोट (एफ.एस.ए.पी.डी.एस.) (सॉफ्ट कोर) मार्क-II युद्ध उपकरण का डिजाइन और विकास**

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डी.डी.आर.डी.) ने मई 1996 में ₹ 2.30 करोड़ की लागत के उपर्युक्त परियोजना को मई 1998 तक पूरा करने की संस्वीकृति दी। इसे डी.आर.डी.ओ. द्वारा सेना मुख्यालय से बिना जी.एस.क्यू.आर. के संस्वीकृत किया गया

<sup>30</sup> वायुसेना के लिए मात्रात्मक आवश्यकताएँ - स्टाफ आवश्यकताएँ हैं तथा नौसेना के लिए नैवल स्टाफ मात्रात्मक आवश्यकताएँ हैं



था। यह परियोजना चार बार संभावित पूरा होने की तिथि (पी.डी.सी.) के परिवर्तन और तीन बार मूल्य परिवर्तन के बाद ₹ 7.27 करोड़ खर्च करने के बाद दिसम्बर 2004 में बन्द की गयी थी।

प्रयोगशाला द्वारा विकसित किए गए गोलाबारूद उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उपयोगकर्ता यह आशंका दर्शा रहे थे कि क्या एम.के.II गोलाबारूद के लिए किए जा रहे परीक्षण इस गोलाबारूद के जी.एस.क्यू.आर. में अनुपस्थिति से उपयोगकर्ता के परीक्षण को पास कर पायेंगे। इस मामले को सुलझाने के लिए अगस्त 2007 में एकीलेरेटिड यूजर कम रिलाएबिलिटी परीक्षण (ए.यू.सी.आर.टी.) के आधार पर गोलाबारूद परीक्षण किया गया जोकि पुनः असन्तोषजनक साबित हुआ।

फरवरी 2011 में रक्षा मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि सुधरे हुए गोलाबारूद के 30 गोले, मई 2010 में सफलतापूर्वक पूरे हुए और सेना मुख्यालय ने सुधरे हुए गोलाबारूद एकीलेरेटिड उपयोगकर्ता परीक्षण 500 गोलों के साथ करने के लिए कहा। मंत्रालय का जवाब तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए देखा जाना चाहिए था कि 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी गोलाबारूद अभी भी आना था। ऐसा गोलाबारूद अभी भी थलसेना द्वारा आयात किया जा रहा है।

### मामला-II गोलाबारूद 'ए' का डिजाइन और विकास

वायु मुख्यालय 1984 ने उपर्युक्त लिखे हुए गोलाबारूद की आवश्यकता प्रयोजित की। नवम्बर 1997 में वायु मुख्यालय ने गोलाबारूद 'ए' की विनिर्दिष्टियों में परिवर्तन किया। हालांकि, वायुसेना से संशोधित/नयी वायु स्टाफ आवश्यकता (ए.एस.आर.) की प्रतीक्षा किए बिना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डी.डी.आर.डी.) ने अगस्त 1998 में उपर्युक्त स्टाफ परियोजना को कुल अनुमानित लागत ₹ 2.90 करोड़ और अगस्त 2001 की पी.डी.सी. के साथ संस्वीकृति प्रदान की गई। दिसम्बर 1998 में, डी.डी.आर.डी. ने नयी ए.एस.आर. को अद्यतन/निर्गमित के लिए वायु मुख्यालय से प्रार्थना की। जैसाकि वहाँ पर वायु स्टाफ आवश्यकता के पुनर्विलोकन में देरी हुई थी, अक्टूबर 2001 में डी.आर.डी.ओ. की डिजाइन समीक्षा कमिटी ने ₹ 18.63 लाख खर्च करने के बाद परियोजना को बंद करने का निश्चय किया।

मंत्रालय ने उपरोक्त तथ्य पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि खास तकनीक के विकास में लम्बा समय लगता है और इस समय को कम करने के लिए ए.एस.आर. निर्णित होने के पहले परियोजना ली गई थी। मंत्रालय के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए था कि इस परियोजना से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।

### 7.2.3 उपयोगकर्ताओं द्वारा गुणता आवश्यकता में लगातार परिवर्तन

जहां परियोजना को लागू करने में कुछ डिग्री का लचीलापन अवश्य होना चाहिए जिससे नयी तकनीक को शामिल किया जा सके, यह पाया गया कि डिजाइन पैरामीटर के मामले में उपयोगकर्ताओं के अनिर्णय जिसके कारण क्यू.आर. में लगातार परिवर्तन हुए जिससे कि विकास प्रभावित हुआ और बुरी तरह से समय तथा लागत की परियोजना प्रभावित हुई जिससे कि उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही परियोजना को पहले बन्द करना पड़ा।

इन तीन स्टाफ परियोजनाओं के बन्द होने से पता चलता है जिसमें तकनीकी प्रमाण परियोजना शामिल थी जिसपर ₹ 21.69 करोड़ खर्च किए गए। मामले नीचे बयान किए गये हैं।

**मामला-I : 120 एम.एम. लॉग रेन्ज मार्टर सिस्टम (एल.आर.एम.) और इसके गोलाबारूद का डिजाइन तथा विकास**

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ने जून 1997 में जी.एस.क्यू.आर. के आधार पर ₹ 9.52 करोड़ की लागत पर एल.आर.एम. प्रणाली के विकास की संस्वीकृति प्रदान की जिसकी पूर्ण होने की संभावित तिथि (पी.डी.सी.) जून 2001 थी। परियोजना के स्कोप में उच्च विस्फोटक (एच.ई.), धूम्र तथा प्रकाशजनक गोलाबारूद की एक जाति का विकास शामिल था। जी.एस.क्यू.आर. के अनुसार शस्त्र प्रणाली में 10 किलोमीटर तक प्रतिमिनट 8-10 बम, 12-15 चक्र प्रति मिनट की अग्नि धमाका क्षमता के साथ दागने की क्षमता वांछित थी। वहनीयता के दृष्टिकोण से, उपस्कर का वजन 700 किलोग्राम से अधिक नहीं होना था तथा मानव/खच्चर पैकिंग के लिए आवश्यक तीन मुख्य घटकों का वजन 450 किलोग्राम से अधिक नहीं होना था। प्रणाली में तीन सुविधाजनक भागों में विभाजित होने की क्षमता होना भी वांछित था। शस्त्र प्रणाली के दो मूल रूप परीक्षण के लिए वांछित थे। फरवरी 2000 में थलसेना मुख्यालय ने नया जी.एस.क्यू.आर. जारी किया जिसमें मानव तथा खच्चर पैकिंग द्वारा उपस्कर हस्तान्तरण किया जाना सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक इसके तीन मुख्य घटकों के वजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

जून 2001 तक केवल एक शस्त्र तथा 200 एच.ई. बम ही प्रयोक्ता परीक्षणों हेतु प्रदान किए जा सके। आगे और विलम्ब से बचने के लिए, डी.आर.डी.ओ. ने मुख्य एल.आर.एम. परियोजना से धूम्र तथा प्रकाशजनक बमों के विकास को हटा दिया तथा इनके लिए ₹ 5.85 करोड़ की लागत की एक अलग स्टाफ परियोजना संस्वीकृत की जिसकी पी.डी.सी. अक्टूबर 2006 थी।

डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित एल.आर.एम., जी.एस.क्यू.आर. मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सका चूँकि एक हल्के मोर्टर के साथ वांछित मारक दूरी तथा गोलाबारूद दागने की अथवा अग्निधमाका करने की क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सका जोकि थलसेना द्वारा रचित जी.एस.क्यू.आर. में एक असंगतता थी। महानिदेशक (डी.जी.) आर्टिलरी ने परियोजना को आगे जारी न रखने का निर्णय ले लिया। परिणामस्वरूप, डी.आर.डी.ओ. ने परियोजना को ₹ 9.29 करोड़ व्यय करने के बाद दिसंबर 2004 से पूर्व समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् दिसंबर 2005 में धूम्र और प्रकाशजनक गोलाबारूद की अन्य परियोजना को भी ₹ 1.08 करोड़ व्यय करने के बाद पूर्व समाप्त कर दिया गया था। थलसेना मुख्यालय ने दिसंबर 2004 में परियोजना के पूर्व समापन की मांग करते समय स्वीकार किया था कि कम वजन के निर्देशों के साथ 10000 मीटर की मारक दूरी प्राप्त करने योग्य नहीं थी। यह भी स्वीकार किया गया था कि ऐसे क्यू. आर्स के साथ विश्व बाजार में कोई भी मोर्टर प्रणाली उपलब्ध नहीं थी और इसलिए एक नये जी.एस.क्यू.आर. की रचना आरम्भ की जा रही थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा के साथ सहमति जताई और बताया कि मद को जी.एस.क्यू.आर. मानदंडों को हल्का बनाते हुए ग्लोबल निविदाओं के माध्यम से अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। तथापि, तथ्य यही है कि थलसेना द्वारा यथार्थता से परे जी.एस.क्यू.आर. रचित करने तथा डी.डी.आर.डी. द्वारा इसके अनुसरण के कारण ही परियोजना ₹ 10.37 करोड़ खर्च करने के बाद भी फलीभूत न हो सकी।



**मामला II : 30 मि.मी. की फेयर वेदर टौड एयर डिफेन्स (ए.डी.) गन प्रणाली का विकास**

ए.डी.गन के लिए प्रौद्योगिकी के देशजीकरण के लिए थलसेना द्वारा जी.एस.क्यू.आर. की रचना अक्टूबर 1985 में की गयी थी। मई 1986 में डी.डी.आर.डी. ने ₹ 9.44 करोड़ की एक अनुमानित लागत और 5 वर्ष की पी.डी.सी. के साथ टौड ए.डी.गन, गोलाबारूद प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकी (तेज निशानेबाज) के डिजाइन एवं विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना संस्वीकृत की। परियोजना जी.एस.क्यू.आर. में दी गई 1000 चक्र प्रति मिनट की दर के प्रति 1200 चक्र प्रति मिनट की गोलाबारूद दागने की दर प्राप्त करने के पश्चात्, सितम्बर 1992 में ₹ 8.24 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुई। बाद में, गोलाबारूद दागने की दर को सुधार कर 2000 चक्र प्रति मिनट करने के लिए, सितंबर 2000 में ₹ 17.70 करोड़ की लागत की एक स्टाफ परियोजना (नीचे क्रम संख्या 4 के प्रति संदर्भित एस.एल-पी.एक्स-2 के) आरंभ की गई। चूंकि थलसेना ने गन के मानकों में फिर से बदलाव कर दिया था, परियोजना को ₹ 14.68 लाख के व्यय के बाद पूर्व समाप्त करना पड़ा।

जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है, जी.एस.क्यू.आर. में, गन की नली का व्यास, गोलाबारूद दागने की दर, आकार, गन की नलियों की संख्या, वजन, आदि जैसे गन प्रणाली के आधारभूत मानकों को प्रभावित करने वाले कुल नौ बदलाव किए गए थे:-

क्रम सं.	जी.एस.क्यू.आर. संख्या तथा जारी करने का माह	ए.डी. गन के मानक	जी.एस.क्यू.आर. में संशोधन	परियोजना की संस्वीकृति एवं इसकी स्थिति
1.	अक्टूबर 1985 की जी.एस.क्यू.आर. संख्या 554	सर्व जलवायु, 30 मि.मी., टौड, बहु नलीय, गोलाबारूद दागने की दर (आर.ओ.एफ.) 1000 चक्र प्रति मिनट से कम नहीं		मई 1986 में ₹ 9.44 करोड़ की आर.डी.एस.पी.एक्स-86/ए.आर.डी-826 सितंबर 1992 में ₹ 8.24 करोड़ की लागत से सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।
2.		कोई संशोधित क्यू.आर. नहीं। डी.आर.डी.ओ. ने 4200 चक्र प्रति मिनट के आर.ओ.एफ. के साथ मल्टी बैरल, गैटलिंग गन में उन्नत मानकों का प्रयोग करके एक मद का विकास।	अक्टूबर 1995 में थलसेना ने दो प्रकार की ए.डी. गनों का सुझाव दिया। एक करीब 1000-1500 कि.ग्रा. वजन वाली तथा दूसरी 4000-5000 कि.ग्रा. वजन वाली साथ में 1000-2000 आर.ओ.एफ. राउण्ड प्रत्येक मामले में एक तरफा निर्णय लिया।	अगस्त 1993 में ₹ 1.98 करोड़ की आर.डी.आर.पी.एक्स-93/ए.आर.डी-984 प्रयोक्ता की आवश्यकताएं गैटलिंग गन से पूरी न होने पर परियोजना को ₹ 48.5 लाख के व्यय के साथ अक्टूबर 1995 में पूर्व समाप्त कर दिया गया था।
3.	मई 1997 की प्राप्ति जी.एस.क्यू.आर.	30 मि.मी., टौड, एकल नलीय, आर.ओ.एफ. 1000 चक्र प्रति मिनट से कम नहीं तथा वजन 1500 कि.ग्रा. से अधिक नहीं	जुलाई 1998 जुड़वां नलीय गन आर.ओ.एफ. 2000 चक्र प्रति मिनट वजन 3500-3800 कि.ग्रा.	अगस्त 1997 में ₹ 9.85 करोड़ की आर.डी.एक्स-पी.एक्स-97/ए.आर.डी-1080 अप्रैल 2000 में ₹ 51.19 लाख के व्यय पर बंद कर दिया गया।
4.	जनवरी 2000 की जी.एस.क्यू.आर. 767	साफ जलवायु, 30 मि.मी., द्विनलीय, टौड ए.डी.गन, वजन 3500-3800 कि.ग्रा. तथा आर.ओ.एफ. 2000 चक्र प्रति मिनट		सितंबर 2000 में ₹ 17.70 करोड़ की एस.एल-पी.एक्स-2 के/ए.आर.डी-1148 थलसेना के सेवारत 40 मि.मी. एल/70 तथा 23 मि.मी. जैड यू गन को उच्च स्तरीकृत करने के निर्णय के कारण परियोजना को ₹ 14.68 लाख की लागत पर

				अक्टूबर 2001 में पूर्व समाप्त कर दिया गया।
5.	अक्टूबर 2002 की जी.एस.क्यू.आर. 910	एल/70 और 23 मि.मी. जैड यू गन के एकल उत्तराधिकारी के रूप में सर्व जलवायु, द्विनलीय, आर.ओ.एफ. 1000 प्रति नली से कम का नहीं।	मई 2004 में संशोधित किया गया।	चूंकि जी.एस.क्यू.आर. सितम्बर 2004 में संशोधित कर दिया गया था, कोई परियोजना नहीं ली गई थी।
6.	सितंबर 2004 की जी.एस.क्यू.आर. 998	सर्व जलवायु टौड़/एच.एम.वी. माउंटेड, 30/35 मि.मी., 1000 चक्र प्रति मिनट की आर.ओ.एफ. और लगभग 4.5 टन वजन के साथ दो नलीय	अगस्त 2006 में संशोधित हल्की एयर डिफेंस गन	चूंकि जी.एस.क्यू.आर. अगस्त 2006 में संशोधित किया गया था तथा पिछले सभी जी.एस.क्यू.आर. का स्थान लेने वाला संशोधित जी.एस.क्यू.आर. जनवरी 2007 में प्राप्त हुआ था, कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई।
7.	एल/70 तथा 23 मि.मी. जैड यू गन का स्थान लेने वाली जी.एस.क्यू.आर. 1166 जनवरी 2007 में प्राप्त हुई।	टौड़, एच.एम.वी. माउंटेड, आर.ओ.एफ. 1000 चक्र प्रति मिनट तथा वजन < 6000 कि.ग्रा.		ए.आर.डी.ई. द्वारा अभी तक कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई।

अगस्त 2010 में थलसेना मुख्यालय के प्रयोक्ता निदेशालय ने बताया है कि चूंकि पिछले 20 वर्षों के दौरान विशेषताएं प्रयोग से बाहर हो गई थी तथा प्रस्तावित गन प्रणाली को विचारे गए वायु खतरे से जोड़ कर देखा जाना था, इस मामले में जी.एस.क्यू.आर. में संशोधन करना अति आवश्यक हो गया था। प्रयोक्ता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकास में हुई असफलता के लिए वह किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है और जोर देकर बताया कि वे जी.एस.क्यू.आर. मानकों में से अति महत्वपूर्ण मानकों को हल्का बनाने के लिए किसी तरह से सहमत नहीं हुए थे।

परिणामस्वरूप, हालांकि प्रयोगशाला द्वारा तीन आर एण्ड परियोजनाएं और एक स्टाफ परियोजना हाथ में ली गई थी, डी.आर. डी.ओ. द्वारा जो कि प्रयोक्ताओं की बार बार बदली जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा कर सके ए.डी.गन प्रणाली विकासित नहीं की जा सकी। इसका परिणाम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना पर हुए व्यय के अलावा स्टाफ परियोजना पर ₹ 9.38 करोड़ व्यय करने के बाद उनके बीच में ही बंद किए जाने में हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखा परीक्षा के इस दावे से सहमति जताई कि क्यू.आर.को अन्तिम रूप न दिये जाने, इनमें बार-बार परिवर्तन करने के कारण प्रयोक्ताओं को स्वीकार्य एक गन प्रणाली का विकास नहीं किया जा सका।

### मामला- III वाहन आधारित माइनलैट स्केटरिंग प्रणाली का डिजाईन एवं विकास

सितंबर 2000 में डी.डी.आर.डी. ने ₹ 4.71 करोड़ की लागत और सितंबर 2004 पी.डी.सी.के साथ उपरोक्त स्टाफ परियोजना की संस्वीकृति प्रदान की। विकास के दौरान आपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोक्ताओं ने गोलाबारूद 'बी' प्रणाली की माइनलैट बिछाने के क्षमता को क्यू. आर. में दी गई 70 मीटर से बढ़ाकर 300 मीटर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। तदनुसार, आरंभ में एक अभियांत्रिकी मूलरूप तैयार की गयी जिसकी माइनलैटी को दागने की क्षमता 300 मीटर की दूरी तक दागने की क्षमता थी परन्तु चूंकि सिस्टम के आगे परीक्षण केवल दूसरी परियोजना के तहत विकसित की जा रही एंटी-टैंक और गोलाबारूद



‘बी’ के संतोषजनक विकास के बाद ही किए जा सकते थे, ए.आर.डी.ई. ने अक्टूबर 2003 में परियोजना की पी.डी.सी. को सितम्बर 2007 तक बढ़ाने के लिए कहा।

मार्च 2004 में थलसेना मुख्यालय ने 330 डिग्री के ट्रवर्स के लिए अपनी आवश्यकता की सूचना दी तथा लक्ष्य सीमा को 750 मीटर तक संशोधित कर दिया। डी.आर.डी.ओ ने मई 2004 में बताया कि वह वर्तमान डिजाइन/बनावट ढांचे के साथ लक्ष्य सीमा को 750 मीटर तक बढ़ाने में असमर्थ है तथा सुझाव दिया कि बिना ट्रवर्स के वर्तमान डिजाइन को एम के I समझा जाए। 330 डिग्री का ट्रवर्स एम.के-II के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना के रूप में अलग से आरंभ किया जाना था।

तथापि, अप्रैल 2004 में थलसेना उपाध्यक्ष (वी.सी.ओ.ए.एस) द्वारा डी.आर.डी.ओ. की परियोजनाओं की द्विवार्षिक पुनरीक्षा के दौरान प्रणाली की आवश्यकताओं को संशोधित करने तथा एक नई जी.एस.क्यू.आर. रचित करने का फिर से निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना को ₹ 1.94 करोड़ के व्यय के बाद सितम्बर 2004 से बंद कर दिया गया। जब थलसेना मुख्यालय ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से, खरीदो और, निर्माण करो, का रास्ता अपनाने के लिए इसकी टिप्पणियाँ मांगी तो जुलाई 2007 में ए.आर.डी.ई ने थलसेना को सूचित किया कि वह प्रणाली को तीन वर्षों के भीतर नहीं सौंप सकता है। अगस्त 2010 में प्रमुख अभियंता शाखा ने बताया कि चूंकि प्रौद्योगिकीय उन्नति और सामारिक आवश्यकताओं के कारण जी.एस.क्यू.आर.में संशोधन आवश्यक हो गया था, सिस्टम वायु ग्लोबल, के रूप में श्रेणीकृत होने के बाद अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अर्न्तगत था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि परियोजना को जी.एस.क्यू.आर.में बार-बार बदलावों के कारण बंद कर दिया गया।

#### 7.2.4 स्टाफ परियोजनाओं में अत्यधिक समय लगना

परियोजना प्रबंधन का प्रभावी होना दिए गए समय एवं लागत के अधीन परियोजना के प्रतिफल के सौंपे जाने से मापा जाता है। तथापि, यह देखा गया कि समय का अधिक लगना/बढ़ाया जाना स्टाफ परियोजनाओं में कोई अपवाद नहीं अपितु एक सामान्य नियम था। 37 स्टाफ परियोजनाएं जो 46 समापन की गई परियोजनाओं का 80 प्रतिशत होता है, जिसकी पुनरीक्षा लेखापरीक्षा में की गई, अपने मूल समय अवधि में पूरी न हो सकीं। परियोजनाओं में एक से 10 बार समय वृद्धि की गई जबकि महीनों की संख्या के रूप में आठ से 146 महीनों की समयवृद्धि दी गई। कई मामलों में पी.डी.सी. को कई बार बढ़ाए जाने पर भी परियोजनाएं सफल नहीं हो सकीं जैसाकि नीचे छः मामलों में दिखाया गया है:-

बारबार पी.डी.सी. बढ़ाते हुए असफल परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना सं.	मूल पी.डी.सी.	वास्तविक लिया गया समय	कितनी बार पी.डी.सी. बढ़ाई गई	परियोजना की स्थिति
1.	ए.आर.डी.804	2 वर्ष	13 वर्ष 7 महीनें	08	प्रयोक्ताओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
2.	ए.आर.डी.813	3 वर्ष	15 वर्ष 2 महीनें	07	असफल
3.	ए.आर.डी.972	3 वर्ष	15 वर्ष 2 महीनें	10	असफल
4.	ए.आर.डी.1045	2 वर्ष	8 वर्ष 7 महीनें	05	प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया गया
5.	ए.आर.डी. 1053	2 वर्ष	7 वर्ष 4 महीनें	05	प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया गया
6.	ए.आर.डी. 1078	2 वर्ष	9 वर्ष 6 महीनें	04	असफल

प्रारंभ में निर्धारित किए गए समय अवधि का अनुपालन न किया जाना, प्रयोगशालाओं के सामर्थ्य का अधिक आकलन एवं समय अवधि की अवास्तविक रूप से तय किए जाने को इंगित करता है।

कम से कम चार स्टाफ परियोजनाओं के मामले में, ₹ 6.11 करोड़ खर्च किए जाने के उपरान्त प्रयोगशाला के द्वारा हथियार/गोलाबारूद का निर्धारित समयावधि में विकसित किए जाने में असफलता का परिणाम उनके समापन के रूप में हुआ और थलसेना को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ा। प्रत्येक मामले का विवरण नीचे दिया गया है।

**मामला- I : 84 मि.मी. आर.एल.एम.के. III का इसके गोलाबारूद सहित ढाँचा बनाना व विकास करना।**

सेना में प्रयुक्त 84 मि.मी. रॉकेट प्रक्षेपक, कंधे पर रख कर चलाये जाने वाला एक हथियार, की प्रतिस्थापना नवम्बर 1997 में नये हल्के 84 मि.मी. रॉकेट प्रक्षेपक (आर.एल.एम.के. III), पाँच प्रकार के गोलाबारूद एवं दृश्य प्रणाली सहित, के ढाँचा बनाने एवं विकास हेतु जी.एस.क्यू.आर. जारी किया। एक परियोजना को पूर्ण रूप से हाथ में लेने के सामान्य प्रचलन के विपरीत ए.आर.डी.ई. ने पहले प्रक्षेपक विकसित करने और फिर गोलाबारूद विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

रॉकेट प्रक्षेपक को विकसित करने हेतु परियोजना की संस्वीकृति, स्टाफ की आवश्यकताओं की प्रत्याशा में डी.डी.आर.डी. ने पहले ही अप्रैल 1997 में ₹ 75 लाख की लागत पर और अक्टूबर 1999 की पी.डी.सी. पर दे दी थी। डी.आर.डी.ओ. के द्वारा कहा गया कि इस प्रक्षेपक की सफलतापूर्वक जाँच कर ली गई थी और तदनुसार परियोजना को ₹ 60.32 लाख के खर्च पर मार्च 2000 में बंद कर दिया गया।

डी.डी.आर.डी. ने फरवरी 2002 में 84 मि.मी. आर.एल.एम.के. III के गोलाबारूद का ढाँचा तैयार करने एवं विकास करने के लिए एक स्टाफ परियोजना की संस्वीकृति ₹ 6.35 करोड़ के अनुमानित लागत एवं चार वर्षों की पी.डी.सी. के साथ दी।

सैन्य परीक्षण हेतु डी.आर.डी.ओ. को मार्च 2001 तक पाँच हल्के रॉकेट प्रक्षेपक देना था परन्तु इसने बताया कि ट्यूबों को जून 2002 तक दिया जा सकेगा और वह भी बिना बढ़ाये हुए दृष्टिपथ के रेंज और गोलाबारूद के जिसके विकास में और तीन साल लगेंगे। संशोधित ट्यूब के साथ सैन्य परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डी.डी.आर.डी. ने मार्च 2001 में एक अन्य परियोजना को ₹ 90 लाख की लागत और नवम्बर 2002 की पी.डी.सी. पर संस्वीकृति दी। यह दावा किया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रक्षेपक का सफल परीक्षण कर लिया गया एवं मार्च 2004 में ₹ 79.96 की लागत पर परियोजना बंद कर दी गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सेना मुख्यालय ने मार्च 2002 और मार्च 2003 में 3000 रॉकेट प्रक्षेपक एम.के. III, 3000 टेलिस्कोपिक साइट और 36000 एच.ई.ए.टी. गोलाबारूद की खरीद के लिए एस ई के 859.90 मिलियन के लागत पर मैसर्स एफ एफ वी ए बी स्वीडन के साथ ठेके किए गए। इसके आगे ओ एफ बी ने भी फरवरी 2005 में मैसर्स एफ एफ वी ए बी स्वीडन के साथ एस ई के 17 मिलियन के मूल्य पर 84 मि.मी. आर एल एम के -III हथियार और एच ई ए टी 551 गोलाबारूद जिनके लिए, बैरल के कार्बन फिलामेंट वाइडिंग (सी एफ डब्ल्यू) को छोड़कर हथियार के सभी भागों की प्रोटोगिकि प्राप्त हुई थी, की



टी.ओ.टी. के लिए ठेका किया। इस बीच गोलाबारूद की टी ओ टी आयुध फैक्टरी बोर्ड को 2005 में प्राप्त हो गई जिसके उपरान्त परियोजना की समयपूर्व समाप्ति कर दी गई।

आयुध फैक्टरी बोर्ड कोलकाता ने प्रयोगशाला को सूचित किया कि थल सेना को गोलाबारूद की तुरंत आवश्यकता थी। चूंकि गोलाबारूद के विकास में और चार साल लगेंगे, प्रयोक्ता इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकते तथा उन्होंने प्रक्षेपण प्रणाली और गोलाबारूद प्रणाली को आयात करने का निर्णय लिया। थलसेना ने भी सूचित किया कि स्वदेशी प्रणाली की आवश्यकता अब नहीं थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में दावा किया कि विकास का परिणाम मिश्रित प्रौद्योगिकी के सफल स्वदेशीकरणके रूप में हुआ।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन्फैंट्री के महानिदेशालय ने अप्रैल 2011 में कहा कि ए आर डी ई के द्वारा विकसित प्रक्षेपक का चार बार परीक्षण मूल्यांकन किए गए परन्तु हर परीक्षण के उपरान्त त्रुटियां दूर की जानी थी/ संसोधन किया जाना था।

### मामला- II तीन प्रकार के गोलाबारूद के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विकास

मई 1985 में डी डी आर डी ने उपरोक्त स्टाफ परियोजना को ₹ 1.86 करोड़ की लागत पर संस्वीकृति दी जिसमें मई 1987 में पूरा किया जाना था। जी एस क्यू आर में उपकरण की आवश्यक गुणवत्ता आवश्यकता जैसे कि उपकरण मीन विचलन 0.1 सेकेण्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए फायर करने पर  $1 \pm 0.05$  सेकेण्ड तक सुरक्षित होने और उपकरण एयर ब्रस्ट का 95 प्रतिशत और प्रकाशन सेटिंग का 99 प्रतिशत विश्वसनीय होने की अवधारणा की गई थी।

यद्यपि परियोजना की प्रारंभिक पी.डी.सी मई 1987 थी प्रयोक्ता परीक्षण दिसम्बर 1990 में ही किया जा सका। चूंकि उपकरण की अनुकूलता की विश्वसनीयता इन परीक्षणों के दौरान कम थी, थलसेना ने दुबारा परीक्षणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को दिये जाने के पहले पुनःसुधार और रूपान्तरण करने का सुझाव दिया।

सितम्बर 1991 में थलसेना मुख्यालय ने जोर दिया कि उपकरण को  $+0.05$  सेकेण्ड का निष्कर्ष विचलन प्राप्त करना चाहिए जिसे त्रुटिवस 0.5 सेकेण्ड जी.एस.क्यू.आर. में दिखलाया गया और विस्फोट की ऊँचाई में अनुकूलता होनी चाहिए। ए आर डी ई ने अक्टूबर 1991 में दावा किया कि चूंकि मीन विचलन प्राप्त कर लिया गया था, इस वस्तु को स्वीकार करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। अन्ततोगत्वा मई 1993 में डी आर डी ओ ने थलसेना के द्वारा सूचित किए गए समय शुद्धताओं को प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त किया परन्तु 1994 में प्रयोक्ता परीक्षण हेतु एक रूपान्तरित उपकरण प्रस्तुत किया। परन्तु प्रयोक्ता परीक्षण में काफी विलंब हो गया। रूपान्तरित उपकरण का फेज -1 परीक्षण फरवरी और मार्च 1996 में किया गया। उपकरण परीक्षण में संतोषप्रद प्रदर्शन नहीं कर पाया परन्तु सितम्बर 1997 में फेज-II प्रयोक्ता परीक्षण के दौरान उपकरणों का प्रदर्शन संतोषप्रद रहा तथा इसने जी एस क्यू आर की आवश्यकताओं को पूरा किया।

इस बीच अगस्त 1997 में मंत्रालय ने ₹ 12.13 करोड़ के कुल मूल्य पर मैसर्स बूलोभा टेक्नोलोजिज यू एस ए से 21000 उपकरणों की आपूर्ति हेतु मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) के साथ एक ठेका किया। अक्टूबर 1997 में आयातित उपकरण का डी आर डी ओ के उपकरण साथ परीक्षण मूल्यांकन किया गया। थल

सेना मुख्यालय ने अगस्त 1998 में बताया कि डी आर डी ओ के द्वारा विकसित उपकरण की तुलना में आयातित उपकरण का प्रदर्शन विश्वसनीयता एवं प्रोद्योगिकी दोनों के संदर्भ में ज्यादा अच्छा था। इसने अनुशंसा किया कि परियोजना का समयपूर्व समापन कर दिया जाय क्योंकि यह 1984 के समय के जी एस क्यू आर पर आधारित था और नए जी एस क्यू आर के बनाये जाने का निर्देश दिया। अन्ततः ₹ 1.88 करोड़ के व्यय करने के बाद यह परियोजना अगस्त 2003 में दिसम्बर 1998 के पूर्व प्रभाव से बंद कर दी गई। इस बीच थल सेना ने आयातित उपकरण को अन्तरिम स्वीकार कर लिया।

यद्यपि थल सेना मुख्यालय ने लेखा परीक्षा को उत्तर नहीं दिया, मंत्रालय ने अपने उत्तर में दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ने ए आर डी ई के मूल्यांकन के अनुसार 94.88 प्रतिशत का निष्पादन दिया है। मीन विचलन में कमी के द्वारा अनुकूल हाईट ऑफ बस्ट (एच ओ बी) के बारे में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए जी एस क्यू आर की स्वीकृति का मानदंड केवल समय की शुद्धता थी और एच ओ बी नहीं थी। फिर भी तथ्य यह है कि फ्यूज का विकास ए आर डी ई के द्वारा 1987 के प्रारंभिक पी डी सी के अन्दर नहीं किया जा सका एवं अन्ततः इसका प्रदर्शन विश्वसनीयता एवं अनुकूलता के संदर्भ में अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ता के द्वारा इसका आयात किया गया।

### मामला - III स्वचालित लान्चर पद्धति के लिए गोलाबारूद का स्वदेशीकरण

डी.डी.आर.डी. ने अगस्त 1991 में आटोमैटिक लान्चर (ए.एल.) के गोलाबारूद 'सी' के देशज विकास के लिए ₹ 1.45 करोड़ के लागत पर एक स्टाफ परियोजना की संस्वीकृति दी जिसे अगस्त 1994 तक पूरा किया जाना था। इसके वृहत पैमाने पर उत्पादन से ₹ 760 करोड़ के विदेशी मुद्रा (एफ ई) की बचत की आशा थी।

अगस्त 1994 के प्रयोक्ता परीक्षण में थल सेना ने कुछ सुधारों का सुझाव दिया। चूंकि परियोजना की पी डी सी समाप्त हो गई थी, परियोजना को ₹ 93.30 लाख के खर्च के उपरान्त बंद कर दिया गया और सुधार के कार्य को अलग परियोजना में लिया गया। दूसरे परियोजना में गोला बारूद 'सी' के विकास पर ₹ 27.73 लाख खर्च किए गए। फ्यूज की विश्वसनीयता मई 2000 और अप्रैल 2006 के बीच किए गए 12 परीक्षणों में प्राप्त नहीं की जा सकी और आयुध फैक्टरी बोर्ड का जून 2005 का यह प्रस्ताव कि प्रारंभिक 50,000 राउण्ड के आयातित गोला बारूद 'सी' का प्रयोग स्वदेशी फ्यूज की जगह किया जाय थल सेना के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

सेना मुख्यालय ने अगस्त 2010 में लेखा परीक्षा को सूचित किया कि वर्ष 2000 से थल सेना ने यू एस डी 72.19 मिलियन अर्थात् ₹ 340 करोड़ की लागत पर गोला बारूद 'सी' का 37,50,000 इकाई/राउण्ड जिसे बल्गारिया/आर ओ ई रूस से आयात किया गया था, अधिप्राप्त कर लिया था।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि गोला बारूद 'सी' का विकास अपव्यय नहीं था क्योंकि सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) ने आयातित फ्यूज के साथ 50,000 राउण्ड की आपूर्ति के लिए मांग पत्र दिया था। तथ्य फिर भी वही है कि थल सेना ने इस गोला बारूद 'सी' को स्वीकार योग्य नहीं पाया।



**मामला-IV : एयर क्राफ्ट गोलाबारूद के लिए उपकरण का डिजाइन एवं विकास**

वायु सेवा आवश्यकता के आधार पर डी डी आर डी ने अक्टूबर 1985 में उपरोक्त स्टाफ परियोजना की संस्वीकृति ₹ 62.50 लाख के लागत पर अक्टूबर 1988 के पी डी सी के साथ दी। इस परियोजना में दिसम्बर 2000 तक सात बार पी डी सी बढ़ाई गई और परियोजना की लागत ₹ 2.12 करोड़ तक संसोधित की गई।

चूंकि 10 विकास फ्लाईट परीक्षण जो अक्टूबर 1998 तक किए गए थे असफल रहे हवाई सुरक्षा तकनीकी स्थापना (ए एस टी ई) ने आगे के परीक्षणों के पहले पूर्ण अभिकल्प पुनरीक्षा की अनुशंसा की। तथापि 11वां परीक्षण भी उसी तरह के परिणाम के साथ समाप्त हुआ। उपकरण के विकास में देशी का परिणाम कमी को पूरा करने के लिए वायु सेना के द्वारा किए गए आयात के रूप में हुआ। परियोजना को उद्देश्य की प्राप्ति के बिना ₹ 1.62 करोड़ के खर्च के उपरान्त दिसम्बर 2000 में समाप्त कर दिया गया।

मंत्रालय ने कहा कि परियोजना की सफलता या विफलता विकास के परीक्षण के परिणाम पर आधारित नहीं होना चाहिए। तथापि तथ्य वही है कि संस्वीकृति के 15 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कई बार किए गए परीक्षण वायु सेना की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके।

**7.2.5 परियोजनाओं का एकतरफा समापन**

डी आर डी ओ के द्वारा विकसित शस्त्र प्रणाली प्रयोक्ताओं के द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर सेवा में शामिल किया जाता है और परियोजना को बंद करने पर विचार किया जाता है। प्रयोक्ता के पुनः परीक्षण/रूपान्तरण की स्थिति में परियोजना के क्रियाकलाप को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी रखा जाता है। तथापि परीक्षण के सत्यापन के पहले ही डी आर डी ओ के द्वारा परियोजना को प्रणाली के अफलतापूर्वक विकसित किए जाने के आधार पर, एकतरफा तरीके से बन्द कर दिए जाना इसके प्रयोक्ता की स्वीकृति से और सेवा में शामिल किए जाने से रोक देता है। यह न केवल शस्त्र प्रणाली के विकास पर निवेश किए गए समय और धन को व्यर्थ कर देता है बल्कि प्रयोक्ता के रक्षा तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लेखा परीक्षा के द्वारा पुनरीक्षा किए गए परियोजनाओं में से दो परियोजना ₹ 2.58 करोड़ के खर्च किए जाने के उपरान्त प्रयोक्ता की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना समाप्त कर दिए गए। इन मामलों का विवरण नीचे दिया गया है।

**मामला-I टी - 72 टैंक के लिए 125 मि.मी. एफ ए पी डी एस अभ्यास गोला-बारूद का अभिकल्प एवं विकास**

प्रशिक्षण की लागत को कम करने के लिए, जी एस क्यू आर पर आधारित एफ एस ए पी डी एस गोला-बारूद के प्रशिक्षण रूपान्तर के विकास के लिए एक स्टाफ परियोजना की स्वीकृति ₹ 95 लाख की लागत पर अगस्त 1996 में दी गई जिसे अगस्त 1998 तक पूरा किया जाना था। इस परियोजना को ₹ 1.82 करोड़ खर्च किए जाने के उपरान्त दिसम्बर 2003 में बिना थल सेना की स्वीकृति के बन्द कर दिया गया।

यद्यपि ए आर डी ई ने परीक्षण मूल्यांकन में इसके सफल होने का दावा किया थल सेना परीक्षण के परिणाम के उनके निष्कर्ष से असहमत था। रोचक बात यह है कि ए आर डी ई ने 2009 में उनके द्वारा विकसित अभ्यास गोला-बारूद की सीमाओं को स्वीकार किया, जिसे, इसने दावा किया कि अभिकल्प में परिवर्तन और नए जी एस क्यू आर के गठन से दूर कर लिया जाएगा।

ए आर डी ई ने पुनः प्रतिवाद किया कि किया गया खर्च व्यर्थ नहीं है क्योंकि परियोजना में स्थापित की गई नई प्रौद्योगिकी टी- 90 और अर्जुन टैंक के अभ्यास गोला-बारुद के विकास के लिए प्रयोग में लायी जाएगी। इस पर इस तथ्य के आलोक में विचार किए जाने की आवश्यकता है कि स्टाफ परियोजना से जी एस क्यू आर में दिए गए शर्तों के अनुरूप उत्पाद देने की अपेक्षा की जाती है जिसे बाद में सेवा में शामिल किया जा सके। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रयोक्ता से परामर्श किए बिना परियोजना को एकतरफा रूप से बन्द किए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

### **मामला-II 105 मि.मी. प्रदीप्त एम के-II गोला-बारुद के अन्तरिम फायरिंग तालिका का अनुसमर्थन**

जुलाई 1998 में डी डी आर डी ने उपरोक्त स्टाफ परियोजना को ₹ 73 लाख की लागत पर स्वीकृति दी जिसकी पी डी सी दिसम्बर 1999 थी जिसे संसोधित कर दिसम्बर 2000 कर दिया गया। अनुसमर्थन फायरिंग सितम्बर/नवम्बर 2000 में किया गया परन्तु डी डी आर डी ने दिसम्बर 2000 से परियोजना को लेखा-परीक्षा आपत्ति से बचने के आधार पर प्रयोक्ता के परीक्षण परिणाम की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ₹ 75.52 लाख के व्यय के उपरान्त समाप्त कर दिया।

डी जी आर्टिलरी ने फरवरी 2001 एवं पुनः नवम्बर 2001 में फायरिंग टेबल में कुछ अशुद्धियों को बताया जिसका प्रयोक्ता परीक्षण किए जाने के पहले समाधान किया जाना था। यद्यपि ए आर डी ई ने कहा कि समुद्र तल, 2000 मीटर और 4000 मीटर के उन्नतांश का प्रयोग थल सेना के द्वारा किया जा रहा है और तब तक ए आर डी ई ने कोई प्रतिकूल फीडबैक प्राप्त नहीं किया था, ए आर डी ई ने मार्च 2001 में आयुध फैक्ट्री देहू रोड से असफलता से बचने के लिए फायरिंग तालिका के अनुसमर्थन के लिए प्रयुक्त गोला बारुद के गुणवत्ता मामलों की जाँच के लिए कहा।

थल सेना मुख्यालय के द्वारा की गई आपत्तियों को सुधारा गया या नहीं इसकी कोई जानकारी ए आर डी ई के द्वारा नहीं दी गई। उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन के दौरान गुणवत्ता से संबद्ध मामले को सुलाझाने के लिए एक अलग मंच है जिसके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि गोला बारुद की गुणवत्ता की जाँच की आवश्यकता थी।

### **7.2.6 विकास में असफलता**

इन तीन स्टाफ परियोजनाओं एवं संबद्ध दो आर एण्ड डी परियोजनाओं में क्रमशः 16 वर्ष, आठ वर्ष और सात वर्ष की विकास अवधि के बावजूद और ₹ 17.62 करोड़ के व्यय के बाद यह प्रौद्योगिकी प्रणालियों के अभिकल्प/ विकास में तकनीकी समस्याओं के कारण विकसित नहीं की जा सकी ।

मंत्रालय ने लेखा परीक्षा की टिप्पणी से सहमत होते समय कहा वर्ष 2002 से डी आर डी ओ ने डीसीजन एड इन टेक्नोलॉजी इवेल्यूएशन (डी ए टी ई ) की स्थापना की है यह एक प्रक्रिया है जिसमें डी ए टी ई समिति परियोजना के प्रस्ताव की जाँच करती है और प्रौद्योगिकी की परिपक्वता के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर अनुशंसा करती है जो प्रौद्योगिकियों की जटिलता को कम कर आँकने के कारण होने वाली असफलता को कम कर सकती है। तथापि डी ए टी ई प्रक्रिया के प्रभावशाली होने के बारे में कोई टिप्पणी इस अवसर पर संभव नहीं है क्योंकि इसको अपनाये जाने के बाद ए आर डी ई की कोई भी परियोजना फलीभूत नहीं हुई है।



**मामला -I रिमोटली डिलिवर्ड माइन सिस्टम (आर डी एम एस) का अभिकल्प एवं विकास-  
उपलब्ध 122 मि.मी. जी आर ए डी रॉकेट पर आधारित टैंक रोधी एवं प्राणी रोधी**

डी आर डी डी ने अक्टूबर 1992 में तीन वर्ष की पी डी सी के साथ ₹ 1.75 करोड़ की लागत पर उपरोक्त स्टाफ परियोजना की संस्वीकृति दी। टैंक रोधी (ए टी) और प्राणी रोधी (ए पी) सुरंग का विकास इस परियोजना के अन्तर्गत किया जाना था। प्रारंभ में विस्फोट प्रभावी ए पी सुरंग इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित किया जाना था और 1995 में प्रयोक्ता ने स्वविध्वंस तत्व को शामिल करते हुए विस्फोट और विखंडन प्रभाव दोनों के साथ ए पी सुरंग की आवश्यकता बताया। आवश्यकता में परिवर्तन के कारण जून 1997 में ए पी सुरंग के लिए 2 वर्ष की पी डी सी के साथ ₹ 1.50 करोड़ की लागत पर एक अलग परियोजना हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ी।

दस बार पी.डी.सी. में संसोधन एवं कई बार लागत में संसोधन तथा दिसम्बर 1996 से अक्टूबर 2006 तक किए गए 16 तकनीकी परीक्षणों और एक पूर्व प्रयोक्ता परीक्षण (पी.यू.टी.ई.) मूल्यांकन के बावजूद, ए टी सुरंग प्रणाली प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी और प्रयोक्ताओं के द्वारा प्रणाली में पुनःरूपान्तरण का सुझाव दिया गया। मई 2007 में रूपान्तरणों को लागू करने एवं पुष्टिकारक परीक्षणों के उपरान्त प्रणाली की प्रयोक्ता के परीक्षणों के लिए अनुशंसा की गई।

तथापि थल सेना यह कहते हुए कि आर डी एम एस उपलब्ध 122 मि.मी. जी. आर. ए. डी, बी एम रॉकेट प्रणाली पर आधारित था जिसे अगले तीन से पाँच वर्षों में चरणबद्ध रूप से उपयोग से हटाना था और बी एम 21 प्रक्षेपक का उत्पादन भी बन्द किया जा चुका था, प्रयोक्ता परीक्षण पर राजी नहीं हुआ। तदनुसार अप्रैल 2008 में थल सेना मुख्यालय ने आर. डी. एम. एस. के लिए पिनाका रॉकेट रेजिमेंट को प्रक्षेपक के रूप में निर्धारित किया और निर्देश दिया कि रिमोटली डिलिवर्ड ए टी/ए पी सुरंगों की, सुरंगों के नए परिवार के भाग के रूप में प्रगति की जाए। परिणामस्वरूप डी आर डी ओ ने ₹ 8.49 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2007 से टैंक रोधी सुरंग की परियोजना को 15 साल के बाद उद्देश्य की प्राप्ति के बिना बन्द कर दिया।

इसके आगे ₹ 1.90 करोड़ की लागत से ए पी सुरंग के विकास के लिए जून 1997 में एक अलग परियोजना की संस्वीकृति के बावजूद और चार बार दिसम्बर 2006 तक पी.डी. सी. के संसोधन के बाद भी यह फलीभूत नहीं हो सका। उस समय तक प्रयोक्ता ने सुरंगों के नए परिवार की परियोजना के लिए नए जी.एस.क्यू. आर. का गठन किया और इस परियोजना को ₹ 2.51 करोड़ के व्यय के बाद अप्रैल 2007 में बन्द कर दिया गया।

मंत्रालय का यह प्रतिवाद कि परियोजना को असफल न माना जाय क्योंकि 122 मि.मी. ग्रेड रॉकेट के लिए विकसित सब-म्यूनीशन (ए.टी. माइनलेट) प्रौद्योगिकी को ए.टी सब-म्यूनीशन वारहेड विकास के लिए पिनाका को स्थानान्तरित कर दिया गया है, को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि इस स्टाफ परियोजना का उद्देश्य उपलब्ध 122 मि.मी. जी.आर.ए.डी. रॉकेट पर आधारित आर.डी.एम.एस का विकास करना था न कि पिनाका के लिए सब - म्यूनीशन की प्रौद्योगिकी के विकास का।

## मामला II : गनों के लिए युनिवर्सल वेरीयबल टाइम फ्यूज का अभिकल्प एवं विकास

जी.एस.क्यू.आर. के आधार पर डी.डी. आर.डी. ने जनवरी 1998 में इस स्टाफ परियोजना को ₹ 3.20 करोड़ के अनुमानित लागत पर संस्वीकृति दी जिसकी पी.डी.सी. जनवरी 2001 थी जिसे 2 बार पी.डी. सी. बढ़ाये जाने के बाद मार्च 2004 तक बढ़ा दिया गया। डी.डी.आर.डी. ने ए.आर.डी.ई के प्रस्ताव पर जो विकास कार्य 90 प्रतिशत तक पूरी हो जाने पर आधारित था और इस समय एक नई परियोजना को हाथ में लेने से इसकी प्रगति में बाधा पड़ जाएगी, पी.डी.सी.को पुनः 31 मार्च 2006 तक बढ़ा दिया।

तीन बार पी.डी.सी के मार्च 2006 तक संसोधन के बावजूद ए.आर.डी.ई. प्रणाली के ढांचा निर्माण में होने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर फ्यूज के विकास में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप रु० 1.88 करोड़ के खर्च के उपरान्त 31 मार्च 2006 को परियोजना बन्द हो गई।

मंत्रालय का यह प्रतिवाद कि ₹ 1.88 करोड़ का खर्च असफल नहीं रहा है क्योंकि परियोजना के दौरान विकसित उप-प्रणाली और प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य में प्रोक्सीमीटी फ्यूज के विकास में किया जाएगा इस तथ्य को न्यायसंगत नहीं ठहराता कि स्टाफ परियोजना में यूनीवर्सल वेरीयबल टाइम फ्यूज के रूप में उत्पाद के विकास का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

## मामला III : विभिन्न आर्टिलियरी सिस्टम के लिए गोलाबारूद का विकास

अप्रैल 1995 के जी.एस. क्यू.आर. के अनुसार, डी.डी.आर.डी. ने जनवरी 1998 में विभिन्न आर्टिलियरी सिस्टम जैसे कि 155 एम.एम., 130 एम.एम., 105एम.एम. गनों, 120एम.एम मार्टर और 122 एम.एम जी.आर. ए.डी. रॉकेट के लिए गोला बारूद के विकास के लिए ₹16.35 करोड़ की अनुमानित लागत की संस्वीकृति प्रदान की। पी.डी.सी. जनवरी 2002 थी।

क्योंकि थल सेना 155 एम.एम. बन्दूकों के लिए गोला बारूद के आयात के लिए चली गयी डी.आर.डी. ओ. 130एम.एम. गोला बारूद के विकास को प्राथमिकता देने लगी। क्योंकि ए.आर.डी.ई. पी.डी.सी. के अन्दर गोला बारूद का विकास नहीं कर पाया उसने डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय से पी.डी.सी.को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जिसको मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। इस बीच में, उपयोगकर्ता ने 130 एम.एम गोला बारूद का भी आयात करने का निश्चय कर लिया और डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय ने वर्तमान स्टाफ परियोजना को अल्प बन्द करने का निश्चय कर लिया और आवश्यक तकनीकी को स्थापित करने के लिए तकनीक विकास परियोजना को ले लिया। इस प्रकार परियोजना ₹ 2.79 करोड़ के व्यय के साथ जनवरी 2002 से अल्प बन्द हो गई।

डी.डी. आर.डी. ने फरवरी 2003 में दो अलग तकनीक विकास परियोजनाओं को संस्वीकृति दी जिसमें एक 130 एम.एम. केलिबर के उप युद्ध सामग्री अस्त्र के तकनीकी प्रदर्शन के लिए और अन्य नॉन स्पीनिंग उपयुद्ध सामग्री के लिए फ्यूज डी.ए./एस.डी.<sup>31</sup> के डिजाइन तथा विकास के लिए क्रमशः ₹ 4.72 करोड़ एवं 2.19 करोड़ की लागत के जिसे फरवरी 2005 तक पूरा किया जाना था। किसी भी परियोजना को मूल पी.डी.सी. के अन्तर्गत पूरा नहीं किया जा सका। क्योंकि आगामी अवधि नहीं बढ़ायी गयी थी, दोनों परियोजनाएं फरवरी 2005 तक क्रमशः ₹ 1.67 करोड़ तथा ₹ 28.07 लाख व्यय करने के बाद बन्द हो गई।

<sup>31</sup> डाइरेक्ट एक्शन/स्वयं डेस्ट्रक्टिंग



लगातार संस्वीकृति और बन्द होना दर्शाता है कि उपर्युक्त तीन परियोजनाओं के विकास में जो तकनीकी जटिलता शामिल की उसको इन्हें लेने से पहले पूर्ण रूप से नहीं बताया गया। परिणामस्वरूप, ए.आर. डी. ई.युद्ध सामग्री का विकास करने में सक्षम नहीं हो पाया और परियोजना को बिना किसी उत्पाद को प्राप्त किए ₹ 4.74 करोड़ का व्यय करने के पश्चात बन्द करना पड़ा। जवाब में, मंत्रालय ने कहा कि सभी परियोजनाओं की संस्वीकृति मामलों के विवरण को पूर्ण रूप से सत्यापित होने के बाद दी जाती है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव को पिनाका सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया था। मंत्रालय का यह जवाब तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि जी.एस.क्यू.आर.में दिए गए विभिन्न आर्टिलरी सिस्टम के लिए गोलाबारूद के विकास का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

### 7.3 किसी परियोजना की सफलता या असफलता में सहसंबंध स्थापित करने के तंत्र का अभाव

ए.आर. डी.ई. के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो परियोजना की सफलता या असफलता का उनमें पदस्थापित कर्मचारियों से संबद्ध कर सके जो वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों के उत्पादन के आंकलन में मदद कर सके। इस बात का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी प्रयोगशाला विभिन्न परियोजनाओं में लगाए गए वैज्ञानिकों एवं तकनीकी अधिकारियों और परियोजनाओं की सफलता या असफलता और विशेषज्ञता प्राप्त करने के संदर्भ में उनके उत्पादन का विवरण नहीं दे सका।

ए.आर.डी.ई अपने उत्तर में इस पर सहमत था कि लेखा परीक्षा में सम्मिलित की गई अवधि के प्रारंभिक वर्षों के लिए किसी परियोजना की सफलता या असफलता का व्यक्तियों या कर्मचारियों से सहसंबंध की सूचना डाटा बेस में उपलब्ध नहीं थी और इस सूचना का रखरखाव करना कठिन परन्तु संभव है। यद्यपि ए.आर.डी.ई ने आगे दावा किया कि परियोजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि स्थापित की गई प्रौद्योगिकी और सम्मिलित मानव शक्ति का दस्तावेजीकरण/ तकनीकी समापन प्रतिवेदन में उपलब्ध है, परन्तु ए.आर. डी.ई पिछले पाँच साल की भी यह जानकारी नहीं दे सका।

मंत्रालय ने फरवरी 2011 में कहा कि परियोजनाओं का अभिकल्प एवं विकास एक गतिमान प्रक्रिया है और मानवशक्ति को लगाया जाना परियोजना के चरण पर निर्भर करता है। आर.एण्ड डी परियोजना या तो एक प्रयोगशाला के अन्दर या विभिन्न विशेषज्ञता वाले अन्य डी.आर.डी.ओ. की प्रयोगशालाओं को सम्मिलित करते हुए स्पष्टतया एक सामूहिक कार्य होता है। इसलिए किसी परियोजना की सफलता या असफलता किसी व्यक्ति से सम्बद्ध करना उपयुक्त नहीं होगा।

उत्तर में लेखा परीक्षा के इस मंतव्य को कि ए.आर डी.ई. के पास परियोजना के क्रियाकलाप में लगाए गए मानव संसाधन के उत्पादन के आंकलन के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था, स्पष्टतया स्वीकार किया गया, यह परियोजना की सफलता या असफलता के लिए कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का अभाव दर्शाता है।

#### 7.4 मानवशक्ति की लागत को निकाल देने के कारण परियोजना की लागत को कम करके बताना

चूंकि नियमित स्थापना के मानवशक्ति की लागत प्रयोगशाला के खर्च का महत्वपूर्ण भाग होती है, नियमित स्थापना के मानवशक्ति की लागत को निकाल देने का परिणाम परियोजना की लागत को काफी कम करके बताने के रूप में होता है। आगे, इसका परिणाम विलंबित परियोजनाओं में व्यय बढ़ जाने को कम करके बताया जाना भी होता है।

इस संदर्भ में लेखा परीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 2004-05 से 2008-09 की अवधि में ए.आर.डी.ई के नियमित स्थापना के वेतन एवं भत्तों पर सालाना व्यय ए.आर.डी.ई. के कुल 36 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

##### कुल व्यय में वेतन एवं भत्तों का प्रतिशत

वर्ष	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत
2004-05	48.28	25.98	53.80
2005-06	49.35	25.80	52.27
2006-07	54.00	26.61	49.27
2007-08	77.44	27.98	36.12
2008-09	92.03	43.54	47.31
कुल	321.10	149.91	46.68

मंत्रालय ने फरवरी 2011 में कहा कि परियोजना की मानवशक्ति प्रयोगशाला/स्थापना की शांति स्थापना के साथ मिला दी गई है। अतः यह आपत्ति सही नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि प्रयोगशाला का मुख्य कार्य परियोजनाएं हैं और वैज्ञानिक और तकनीकी मानवशक्ति परियोजना के प्रति समर्पित है। अतः परियोजना-व्यय में मानवशक्ति लागत को सम्मिलित किया जाना चाहिए विशेषकर क्योंकि प्रयोगशाला के व्यय का महत्वपूर्ण भाग मानवशक्ति लागत है।

#### 7.5 निष्कर्ष

डी.आर.डी.ओ. को स्टाफ परियोजनाओं की असफलता की उच्च दर के कारणों को स्वीकार करने एवं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके अभाव में आर.एण्ड डी संगठन की विश्वसनीयता जोखिम में पड़ जाएगी। एक संगठन जिसका इसके परियोजनाओं का स्थानिक समय एवं लागत में वृद्धि का इतिहास है, को उपलब्ध प्रौद्योगिकी के सन्तुलित आकलन एवं यथार्थपूर्ण लागत के आकलन की प्रणाली के आधार पर परियोजना को संस्वीकृति देनी चाहिए और पी.डी.सी.का निर्णय करना चाहिए। परियोजना की सफलता या असफलता को उन पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उनके कार्य आबंटन पर निर्णय लिया जा सके। मंत्रालय को उन मामलों में जहाँ उपलब्ध क्षमताओं को बढ़ा कर कहने या प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के परिकलन में असफलता के कारण पी.डी.सी. बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया हो जिम्मेवारी निर्धारित करनी चाहिए।



मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2010 में प्रतिवेदित किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में पैराग्राफ में लाए गए तथ्यों पर वृहत सहमति जताई परन्तु कुछ पर इन तथ्यों पर निकाले निष्कर्षों पर आस्थगन। मंत्रालय के उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

## अध्याय VIII: आयुध फैक्ट्री संगठन

### 8.1 आयुध फैक्ट्री संगठन का कार्य निष्पादन

#### 8.1.1 प्रस्तावना

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत महानिदेशक, आयुध फैक्ट्रियाँ के अधीन कार्य करता है। कुल 39 निर्माणियों को पाँच उत्पाद आधारित प्रचालन समूहों<sup>32</sup> में विभक्त किया गया है। जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	समूह का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
(i)	गोलाबारूद एवं विस्फोटक	10
(ii)	शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर	10
(iii)	सामग्री एवं संघटक	8
(iv)	शस्त्र सज्जित वाहन	6
(v)	आयुध उपस्कर (वस्त्र एवं सामान्य भंडार)	5

कार्यशील 39 फैक्ट्रियों के अतिरिक्त दो और फैक्ट्रियाँ यथा, आयुध फैक्ट्री नालंदा एवं आयुध फैक्ट्री कोरवा अभी परियोजना स्तर पर है।

₹ 941.13 करोड़ जोकि बाद में फरवरी 2009 बढ़ाकर ₹ 2160.51 करोड़ हो गया, की संस्वीकृत लागत के प्रति, आयुध फैक्ट्री नालंदा पर मार्च 2010 तक, ₹ 786.01 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। ₹ 408.01 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति आयुध फैक्ट्री कोरवा पर मार्च 2010 तक ₹ 48.71 करोड़ व्यय किया जा चुका था। आयुध फैक्ट्री नालंदा दो लाख बाई मॉड्यूलर मास चार्ज सिस्टम प्रतिवर्ष तथा आयुध फैक्ट्री कोरवा 45000 कारबाइन प्रतिवर्ष निर्माण के लिए स्थापित की जानी हैं जिनका कार्य क्रमशः अगस्त 2011 तथा मार्च 2011 तक पूर्ण होना था।

#### 8.1.2 मूल कार्यकलाप

आयुध फैक्ट्रियाँ जोकि रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत विभागीय उपक्रम के रूप में कार्य करती हैं, का प्रमुख कार्य भारतीय थलसेना, वायुसेना व नौसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आयुध फैक्ट्रियों का मूल कार्यकलाप, प्रतिवर्ष आयोजित लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रदर्शित आवश्यकताओं के आधार पर शस्त्र, गोलाबारूद, शस्त्रसज्जित वाहन आयुध भंडार का निर्माण एवं आपूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की बाद में मांग के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पुष्टि की जाती हैं।

<sup>32</sup> कार्य के आधार पर फैक्ट्रियों को धातु क्रय (5 निर्माणी) अभियांत्रिक (13 निर्माणी) शस्त्र सज्जित वाहन (6 निर्माणी) फिलिंग (5 निर्माणी) रसायनिक (4 निर्माणी) उपस्कर एवं वस्त्र (6 निर्माणी)



तथापि अतिरिक्त क्षमता, यदि उपलब्ध है, तो उसके उपयोग से आयुध फैक्ट्रियाँ गृह मंत्रालय के पालियामेन्ट्री फोर्सस राज्य पुलिस, अन्य सरकारी विभागों व निर्यात सहित असैनिक मांगकर्ताओं के लिए भी गोलाबारूद व शस्त्र की आपूर्ति करती है।

इन आयुध फैक्ट्रियों की उत्पादन श्रृंखला में 881 प्रधान मदों का निर्माण होता है जिनमें टैंक रोधी गन, एयरक्राफ्ट रोधी गन, फील्ड गन, मोर्टर, लघु शस्त्र स्पोर्टिंग शस्त्र तथा उनके गोलाबारूद, बम, रॉकेट, प्रजेक्टाइल, ग्रनेड माइन, डिमालिशन चार्ज, डेथ चार्ज, पायरोटेकनिक स्टोर्स परिवहन वाहन, हथियार एवं अग्नि नियंत्रण उपकरण, ब्रिज, एसाल्ट बोट, वस्त्र एवं चर्म मद पैराशूट आदि शामिल है। यह उत्पाद श्रृंखला सभी आयुध फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत का 84 प्रतिशत भाग समाहित करती है।

### 8.1.3 श्रमशक्ति

आयुध फैक्ट्री संगठन के कार्मिकों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है: (i) वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारी (ii) कनिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर पर एवं लिपिकीय स्थापना में पदस्थ 'अराजपत्रित' (एन.जी.ओ.) अथवा अनौद्योगिक (एन.आई.ई.) कर्मचारी (iii) औद्योगिक (एन.आई.ई.) कर्मचारी (आई.ई.) जो उत्पादन एवं रखरखाव के कार्य में संलग्न होते हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:-

(संख्या में)

कर्मचारियों की संख्या	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजपत्रित अधिकारी	3866	3877	4036	3947	3481
कुल श्रमशक्ति पर राजपत्रित अधिकारियों की प्रतिशतता	3.31	3.47	3.77	3.84	3.50
एन.जी.ओ./एन.आई.ई.स.	35517	33783	32359	31105	30482
कुल श्रमशक्ति पर एन.जी.ओ./एन.आई.ई.स की प्रतिशतता	30.38	30.20	30.22	30.27	30.67
औद्योगिक कर्मचारी	77528	74181	70666	67717	65411
कुल श्रमशक्ति पर औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता	66.31	66.33	66.01	65.89	65.82
योग	116911	111841	107061	102769	99374

आयुध फैक्ट्री संगठन की श्रमशक्ति में सतत कमी आई है। 31 मार्च 2006 की स्थिति से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि 31 मार्च 2010 को आयुध फैक्ट्री संगठन की श्रमशक्ति में 15 प्रतिशत की कमी आई है। औद्योगिक कर्मचारियों एवं अराजपत्रित/अनौद्योगिक कर्मचारियों की संख्या में कमी की प्रतिशतता क्रमशः 15.63 प्रतिशत एवं 14.18 प्रतिशत रही है।

आयुध फैक्ट्री संगठन के राजपत्रित अधिकारियों में वर्ग 'क' एवं 'ख' के अधिकारी शामिल हैं। 2005-06 की स्थिति की तुलना में वर्ग 'क' अधिकारियों (2005-06) में 1622 से 2009-10 में 1577) की संख्या में 3 प्रतिशत की कमी आई तथा वर्ग 'ख' अधिकारियों (2005-06 में 2244 से 2009-10 में 1904) की संख्या में 2009-10 में 15 प्रतिशत की कमी आई।

#### 8.1.4 ओ.एफ.बी. के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

##### राजस्व व्यय

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयुध फैक्ट्रियों द्वारा किया गया कुल व्यय	सशस्त्र सेनाओं को उत्पाद आपूर्ति से प्राप्तियाँ	अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ <sup>33</sup>	कुल प्राप्तियाँ	आयुध फैक्ट्रियों की शुद्ध प्राप्तियाँ (5-2)
1	2	3	4	5	6
2005-06	6847.13	5701.31	1537.81	7239.12	391.99
2006-07	6191.89	5147.77	1384.52	6532.29	340.40
2007-08	7125.63	5850.65	1464.12	7314.77	189.14
2008-09	9081.28	6123.38	1474.54	7597.92	(-) 1483.36
2009-10	10812.10	7531.08	1545.01	9076.09	(-) 1736.01

घटक बार व्यय की तुलना से ज्ञात हुआ कि 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि, अनुसंधान, निर्माण, (प्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष श्रम प्रभारों सहित) निर्देश/प्रशासन प्रभारों तथा भंडार व्यय में क्रमशः 25.09, 24.75, 22.61 तथा 20.55 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्क्स नवीकरण और प्रतिस्थापन व्यय में क्रमशः 19.39 तथा 17.37 प्रतिशत की कमी के कारण हुई।

आयुध फैक्ट्री संगठन में, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने तथा कुछ सी.के.डी./एस.के.डी. मदों का उत्पादन न होने के कारण, उत्पाद लागत में वृद्धि हुई जिससे 2008-09 से, व्यय पर प्राप्तियों की अधिकता के रुझान में प्रत्यावर्तन हुआ।

जबकि 2007-08 तक आयुध फैक्ट्रियाँ भारत की संचित निधि पर ऋणात्मक प्रभार कायम रखने में सफल थी। सशस्त्र सेनाओं को आपूर्ति कभी भी बजट प्रावधानों के बराबर नहीं होती थी जिससे अनुमान से कम आपूर्ति प्रदर्शित हो। 2009-10 के

₹ 8393 करोड़ की बजटीय आपूर्ति के प्रति ₹ 7531 करोड़ की आपूर्ति दर्ज हुई जिससे ₹ 862 करोड़ की कमी प्राप्त हुई। 2008-09 में कमी ₹ 474 करोड़ तथा 2007-08 में ₹ 594 करोड़ थी।

<sup>33</sup> अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ में आर.आर. कोष के स्थानान्तरण के कारण प्राप्तियाँ, अधिक/अप्रचलित भण्डार के विक्रय, पुलिस सहित एम.एच.ए. को निर्गम, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सिविल व्यापार, निर्यात एवं विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।



यद्यपि सशस्त्र सेनाओं से वास्तविक मूल्य की वसूली के लिए प्रावधान उपलब्ध है, लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे मामले देखे गए, जहाँ निर्गम मूल्य वास्तविक उत्पादन लागत से कम था। यह आयुध फैक्ट्रियों की प्राप्तियों की मात्रा पर सीधा प्रभाव डालता है जिससे उन्हें सरकार प्राप्त होने वाले बजटीय सहयोग पर भी प्रभाव पड़ता है। लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे मामले भी आए जहाँ (i) आयुध फैक्ट्रियों ने अपनी लागत को असामान्य रूप से अधिक दर्शाया एवं (ii) आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार थलसेना के लिए, असामान्य निर्गम मूल्य निश्चित किया जिसके परिणाम स्वरूप मांगकर्ताओं को निर्गम में ₹ 317.91 करोड़ का असामान्य लाभ हुआ।

मद का नाम	आपूर्ति मात्रा (संख्या में)	संलग्न फैक्ट्री	अनुमानित इकाई लागत (₹ लाख में)	वास्तविक इकाई लागत (₹ लाख में)	निर्गम मूल्य प्रति इकाई (₹ लाख में)	लाभ (₹ लाख में)
अंतिम स्तर (स्तरवार देशीकृत टी-90 टैंक)	24	एच.वी.एफ.	1434.35	44.33	175.50	3148.08
प्रूफ फायरिंग (स्तरवार देशीकृत टी-90 टैंक)	24	एच.वी.एफ.	1427.46	39.02	351.00	7487.52
पीटीए-एम	1075	ओ.पी.एफ.	0.83	0.72	7.20	6966.00
14.5 आर्टिलरी ट्रेनर	53	एम.टी.पी.एफ.	8.71	7.94	11.45	186.03
अंतिम स्तर (स्तरवार एम.बी.टी.)	35	एच.वी.एफ.	1876.39	34.41	226.88	6736.45
प्रूफ फायरिंग (स्तरवार एम.बी.टी.)	21	एच.वी.एफ.	1862.63	107.74	453.76	7266.42
					योग	31790.50

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने मई 2011 में कहा कि आयुध पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में पीटीए-एम का इकाई मूल्य भूलवश ₹ 72000 के स्थान पर ₹ 7.20 लाख हो गया था तथा आवश्यक संशोधन सभी संबंधितों को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए था। ओ.एफ.बी. का उत्तर लेखापरीक्षा के इस तथ्य का समर्थन करता है कि पीटीए-एम का निर्गम मूल्य अत्यधिक होने के कारण आयुध ने भारी लाभ अर्जित किया। चार मदों (I) अंतिम स्तर (स्तरवार देशीकृत टी-90) (II) प्रूफ फायरिंग (स्तरवार देशीकृत टी-90) (III) अंतिम स्तर (स्तरवार एम.बी.टी.) (IV) प्रूफ फायरिंग (स्तरवार एम.बी.टी.) के अनुमानित लागत एवं इकाई लागत में भारी अंतर के संबंध में ओ.एफ.बी. ने कहा कि एच.वी.एफ. में टैंकों का निर्माण चार स्तरों में होता है तथा निर्गम भी स्तरों में दर्ज किया जाता है। ओ.एफ.बी. ने आगे कहा कि (I) I से लेकर IV स्तरों के लिए अलग-अलग अनुमान तैयार किए जाते हैं तथा निर्गम दर भी स्तर-I के लिए 45 प्रतिशत, स्तर-II के लिए 25 प्रतिशत, स्तर-III के लिए 20 प्रतिशत तथा स्तर-IV के लिए 10 प्रतिशत, इन स्तरों में निहित अनुमानित उत्पादन लागत की संबद्धता के बिना, निश्चित

किए गए हैं (II) स्तर (IV) टी-90 की लागत में टी.ओ.टी. प्रभार के रूप में ₹ 35 लाख जोड़ा गया है।

ओ.एफ.बी. का तर्क अस्वीकार्य एवं विरोधाभासी है क्योंकि जहाँ एक ओर उनका कहना है कि चार स्तरों अर्थात् I से IV के लिए अलग-अलग अनुमान तैयार किये जाते थे, दूसरी ओर उनका तर्क है कि विभिन्न उत्पादन स्तरों की निर्गम दरें इन स्तरों में संलग्न अनुमानित उत्पादन लागत से स्वतंत्र हैं।


### उत्पादन लागत

वर्ष 2009-10 की उत्पादन लागत की गणना हेतु वर्ष के दौरान किए गए व्यय का समूह वार/मदवार विवरण तथा उत्पादन लागत पर विभिन्न घटकों का प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दिया गया है-

क्रम संख्या	फैक्ट्रियों का समूह	उत्पादन लागत	प्रत्यक्ष भंडार एवं उत्पादन लागत से प्रतिशत	प्रत्यक्ष व्यय एवं उत्पादन लागत से प्रतिशत	प्रत्यक्ष श्रम एवं उत्पादन लागत से प्रतिशत	उपरिव्यय प्रभार		
						स्थायी उपरिव्यय और उसका उत्पादन वार लागत से प्रतिशत	परिवर्तनशील उपरिव्यय एवं उसका उत्पादन वार लागत से प्रतिशत	कुल उपरिव्यय एवं उसका उत्पादन वार लागत से प्रतिशत (8+9)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	सामग्री एवं संघटक	1490.60	548.17 (36.78)	55.24 (3.71)	193.84 (13.00)	459.70 (30.84)	233.64 (15.67)	693.34 (46.51)
2	शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर	2476.40	1159.29 (46.81)	21.04 (0.85)	292.67 (11.82)	686.83 (27.74)	316.58 (12.78)	1003.41 (40.52)
3	गोलाबारूद एवं विस्फोटक	3924.14	2567.77 (65.44)	17.03 (0.43)	294.15 (7.50)	763.02 (19.44)	282.17 (7.79)	1045.19 (26.63)
4	शस्त्रसज्जित वाहन	3257.75	2452.46 (75.28)	12.21 (0.38)	148.06 (4.54)	489.69 (15.03)	155.33 (4.77)	645.02 (19.80)
5	आयुध उपस्कर	669.00	268.63 (40.15)	0.24 (0.04)	173.48 (25.93)	165.95 (24.81)	60.69 (9.07)	226.64 (33.88)
6	योग	11817.89	6996.32 (59.20)	105.76 (0.89)	1102.20 (9.33)	2565.19 (21.71)	1048.41 (8.87)	3613.60 (30.58)



2009-10 के दौरान विभिन्न समूहों की फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)



2009-10 के दौरान गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह की फैक्ट्रियों में सभी पाँच समूहों की फैक्ट्रियों के मध्य ₹ 3924.14 करोड़ की सर्वाधिक उत्पादन लागत देखी गई जिसमें सामग्री प्रत्यक्ष व्यय, श्रम एवं उपरिव्यय की प्रतिशतता क्रमशः 65.44 प्रतिशत, 0.43 प्रतिशत, 7.50 प्रतिशत एवं 26.63 प्रतिशत रही जबकि आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों में ₹ 669.00 करोड़ की न्यूनतम उत्पादन लागत देखी गई जिसमें सामग्री, प्रत्यक्ष व्यय श्रम एवं उपरिव्यय की प्रतिशतता क्रमशः 40.15 प्रतिशत, 0.04 प्रतिशत, 25.93 प्रतिशत तथा 33.88 प्रतिशत रही। जहाँ आयुध फैक्ट्री बोर्ड का औसत उपरिव्यय प्रभार 30.58 प्रतिशत था, सामग्री एवं संघटक समूह की फैक्ट्रियों में उपरिव्यय सर्वाधिक 46.51 प्रतिशत तथा शस्त्र सज्जित वाहन समूह का उपरिव्यय न्यूनतम 19.80 प्रतिशत था।

#### उपरिव्यय प्रभार

2005-06 से 2009-10 के दौरान विविध आयुध फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत के संबंध में उपरिव्यय का विवरण परिशिष्ट VII में दिया गया है।

सामग्री एवं संघटक समूह में वर्गीकृत आयुध फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की प्रतिशतता अधिक थी जहाँ उपरिव्यय औसत रूप से उत्पादन लागत का 45 प्रतिशत रहा शस्त्र सज्जित वाहन समूह की फैक्ट्रियों में यह न्यूनतम 22 प्रतिशत था।

उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में उपरिव्यय हो रहे व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि का रुझान है जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन लागत	कुल उपरिव्यय प्रभार	उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की प्रतिशतता
1	2	3	4
2007-08	9312.61	2643.37	28.38
2008-09	10610.40	3180.11	29.97
2009-10	11817.89	3613.60	30.58

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि समग्र रूप से आयुध फैक्ट्रियों के लिए उत्पादन लागत पर कुल उपरिव्यय 2009-10 के दौरान 30.58 प्रतिशत रहा। उपरिव्यय प्रतिशतता में वृद्धि, आयुध फैक्ट्री बोर्ड की, 171 मदों के लिए लक्ष्य तय करने में विफलता के कारण हुई जिनके लिए मांग उपलब्ध थी तथा आंशिक रूप से 134 मदों के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता के कारण हुई।

ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा कि उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए उनके तथा मांगकर्ताओं के मध्य पारस्परिक सहमति से निश्चित लक्ष्य के आधार पर आपूर्ति की गई तथा उपरिव्यय में मामूली वृद्धि का प्रमुख कारण छठे वेतन आयोग के लागू होने के कारण वेतन में वृद्धि तथा 60 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान था।

### अधिक पर्यवेक्षण तथा अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार

विगत पाँच वर्षों के दौरान पर्यवेक्षण प्रभार पर व्यय की गई धनराशि का समूहवार विवरण तथा कुल श्रम प्रभार तथा प्रत्यक्ष श्रम प्रभार से इसका संबंध परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

परिशिष्ट VIII से यह स्पष्ट है कि आयुध उपस्कर समूह को छोड़कर अन्य सभी समूहों में प्रत्यक्ष श्रम प्रभार की तुलना में पर्यवेक्षण प्रभार बिल्कुल असामान्य था जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष श्रम पर व्यय किए गए प्रत्येक रूपये पर आयुध फैक्ट्रियों ने ₹ 1.67 व ₹ 1.35 के मध्य पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान किया। इन आंकड़ों में कुछ असंगतता प्रतीत होती है क्योंकि वर्ग 'क' एवं 'ख' अधिकारी जो पर्यवेक्षण प्रभार के प्रमुख घटक हैं, की संख्या मात्र 3481 थी जबकि प्रत्यक्ष श्रम की श्रेणी में आने वाले औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या 65411 थी। जो भी हो, प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार की प्रतिशतता को एक उचित स्तर पर लाया जाना चाहिए।


### उत्पादन कार्यक्रम

गोलाबारूद, शस्त्र एवं वाहन, सामग्री एवं संघटक तथा शस्त्र सज्जित वाहनों के लिए उत्पादन कार्यक्रम एक वर्ष हेतु निर्धारित किए गए थे जबकि उपस्कर मदों के लिए चार वर्षीय कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान माँगों, निश्चित लक्ष्य तथा लक्ष्य को पूरा करने में कमी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	मदों की संख्या जिसके लिए मांग उपलब्ध थी	मदों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य निश्चित था	मदों की संख्या जिनका निर्माण लक्ष्य के अनुसार हुआ	मदों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका	निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में कमी की प्रतिशतता
2005-06	352	352	257	95	26.99
2006-07	552	438	321	117	26.71
2007-08	628	507	360	147	28.99
2008-09	419	419	296	123	29.36
2009-10	605	434	300	134	30.88



उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान आयुध फैक्ट्रियों ने कभी भी लक्ष्य पूर्ण नहीं किया। वर्ष 2009-10 के दौरान यद्यपि आयुध फैक्ट्रियों में 605 मदों के निर्माण हेतु मांग उपलब्ध थी, लक्ष्य केवल 434 मदों के लिए तय किया गया। यहाँ तक कि उन मदों के संबंध में, जिनके लिए 2009-10 के दौरान लक्ष्य निश्चित था, आयुध फैक्ट्रियाँ केवल 300 मदों के संबंध में ही लक्ष्य प्राप्त कर सकीं जिससे आयुध फैक्ट्रियाँ मदों के 31 प्रतिशत भाग का लक्ष्य पूरा करने में विफल रही। सभी मदों जिनके लिए मांग उपलब्ध थी, के लक्ष्य को पूरा करने से इन मदों पर नियत उपरिव्यय लागत प्रभारित करने एवं निर्गम मूल्य मांगकर्ताओं से वसूल करने से आयुध फैक्ट्री संगठन का उपरिव्यय भार कम होता।




ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा कि मदों की वरीयता के अनुसार उपभोक्ताओं से परामर्श करके उत्पादन लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं अतएवं यद्यपि बड़ी संख्या में मदों के लिए मांग उपलब्ध हो सकती है किंतु सभी मदों के लिए विशेष वर्ष में उत्पादन लक्ष्य तय नहीं किए जाते। ओ.एफ.बी. ने आगे कहा कि वर्ष 2009-10 के लिए स्वीकृत लक्ष्य के प्रति कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे: (I) कुछ फर्मों के साथ व्यवसाय स्थगित रखने के कारण व्यापार से इनपुट सामग्री का प्राप्त न होना (II) कुछ भंडारों के मामले में थोक उत्पादन की स्वीकृति प्राप्त न होना (III) कुछ मदों के मामले में लक्ष्य के अनुसार मांग का पर्याप्त न होना (IV) प्रूफ एवं स्वीकृति में विलंब (V) मांग की प्राप्ति के पश्चात, मुख्यतः आयातित सामग्री के मामले में कुछ इनपुट सामग्री की अधिप्राप्ति में लंबे समयान्तराल की आवश्यकता एवं (VI) कुछ गोलाबारूद एवं राकेट जैसे, 130 मि.मी. कार्गो, राउंड 120 मि.मी. हेश, राउंड 120 मि.मी. एफ.एस.ए. पी.डी.एस. गोलाबारूद तथा पिनाका रॉकेट की डिजाइन संबंधी समस्या। उपभोक्ताओं द्वारा मांग से कम लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में ओ.एफ.बी. का तर्क स्वीकार्य है किंतु लक्ष्य के अनुसार उत्पादन को प्राप्त न कर पाने के लिए दिया गया औचित्य स्वीकार्य नहीं है।

#### मांगकर्ताओं को निर्गम

विगत पाँच वर्षों के दौरान मांगकर्ता-वार निर्गम का मूल्य निम्नवत था:-

मांगकर्ता का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
थलसेना	5187.25	4535.43	5252.15	5557.66	7054.12
नौसेना	147.49	130.76	119.39	179.41	124.40
वायुसेना	203.44	208.09	239.53	221.02	208.20
एम.ई.एस. अनुसंधान एवं (अन्य रक्षा विभाग)	106.15	143.08	145.63	124.67	116.40
कुल रक्षा	<b>5644.33</b>	<b>5017.36</b>	<b>5756.70</b>	<b>6082.76</b>	<b>7503.12</b>
सिविल व्यापार एवं निर्यात	1247.35	1179.98	1181.11	1146.55	1212.13
कुल निर्गम	<b>6891.68</b>	<b>6197.34</b>	<b>6937.81</b>	<b>7229.31</b>	<b>8715.25</b>

2009-10 के दौरान कुल निर्गम का मूल्य विगत वर्ष की अपेक्षा 20.55 प्रतिशत बढ़ गया। जैसाकि नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट है, 2009-10 के दौरान कुल निर्गम मूल्य के लगभग 80.94 प्रतिशत के साथ, थलसेना आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादों का प्रमुख प्राप्तकर्ता रही।



### सिविल व्यापार

आयुध फैक्ट्रियों ने उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा बजट पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, जुलाई 1986 से, सिविल व्यापार का कार्य आरंभ किया। 2005-06 से 2009-10 के दौरान, गृह मंत्रालय तथा राज्य पुलिस विभागों को की गई आपूर्ति के अतिरिक्त, सिविल व्यय व्यापार का टर्न ओवर निम्नवत था:-



वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियों की संख्या	लक्ष्य	प्राप्त	प्राप्ति का प्रतिशत
2005-06	33	266.00	312.17	117.36
2006-07	33	279.16	298.56	106.95
2007-08	32	335.01	359.56	107.33
2008-09	39	351.12	329.30	93.79
2009-10	27	374.23	425.18	113.61

यद्यपि 2008-09 के दौरान सिविल व्यापार की लक्ष्य प्राप्ति में कमी थी, 2009-10 में उपलब्धि, लक्ष्य से 13.61 प्रतिशत अधिक थी।

### निर्यात

2005-06 से 2009-10 के दौरान, निर्यात के लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियाँ	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (-)/ अधिकता (+)	लक्ष्य के संदर्भ में प्रतिशतता
2005-06	11	15.00	14.66	(-)0.34	(-)2.27
2006-07	13	25.00	15.12	(-)9.88	(-)39.52
2007-08	10	30.00	27.44	(-)2.56	(-)8.53
2008-09	11	35.00	41.07	(+)6.07	(+)17.34
2009-10	13	41.30	12.30	(-)29.00	(-)70.22

2008-09 को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों में, आयुध फैक्ट्रियाँ निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकीं। वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात लक्ष्य में कमी की प्रतिशतता 70.22 प्रतिशत थी। आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने कहा कि प्रमुख आदेशों के संबंध में प्रदाय की अवधि 2010-11 में थी इसलिए उपलब्धि में यह कमी आई। 31 मार्च 2010 को, रायल भूटान आर्मी को जनवरी 2004 में की गई आपूर्ति के प्रति विदेश मंत्रालय से प्राप्त होने वाली धनराशि ₹ 15.62 लाख थी।

धनराशि की वसूली के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

### भंडार प्रबंधन

#### भंडारण

किसी फैक्ट्री द्वारा किसी समय आयातित भंडार एवं देशज मदों के संबंध में उपलब्ध भंडार के भंडारण का स्तर, उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने के लिए मदों का महत्व, मद की अधिप्राप्ति में लगने वाले समय, सत्यापित वैकल्पिक क्षमता की उपलब्धता स्थापित स्रोत, भंडारण के लिए स्थल की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। किसी मद के संबंध में उपलब्ध सामग्री के भंडारण का स्तर महाप्रबंधक द्वारा इस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिए कि फैक्ट्री के लिए संपूर्ण सामग्री के भंडारण के स्तर नीचे दिए गए अधिकतम स्तर से सामान्यतः अधिक न हो।

क्रम सं.	फैक्ट्रियों का समूह	सामग्री भंडारण की प्राधिकृत सीमा (अधिकतम)
1.	शस्त्र सज्जित वाहन	6 माह
2.	आयुध उपस्कर फैक्ट्रियाँ	3 माह
3.	अन्य	4 माह

यह देखा गया है कि (I) आयुध फैक्ट्री देहरादून जो शस्त्रसज्जित वाहन समूह के अंतर्गत आती है, के पास 12 माह की आवश्यकता के बराबर सामग्री का भंडारण था (II) आयुध वस्त्र फैक्ट्री शाहजहाँपुर एवं हजरतपुर जो आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह के अंतर्गत आती है, के पास 6 माह की आवश्यकता के बराबर सामग्री का भंडारण था (III) आयुध फैक्ट्री कटनी/अंबरनाथ/मुरादनगर एवं धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर जो अन्य समूह के अंतर्गत आती है, के पास 12 माह की आवश्यकता के बराबर भंडारण था। इसके अतिरिक्त गन एवं शैल फैक्ट्री कोसीपौर एवं आयुध फैक्ट्री खमरिया के पास 10 माह एवं 9 माह की आवश्यकता के बराबर भंडारण था जबकि प्राधिकृत सीमा 4 माह की आवश्यकता के बराबर भंडारण की है।

सार्वजनिक धन के जमाव के अतिरिक्त लंबे समय तक भंडार के भंडारण से, भंडार की गुणवत्ता में कमी आती है तथा मूल्यवान, भंडारण स्थल भी भरा रहता है। अधिक भंडार के भंडारण को कम करने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा की भंडार की स्थिति पर वित्त वर्ष की तिमाही में आयोजित बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई तथा यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक आयुध फैक्ट्री का भंडार अनुभाग, पूर्ण विवरण यथा नाम, प्राप्ति की तारीख, आपूर्ति का स्रोत आदि सहित 30 से 40 मर्दों के बारे में सूचित करेगा जिससे अन्य अधिकारियों सहित महाप्रबंधक इस प्रकार के मर्दों के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार कर सकें। ओ.एफ. बी. का यह प्रस्ताव यदि कार्यान्वित होता है तो फैक्ट्रियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भंडार के निस्तारण में सहायता मिलेगी। यथापि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि भंडार किस प्रकार एकत्र हुआ और फैक्ट्रियों द्वारा भविष्य में इस प्रकार का अति संचय रोकने के लिए ओ.एफ.बी. ने कौन से कदम उठाए हैं।

### भंडारण की स्थिति

2005-06 से 2009-10 के दौरान कुल सामग्री के भंडारण की स्थिति निम्नवत थी:

क्रम सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (19)	विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1.	कार्यशील भंडार						
ए.	सक्रिय	1649.99	1734.00	2160.00	2354.00	2732.00	16.06
बी.	निर्गमित न होने वाले	253.55	256.00	333.00	322.00	297.00	-7.76
सी.	कम निर्गमित होने वाले	241.48	194.00	211.00	287.00	507.00	76.66
	कुल कार्यशील भंडार	<b>2145.02</b>	<b>2184.00</b>	<b>2704.00</b>	<b>2963.00</b>	<b>3536.00</b>	<b>19.34</b>



2.	अनुपयोगी एवं अप्रचलित	10.43	14.00	14.00	26.00	39.00	50
3.	अधिक/रद्दी	57.88	80.00	81.00	68.00	64.00	-5.88
4.	अनुरक्षण भंडार	73.28	87.00	79.00	73.00	73.00	0.00
	योग	<b>2286.61</b>	<b>2365.00</b>	<b>2878.00</b>	<b>3130.00</b>	<b>3712.00</b>	<b>18.59</b>
5.	खपत के दिनों के संदर्भ में औसत भंडारण	151	169	160	149	177	18.79
6.	कुल कार्यशील भंडार के प्रति निर्गमित न होने वाले व कम निर्गमित होने वाले भंडार का प्रतिशत	23.08	20.60	20.12	20.55	22.74	10.66

2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान खपत के दिनों की संख्या के संदर्भ में औसत भंडारण 18.79 प्रतिशत बढ़ गया। निर्गमित न होने वाले तथा कम निर्गमित होने वाले एवं अनुपयोगी व रद्दी भंडार के अत्यधिक जमाव पर प्रबंधन द्वारा तत्काल पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है जिससे कारणों का पता चल सके तथा भंडार का प्रभावी उपयोग/निस्तारण हो सकें।

#### तैयार भंडार का भंडारण

प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकता द्वारा तैयार 2009-10 के लिए आयुध फैक्ट्री संगठन के वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा से प्राप्त, पिछले पाँच वर्षों के दौरान तैयार माल के भंडारण (पूर्ण वस्तुएँ तथा संघटक) की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
तैयार वस्तुओं का भंडारण	121.06	125.11	79.00	506.00	166.59
कुल उत्पाद लागत	8811.59	7957.53	9312.61	10610.40	11817.89
निर्गम दिवस के रूप में तैयार भंडार का भंडारण	5	5	3	17	5
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में भंडारण	1.37	1.57	0.85	4.77	1.41
तैयार संघटक का भंडारण	437.92	465.45	617.00	458.00	1015.04
खपत के दिनों की संख्या के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	46	52	44	38	85
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	4.97	5.85	6.63	4.32	8.59

यद्यपि 31 मार्च 2010 को तैयार (पूर्ण) वस्तुओं के मूल्य में कमी आई, 2008-09 की तुलना में, 2009-10 में तैयार संघटकों का मूल्य असामान्य रूप से 121.62 प्रतिशत बढ़ गया। भारी मात्रा में तैयार संघटकों के शीघ्र उपयोग के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-10 के दौरान आयुध फैक्ट्री संगठन द्वारा तैयार संघटकों के उपयोग की लागत किसी भी लेखे में नहीं दर्शायी गई है। बल्कि, वर्ष 2009-10 के वार्षिक उत्पादन लेखे नीचे एक फुटनोट में यह दिखाया गया कि उत्पादन में उपयोग किए गए तैयार संघटकों की लागत ₹ 1448.07 करोड़ थी जबकि प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियों) कोलकता द्वारा तैयार 2009-10 के वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा में तैयार संघटकों की खपत ₹ 4342 करोड़ दर्शाई गई है, इस प्रकार ₹ 2893.93 करोड़ की विसंगति देखी गई। परिणाम: प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियों) द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान तैयार संघटकों की खपत के संबंध में दर्शायी गई संख्या की सत्यता उच्च प्रश्नीय है। लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि आयुध फैक्ट्री संगठन के संचित वार्षिक लेखे में, आयुध फैक्ट्रियों द्वारा वित्त वर्ष में खपत किए गए तैयार संघटक के संबंध में समुचित प्रविष्टि की जाए।

ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा कि 2008-09 की तुलना में तैयार भंडार में वृद्धि, मुख्यतः एच.वी.एफ. अवाडी में टी-90 के सेमी नाकड डाउन (एस.के.डी.) मदों की प्राप्ति के कारण हुई। 2009-10 तक प्राप्त ₹1710 करोड़ के एस.के.डी. मदों में से केवल ₹ 960 करोड़ के मद तैयार उत्पाद में परिवर्तित किए जा सके। ओ.एफ.बी. ने लेखे में तैयार संघटकों की खपत एवं प्रविष्टि की प्रणाली की कमियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।

### 8.1.5 जारी कार्य

आयुध फैक्ट्री का महाप्रबंधक, उत्पादन कारखाने को एक अधिपत्र जारी करके किसी मद की दी हुई मात्रा के निर्माण के लिए प्राधिकृत करता है, जिसकी सामान्य वैधता छः माह की होती है। विभिन्न अधिपत्रों से संबंधित मद जो कारखानों में अर्द्ध-निर्मित अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें 'जारी कार्य' के रूप में जाना जाता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी कार्य की स्थिति निम्नवत थी:

31 मार्च की स्थिति	जारी कार्य का मूल्य (₹ करोड़ में)
2006	1270.68
2007	1179.31
2008	1265.00
2009	1961.82
2010	2121.75

पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2010 को जारी कार्य का कुल मूल्य 8.15 प्रतिशत अधिक हो गया। 31 मार्च 2010 को कुल 27708 अधिपत्र बकाया थे जिसमें से 20877 अधिपत्र 2009-10 से संबंधित थे एवं शेष 6831 अधिपत्र 2009-10 के पूर्व के वर्षों से संबंधित थे। सबसे पुराना अधिपत्र 1993-94 से संबंधित था। ओ.एफ.बी. द्वारा प्राधिकृत छः माह से अधिक समय से बकाया, विशेषकर 1993-94 से 2006-07 की अवधि के बकाया अधिपत्रों के समापन के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा



कि हर छः माह पर बोर्ड द्वारा बकाया अधिपत्रों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है तथा पुराने बकाया अधिपत्रों के समापन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

### 8.1.6 अपलेखित हानियाँ

31 मार्च 2010 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान अपलेखित हानियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान एवं परित्यक्त दावे	0.15	1.21	0.00	0.22	0.00
2	चोरी धोखाधड़ी एवं लापरवाही के कारण हानि	2.81	0.55	29.11	0.28	0.17
3	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के अलावा वास्तविक शेष में कमी के कारण हानि	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
4	पारगमन हानि	6.51	0.00	0.16	6.46	16.85
5	अन्य कारण (दोषयुक्त भंडारण के अलावा भंडार की कंडीशनिंग स्टोर जो प्रचलन से हटने के कारण स्क्रेप हो गया	5.98	0.34	19.58	180.41	1.07
6	दोषयुक्त भंडारण हानि	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
7	भंडार से असंबंध हानियाँ	1984.21	883.70	333.90	73.75	233.19
	योग	1999.66	890.90	382.75	261.12	251.28

जून 2010 को, ₹ 77.21 करोड़ मूल्य के 173 मामलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमितीकरण किया जाना शेष था जिसमें से सबसे पुराना मद वर्ष 1964-65 से संबंधित था। मार्च 2009 को ₹ 77.42 करोड़ मूल्य के 175 मामले, मंत्रालय द्वारा नियमितीकरण के लिए शेष थे। 2009-10 के दौरान, ₹ 0.21 करोड़ मूल्य के केवल चार मामलों का नियमितीकरण किया गया। यह मंत्रालय द्वारा हानियों को मंद गति से निपटाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है तथा आयुध निर्माणी बोर्ड को हानियों शीघ्रातिशीघ्र नियमित करने के लिए मंत्रालय को सहमत करने के संबंध में प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि नियमितीकरण के लिए हानि का सबसे पुराना मामला 1964-65 का है, मंत्रालय को कैपिटल आउटले के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड को संस्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है जिससे लंबी अवधि पूर्व हुए हानि का नियमितीकरण हो सके।

ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा कि उन्होंने हानियों के नियमितीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है।

### 8.1.7 क्षमता का उपयोग

पिछले पाँच वर्षों के दौरान मशीन घंटों के आधार पर जिस सीमा तक क्षमता का उपयोग किया गया उसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(मशीन घंटों के रूप में क्षमता का उपयोग)

वर्ष	उपलब्ध मशीन घंटे	प्रयुक्त मशीन घंटे	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
2005-06	1763	1392	78.96
2006-07	1472	1120	76.08
2007-08	1351	1147	84.90
2008-09	1696	1294	76.30
2009-10	1839	1261	68.57
योग	<b>8121</b>	<b>6214</b>	<b>76.52</b>

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, मशीन घंटों के रूप में उपलब्ध क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता 76.52 प्रतिशत रही। यद्यपि 2009-10 के दौरान मशीन घंटों की उपलब्ध क्षमता में वृद्धि हुई, तथापि उपलब्ध क्षमता के उपयोग में भारी कमी आई जिससे 31.43 प्रतिशत उपलब्ध क्षमता अनुपयोजित रही। उपलब्ध क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

ओ.एफ.बी. ने मई 2011 में कहा कि वृद्धित लक्ष्य तथा सेवानिवृत्तों के स्थान पर श्रमशक्ति की तैनाती की संस्वीकृति को देखते हुए मशीन घंटों के रूप में क्षमता उपयोग में आने वाले वर्षों में सुधार की संभावना है।

मामले की फरवरी 2011 में रक्षा मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, जुलाई 2011 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

नोट: इस पैराग्राफ में शामिल आंकड़े, मुख्यतः प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकता द्वारा 2009-10 के लिए तैयार आयुध एवं आयुध उपस्कर फैक्ट्रियाँ के समेकित वार्षिक लेखे, प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकता एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड कोलकता द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों तथा प्रस्तुत सूचनाओं पर आधारित है।



## भंडार एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति

### मशीनरी

#### 8.2 एक क्रय संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय।

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी. शस्त्रसज्जित वाहन मुख्यालय अवाडी एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा एक क्रय संविदा को अंतिम रूप देने में असामान्य विलंब के कारण इसकी अधिप्राप्ति में ₹ 1.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच.वी.एफ) को टी-90 टैंकों के टार्जन बार के देशज निर्माण हेतु एक स्पेशल उद्देश्य सेमी आटोमेटिक लांगिट्यूडिनल रॉलिंग मशीन (मशीन) की आवश्यकता हुई। टार्जन बार के बहुवार्षिक आयात से बचने के लिए इस मशीन की आवश्यक माना गया। अतः एच.वी.एफ ने मार्च 2003 में अधिप्राप्ति की कार्यवाही प्रारंभ की तथा मूल उपस्कर निर्माता अर्थात् मेसर्स रोजबोरोन एक्सपोर्ट (ओ.ई.एम) से उद्घरण आमंत्रित किया। चूँकि उद्घरण 1.297 मिलियन यू.एस डालर का था जो बाद में अगस्त 2003 में कम होकर 1.10 मिलियन यू.एस डालर हो गया, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) में अनुमानित धनराशि से अधिक था तथा मशीन के मूल्य में कमी लाने के आगे के सभी प्रयास विफल हो गए, शस्त्रसज्जित वाहन मुख्यालय अवाडी (ए.वी.एच.क्यू) ने दिसंबर 2003 में एच.वी.एफ. को वैश्विक निविदा सूचना आमंत्रित करने के लिए कहा।

एच.वी.एफ अवाडी द्वारा जनवरी 2004 में जारी वैश्विक निविदा सूचना के उत्तर में एक भी उद्घरण नहीं प्राप्त हुआ। एच.वी.एफ ने अक्टूबर 2004 में ओ.ई.एम. से मशीन अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया। जिसे ए.वी.एच.क्यू. द्वारा दिसंबर 2004 में स्वीकृत कर लिया गया। ए.वी.एच.क्यू ने लगभग 8 माह के पश्चात अगस्त 2005 में मामले को स्वीकृति हेतु रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) को संदर्भित किया। एम.ओ.डी.ने 1.10 मिलियन यू.एस.डालर (₹ 5.14 करोड़) के मूल्य पर ओ.ई.एम से अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृति प्रदान करने में एक वर्ष से अधिक का समय लिया (अक्टूबर 2006)।

इस बीच ओ.ई.एम. ने एच.वी.एफ के अनुरोध पर अपने मई 2003 के प्रस्ताव की वैधता समय-समय पर बढ़ाया यथा दिसंबर 2005, अप्रैल 2006 एवं अंतिम रूप से अगस्त 2006।

एच.वी.एफ ने अक्टूबर 2006 में संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए ओ.ई.एम से संपर्क किया। किंतु ओ.ई.एम ने दिसंबर 2006 में एच.वी.एफ को सूचित किया कि भारत की तरफ से लगभग तीन वर्ष के लंबे विलंब के कारण प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात एच.वी.एफ ने ओ.ई.एम से एक नया प्रस्ताव (जून 2007 आमंत्रित किया तथा मशीन की खरीद हेतु कुल 1.38 मिलियन यू.एस डालर की कुल लागत पर नवंबर 2007 में एक करार पर हस्ताक्षर किया। एच.वी.फ ने अक्टूबर 2009 में मशीन प्राप्त की जो दिसंबर 2009 में स्थापित हुई।

इस दौरान, मशीन की अनुपलब्धता के कारण के कारण, एच.वी.एफ ने ₹ 6.69 करोड़ (1.633 मिलियन यू.एस.डालर) की लागत से टी-90 टैंकों के देशज निर्माण हेतु, नवम्बर

2007 एवं दिसंबर 2007 के दो पूरक संविदाओं के प्रति संविदाओं के प्रति सितंबर 2008 एवं अक्तूबर 2009 के बीच 1800 टार्जन बार एल.एच.एवं आर.एच. आयात किया।

एच.वी.एफ. ए.वी.एच.क्यू. एवं एम.ओ.डी. द्वारा सामूहिक रूप से एक प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने में दो वर्ष से अधिक समय लिया गया जिसके कारण मशीन की अधिप्राप्ति में 0.28 मिलियन यू.एस.डालर जो कि ₹ 1.36 करोड़ के बराबर होता है, का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

सितंबर 2010 में ओ.एफ. बी ने कहा कि मूल्य में कमी करने के लिए प्रयास किए गए किंतु घटा मूल्य भी डी.पी.आर में दिए गए मूल्य से अधिक था। ओ.ई.एम द्वारा अधिक दर उद्धृत किए जाने के कारण, एच.वी.एफ.को ए.वी.एच.क्यू द्वारा वैश्विक मशीन आपूर्तिकर्ताओं से उद्धरण प्राप्ति की आशा में वैश्विक निविदा सूचना जारी करने की सलाह दी गई।

ओ.एफ.बी. का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह जानने के बावजूद कि कथित मशीन की आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है तथा आगे, दर में कमी की निश्चितता नहीं थी, प्राधिकारी, ओ.ई.एम के प्रस्ताव की वर्धित वैधता अवधि के अंदर अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहें। इसके कारण मशीन की अधिप्राप्ति में परिहार्य विलंब हुआ फलतः मशीन के लिए ₹ 1.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 6.69 करोड़ की लागत से, टैंकों के उत्पादन हेतु आवश्यक टार्जन बार का आयात करना पड़ा। जबकि अक्तूबर 2004 में यह ज्ञात हो गया था कि मशीन एकल ज्ञात स्रोत से आयातित होनी है, अबोध है। मामले को जुलाई 2010 में रक्षा मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। जुलाई 2011 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

## भंडार

### 8.3 पुर्जों की उच्च कीमत पर खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अविवेकपूर्ण निर्णय अर्थात् इन्फैंट्री कंबैट वाहन के पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की अधिक दरों को स्वीकृत करने के कारण आयुध फैक्ट्री मेडक, ने ₹ 83.67 लाख का अधिक व्यय किया

केंद्रीय शस्त्र सज्जित लडाकू वाहन डिपो, पुणे (डिपो) से प्राप्त दो मांगपत्रों (मई 2003 एवं अगस्त 2003 को पूरा करने के लिए आयुध फैक्ट्री मेडक (फैक्ट्री) ने में0 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड (बी.ई.एम.एल) को 75 गियर्स, 55 स्लीव्स, 135 आयल पंपों एवं 105 सर्वो बूस्टरों की अधिप्राप्ति के लिए एक एकल निविदा सूचना जारी की (दिसंबर 2003)।

जनवरी 2004 में बी.ई. एम. एल से प्राप्त उद्धरण के आधार पर फैक्ट्री ने ₹ 2.06 करोड़ की लागत से उपर्युक्त मदों के लिए आदेश प्रस्तुत करने हेतु संस्वीकृति प्रदान करने लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड(ओ.एफ.बी) से अनुरोध किया (अप्रैल-मई 2004 ) ओ.एफ.बी. ने बी.ई.एम.एल द्वारा दी गई दरों पर निर्णय स्थगित रखते हुए, फैक्ट्री को आयात मूल्य प्राप्त करने के लिए कहा तथा 14 जुलाई 2004 को बी.ई.एम.एल. के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाने को कहा।



फैक्ट्री ने मे0 सेनरेक्स पोलैड से उद्धरण (128.110 यू.एस.डालर या ₹ 60.12 लाख के बराबर) 8 जुलाई 2004 को प्राप्त किया तथा निविदा क्रय समिति की बैठक के आयोजन के पूर्व 14 जुलाई 2004 को उसे फैक्स के माध्यम से ओ.एफ.बी. को प्रेषित कर दिया। 14 जुलाई 2004 को अयोजित निविदा क्रय समिति की बैठक में मे0सेनरेक्स (₹ 60.12लाख ) की सस्ती दरों के बजाय बी.ई.एम.एल को पिछली भुगतानित दर(₹ 1.42 करोड़) प्रस्तावित किया गया। तथापि, बी.ई.एम.एल. ने अपनी दरें ₹ 2.06 करोड़ से घटाकर ₹ 1.60 करोड़ (24 जुलाई 2004 )कर दी। ओ.एफ.बी.की निविदा क्रय समिति ने अगस्त 2004 में मे0 सेनरेक्स के ₹ 60.12 लाख की सस्ती दर का ध्यान न देते हुए बी.ई.एम.एल के संशोधित दर को स्वीकार कर लिया तथा संशोधित मूल्य पर पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए फैक्ट्री को निर्देश दिया।

तदनुसार फैक्ट्री ने अगस्त 2004 में एक आदेश प्रस्तुत किया जिसकी समापन अवधि मार्च 2005 थी। फैक्ट्री ने 75 गियर, 55 स्लीव्स 102 आयल पंप तथा 80 सर्वो बूस्टर प्राप्त किए परिणामतः 33 आयल पंप व 25 सर्वो बूस्टर कम प्राप्त हुए। तत्पश्चात् फैक्ट्री ने अप्रैल 2006 के एक अन्य मांग के प्रति मे0 सेनरेक्स पोलैड से आयात करके (फरवरी 2007) 33 आयल पंप आपूर्ति किया। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा मामले पर आपति व्यक्त करने पर अगस्त 2004 के आदेश को मई 2010 में आपूर्ति मात्रा पर अपूर्ण बन्द कर दिया गया।

मे0 सेनरेक्स (₹60.12 लाख),द्वारा दी गई दरों के बजाय बी.ई.एम.एल.को (₹ 1.60 करोड़) के पिछले आपूर्तित दर के मंहगे प्रस्ताव को स्वीकार करने का ओ.एफ.बी. का निर्णय अविवेकपूर्ण था। परिणामस्वरूप,आयुध फैक्ट्री मेडक ने आपूर्तित मात्रा पर ₹ 83.67 लाख का परिहार्य व्यय किया।

रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) ने फरवरी 2010 में कहा कि (i) बी.ई.एम.एल. को आदेश देने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम एवं मुख्य उपस्कर के देशज को बढ़ावा देना था (ii) आयात मूल्य का विवरण,बाजार के रुझान तथा विदेशी विनिमय की संलग्नता के आकलन के लिए किया गया था। एम.ओ.डी. ने आगे कहा कि आयात की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि बी.ई.एम.एल. की बोली विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य का तीन गुना थी तथा ओ.एफ.बी. सतत् रूप से उपस्करों का आयात करता है। निविदा क्रय समिति फैक्ट्री, द्वारा आयात के माध्यम से सस्ती दरों पर पुर्जों की उपलब्धता के बारे में प्रदत्त सूचना का लाभ उठाने में विफल रही। एम.ओ.डी. का तर्क कि, आयात प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी.ई.एम.एल ने पाँच वर्ष से अधिक अवधि में पूरी मात्रा की आपूर्ति नहीं की।

रोचक बात यह है कि ओ.एफ. बी. को 33 आयल पंप एवं 25 सर्वो बूस्टर, डिपो को उसी फर्म से आयात करके प्रेषित किया जिस पर उसने 2004 में बी.ई.एम.एल.को पुर्जों का आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के पूर्व विचार नहीं किया था। अतः बी.ई.एम.एल से उच्च कीमत पर पुर्जों की खरीद से, ₹ 83.67 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

#### 8.4 फर्म को अदेय लाभ देना

आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ काँपर कैथोड की विलंबित आपूर्ति के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ₹ 9.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का वहन करने के लिए सहमत न कर सकी

आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ (ओ.एफ.ए.) को पीतल के कप व स्ट्रिप बनाने के लिए कापर कैथोड की आवश्यकता होती है। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 की प्रथम तिमाही की उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओ.एफ.ए ने मार्च 2006 में ₹ 102.79 करोड़ की लागत से 4800 टन काँपर कैथोड की अधिप्राप्ति के लिए मे0 मिनरल एवं मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन मुंबई को एक आदेश जारी किया। अन्य बातों के साथ-साथ आदेश में एक मूल्य परिवर्तन उपबंध भी शामिल था जिसके अनुसार ओ.एफ. ए को, लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई) के प्रत्येक प्रेषण के नौभार के माह के पूर्व के माह के काँपर की औसत दर के आधार पर भुगतान करना था।

ओ.एफ.ए. ने जुलाई 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य 3626.693 टन कापर एम.एम.टी.सी. से प्राप्त किया जिसमें से 1329.758 टन, कापर सल्फेट एवं अन्य विकृतियों की उपस्थिति के कारण अस्वीकृति हो गया। एम.एम.टी.सी. ने अस्वीकृति काँपर कैथोड का मई जून 2007 एवं सितंबर 2008 में मुक्त प्रतिस्थापन कर दिया। एम.एम.टी.सी.के बकाया, (अप्रैल 2007) 1173.307 टन (अर्थात् 4800 टन आदेशित मात्रा -3626.693 टन आपूर्ति मात्रा) कापर कैथोड जो मार्च 2007 में आपूर्ति के निश्चित थे, जून-जुलाई 2007 में की आपूर्ति, एल.एम.ई के मई 2007 के दौरान लागू दर पर करने के प्रस्ताव को ओ.एफ.ए द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा प्रदाय अवधि को (मई 2007) अगस्त 2007 तक बढ़ा दिया गया।

ओ.एफ.ए. ने अगस्त 2007 में मई 2007 के एल एम ई दर पर 1173.307 टन कापर कैथोड प्राप्त किया।

ओ.एफ. ए. ने एम.एम टी.सी.के 1173.307 टन मई 2007 के एल.एल.इ.दर पर आपूर्ति करने के प्रस्ताव को स्वीकार करके गलती की क्योंकि एम.एम.टी.सी द्वारा आपूर्ति की समापन अवधि के अन्दर कुल आदेशित मात्रा की आपूर्ति न कर पाने के कारण आस्थगित आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हुई तथा फैक्ट्री द्वारा इस शर्त के साथ प्रदाय अवधि बढ़ाना चाहिए था कि फरवरी 2007 की एल.एम.ई दर ही लागू होगी। ऐसा न करने के कारण फरवरी 2007 के एल.एम.ई दर (5676.45 यू एस डालर प्रति टन) एवं मई 2007 की एल.एम.ई दर (5676.45 यू एस डालर प्रति टन) के अंतर के रूप में ₹.9.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा मंत्रालय जनवरी (एम.ओ.डी) 2011 के उत्तर में तथ्यों से सहमत होते हुए कहा कि मार्च 2007 में अपूर्ति होने वाले 1200 टन प्रेषित माल स्टॉक अधिक हो जाता तथा ₹ 30 करोड़ के बराबर सरकारी धन का जमाव होता। आगे, उन्होंने कहा कि जनवरी 2006, से दिसंबर 2006 तक काँपर की दर वृद्धि का रुझान था तथा जनवरी फरवरी 2007 में अचानक कमी आई। ऐसी स्थिति में ऐसा समझा गया कि गिरावट का रुख प्रारंभ हो गया हैं। अतः इसे हानि कहने के स्थान पर अवधि से संचालित जोखिम कहना उचित होगा। एम.ओ.डी.का ओ.एफ.ए में स्टॉक की स्थिति में वृद्धि एवं उसके कारण मार्च 2007 में 1200 टन कापर कैथोड की प्राप्ति से सरकारी धन के जमाव संबंधी तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय आदेश के अनुसार प्रदाय अवधि मार्च 2007 ही थी। आगे मई 2007 की लागू एल.एम.ई दर पर कापर कैथोड के आखिरी प्रेषण की स्वीकृति भी औचित्यहीन थी क्योंकि एम.एम.टी.सी को इसे फरवरी 2007



की दर पर मार्च 2007 में आपूर्ति करनी थी। परिणामस्वरूप कॉपर कैथोड के मूल्य में वृद्धि या गिरावट संबंधी प्रश्न अप्रासंगिक है।

अतः ओ.एफ.ए. ने 1173.307 टन की विलंबित आपूर्ति के लिए ₹ 9.77 करोड़ का अतिरिक्त मूल्य एम.एम.टी.सी. पर भारित न करके उसे अदेय लाभ प्रदान किया।

### 8.5 प्रोपेलेंट का परिहार्य आयात

ओ. एफ. के. आयुध फैक्ट्री बोर्ड को गलत सूचना देने तथा प्रदाय अवधि बढ़ाने के संबंध में ओ.एफ.बी. के निर्णय के कारण ₹ 2.17 करोड़ के प्रोपेलेंट का परिहार्य आयात हुआ। आयुध फैक्ट्री भंडारा (ओ.एफ.बी.ए.) की उत्पादन लागत से तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि आयात ₹ 39.79 लाख मंहगा भी था।

40 मिमी प्री फ्रैगमेंटेड फुल चार्ज (पी.एफ.एफ.सी.) गोलाबारूद (गोलाबारूद) के संयोजन के लिए आयुध फैक्ट्री खमरिया (ओ एफ के) को एक प्रोपेलेंट पाउडर (प्रोपेलेंट) की आवश्यकता होती है। 2006-2007 के दौरान 50000 गोला बारूद के निर्माण के लिए ओ.एफ.के ने नवंबर 2005 में आयुध फैक्ट्री बोर्ड से लक्ष्य प्राप्त किया जो कि प्रोपेलेंट की कमी को देखते हुए बाद में दिसंबर 2006 में घटाकर 25000 कर दिया गया। गोलाबारूद के संयोजन के लिए, ओ.एफ.के. ने जुलाई 2005 एवं फरवरी 2006 में ओ.एफ. भंडारा को 23756 किलो ग्राम (कि.ग्रा.) प्रोपेलेंट के लिए अंतर फैक्ट्री मांग प्रस्तुत की। प्रोपेलेंट ओ.एफ. में मार्च 2003 से विकास के अन्तर्गत था। ओ.एफ.बी. ने यह सोचकर कि ओ.एफ.भंडारा में प्रोपेलेंट के देशज विकास व निर्माण में कुछ और समय लग सकता है, फैक्ट्री को (अक्टूबर 2006) वर्ष 2006-07 के लिए 25000 गोलाबारूद के बराबर प्रोपेलेंट आयात करने के लिए प्राधिकृत कर दिया। नवंबर 2006 में, मै0 सिमेल डिफेंसा इटली से एक उद्धरण आमंत्रित किया तथा ओ.एफ.बी. से 13140 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट के आयात की स्वीकृति के लिए इस आधार पर अनुरोध किया कि उसके पास वर्ष 2006-07 के लिए गोलाबारूद के निर्माण के लिए प्रोपेलेंट का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिन कार्ड के अनुसार 12693 की आवश्यक मात्र उपलब्ध थी। ओ.एफ.के. ने यह असत्य सूचना दी कि उपलब्ध प्रोपेलेंट को 2005-06 के लिए गोलाबारूद के उत्पादन में खपत कर लिया गया जबकि उसकी निकासी जनवरी 2007 एवं मार्च 2007 में की गई थी।

ओ.एफ.के. के कथन के अनुसार, ओ.एफ.बी. ने जनवरी 2007 में ओ.एफ.के. को आयात के लिए मै0 सिमेल डिफेंसा को आदेश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर दिया। ओ.एफ.के. ने जनवरी 2007 में इस शर्त के साथ आदेश प्रस्तुत किया कि पूरी आपूर्ति फरवरी 2007 में समाप्त हो जाए।

फरवरी 2007 में, आयात आदेश प्राप्त होने के पश्चात् फर्म ने 5000 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट तत्काल तथा शेष जून 2007 में आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया। इस पर, ओ.एफ.के. ने ओ.एफ.बी. को सूचित किया कि ओ.एफ. भंडारा ने 6000 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट आपूर्ति कर दिया है तथा अन्य 3000 कि.ग्रा. प्रूफ परीक्षण में है। ओ.एफ.के. ने आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जून 2007 तक आपूर्ति पूर्ण करने तथा अप्रैल 2007 के पश्चात् प्राप्त आपूर्तियाँ को 2007-08 की उत्पादन आवश्यकता पूरी करने के संबंध में ओ.एफ.बी. का निर्णय मांगा। ओ.एफ.बी. ने अप्रैल 2007 में 13140 कि.ग्रा. की पूर्ण मात्रा के लिए प्रदाय अवधि बिना लिक्विडेटेड क्षति के 31 अगस्त 2007 तक बढ़ाने के लिए ओ.एफ.के. को प्राधिकृत कर दिया।

ओ.एफ.के. ने आपूर्तिकर्ता से ₹ 2.17 करोड़ मूल्य के 13140 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट (₹ 1652.32 प्रति कि.ग्रा.) दिसंबर 2007 में प्राप्त किया। तथापि ओ.एफ.के. ने भंडार में उपलब्ध प्रोपेलेंट तथा नवंबर 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य ओ.एफ.भंडारा से प्राप्त 6000 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट, जो कि 2006-07 के गोलाबारूद के लक्ष्य 25000 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, के उपयो से 2006-07 के दौरान 22000 गोलाबारूद को संयोजन किया। इसके अतिरिक्त ओ.एफ.भंडारा से प्राप्त 18000 कि.ग्रा. तथा आयात से प्राप्त 13140 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट की प्राप्ति एवं स्वीकृति पश्चात् ओ.एफ.के. ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान 3184 एवं 25500 गोलाबारूद का निर्माण किया अर्थात् फ्यूज उपलब्धता की सीमा तक तथा अक्टूबर 2009 फैंक्री के पास 9468 कि.ग्रा. प्रोपेलेंट उपलब्ध था।

प्रथमतया, प्रोपेलेंट के स्टॉक शेष के बारे में में ओ.एफ.के. द्वारा ओ.एफ.बी. को असत्य सूचना देने और फिर ओ.एफ.बी. द्वारा आपूर्तिकर्ता को प्रदाय तिथि बढ़ाने का निर्णय लेने के कारण ₹ 2.17 करोड़ के प्रोपेलेंट का परिहार्य आयात हुआ। इसके कारण ₹ 39.79 लाख का अतिरिक्त व्यय भी हुआ क्योंकि ओ.एफ. भंडारा में प्रोपेलेंट की उत्पादन लागत, आयात की लागत की तुलना में सस्ती थी।

मार्च 2010 में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2006-07 के लिए 50000 गोलाबारूद के लक्ष्य को देखते हुए प्रोपेलेंट का आयात औचित्यपूर्ण था क्योंकि 12693 किलोग्राम की उपलब्ध मात्रा केवल 24000 गोलाबारूद के लिए पर्याप्त थी। एम.ओ.डी ने आगे कहा कि ओ.एफ.भंडारा से आपूर्ति नियमित नहीं थी तथा थोक उत्पादन स्वीकृति केवल जुलाई 2008 में प्रदान की गई। आगे नवंबर 2010 में ओ.एफ.बी. ने कहा कि लक्ष्य को घटाकर 25000 नहीं किया गया था तथा अन्य संघटकों की उपलब्धता की सीमा में ओ.एफ.के. 22000 गोलाबारूद का लक्ष्य प्राप्त कर सकती थी।

ओ.एफ.बी. तथा एम.ओ.डी का तर्क मामले पर स्पष्ट नहीं है क्योंकि इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि ओ.एफ. भंडारा में देशज आपूर्ति स्थापित हो चुकी है तथा आयात, 2006-07 के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया था जो विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रदाय तिथि को स्वीकार करने से पूरा नहीं हो सकता था। महाप्रबंधक ओ.एफ.के. ने संदस्य/ए.एंड ई, ओ.एफ.बी. को, फरवरी 2007, अर्थात् प्रदाय तिथि में वृद्धि स्वीकार करने से पूर्व, में सूचित किया कि उपलब्ध स्टॉक, 2006-07 के परिवर्तित उत्पादन लक्ष्य 25000 को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा ओ.एफ.भंडारा ने देशी रूप से विकसित प्रोपेलेंट आपूर्ति कर दी है। तथापि सदस्य ने अभिलिखित किया कि विदेशी फर्म द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रदाय तिथि स्वीकृत की जाए क्योंकि आयातित प्रोपेलेंट 2007-08 के दौरान उत्पादन में प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। नवंबर 2010 में ओ.एफ.बी. द्वारा दिए गए कथन से स्पष्ट है कि अन्य बाधक तत्वों जैसे अन्य संघटकों की अनुपलब्धता के कारण गोलाबारूद के उत्पादन में रुकावट आई। अतः आयातित व देशज प्रोपेलेंट की उपलब्धता के बावजूद ओ.एफ.के. 2007-08 के दौरान फ्यूज की उपलब्धता की सीमा तक 3184 गोलाबारूद का निर्माण कर सकी। ओ.एफ.बी. को आयात के लिए आदेशित प्रोपेलेंट की प्रदाय तिथि में परिवर्तन के पूर्व इन सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए था। आवश्यकता एवं उपलब्धता के वस्तुपूर्वक तथा संपूर्ण आकलन से ₹ 2.17 करोड़ के प्रोपेलेंट के आयात एवं ₹ 39.79 लाख के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था। मामले के आधार पर चूक के लिए दायित्व निश्चित करने के लिए जाँच का गठन किया जा सकता है।



## विविध

## 8.6 अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग के मूल्य की वसूली न होना

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी, वारंटी अवधि के दौरान दोषों के अन्वेषण के बावजूद, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से चार अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग के मूल्य की वसूली न कर सकी। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए जाने के पश्चात् एच.वी.एफ. ने एक पी.एस.यू. से दो अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग का मूल्य ₹ 37.43 लाख वसूल किया जबकि शेष दो टर्रेट कास्टिंग का मूल्य ₹ 36.40 लाख की वसूली एक अन्य पी.एस.यू. से की जानी शेष थी।

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच.वी.एफ.) ने अगस्त 1998 में मै0 भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0 हरिद्वार (बी.एच.ई.एल) एवं मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची (एच.ई.सी.) को क्रमशः 150 तथा 65 टर्रेट कास्टिंग, जो कि टी-72 टैंकों के टर्रेट के निर्माण के लिए एक कच्चा माल है, के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। इन आदेशों के प्रति एच.वी.एफ. ने जनवरी 1999 एवं जुलाई 2001 के मध्य में मै0 बी.एच.ई.एल एवं मै0 एच.ई.सी. से 143 तथा 59 टर्रेट कास्टिंग प्राप्त किया। तथापि एच.वी.एफ. ने मैसर्स बी.एच.ई.एल. एवं मै0 एच.ई.सी. को प्रस्तुत अगस्त 1998 के आदेश को अक्टूबर 2004 में, आपूर्ति मात्रा क्रमशः 143 एवं 59 पर पूर्व बन्द कर दिया। अगस्त 1998 के दो आदेशों का पूर्व समापन, थलसेना द्वारा (मई 2004) टी-72 टैंकों के आदेशों को 1380 से कम करके 1300 करने के कारण हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आपूर्ति 202 टर्रेट कास्टिंग में से 14 टर्रेट कास्टिंग (मै0 एच.ई.सी. के आठ टर्रेट कास्टिंग तथा मै0 बी.एच.ई.एल. के छः टर्रेट कास्टिंग) एच.वी.एफ. द्वारा वेल बोर क्षेत्र बॉटम प्लेट एवं कोर शिफ्टिंग में दशर के कारण अस्वीकृत कर दिए गए। इन अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग में से एच.बी.एफ. ने मै0 बी.एच.ई.एल को भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् लौटा दिए तथा उनके पास नवंबर 2010 तक 12 अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग पड़े थे।


यद्यपि एच.वी.एफ. ने 14 अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग में से 10, (बी.एच.ई.एल से चार व एच.ई.सी. से छः) का मूल्य ₹ 2.18 करोड़ वसूल कर लिया था, शेष चार अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग (मै0 बी.एच.ई.एल. एवं मै0 एच.ई.सी. प्रत्येक से दो) के मूल्य की वसूली नहीं की गई थी।

2001 एवं 2002 में दोषों की जानकारी के बावजूद ₹ 73.83 लाख के चार अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग के मूल्य की वसूली में एच.वी.एफ. की विफलता को मार्च 2006 एवं मार्च 2010 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया। तत्पश्चात् मार्च 2010 में एच.वी.एफ. ने मै0 बी.एच.ई.एल से ₹ 37.43 लाख की वसूली की। ओ.एफ.बी. ने नवंबर 2010 में पुष्टि की कि दो अस्वीकृत टर्रेट कास्टिंग के मूल्य की वसूली मै0 एच.ई.सी. से की जानी थी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा की आपत्ति पर, एच.वी.एफ. मै0 बी.एच.ई.एल से मार्च 2010 में दो अस्वीकृत कास्टिंग के मूल्य ₹ 37.43 लाख की वसूली कर सकी जबकि ₹ 36.40 लाख के शेष दो अस्वीकृत कास्टिंग की वसूली मैसर्स एच.ई.सी. से अभी भी प्रतीक्षित थी (नवंबर

2010)/पी.एस.यू. द्वारा आपूर्तित अस्वीकृत मदों के मूल्य की वसूली में लगभग एक दशक का विलंब, एच.वी.एफ. संविदा पश्चात् घटनाओं के ऊपर शिथिल अनुवर्ती कार्रवाई का द्योतक है।

मामले को अगस्त 2010 में रक्षा मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया था। जुलाई 2011 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।



नई दिल्ली  
दिनांक: 9 दिसम्बर 2011

(सी एम साने)  
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
रक्षा सेवाएँ

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली  
दिनांक: 9 दिसम्बर 2011

(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



संलग्नक

## परिशिष्ट - I ए

( पैराग्राफ 1.8 में संदर्भित )

लम्बित ए.टी.एनस. की स्थिति

रक्षा मंत्रालय - आयुध फैक्ट्री बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्ष से अधिक समय से बकाया

क्रम संख्या	प्रतिवेदन सं० और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	संघ सरकार (रक्षा सेवाएं ) का वर्ष 1985-86 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	34*	कम/दोषपूर्ण आपूर्ति को प्रदर्शित करने में विलंब के कारण हानि
2.	1988 की संख्या 2	9**	बाजार से योद्धा पोशाक का क्रय
3.	1989 की संख्या 2	11**	155 मिमी खिंचाव वाले तोप प्रणाली एवं गोलाबारूद की खरीद एवं लाइसेंस उत्पादन
4.	1990 की संख्या 12	9**	(अ) 155 मिमी वाले तोप प्रणाली एवं गोलाबारूद की खरीद एवं लाइसेंस उत्पादन एवं (ब) विरुद्ध व्यापार के लिए बोफोर्स के साथ अनुबंध
5.		10*	तोप प्रणाली का प्रवर्तन और अप्रवर्तन
6.		19*	पुराने प्रकार के गोलाबारूद का आयात
7.		46**	राशन मद - दाल
8.	1991 की संख्या 8	10*	आवश्यकता से अधिक भंडारों की अधिप्राप्ति
9.		13*	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
10.		17**	चना दाल की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय
11.	1992 की संख्या 8	20**	एक आयुध डिपो में अवमानक सामानों की अधिप्राप्ति
12.		28**	उपयोग नहीं किए जा रहे रक्षा ट्रैकों के रखरखाव प्रभारों का परिहार्य भुगतान
13.	1993 की संख्या 8	15**	परिसंपत्तियों का अनुपयोग
14.		22**	कोरुप्शेंटिड कार्ड बोर्ड बॉक्सों का अधिक प्रावधान
15.		29*	पर्वतारोहण उपस्कर और क्रीड़ा बॉक्सों का अधिक प्रावधान
16.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
17.	1997 की संख्या 7	15*	वाहनों के लिए सीटों और गद्दियों का अधिक प्रावधान
18.		18**	रक्षा भूमि का प्रबंधन



19		23**	क्षति प्रभारों पर परिहार्य व्यय
20		27**	रेलवे से दावों की वसूली न होना
21.		69**	ब्लास्ट पेनों एवं टैक्सी पथ का दोषपूर्ण निर्माण
22	1998 की संख्या 7	30**	कंटेनर डिटेन्शन प्रभारों का परिहार्य भुगतान
23.		32*	अवमानक सिलेंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
24		36**	उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति
25	2000 की संख्या 7	52***	विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन
26	2001 की संख्या 7	15**	एक अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
27		19**	मनोरंजन फिल्मों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
28		27**	एक निजी सोसाइटी को अनुचित लाभ
29		32***	युसुफ्रक्टस की विक्रय राशि को रेजिमेंटल निधि में गलत जमा करना
30.	2001 की संख्या 7ए	@ संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैरों में से 8 का एटीएन अभी पहली बार भी प्राप्त होना बाकी है)	ऑपरेशन विजय (थलसेना) के लिए की गई अधिप्राप्तियों की पुनरीक्षा
(ii)	पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक का बकाया		
31.	2003 की संख्या 6	2**	रक्षा भूमि का दोहन
32		11**	लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियां
33.		14***	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
34.	2004 की संख्या 6	3.2*	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ/ बचतें
35	2005 की संख्या 6	3.2*	लेखापरीक्षा के बताने पर हुई वसूलियाँ/बचतें
36.	2005 की संख्या 18 ( निष्पादन लेखापरीक्षा )	एकल प्रतिवेदन**	महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन की निष्पादन लेखापरीक्षा
(iii)	3 से 5 वर्षों के बीच का बकाया		
37	2007 की संख्या 4	2.1@@	पट्टा करने/नवीनीकरण करने में विलंब
38		2.4**	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्य
39		3.3**	शैक्षणिक संस्थाएं चलाने के लिए रक्षा परिसंपत्तियों तथा लोक निधियों का अनधिकृत उपयोग
40		3.5*	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ/बचतें
41		6.2**	प्रति विद्रोह भत्ते का अनियमित भुगतान
42	2007 की संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय - II**	थलसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण

43		अध्याय -III*	थलसेना में परिवहन प्रबंधन
(iv)	3 वर्ष तक का बकाया		
44.	2008 की प्रतिवेदन संख्या सीए 4	2.8***	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्य
45.		3.2**	कंबलों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय
46.		3.3**	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ एवं बचतें
47.		3.4*	दोषपूर्ण गोलाबारूद की स्वीकृति से परिहार्य हानि
48	2008 की प्रतिवेदन संख्या पीए 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय -I*	थलसेना में सामान्य भंडार और कपड़ों की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन
49	2008-09 की प्रतिवेदन संख्या सीए 17	2.7***	थलसेना गोल्फ क्लब के द्वारा अधिग्रहीत जमीन के पट्टा का नवीनीकरण नहीं कराया जाना
50		3.4***	थलसेना वेलफेयर एडुकेशन सोसाइटी के द्वारा ए-1 रक्षा भूमि का अनाधिकृत उपयोग
51		3.5***	सरकारी परिसम्पत्तियों का गैर सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग
52		3.6*	थलसेना कमांडरों द्वारा विशेष वित्तिय शक्तियों का दुरुस्मयोग
53		3.7*	यौद्धिक कोषों से कार्यों का अनियमित अनुमोदन
54		3.10***	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ और बचतें
55.		4.1*	नए निर्माण कार्यों के संपादन के लिए एक प्रोजेक्ट के बचत का अनियमित विचलन
56	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 12	2.1***	त्रुटिपूर्ण स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का आयात
57		2.2***	कम क्षमता की मिसाइलों की अधिप्राप्ति
58		2.5**	दोषपूर्ण ऑक्सीजन मास्कों की अधिप्राप्ति
59.		3.1**	प्रेषण-पूर्व निरीक्षण का समावेश नहीं होना
60		3.2***	पंच टेप कंसर्टिना कॉइल की अनियमित अधिप्राप्ति
61		3.3**	अल्प जीवन अवधि की दवाओं की अनियमित अधिप्राप्ति
62		3.6***	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ एवं बचतें
63		3.7*	स्लिट लैंप की अधिप्राप्ति में अनियमितता
64		3.8***	दरों के अयथार्थवादी मूल्यांकन के कारण अतिरिक्त व्यय



65		3.9***	आयातित भंडारों की पहचान नहीं होना
66		4.1***	गोल्फ क्लब के लिए आवास का अनियमित अनुमोदन एवं निर्माण
67		4.3***	उपयोगकर्ताओं के अनिर्णय के कारण कार्य निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय
68		5.1***	सेग्रेगेटर्स की अविचारित अधिप्राप्ति
69.		5.2***	सरकारी भंडारों का अपयोजन
70		5.3***	व्यवसायिक बोलियों को खोलने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय
71		6.1**	परिसंपत्तियों का अविवेकपूर्ण निर्माण
72		6.2*	आयातित उपकरण के क्षतिग्रस्त होने के कारण घाटा
73		6.3*	निर्माण कार्य की घटिया योजना के कारण परिहार्य व्यय
74	2010-11 की संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन***	भारतीय थलसेना में राशनों के आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा
75	2010-11 की संख्या 14 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन***	कैन्टीन स्टोर विभाग
76	2010-11 की संख्या 35 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन***	रक्षा सम्पदा प्रबंधन

\*कार्यवाई नोट जो लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित है लेकिन मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों के प्रकाश में निर्णीत किया जाना शेष है - 21

\*\*लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत परीक्षा के उपरांत अंतिम रूप दी गई कार्यवाई की टिप्पणियां जो कि मंत्रालय से प्रतीक्षित है - 31

\*\*\*प्रथम बार भी प्राप्त नहीं हुई कार्यवाइयों की टिप्पणियां - 22

@ प्राप्त आंशिक ए.टी.एन -1

@ @ अन्तिम ए.टी.आर. पर आपत्ति - 01

**परिशिष्ट - I बी**

( पैराग्राफ 1.8 में संदर्भित )

रक्षा मंत्रालय - आयुध फैक्ट्री बोर्ड

कार्रवाई टिप्पणियां जो अभी तक पहली बार भी प्राप्त नहीं हुई

क्रम संख्या	प्रतिवेदन सं० और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	2010-11 का प्रतिवेदन सं० 12 (अनुपालन लेखापरीक्षा)	7.2	आयुध फैक्ट्री कोरवा प्रोजेक्ट का अविवेकपूर्ण अनुमोदन
2.		7.4	ओलियम की अधिप्राप्ति में फर्म को अनुचित लाभ
3.		7.7	स्पंज आयरन की खरीद में अतिरिक्त व्यय



**परिशिष्ट - I सी**

( पैराग्राफ 1.8 में संदर्भित )

रक्षा मंत्रालय - आयुध फैक्ट्री बोर्ड

एक्शन टेकन नोट जिन पर लेखापरीक्षा ने अपनी टिप्पणी/आपत्तियाँ दे दी है लेकिन परिवर्तित ए.टी.एनस. मंत्रालय/विभाग से प्रतीक्षित है।

क्रम संख्या	प्रतिवेदन सं० और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय	अभ्युक्तियां (रिटर्न की तारीख)
1.	2004 का प्रतिवेदन सं० 6	7.11	निरीक्षण प्रभारों की वसूली नहीं होना	13 जून 2005
2		7.3	आयुध कारखानों में सीएनसी मशीनों का परिचालन	20 नवम्बर 2009
3	2008 का सीए सं० 4	6.3	आयुध फैक्ट्री प्रोजेक्ट नालंदा के निष्पादन में असामान्य विलंब	17 जून 2010
4	2008-09 का प्रतिवेदन सं. 17	7.8	आपूर्तिकर्ता को सीमा शुल्क की प्रतिप्राप्ति में संदिग्ध धोखाधड़ी	20 मई 2011
5.	2010-11 का प्रतिवेदन सं० 12	7.3	ओलियम की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय	11 फरवरी 2011
6		7.10	आपूर्तिकर्ता को सीमा शुल्क की प्रतिप्राप्ति में संदिग्ध धोखाधड़ी	20 मई 2011

## परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 2.1 में संदर्भित)

घटनाओं का कालक्रम

(i) पहियों पर घसीटने योग्य 155 एमएम तोप की अधिप्राप्ति के लिए

दिनांक	घटना
24 मार्च 1986	मंत्रालय ने मार्च 2001 तक मान्य बोफोर्स तोपों के उत्पादन के लाईसेंस सहित तोपों की अधिप्राप्ति हेतु एक संविदा मै0 बोफोर्स के साथ संविदा निर्णीत की।
1989	मै0 बोफोर्स पर प्रतिबंध लगाया गया।
अप्रैल 1997	तोपखाने के लिए नई तोप की अत्यावश्यक यौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु 155 एमएम घसीटने वाली चढ़ी तोप के लिए जी.एस.क्यू.आर., 45 अन्तर्व्यास नली लम्बाई को अत्यावश्यक मानक रूप में तथा 52 अन्तर्व्यास लम्बाई वांछनीय, इंगित करते हुए प्रतिपादित किया गया था।
मई 1997	थलसेनाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जुडी तोप के लिए भविष्य की नीति 155 एमएम x 52 अन्तर्व्यास लम्बाई होगी।
26 जून 1999	मै0 बोफोर्स पर से, उसकी उत्तराधिकारी फर्म मै0 सेलसियस, स्वीडन के साथ व्यवहारों की अनुमति देते हुए, बोफोर्स के वचनों का मान रखते हुए, प्रतिबंध हटा लिया गया।
24 सितम्बर 1999	मै0 बोफोर्स ने विकास के अग्रिम स्तर पर, एक बोलवो ट्रक पर चढ़ी 45 अन्तर्व्यास की तोप के प्रोटोटाइप का प्रस्ताव दिया।
4 अक्टूबर 1999	थलसेनाध्यक्ष (सी.ओ.ए.एस.) ने मै0 सेलसीयस के प्रस्ताव को टी.ओ.टी. लागत में बचत, तकनीकी के आसान समावेश की सुविधा तथा कार्यान्वयन की सुविधा तथा प्रणाली के लिए भंडारण सुविधा आदि तर्कों पर अनुमति प्रदान की।
मार्च 2000	मंत्रालय ने रक्षा मंत्री की अनुमति से ए.एच.क्यू. को जुड़ाव/ट्रक चढ़ी तोप के मानक और आवश्यक हो तो 45 व 52 अन्तर्व्यास अथवा दोनों की अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित करने को कहा।
जुलाई 2000	ए.एच.क्यू. ने जी.एस.क्यू.आर. के प्रति भारतीय परिस्थितियों में 155एमएम 45/52 अन्तर्व्यास की घसीटनेवाली तोप के मूल्यांकन के लिए 9 विक्रेताओं का आर. एफ. पी. का प्रारूप प्रस्तुत किया।
अप्रैल 2001 से जुलाई 2001	थलसेना मुख्यालय स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श व गहन विश्लेषण किया गया तथा थलसेना मुख्यालय का 155एमएम 52 क्षमता लम्बाई की घसीटने वाली तोप के पक्ष में दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ।
21 अगस्त 2001	डी.सी.ओ.ए.एस (पी एण्ड एस) ने 155 एमएम x 52 अन्तर्व्यास तोप के लिए मानकों का प्रावधान करते हुए जी.एस.क्यू.आर. के संशोधनों को अनुमति प्रदान की।
27 दिसम्बर 2001	संशोधित जी.एस.क्यू.आर. के आधार पर नौ विक्रेताओं को आर.एफ. पी. निर्गमित की गई तथा विदेशी मूल की केवल तीन फर्मों, मै0 एस.डब्ल्यू.एस. स्वीडन, मै0 डेनियल लैंड सिस्टम दक्षिणी अफ्रीका तथा मै0 सॉल्टन सिस्टम इज़राइल ने अपने तकनीकी और व्यवसायिक प्रस्ताव भेजे।
10 अक्टूबर 2002	सी.सी.एस. ने 155 एमएम x 52 अन्तर्व्यास जुड़ाव तोप की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान की।



मई 2002 से जनवरी 2007	अधोलिखित चार भागों में परीक्षण किए गए: क) प्रयोक्ता परीक्षण - जून 2002 से जुलाई 2002 ख) प्रयोक्ता परीक्षण - जून 2003 से जुलाई 2003 ग) गोला-दाग पुष्टीकरण - नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2004 ड़) पुनःपुष्टीकरण परीक्षण - मई 2006 से जनवरी 2007
03 अप्रैल 2007	परीक्षण मूल्यांकन के उपरांत महानिदेशालय तोपशाला ने पाया कि तोपें कुछ तकनीकी मानकों को पूरा नहीं करती थीं और परीक्षित तोपों में से कोई भी अपने देश की अथवा अन्य थलसेना में प्रविष्ट नहीं हुई थी। प्रयोक्ता निदेशालयों ने भी पाया कि 2001 में जब आर.एफ. पी. निर्गमित की गई थी, 155 एमएम x 52 अन्तर्व्यास तोप एक विकासशील तोप प्रणाली थी और इसलिए कोई भी तोप सेवा में प्रवेश हेतु अनुसंशित नहीं की गई
27 सितम्बर 2007	अगस्त 2001 में प्रतिपादित जी.एस.क्यू.आर. संशोधित की गई जिसमें न्यूनतम मारक क्षमता 35 कि०मी० से कम करके 30 कि०मी० कर दी गई।
अक्टूबर 2007	मंत्रालय ने तोप की अधिप्राप्ति के लिए मामला पूर्व-समाप्त किया
13 दिसम्बर 2007	रक्षा अधिप्राप्ति समिति (डी.ए.सी.) ने 'खरीदो और बनाओ के रूप में अधिप्राप्ति श्रेणीकरण करते हुए अधिप्राप्ति का नया मामला आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की।
26 मार्च 2008	9 विक्रेताओं को आर.एफ. पी. निर्गमित की गई
15 सितम्बर 2008	चार फर्मों ने अपनी तकनीकी और व्यावसायिक बोलियां प्रस्तुत की और चार में से केवल दो विक्रेताओं अर्थात् मै० सिंगापुर टैक्नोलॉजी और मै० बी.ए.ई. सिस्टम योग्य पाई गई
26 जुलाई 2010	आर.एफ. पी. पुनःआरम्भ की गई
19 अक्टूबर 2010	सेना मुख्यालय में आर.एफ. पी. का प्रारम्भ अनुमोदनाधीन था।

## II स्व-चलित तोप (ट्रैकड) की अधिप्राप्ति के लिए

दिनांक	घटना
11 मार्च 1994	एस.पी तोप के लिए जी.एस.क्यू.आर. संख्या 612 पूर्व-रशियन एम.एस.टी.ए. एस.पी.तोप को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित की गई।
27 जुलाई 1994	घरेलू टी-72 एम.1 चेसिस के साथ पूर्व-आयातित तोप ट्रैट मिला करके एक मिश्रित एस.पी.तोप के लिए 12 विक्रेताओं को वैश्विक आर.पी.एफ. निर्गमित की गई थी
01 दिसम्बर 1994	पांच विक्रेताओं अर्थात् मै० वी.एस.ई.एल. यू.के., मै० जी.आई.ए.टी. फ्रांस, मै० डेनियल दक्षिणी अफ्रीका, मै० कैरेंटल स्लोवाकिया तथा मै० एच.एस.डब्ल्यू पोलैंड से, प्रस्ताव प्राप्त हुए।
1995	टी.ई.सी. ने पोलिश फर्म से प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव को अनुपयुक्त पाया।
अप्रैल-जुलाई 1995	शेष चार तोप प्रणालियों के परीक्षण किए गए और सभी तोपों के साथ टी-72 चेसिस पर ट्रैट्स को चढ़ाना विफल रहा।
31 जनवरी 1996	परीक्षणों के उपरांत सभी चार विनिमाताओं के प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए।
मई 1997	थलसेनाध्यक्ष ने निर्णय किया कि मै० वी.एस.ई.एल., यू.के.द्वारा प्रस्तावित ए.एस.90 ट्रैट तथा मै० एल.आई डब्ल्यू दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित टी-6 ट्रैट में कम दोष होने के कारण अर्जुन चेसिस के साथ जोड़ने के लिए नए परीक्षण किए जाएं
30 मार्च 1998	मार्च 1994 में प्रतिपादित जी.एस.क्यू.आर. संख्या 621 तकनीकी में विकासों की संख्या तथा एस.पी. तोप के गोला दागने की नियंत्रण प्रणाली को देखते हुए संशोधित की गई।

जून-अगस्त 1998	मै0 डेनियल ने अपने यंत्र परीक्षणों हेतु प्रदान किए । मै0 बी.एस.ई.एल. ने अपने यंत्र परीक्षणों हेतु प्रदान नहीं किए अपितु परीक्षण हेतु अपना पूर्णतः एकीकृत प्रणाली को प्रस्तुत किया जो क्यू.आर.स. के अनुरूप न था
जुलाई-सितम्बर 1999	मै0 डेनियल के टी-6 टर्गेट के लिए पुष्टिकरण परीक्षण किये गए
सितम्बर 2000	थलसेना मुख्यालय ने जी.एस.क्यू.आर. के आधार पर बी.एच.आइ.एम. टी-6 ट्रैकड तोप को सेवा में प्रवेश हेतु संस्तुत किया ।
अक्तूबर 2000	रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने ओ.एफ.बी. को नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया ।
मार्च 2002	ओ.एफ.बी. को नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा की गई और रक्षा मंत्री की अनुमति के उपरांत बी.ई.एम.एल. को घरेलू एम.बी.टी. अर्जुन चेसिस के साथ दक्षिणी अफ्रीका की टी-6 टर्गेट को मिलाकर 155 एमएम एस.पी. ट्रैकड तोप की अधिप्राप्ति के लिए, नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया
07 जून 2002	मंत्रालय द्वारा पूछताछ निविदा जारी की गई
19 जून 2002	बी.ई.एम.एल. ने निविदा प्रस्तुतिकरण हेतु 31.7.2002 तक समयावधि में वृद्धि की प्रार्थना की क्योंकि वे एस.पी. तोप के लिए प्रथम बार प्रस्ताव कर रहे थे ।
07 जून 2002	मै0 डेनियल तथा मै0 बी.ई.एम.एल. को आर.एफ. पी. निर्गमित की गई
21 जून 2002	सी.सी.एस. ने 155 एमएम ट्रैकड तोप के रूप की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति प्रदान की ।
8 जुलाई 2002	एस.एस. (ए) के अनुमोदन के साथ पी.एन.सी. का गठन किया गया
सितम्बर 2002 से दिसम्बर 2003	पी.एन.सी ने मै0 डेनियल तथा मै0 बी.ई.एम.एल. के साथ सौदेबाजी के लिए विचार-विमर्श किया
16 दिसम्बर 2004	मंत्रालय ने सी.सी.एस. अनुमोदन हेतु मामले की प्रगति का निर्णय किया ।
जून 2005	मै0 डेनियल पर उनके एक अन्य अधिप्राप्ति के संबंध में कुछ एजेंसियों को कमीशन के रूप में भुगतान करने में संलिप्तता दोषारोपण के कारण, प्रतिबंध लगाया गया
अगस्त 2005 से नवम्बर 2005	मंत्रालय ने अन्य विकल्पों पर विचार किया लेकिन अन्ततः अनुमोदित नहीं किए ।
जून 2006	डी.ए.सी. ने, एकीकृत तोप प्रणाली का परीक्षण मूल्यांकन करने तथा परीक्षणों के उपरांत चयनित टर्गेट अर्जुन चेसिस से जोड़ी जाए तथा मिश्रित प्रणाली के रूप में परीक्षित सशर्त 'खरीदो' रूप में एकीकृत एस.पी. तोप ट्रैकड प्रणाली की, अनुमति प्रदान की
मई 2007	29 विक्रेताओं को आर.एफ.पी. निर्गमित की गई ।
20 जुलाई 2007	बोली-पूर्व आयोजित सभा में चार विक्रेताओं की उपस्थिति हुई
19 सितम्बर 2007	केवल एक विक्रेता ने तकनीकी-व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । एकल विक्रेता परिस्थिति के कारण आर.एफ. पी. चक्र पुनःशुरू किया गया ।
फरवरी 2008	डी.ए.सी. ने मिश्रित प्रणाली के बजाए एकीकृत एस.पी. तोप प्रणाली क्रय करने के लिए सहमति प्रदान की
29 अगस्त 2008	11 विक्रेताओं को तकनीकी-व्यावसायिक प्रस्ताव भेजने के लिए आर.एफ. पी. निर्गमित की गई ।
04 मार्च 2009	एक विक्रेता अर्थात मै0 रेनमेटल डिफेंस से तकनीकी-व्यवसायिक बोली प्राप्त हुई इसलिए 21.4.2009 को आर.एफ. पी. वापिस ले ली गई ।
अक्तूबर 2010	नई आर.एफ. पी. प्रक्रियाधीन थी



### III एस.पी. तोप (व्हील्ड) की अधिप्राप्ति हेतु

दिनांक	घटना
1998	पहियों वाली एस.पी. तोप एक नई धारणा के रूप में प्रकट हुई । जिस समय थलसेना मिश्रित ट्रैकड एस.पी. तोप के मूल्यांकन परीक्षणरत थी, पहियों वाली वाहन तकनीकी में प्रगतियों ने पहियों वाली एस.पी. तोप को एक व्यवहार्य विकल्प बना दिया था
जून- सितम्बर 1999	मै0 डेनियल द्वारा प्रदत्त जी 6-टी 6 पहियोंवाली एस.पी. तोप का भारत में परीक्षण मूल्यांकन किया गया ।
जनवरी 2001	ट्रैकड तथा व्हील्ड तोपों के लिए अधिप्राप्ति मामलों को अलग करने का निर्णय किया गया ताकि व्हील्ड तोपों के लिए सभी परिचित विक्रेताओं को आर.एफ.पी. निर्गमित की जा सकें ।
नवम्बर 2001	जी.एस.क्यू.आर. 621 (संशोधित) को 45/52 अन्तर्व्यास से 52 अन्तर्व्यास तक परिवर्तित अन्तर्व्यास लम्बाई हेतु पुनः संशोधित किया गया।
31 जनवरी 2002	11 विक्रेताओं को आर.एफ. पी. निर्गमित की गई
13 मार्च 2002	पाँच विक्रेताओं से प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव खोले गए।
15 अप्रैल 2002	पांच तकनीकी प्रस्तावों में से, टी.ई.सी. के अनुसार, केवल मै0 डेनियल, दक्षिणी अफ्रीका का प्रस्ताव ही जी.एस.क्यू.आर. को संतुष्ट करता पाया गया ।
14 जून 2002	सी.सी.एस ने 155 एमएम व्हील्ड तोप की 'एक्स' मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति प्रदान की
दिसम्बर 2003	पी.एन.सी. ने सौदेबाजी निर्णीत की ।
16 दिसम्बर 2004	विक्रेताओं को विकास हेतु उपयुक्त समय तथा तोपों की आवश्यक समाकृति न दिये जाने जैसी पद्धति की अनिश्चितता के कारण विश्व बाजार में अन्य संभावित प्रतियोगियों को पहचानने के लिए नई आर.एफ.पी. निर्गमित करने का निर्णय लिया गया ।
जून 2005	इसी बीच मै0 डेनियल पर प्रतिबंध लगाया गया
जुलाई 2005	मंत्रालय द्वारा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को बंद किया गया ।
19 जून 2006	डी.ए.सी. ने 'वैश्विक आर.एफ. पी. के साथ खरीदो' रूप में श्रेणीकृत 155 एमएम x 52 अन्तर्व्यास एस.पी. तोप की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति दी ।
15 फरवरी 2007	29 विक्रेताओं को आर.एफ. पी. निर्गमित की गई
01 अगस्त 2007	तकनीकी प्रस्ताव खोले गए और केवल एक विक्रेता ने तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया । एकल विक्रेता अवस्था के कारण आर.एफ.पी. चक्र पुनः शुरू किया गया ।
8 अक्टूबर 2007	और अधिक विक्रेता पहचानने के लिए 10 विक्रेताओं को आर.एफ.आई. निर्गमित की गई
4 फरवरी 2008	पांच विक्रेताओं को आर.एफ. पी. निर्गमित की गई
अक्टूबर 2010	दो फर्मों अर्थात मै0 कॅन्सट्रुका डिफेंस, स्लोवाकिया गणतंत्र और मै0 रीन्मेटल द्वारा प्रस्तावित तोपों का परीक्षण प्रगति में था ।

### परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 2.3 में संदर्भित)

वाणिज्यिक बोलियों में प्राप्त दरों की लॉट-वार स्थिति दर्शाने वाली विवरणिका

क्रम सं.	फर्म का नाम	ठेका स्वीकार करने की तिथि	लगाया गया कुल मूल्य	अभियुक्तियाँ	एल 1 और एल 2 के बीच दरों में प्रतिशतता में अन्तर
<b>लॉट-1</b>					
1.	इनफिनिट कम्प्यूटर लिमिटेड	20 जून 2005	₹ 63 लाख	एल 1	486
2.	सी.एम.सी. लिमिटेड		₹ 3.79 करोड़	एल 2	
3.	एल.एण्ड टी.इनफोटैक लिमिटेड		₹ 4.12 करोड़	एल 3	
4.	टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड		₹ 4.70 करोड़	एल 4	
5.	आई.बी.आई.एल.टी. टेक्नोलॉजी लिमिटेड		₹ 5.47 करोड़	एल 5	
6.	3 आई इनफोटैक लिमिटेड		₹ 11.40 करोड़	एल 6	
<b>लॉट-2</b>					
1.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस	27 जून 2005	₹ 46.44 लाख	एल 1	387
2.	एल.एण्ड टी. इनफोटैक लिमिटेड		₹ 2.24 करोड़	एल 2	
3.	टी.सी.एस. लिमिटेड		₹ 3.43 करोड़	एल 3	
4.	आई.बी.आई.एल.टी. टेक्नोलॉजीस		₹ 3.87 करोड़	एल 4	
5.	बिरलासॉफ्ट लिमिटेड		₹ 4.01 करोड़	एल 4	
6.	सी.एम.सी. लिमिटेड		₹ 4.59 करोड़	एल 5	
7.	3 आई इनफोटैक लिमिटेड		₹ 5.25 करोड़	एल 6	
8.	कोवांसिस इंडिया (पी) लिमिटेड		₹ 28.69 करोड़	एल 7	
<b>लॉट-3</b>					
1.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस	27 जून 2005	₹ 1.18 करोड़	एल 1	303
2.	एल.एण्ड टी. इनफोटैक लिमिटेड		₹ 4.76 करोड़	एल 2	
3.	3 आई इनफोटैक लिमिटेड		₹ 6.89 करोड़	एल 3	
4.	सी.एम.सी. लिमिटेड		₹ 9.95 करोड़	एल 4	
5.	बिरलासॉफ्ट लिमिटेड		₹ 13.61 करोड़	एल 5	



लॉट-4					
1.	ए.एफ.फरगुशन एण्ड कं.	07 फरवरी 2006	₹ 1.86 करोड़	एल 1	
2.	आई.बी.आई.एल.टी. लिमिटेड		₹ 2.23 करोड़	एल 2	
3.	बिरलासोफ्ट लिमिटेड		₹ 2.98 करोड़	एल 3	
4.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस		₹ 4.13 करोड़	एल 4	
लॉट-5					
1.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस	27 दिसम्बर 2005	₹ 1.68 करोड़	एल 1	
2.	ए.एफ.फरगुशन एण्ड कं.		₹ 1.80 करोड़	एल 2	
3.	बिरलासोफ्ट लिमिटेड		₹ 2.14 करोड़	एल 3	
लॉट-6					
1.	आई.बी.आई.एल.टी. टैक्नोलॉजी लिमिटेड	30 मार्च 2007	₹ 3.54 करोड़	एल 1	38
2.	ए.एफ.फरगुशन एण्ड कं.		₹ 4.87 करोड़	एल 2	
3.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस		₹ 10.47 करोड़	एल 3	
लॉट-7					
1.	आई.बी.आई.एल.टी. टैक्नोलॉजी लिमिटेड	30 मार्च 2007	₹ 2.80 करोड़	एल 1	129
2.	ए.एफ.फरगुशन एण्ड कं.		₹ 6.41 करोड़	एल 2	
3.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस		₹ 8.20 करोड़	एल 3	
4.	विप्रो इनफोटेक लिमिटेड		₹ 10.29 करोड़	एल 4	
लॉट-8					
1.	आई.बी.आई.एल.टी. टैक्नोलॉजी लिमिटेड	30 मार्च 2007	₹ 1.52 करोड़	एल 1	71
2.	बिरलासोफ्ट लिमिटेड		₹ 2.60 करोड़	एल 2	
3.	ए.एफ.फरगुशन एण्ड कं.		₹ 3.31 करोड़	एल 3	
4.	इनफिनिट कम्प्यूटर सॉल्यूशंस		₹ 5.16 करोड़	एल 4	
5.	विप्रो इनफोटेक लिमिटेड		₹ 7.90 करोड़	एल 5	

## परिशिष्ट - IV 'ए'

(पैराग्राफ 3.11 में संदर्भित)

क्रम सं.	कनवाय नोट संख्या एवं दिनांक	सी.एच.टी. संख्या	सी.एच.टी. की टन में क्षमता बजट रजिस्टर के अनुसार	भण्डार का भार कि.ग्रा. में	गन्तव्य स्थान	दूरी कि.मी. में	एक तरफ जाने का समय (दिनों में)	भुगतान की गई राशि (₹ में)	प्रेषिती छोर पर भण्डार पहुँचने का दिनांक	वाहन संख्या जिसके द्वारा भण्डार प्रेषिती ने प्राप्त किया
1.	156 दिनांक 3.7.06	आर.जे.13जी.ए-0029	3	3000	उधमपुर	2060	8	21445	10.7.06	आर.जे.13जी.ए-0029
2.	167 दिनांक 6.7.06	आर.जे.13जी.ए-0029	3	3000	भटिण्डा	1830	6	14439	12.7.06	आर.जे.13जी.ए-0029
3.	370 दिनांक 23.11.06	एच.आर-61-3921	9	6643	अम्बाला	1646	6	21135	29.11.06	एच.आर-61-3921
4.	375 दिनांक 27.11.06	एच.आर-61-3921	5	5000	जोधपुर	1261	4	12673	-	-
5.	424 दिनांक 26.12.06	एच.आर-61-3921	3	2998	शकूरबस्ती	1429	5	11275	-	एच.आर-61-3921
6.	429 दिनांक 29.12.06	एच.आर-61-3921	3	2995	शकूरबस्ती	1429	5	11275	-	एच.आर-61-3921
7.	385 दिनांक 1.12.06	एच.आर-38-4906	9	7298	गुवाहाटी	2868	10	48756	-	एच.आर-38-4906
8.	394 दिनांक 5.12.06	एच.आर-38-4906	9	8999	गुवाहाटी	2868	10	48756	-	एच.आर-38-4906
9.	532 दिनांक 10.3.07	एम.एच-14-6449	5.6	3000	बागडोगरा	2350	8	28905	-	एम.एच-14-6449
10.	545 दिनांक 20.3.07	एम.एच-14-6449	3	2913	बागडोगरा	2350	8	24464	-	एम.एच-14-6449
11.	152 दिनांक 27.7.07	एम.एच-14-6449	3	2234	जालंधर	1800	6	15120	1.8.07	एम.एच-14-6449
12.	154 दिनांक 27.7.07	एच.आर-39-ए-5073	15	5699	उधमपुर	2060	8	49234	2.8.07	एच.आर-39-ए-5073
13.	165 दिनांक 2.8.07	एच.आर-39-ए-5073	5.6	3000	जालंधर	1800	6	19800	6.8.07	एच.आर-39-ए-5073
14.	324 दिनांक 16.11.07	एम.एच-14एफ-1949	3	3000	मेरठ	1450	5	12180	20.11.07	एम.एच-14एफ-1949
15.	390 दिनांक 24.12.07	एम.एच-12डी.जी-1321	9	7243	उधमपुर	2060	8	32960	--	--
16.	402 दिनांक 01.01.08	एम.एच-12डी.जी-1321	5.6	4897	जालंधर	1800	6	19800	--	एम.एच-12डी.जी-1321
17.	409 दिनांक 4.1.08	एम.एच-14 ए.एस-2280	3	3000	गुवाहाटी	2868	10	31548	17.1.08	एम.एच-14 ए.एस-2280
18.	416 दिनांक 8.1.08	एम.एच-14 ए.एस-2280	3	2963	गुवाहाटी	2868	10	31548	--	एम.पी-09 जी.ई-2628
19.	490 दिनांक 25.2.08	एम.एच-12-4840	3	2371	बागडोगरा	2350	8	25850	14.3.08	एम.एच-12-4840
20.	508 दिनांक 5.3.08	एम.एच-12-4840	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	20.3.08	एम.पी-09 एच.एफ-0585
21.	531 दिनांक 15.3.08	एम.एच-12-4840	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	--	--
22.	540 दिनांक 24.3.08	एच.आर-56 ए-5892	20	3000	उधमपुर	2060	8	49234	--	एच.आर-56 ए-5892



23.	542 दिनांक 26.3.08	एच.आर-56 ए-5892	20	5428	पठानकोट	1907	7	45577	-	एच.आर-56 ए-5892
24.	514 दिनांक 7.3.08	एम.एच. 11 टी-4185	9	3000	उधमपुर	2060	8	32960	-	-
25.	523 दिनांक 13.3.08	एम.एच.11 टी-4185	20	5534	पठानकोट	1907	7	45577	-	-
26.	536 दिनांक 17.3.08	एम.एच.11 टी-4185	20	5534	पठानकोट	1907	7	45577	-	-
27.	011 दिनांक 10.4.08	एम.एच-12 डी.जी-1321	20	5600	पठानकोट	1907	7	45577	16.4.08	एम.एच-12 डी.जी-1321
28.	67 दिनांक 7.5.08	एच.आर-56बी-5892	5.6	5600	पठानकोट	1907	7	20977	12.5.08	एच.आर-56बी-5892
29.	72 दिनांक 12.5.08	एच.आर-56बी-5892	3	3000	पठानकोट	1907	7	16019	--	एच.आर-56बी-5892
30.	285 दिनांक 7.10.08	एम.एच-14-4874	3	2966	गुवाहाटी	2868	10	33842	16.10.08	एम.एच-14-4874
31.	293 दिनांक 10.10.08	एम.एच-14-4874	3	3000	गुवाहाटी	2868	10	33842	20.10.08	एम.एच-14-4874
32.	305 दिनांक 16.10.08	एम.एच-14-4874	3	2800	गुवाहाटी	2868	10	33842	25.10.08	एम.एच-14-4874
33.	309 दिनांक 18.10.08	एम.एच-14-4874	3	3000	गुवाहाटी	2868	10	33842	4.11.08	एम.एच-14-4874
34.	311 दिनांक 20.10.08	एम.एच-14-4874	3	3000	गुवाहाटी	2868	10	33842	4.11.08	एम.एच-14-4874
35.	379 दिनांक 13.1.09	एच.आर-39-5892	15	3150	जालंधर	1800	6	40176	20.1.09	एच.आर-39-5892
36.	382 दिनांक 15.1.09	एच.आर-39-5892 (39बी)	15	4568	जालंधर	1800	6	40176	20.1.09	एच.आर-39-5892
37.	33 दिनांक 29.4.09	एच.आर-63-4571	5.6	5558	गुवाहाटी	2868	10	41586	--	--
38.	38 दिनांक 4.5.09	एम.एच-12 ए.आर-8732	5.6	5629	गुवाहाटी	2868	10	41586	16.5.09	एम.एच-12 ए.आर-8732
39.	56 दिनांक 13.5.09	एम.एच-12 ए.आर-8732	5.6	4518	गुवाहाटी	2868	10	41586	23.5.09	एम.एच-12 ए.आर-8732
40.	77 दिनांक 19.5.09	एच.आर-39ए-7220	9	6775	पठानकोट	1907	7	31332	26.5.09	एच.आर-39ए-7220
41.	84 दिनांक 20.5.09	एच.आर-39ए-7220	9	6751	उधमपुर	2060	8	35164	29.5.09	एच.आर-39ए-7220
42.	95 दिनांक 26.5.09	एम.एच-14वी -3735	5.6	5174	गुवाहाटी	2868	10	41586	4.6.09	एम.एच-14वी -3735
43.	109 दिनांक 29.5.09	एम.एच-14वी -3735	5.6	5590	गुवाहाटी	2868	10	41586	8.6.09	एम.एच-14वी -3735
44.	65 दिनांक 15.5.09	एम.एच-14एफ-2331	3	2995	गुवाहाटी	2868	10	32695	25.5.09	एम.एच-14एफ-2331
45.	87 दिनांक 22.5.09	एम.एच-14एफ-2331	3	1604	गुवाहाटी	2868	10	32695	1.6.09	एम.एच-14एफ-2331
46.	116 दिनांक 6.6.09	एच.आर-56बी-5892	5.6	5592	गुवाहाटी	2868	10	41586	16.6.09	एच.आर-56बी-5892
47.	118 दिनांक 12.6.09	एच.आर-56बी-5892	9	9017	उधमपुर	2060	8	35164	--	--
48.	122 दिनांक 22.6.09	एच.आर-56बी-5892	9	9000	उधमपुर	2060	8	35164	2.7.09	एच.आर-56बी-5892
	कुल							1535653		

## परिशिष्ट - IV 'बी'

(पैराग्राफ 3.11 में संदर्भित)

क्रम सं.	कनवाय नोट संख्या एवं दिनांक	सी.एच.टी. संख्या	सी.एच.टी. की टन में क्षमता बजट रजिस्टर के अनुसार	भण्डार का भार कि.ग्रा. में	गन्तव्य स्थान	दूरी कि.मी. में	एक तरफ जाने का समय (दिनों में)	भुगतान की गई राशि (रुपये में)	प्रेषिती छोर पर भण्डार प्राप्ति का दिनांक	वाहन संख्या जिसके द्वारा भण्डार प्रेषिती छोर पर प्राप्त किया गया
1.	030 दिनांक 2.5.06	एम.एच-12 आर-6201	3	3000	जोधपुर	1261	4	10176	4.5.06	आर.जे-191जी-4751
2.	049 दिनांक 8.5.06	एम.एच-12 आर-6201	3	3000	जोधपुर	1261	4	10176	10.5.06	आर.जे-191जी-7853
3.	121 दिनांक 12.7.07	एम.एच-14-6449	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	25.7.07	डब्ल्यू.बी.39-9220
4.	133 दिनांक 17.7.07	एम.एच-14-6449	3	2999	बागडोगरा	2350	8	25850	25.7.07	डब्ल्यू.बी.39-9220
5.	498 दिनांक 28.2.08	एम.एच-14-6449	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	14.3.08	एम.एच-12-4840
6.	505 दिनांक 4.3.08	एम.एच-14-6449	3	2900	बागडोगरा	2350	8	25850	20.3.08	एम.पी-09 एच.एफ-0585
7.	524 दिनांक 13.3.08	एम.एच-14-6449	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	25.3.08	एम.पी-09 एच.एफ-0485
8.	527 दिनांक 14.3.08	एम.एच-14-6449	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	25.3.08	एम.पी-09 एच.एफ-0485
9.	535 दिनांक 17.3.08	एम.एच-14-6449	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	26.3.08	एन.एल-06ए-2418
10.	316 दिनांक 10.11.07	एम.एच-14 एफ-1949	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	6.12.07	डब्ल्यू.बी-73बी-0611
11.	330 दिनांक 19.11.07	एम.एच-14 एफ-1949	3	2649	अम्बाला	1646	6	13826	24.11.07	एच.आर-56बी-5892
12.	351 दिनांक 29.11.07	एम.एच-14 एफ-1949	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	12.12.07	डब्ल्यू.बी-73-0586
13.	495 दिनांक 27.2.08	एम.एच-14 एफ-1949	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	14.3.08	एम.एच-12-4840
14.	512 दिनांक 6.3.08	एम.एच-14 एफ-1949	3	3000	बागडोगरा	2350	8	25850	20.3.08	एम.पी-09 एच.एफ-0585
15.	399 दिनांक 29.12.07	एम.एच-14-ए.एस-2280	3	3000	गुवाहाटी	2868	10	31548	14.1.08	ए.एस-11 सी-3154
16.	405 दिनांक 2.1.08	एम.एच-14-ए.एस-2280	3	3000	गुवाहाटी	2868	10	31548	17.1.08	एम.पी-09 एच.एफ-1201
17.	010 दिनांक 7.4.08	एम.एच-12 डी.जी-1321	20	5466	भटिण्डा	1830	6	43737	12.4.08	एच.आर-39ए-6663
18.	114 दिनांक 3.6.08	एम.एच-14-4874	5.6	5066	गुवाहाटी	2868	10	38718	27.6.08	एच.आर-56 (वाहन सं. स्पष्ट नहीं)



19.	082 दिनांक 22.5.08	एम.एच-14 ए.एस-9170	9	9008	कोलकाता	2102	7	26801	31.5.08	डब्लू.बी-41बी-7031
20.	102 दिनांक 27.5.08	एम.एच-14 ए.एस-9170	9	8244	कोलकाता	2102	7	26801	3.6.08	डब्लू.बी-23ए-7951
21.	115 दिनांक 4.6.08	एम.एच-14 ए.एस-9170	9	7694	कोलकाता	2102	7	26801	11.6.08	डब्लू.बी-22बी-4999
22.	5 दिनांक 16.4.09	एच.आर-56 बी-5892	5.6	5511	उधमपुर	2060	8	29870	24.4.09	एच.आर-39ए-9891
23.	1 दिनांक 15.4.09	एच.आर-63-4571	5.6	4565	उधमपुर	2060	8	29870	21.4.09	एच.आर-39ए-5892
24.	15 दिनांक 20.4.09	एच.आर-63-4571	9	5277	उधमपुर	2060	8	35164	4.5.09	एच.आर-39ए-5891
25.	67 दिनांक 15.5.09	एच.आर-39ए-7220	9	4350	पठानकोट	1907	7	31332	22.5.09	एच.आर-56ए-5892
26.	83 दिनांक 21.5.09	एम.एच-14वी-3735	5.6	5290	गुवाहाटी	2868	10	41586	30.5.09	एम.पी-09 एच.एफ-5020
	कुल							712304		

## परिशिष्ट - IV 'सी'

(पैराग्राफ 3.11 में संदर्भित)

क्रम सं.	डिपो का नाम	एस.ओ. संख्या एवं दिनांक	सी.एच.टी. संख्या	कनवाय संख्या एवं दिनांक	गन्तव्य स्थान	कि.मी./ आवश्यक दिन की संख्या ठेके के अनुसार	भुगतान किए गए किराये का प्रभार
1-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड	20 दिनांक 3.5.06	आर.जे-14 जी.ए-2688	42 दिनांक 4.5.06	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	14526/-
1-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	22 दिनांक 6.5.06	आर.जे-14 जी.ए-2688	30 दिनांक 8.5.06	पटियाला	1600 कि.मी. 6 दिन	12912/-
2-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड	32 दिनांक 9.5.06	एच.आर-46सी-2249	54 दिनांक 10.5.06	हिसार	1500 कि.मी. 6 दिन	12831/-
2-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	32 दिनांक 11.5.06	एच.आर-46सी-2249	43 दिनांक 12.5.06	नई दिल्ली	1429 कि.मी. 5 दिन	14361/-
3-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड	134 दिनांक 1.7.06	आर.जे-13जी.ए-0029	156 दिनांक 3.7.06	उधमपुर	2060 कि.मी. 8 दिन	21445/-
3-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	84 दिनांक 6.7.06	आर.जे-13जी.ए-0029	97 दिनांक 7.7.06	भटिण्डा	1830 कि.मी. 6 दिन	14438/-
3-सी	सी.ओ.डी. देहू रोड	145 दिनांक 5.7.06	आर.जे-13जी.ए-0029	167 दिनांक 6.7.06	भटिण्डा	1830 कि.मी. 6 दिन	14438/-
4-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड	149 दिनांक 6.7.06	एच.आर-37ए-7932	171 दिनांक 7.7.06	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	19165/-
4-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	88 दिनांक 11.7.06	एच.आर-37ए-7932	101 दिनांक 12.7.06	जालंधर	1830 कि.मी. 6 दिन	14202/-
5-ए	सी.ए.एफ.वी.डी.	90 दिनांक 12.7.06	एच.आर-39ए-5073	103 दिनांक 13.7.06	जोधपुर	1261 कि.मी. 4 दिन	9941/-
5-बी	सी.ओ.डी. देहू रोड	167 दिनांक 15.7.06	एच.आर-39ए-5073	189 दिनांक 17.7.06	जोधपुर	1261 कि.मी. 4 दिन	12673/-
6-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड	313 दिनांक 28.10.06	पी.बी-10ए.आर-7219	336 दिनांक 30.10.06	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	14202/-



6-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	141 दिनांक 30.10.06	पी.बी-10ए.आर-7219	151 दिनांक 31.10.06	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	15046/-
7-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	339 दिनांक 16.11.06	एच.आर-56ए-1246	363 दिनांक 17.11.06	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	44052/-
7-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	150 दिनांक 17.11.06	एच.आर-56ए-1246	160 दिनांक 17.11.06	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	19165/-
8-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	346 दिनांक 21.11.06	एच.आर-61सी-3921	370 दिनांक 23.11.06	अम्बाला	1646 कि.मी. 6 दिन	21135/-
8-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	152 दिनांक 20.11.06	एच.आर-61सी-3921	162 दिनांक 21.11.06	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	19165/-
9-ए	सी.ए.एफ.वी.डी.	204 दिनांक 20.2.07	एच.आर-64-0599	215 दिनांक 21.2.07	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	15046/-
9-बी	सी.ओ.डी. देहू रोड़	494 दिनांक 20.2.07	एच.आर-64-0599	518 दिनांक 22.2.07	जोधपुर	1261 कि.मी. 4 दिन	9949/-
10-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	140 दिनांक 19.7.07	एच.आर-56ए-5892	140 दिनांक 20.7.07	भटिण्डा	1830 कि.मी. 6 दिन	20130/-
10-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	35 दिनांक 21.7.07	एच.आर-56ए-5892	35 दिनांक 23.7.07	सूरतगढ़	1805 कि.मी. 6 दिन	19855/-
11-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	230 दिनांक 12.9.07	एच.आर-39सी-9510	230 दिनांक 14.9.07	भटिण्डा	1830 कि.मी. 6 दिन	20130/-
11-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	68 दिनांक 14.9.07	एच.आर-39सी-9510	68 दिनांक 14.9.07	सूरतगढ़	1805 कि.मी. 6 दिन	15162/-
12-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	241 दिनांक 19.9.07	एम.एच-14ए.एस-8315	241 दिनांक 21.9.07	इलाहाबाद	1465 कि.मी. 5 दिन	18679/-
12-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	70 दिनांक 14.9.07	एम.एच-14ए.एस-8315	70 दिनांक 17.9.07	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	22950/-
13-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	240 दिनांक 19.9.07	एच.आर-39ए-5891	240 दिनांक 21.9.07	उधमपुर	2060 कि.मी. 8 दिन	32960/-
13-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	72 दिनांक 18.9.07	एच.आर-39ए-5891	72 दिनांक 19.9.07	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	15120/-
14-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	402 दिनांक 31.12.07	एम.एच-12डी.जी-1321	402 दिनांक 1.1.08	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	19800/-

14-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	138 दिनांक 3.1.08	एम.एच-12डी.जी-1321	138 दिनांक 4.1.08	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	19800/-
15-ए	सी.ए.एफ.वी.डी.	172 दिनांक 6.2.08	एम.एच-12डी.जी-1321	172 दिनांक 6.2.08	जालंधर	1800 कि.मी. 6 दिन	15120/-
15-बी	सी.ओ.डी. देहू रोड़	470 दिनांक 11.2.08	एम.एच-12डी.जी-1321	470 दिनांक 12.2.08	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	45577/-
15-सी	सी.ए.एफ.वी.डी.	178 दिनांक 16.2.08	एम.एच-12डी.जी-1321	178 दिनांक 18.2.08	रुड़की	1594 कि.मी. 6 दिन	17534/-
16-ए	सी.ए.एफ.वी.डी.	186 दिनांक 23.2.08	एच.आर-39ए-7197	186 दिनांक 26.2.08	हिसार	1500 कि.मी. 6 दिन	38001/-
16-बी	सी.ओ.डी. देहू रोड़	496 दिनांक 26.2.08	एच.आर-39ए-7197	496 दिनांक 27.2.08	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	45577/-
17-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	492 दिनांक 25.2.08	एच.आर-56-4393	492 दिनांक 26.2.08	भटिण्डा	1830 कि.मी. 6 दिन	43737/-
17-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	190 दिनांक 27.2.08	एच.आर-56-4393	190 दिनांक 28.2.08	दिल्ली कैंट	1429 कि.मी. 5 दिन	34153/-
18-ए	सी.ए.एफ.वी.डी.	192 दिनांक 29.2.08	एम.एच-12-4840	192 दिनांक 1.3.08	इलाहाबाद	1465 कि.मी. 5 दिन	12306/-
18-बी	सी.ओ.डी. देहू रोड़	508 दिनांक 4.3.08	एम.एच-12-4840	508 दिनांक 5.3.08	बागडोगरा	2350 कि.मी. 8 दिन	25850/-
19-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	540 दिनांक 20.3.08	एच.आर-56ए-5892	540 दिनांक 24.3.08	उधमपुर	2060 कि.मी. 8 दिन	49234/-
19-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	213 दिनांक 24.3.08	एच.आर-56ए-5892	213 दिनांक 25.3.08	सुरानसी	1800 कि.मी. 6 दिन	19800/-
19-सी	सी.ओ.डी. देहू रोड़	542 दिनांक 25.3.08	एच.आर-56ए-5892	542 दिनांक 26.3.08	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	45577/-
20-ए	सी.ओ.डी. देहू रोड़	36 दिनांक 19.4.08	एच.आर-56बी-5892	36 दिनांक 21.4.08	पी.टी.के.	1907 कि.मी. 7 दिन	45577/-
20-बी	सी.ए.एफ.वी.डी.	3 दिनांक 22.4.08	एच.आर-56बी-5892	3 दिनांक 23.4.08	सूरतगढ़	1805 कि.मी. 6 दिन	19855/-
							981176/-
							₹ 9.81 लाख



## परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 3.14 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ

क्रम सं.	इकाई/फार्मेशन	अधिक भुगतान/वसूली न होने का स्वस्म	राशि (₹ लाख में)
1.	डी.ई.ओ, सिकन्दराबाद	आंध्र प्रदेश के हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथारिटी से प्रीमियम और किराये की वसूली	365.95
2.	डी.ई.ओ, अम्बाला सर्कल, अम्बाला	छावनी बोर्ड अम्बाला कैन्ट को अधिक भुगतान किये गये सेवा प्रभागों की राशि का समायोजन	230.00
3.	पी.सी.डी.ए. (ओ.) पुणे	<p>वेतन और भत्तों का अनियमित भुगतान</p> <p>i. योग्यता अनुदान का अनियमित भुगतान (₹ 1.64 लाख)</p> <p>ii. फील्ड भत्ता का अनियमित भुगतान (₹ 4.94 लाख)</p> <p>iii. परिवहन भत्ता का अनियमित भुगतान (₹ 8.31 लाख)</p> <p>iv. अवकाश नगदीकरण के कारण वसूली (₹ 8.26 लाख)</p> <p>v. VI वेतन आयोग से वसूली निवृत्त थलसेना अधिकारियों के संबंध में बकाया (₹ 47.97 लाख)</p> <p>vi. प्रशिक्षण की लागत की वसूली (₹ 6.84 लाख)</p> <p>vii. उड़ान भत्तों का अनियमित भुगतान (₹ 1.20 लाख)</p> <p>viii. अन्य भत्तों की वसूली (₹ 7.92 लाख)</p>	87.08
4.	<p>(i) पी.ए.ओ. (जी.आर.ई.एफ.) पुणे</p> <p>(ii) पी.ए.ओ. (ई.एम.ई.) सिकन्दराबाद</p> <p>(iii) पी.ए.ओ. (ओ.आर.स.) आर्टी केन्द्र, नासिक</p> <p>(iv) पी.ए.ओ. (ओ.आर.स.) ए.ओ.सी, सिकन्दराबाद</p> <p>(v) लेखा अनुभाग सी.डी.ए, बंगलौर</p>	<p>फर्नीचर पर अत्याधिक वैट का भुगतान (₹ 1.88 लाख)</p> <p>सी.एम.एफ.ए. भत्ते का अनियमित भुगतान (₹ 5.31 लाख)</p> <p>स्थानांतरण अनुदान का अनियमित भुगतान (₹ 5.17 लाख)</p> <p>शांति में फील्ड भत्ते का अनियमित भुगतान (₹ 17.89 लाख)</p> <p>ए.जी.आई.एफ. पर प्रतिनियुक्त थलसेना कर्मियों के वेतन और भत्तों के अधीन वसूली (₹ 3.03 लाख)</p>	33.28

5.	जी.ई. (पी.) जबलपुर/जी.ई. तलबाहेट	ठेकेदारों से श्रम कल्याण उपकर	68.87
6.	(i) जी.ई. (एन.) अहमदनगर (ii) जी.ई. चेन्नई	भुगतान उपभोक्ता से बिजली शुल्क की वसूली (₹ 45.03 लाख) पाम ग्रोव गर्ल्स हॉस्टल से किराये और संबंधित शुल्कों की गैर वसूली (₹ 5.81 लाख)	50.84
7.	(i) आपूर्ति डिपो, पुणे (ii) एच.ई.एम.आर.एल, पुणे (iii) मुख्यालय सी.एस.डी, मुम्बई (iv) मुख्यालय पी.एस.ए, पुणे	डी.आई.ए.टी, पुणे को सूखा राशन जारी करना (₹ 38.64 लाख) प्रशिक्षण शुल्क की कटौती (₹ 1.35 लाख) उपहार योजनाओं की निगरानी (₹ 3.56 लाख) सरकारी इमारतों का गैर वास्तविक उद्देश्यों के लिए उपयोग (₹ 0.3 लाख)	43.85
8.	डी.आर.डी.एल, हैदराबाद	मदों की देरी से आपूर्ति के कारण एल.डी. की वसूली	14.50
		योग	894.37

₹ 8.94 करोड़



## परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 3.14 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा आपत्ति पर बचतें

क्रम सं.	इकाई/फार्मेशन	अनियमितता का स्वरूप	लेखापरीक्षिती द्वारा किए गए उपचारी उपाय	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	मुख्यालय, मध्य भारत क्षेत्र	एम.सी.टी.ई.में सिविल राजपत्रित अधिकारियों के लिए आवास का अनियमित प्रावधान	मंजूरी रद्द होना	168.02
2.	कमाण्डर, मुख्यालय एम.पी, सी.एण्ड ए. उपक्षेत्र	<p>सी.ओ.डी. छिवकी में सुरक्षा पोस्ट के लिए सीवेज सिस्टम और बाहरी पानी आपूर्ति का प्रावधान (₹10.19 लाख)</p> <p>सी.एम.एम. जबलपुर में विवाहित अधिकारियों के लिए आवासीय इमारत संख्या पी-64 (एकलव्य निवास) की विशेष मरम्मत (₹ 13.00 लाख)</p> <p>सी.एम.एम. जबलपुर में विवाहित अधिकारियों के लिए आवासीय इमारत संख्या पी-63 (एकलव्य निवास) की विशेष मरम्मत (₹ 13.00 लाख)</p> <p>सी.एम.एम. जबलपुर में विवाहित जे.सी.ओ. के लिए आवासीय इमारत संख्या एम.एम.37 (चर्च लाइनर्स) की विशेष मरम्मत (₹12.85 लाख)</p> <p>सी.एम.एम. जबलपुर में विवाहित जे.सी.ओ. के लिए आवासीय इमारत संख्या एम.एम.34 (चर्च लाइनर्स) की विशेष मरम्मत (₹ 13.50 लाख)</p>	मंजूरी का रद्दीकरण	62.54
3.	मुख्यालय आंध्रा उपक्षेत्र	एम.ई.एस आई.बी. सिकन्दराबाद में पाँच अतिरिक्त कमरों का निर्माण	मंजूरी रद्द होना	36.00
4.	ए.सी.सी.एण्ड एस. अहमदनगर	वारण्टी अवधि के दौरान ए.सी. डिपो में इमारत की छत स्लैब के लिए पानी अशुद्धि जाँच उपचार के लिए विशेष मरम्मत	मंजूरी रद्द होना	14.88
5.	एन.डी.ए. खड़कवासला	एन.डी.ए. में सूडॉन ब्लॉक में उप कमांडेंट सचिवालय के अधिकारियों और प्रशिक्षण शाखा में विशेष मरम्मत	मंजूरी रद्द होना	14.57

6.	<p>(i) तदर्थ स्टेशन मुख्यालय, जोशीमठ</p> <p>(ii) स्टेशन मुख्यालय, लान्सडोने</p> <p>(iii) स्टेशन मुख्यालय, कैम्पटी</p>	<p>मुख्यालय 9 (I)Mtn Bde Gp कैम्प जोशीमठ में नीलगिरी कॉम्पलेक्स से इमारत एम.टी. कॉम्पलेक्स तक श्रृंखला लिंक फ़ैन्सिंग की व्यवस्था की अनियमित मंजूरी (₹4.95 लाख)</p> <p>जी.आर.आर.सी. लान्सडोने में रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के लिए आवास की कमी की व्यवस्था की अनियमित मंजूरी (₹5.00 लाख)</p> <p>ए.पी.एस. केन्द्र कैम्पटी में धोबी घाट के धुलाई बिंदु के आसपास 8 फीट ऊँचाई की चारदीवारी का प्रावधान (₹1.98 लाख)</p>	मंजूरी रद्द होना	11.93
7.	सी.ओ.डी. देहू रोड	क्रैंक शाफ्ट स्टैंडर्ड की खरीद	आपूर्ति आदेश का रद्द होना	16.91
8.	<p>(i) स्टेशन मुख्यालय, राँची</p> <p>(ii) मुख्यालय 3 कोर</p>	<p>(i) ओ.टी.एम. आवास और कुक हाउस के लिए सोलर वॉटर हीटर का प्रावधान (₹3.90 लाख)</p> <p>(ii) 4 बिहार के अन्य रैंकों के आवास पर रहने वालों के लिए सोलर हीटर का प्रावधान (₹3.58 लाख)</p> <p>रंगापहार सैन्य स्टेशन पर इमारत संख्या पी-1 और पी-2 के विशेष मरम्मत कार्य की अनियमित मंजूरी (₹12.43 लाख)</p>	<p>प्रशासनिक अनुमोदन का रद्दीकरण</p> <p>प्रशासनिक अनुमोदन का डिरिलीज होना</p>	19.91
9.	<p>(i) मुख्यालय, मेरठ उपक्षेत्र</p> <p>(ii) सी.ई. (फैक्टरी) हैदराबाद</p>	<p>(i) मेरठ कैन्ट में सी.एम.वी.एल. और वैद्या एनक्लेव क्षेत्र में एच.टी.फीडर के सुधार के लिए मंजूर किए गए क्रेडिट सूची की निर्धारित राशि की कटौती न होना (₹2.64 लाख)</p> <p>(ii) मेरठ कैन्ट में माल रोड और मल्होत्रा एनक्लेव में एच.टी.फीडर के सुधार के लिए मंजूर किए गए क्रेडिट सूची की निर्धारित राशि की कटौती न होना (₹3.46 लाख)</p> <p>एम.ई.एस. द्वारा अन्य संगठन को दिए गए डिपोजिट कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन में आकस्मिकता का प्रावधान (₹12.80 लाख)</p>	<p>स्वीकृत राशि को कम करना</p> <p>बयान में कमी</p>	18.90



10.	सी.एस.डी. मुख्यालय, मुम्बई	<p>अंतिम स्कन्ध का अधिक मूल्यांकन जिससे लाभ बढ़ गया (₹ 244.54 लाख)</p> <p>इनवाईसड भण्डार का कम मूल्यांकन जिसके परिणामस्वरूप बिक्री और लाभ बढ़ गया (₹178.02 लाख)</p> <p>सी.एस.डी. कोची के अंतिम स्कन्ध का गलत मूल्यांकन जिससे लाभ बढ़ गया (₹ 4.76 लाख)</p> <p>अंतिम स्कन्ध का गलत मूल्यांकन जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 के वार्षिक लेखे में लाभ अधिक बताया गया (₹ 3.61 लाख)</p>	<p>2008-09 के वार्षिक खाते में सही लाभ दर्शाने का संशोधन</p> <p>2008-09 के वार्षिक खाते में सही लाभ दर्शाने का संशोधन</p>	<p>430.93</p>
			योग	794.59

₹ 7.95 करोड़

## परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 8.1.4 में संदर्भित)

2005-06 से 2009-10 के दौरान विभिन्न आयुध फैक्ट्रियों के संबंध में उत्पादन लागत पर  
उपरिव्यय का विवरण  
(2005-06 से 2009-10 के लिए आउटटर्न की लागत के सारांश पर आधारित)

(₹ करोड़ में)

समूह	वर्ष	नियत उपरिव्यय प्रभार	परिवर्तनीय उपरिव्यय प्रभार	कुल उपरिव्यय प्रभार	उत्पादन लागत	उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की प्रतिशतता	उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की औसत प्रतिशतता
सामग्री एवं संघटक	2005-06	288.67	238.20	526.87	1148.08	45.89	44.52
	2006-07	321.86	226.91	548.77	1191.23	46.07	
	2007-08	337.07	251.54	588.61	1417.35	41.53	
	2008-09	403.98	301.82	705.80	1656.29	42.61	
	2009-10	459.70	233.64	693.34	1490.60	46.51	
शस्त्र वाहन एवं उपस्कर	2005-06	540.49	308.58	849.07	2588.77	32.80	36.34
	2006-07	506.76	264.21	770.97	2027.79	38.02	
	2007-08	544.71	287.29	832.00	2512.26	33.12	
	2008-09	636.85	238.87	875.72	2350.08	37.26	
	2009-10	686.83	316.58	1003.41	2476.41	40.52	
गोलाबारूद एवं विस्फोटक	2005-06	376.95	210.29	587.24	2611.83	22.48	23.01
	2006-07	396.81	181.58	578.39	2736.10	21.14	
	2007-08	415.16	216.80	631.96	3149.68	20.06	
	2008-09	547.70	393.89	941.59	3807.14	24.73	
	2009-10	763.02	282.17	1045.19	3924.14	26.63	
शस्त्र सज्जित वाहन	2005-06	247.35	122.81	370.16	1830.41	20.22	22.21
	2006-07	271.88	100.36	372.24	1422.57	26.17	
	2007-08	265.39	149.08	414.47	1682.75	24.63	
	2008-09	299.13	133.24	432.37	2137.34	20.23	
	2009-10	489.69	155.33	645.02	3257.75	19.80	
आयुध उपस्कर फैक्ट्रियाँ	2005-06	118.11	61.84	179.95	632.50	28.45	31.60
	2006-07	117.21	54.31	171.52	579.84	29.58	
	2007-08	122.79	53.54	176.33	550.57	32.03	
	2008-09	162.31	62.32	224.63	659.55	34.06	
	2009-10	165.95	60.69	226.64	669.00	33.88	
महायोग आयुध फैक्ट्रियाँ समग्र रूप से	2005-06	1571.57	941.72	2513.29	8811.59	28.52	29.63
	2006-07	1614.52	827.38	2441.90	7957.53	30.69	
	2007-08	1685.12	958.25	2643.37	9312.61	28.38	
	2008-09	2049.97	1130.14	3180.11	10610.40	29.97	
	2009-10	2565.19	1048.41	3613.60	11817.89	30.58	

## परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 8.1.4 में संदर्भित)

(विगत पाँच वर्षों के दौरान समूह-वार व्यय किए गए पर्यवेक्षण प्रभार का विवरण तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार से उसका संबंध)

(₹ करोड़ में)

समूह	वर्ष	प्रत्यक्ष श्रम	अप्रत्यक्ष श्रम	प्रत्यक्ष श्रम पर अप्रत्यक्ष श्रम की प्रतिशतता	कुल श्रम प्रभार	पर्यवेक्षण प्रभार	कुल श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार की प्रतिशतता	प्रत्यक्ष श्रम पर पर्यवेक्षण प्रभार की प्रतिशतता
सामग्री एवं संघटक	2005-06	111	129	116%	240	131	55%	118%
	2006-07	106	117	110%	222	137	62%	129%
	2007-08	116	125	108%	241	143	59%	123%
	2008-09	137	190	139%	327	205	63%	150%
	2009-10	198	193	97%	391	267	68%	135%
शस्त्र वाहन एवं उपस्कर	2005-06	197	204	104%	401	230	57%	116%
	2006-07	177	179	101%	356	222	62%	125%
	2007-08	188	185	98%	373	236	63%	126%
	2008-09	224	292	130%	516	342	66%	153%
	2009-10	298	312	105%	610	433	71%	145%
गोलाबारूद एवं विस्फोटक	2005-06	168	178	106%	346	228	66%	136%
	2006-07	153	154	101%	306	233	76%	152%
	2007-08	168	156	93%	324	246	76%	146%
	2008-09	205	250	122%	455	380	84%	185%
	2009-10	299	243	81%	542	477	88%	160%
शस्त्र सज्जित वाहन	2005-06	63	67	106%	130	95	73%	151%
	2006-07	64	60	94 %	124	96	77%	150%
	2007-08	73	63	86 %	136	98	72%	134%
	2008-09	97	101	104%	198	172	87%	177%
	2009-10	137	100	73 %	237	229	97%	167%
आयुध उपस्कर	2005-06	117	64	55	181	53	29	45
	2006-07	113	54	48	166	51	31	45
	2007-08	111	54	49	165	53	32	48
	2008-09	136	93	68	229	99	43	73
	2009-10	186	117	63	303	102	34	55
योग	2005-06	656	642	98	1298	736	57	112
	2006-07	612	564	92	1176	738	63	121
	2007-08	655	583	89	1238	776	63	118
	2008-09	800	926	116	1726	1199	69	150
	2009-10	1118	965	86	2083	1508	72	135